

Parliament Calendar

No. 14(3)/2017-Parl.
Government of India
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Office of the Development Commissioner (MSME)
Parliament Section

Nirman Bhavan, New Delhi

Dated, the 2nd July, 2018.

Sub: Calendar of sittings – Fifteenth Session of Sixteenth Lok Sabha and Two Hundred and Forty Sixth Session of Rajya Sabha (July-August, 2018).

Fifteenth Session of Sixteenth Lok Sabha and Two Hundred Forty-Sixth Session of Rajya Sabha (July-August, 2018) is scheduled to commence on ~~Monday~~ ^{wednesday} the 18th July, 2018.

The sittings for transaction of business have been fixed provisionally as under:-

July: 18,19,20,23,24,25,26,27, 30 and 31

August: 1,2,3,6,7,8,9 and 10.

The provisional days allotted for answering Questions for Lok/ Rajya Sabha in respect of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises are given below for the information and necessary action of all concerned:

LOK SABHA

(15th Session of Sixteenth Lok Sabha)

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	
Monday	23rd July
Monday	30 th July
Monday	6 th August

RAJYA SABHA

(Two Hundred and Forty-Sixth Session)

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	
Wednesday	18 th July
Wednesday	25 th July
Wednesday	1st August
Wednesday	8th August

[Signature]
2/7/18

(Dr. O.P. Mehta)
Director (Parliament)
Tele No:23063363

To

All Officers in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and Office of the DC (MSME).

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION : 246th Session

RAJYA SABHA
QUESTION DATE 18.07.2018

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
	NIL		NIL		

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1.	MSME units registered in the country	AS&DC/ DDG(S&D)	117	
2.	MSME units shut down after GST	AS&DC/ DDG(S&D)	118	
3.	Job loss in MSME sector	AS&DC/ DDG(S&D)	119	
4.	Reopening of closed Khadi Gramodyog Centres	JS(ARI)	120	
5.	Loss of jobs due to model charkhas	JS(ARI)	121	
6.	Efforts to increase MSME registrations	AS&DC/ DDG(S&D)	122	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 117
TO BE ANSWERED ON 18.07.2018

MSME units registered in the country

117. SHRI K. SOMAPRASAD:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) how many MSME units are registered in the country so far;
- (b) the State-wise details thereof;
- (c) how many MSME units are working in Kerala; and
- (d) the details of loan sanctioned to MSME units by the banks in Kerala during 2014-15 to 2017-18 and bank-wise details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): The number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) registered on Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) Portal till 12th July, 2018 (since September, 2015) are 48.40 lakh. The registration details of MSMEs on UAM portal (State/UT-wise) are given in Annexure-I.

(c): As per the data received from 73rd round of the National Sample Survey (NSS) on "Unincorporated Non-Agricultural Enterprises (excluding Construction)", conducted by National Sample Survey Office (NSSO), Ministry of Statistics & Programme Implementation, during July 2015 to June 2016, the total number of MSMEs in Kerala are estimated to be 23.79 lakh.

(d): As per information provided by the Reserve Bank of India (RBI), the details of loan sanctioned to MSMEs are not maintained. However, the amount of outstanding credit to MSMEs in Kerala for the year ended in March during the years 2015, 2016, 2017 and 2018 are Rs. 38304.39 Crore, Rs.46235.43 Crore, Rs.47099.36 Crore and Rs.49374.77 Crore, respectively. The bank-wise details of outstanding credit are given in Annexure-II.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 117
उत्तर देने की तारीख : 18.07.2018

देश में पंजीकृत एम एस एम ई इकाइयां

117. श्री के. सोमप्रसाद:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में अभी तक एम एस एम ई की कितनी इकाइयां पंजीकृत हैं;
- (ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) केरल में एम एस एम ई की कितनी इकाइयां कार्यरत हैं; और
- (घ) वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान केरल में बैंकों द्वारा एम एस एम ई की इकाइयों को संस्वीकृत ऋण का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) : उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 12 जुलाई, 2018 तक की स्थिति के अनुसार (सितंबर, 2015 से लेकर) 48.40 लाख है। यूएएम पोर्टल पर एमएसएमई के पंजीकरण से संबंधित ब्यौरा (राज्य/संघ-राज्य-वार) अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ग) : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जुलाई 2015 से जून, 2016 के दौरान "अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों (विनिर्माण को छोड़कर)" के लिए आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73 वें दौर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, केरल में एमएसएमई की कुल अनुमानित संख्या 23.79 लाख है।

(घ) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एमएसएमई के स्वीकृत ऋणों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के मार्च में समाप्त हुए वर्ष के लिए बकाया ऋण की राशि क्रमशः 38304.39 करोड़ रु., 46235.43 करोड़ रु., 47099.36 करोड़ रु. और 49374.77 करोड़ रु. है। एमएसएमई के बकाया ऋण के बैंक-वार ब्यौरे अनुबंध-II पर दिये गए हैं।

Annexure-I

Annexure referred to in reply to part (a)&(b) of Rajya Sabha Unstarred Question No. 117 for answer on 18.07.2018

The registration details of MSMEs on Udyog Aadhaar Memorandum (State/UT-wise)

Sl. No.	State/UT	Micro	Small	Medium	Udyog Aadhaar Regd.
1	Andhra Pradesh	210337	21491	682	232510
2	Arunachal Pradesh	367	265	13	645
3	Assam	2555	1012	73	3640
4	Bihar	756633	13494	744	770871
5	Chhattisgarh	17768	4877	157	22802
6	Goa	2470	1042	65	3577
7	Gujarat	408582	74471	3027	486080
8	Haryana	53652	14919	853	69424
9	Himachal Pradesh	4195	1594	140	5929
10	Jammu and Kashmir	3271	714	36	4021
11	Jharkhand	92541	5282	175	97998
12	Karnataka	108067	25452	1230	134749
13	Kerala	52542	8978	359	61879
14	Madhya Pradesh	340679	19270	677	360626
15	Maharashtra	485167	81058	3876	570101
16	Manipur	14787	2418	34	17239
17	Meghalaya	1035	90	3	1128
18	Mizoram	1062	308	17	1387
19	Nagaland	336	103	5	444
20	Odisha	65870	6382	222	72474
21	Punjab	56436	12470	451	69357
22	Rajasthan	262960	30540	1092	294592
23	Sikkim	241	105	23	369
24	Tamil Nadu	518165	68633	1685	588483
25	Telangana	96794	40576	1012	138382
26	Tripura	2500	357	13	2870
27	Uttar Pradesh	559687	34688	1661	596036
28	Uttarakhand	11254	2704	211	14169
29	West Bengal	130971	11382	498	142851
30	Andaman and Nicobar Islands	2746	642	31	3419
31	Chandigarh	3225	748	49	4022
32	Dadar and Nagar Haveli	1321	639	44	2004
33	Daman and Diu	558	534	42	1134
34	Delhi	46120	12852	528	59500
35	Lakshadweep	39	5	0	44
36	Puducherry	3908	847	38	4793
Total		43,18,841	5,00,942	19,766	48,39,549

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 117 जिसका उत्तर 18.07.2018 को दिया जाना है, के भाग (क) (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्योग आधार जापन पर एमएसएमई के पंजीकरण का ब्यौरा (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	उद्योग आधार पंजी.
1	आंध्र प्रदेश	210337	21491	682	232510
2	अरुणाचल प्रदेश	367	265	13	645
3	असम	2555	1012	73	3640
4	बिहार	756633	13494	744	770871
5	छत्तीसगढ़	17768	4877	157	22802
6	गोवा	2470	1042	65	3577
7	गुजरात	408582	74471	3027	486080
8	हरियाणा	53652	14919	853	69424
9	हिमाचल प्रदेश	4195	1594	140	5929
10	जम्मू और कश्मीर	3271	714	36	4021
11	झारखंड	92541	5282	175	97998
12	कर्नाटक	108067	25452	1230	134749
13	केरल	52542	8978	359	61879
14	मध्य प्रदेश	340679	19270	677	360626
15	महाराष्ट्र	485167	81058	3876	570101
16	मणिपुर	14787	2418	34	17239
17	मेघालय	1035	90	3	1128
18	मिजोरम	1062	308	17	1387
19	नागालैंड	336	103	5	444
20	ओडिशा	65870	6382	222	72474
21	पंजाब	56436	12470	451	69357
22	राजस्थान	262960	30540	1092	294592
23	सिक्किम	241	105	23	369
24	तमिलनाडु	518165	68633	1685	588483
25	तेलंगाना	96794	40576	1012	138382
26	त्रिपुरा	2500	357	13	2870
27	उत्तर प्रदेश	559687	34688	1661	596036
28	उत्तराखंड	11254	2704	211	14169
29	पश्चिम बंगाल	130971	11382	498	142851
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2746	642	31	3419
31	चंडीगढ़	3225	748	49	4022
32	दादरा और नगर हवेली	1321	639	44	2004
33	दमन और दीव	558	534	42	1134
34	दिल्ली	46120	12852	528	59500
35	लक्षद्वीप	39	5	0	44
36	पुडुचेरी	3908	847	38	4793
	कुल	43,18,841	5,00,942	19,766	48,39,549

Annexure-II

Annexure referred to in reply to part (d) of Rajya Sabha Unstarred Question No. 117 for answer on 18.07.2018

Bank wise Outstanding credit to MSME in the State of Kerala for the year ended March 2015

Sl. No.	Bank Name	No. of Accounts	Balance Outstanding (in Rs. Thousand)
1	AB Bank	0	0
2	Abu Dhabi Commercial Bank	0	0
3	Allahabad Bank	1757	1226823
4	Andhra Bank	900	2442743
5	Australia And New Zealand Banking Group	0	0
6	Axis Bank	753	12865125
7	Bank Internasional Indonesia	0	0
8	Bank of America	0	0
9	Bank of Bahrain & Kuwait	0	0
10	Bank of Baroda	6612	5842268
11	Bank of Ceylon	0	0
12	Bank of India	13692	4892289
13	Bank of Maharashtra	344	150382
14	Bank of Nova Scotia	0	0
15	Bank of Tokyo Mitsubishi, UFJ	0	0
16	Barclays Bank	0	0
17	BHARATIYA MAHILA BANK LTD.	343	48906
18	BNP Paribas	0	0
19	Canara Bank	118856	39364467
20	Catholic Syrian Bank	26717	17936899
21	Central Bank of India	9116	4138790
22	Chinatrust Commercial Bank	0	0
23	Citibank	11	406326
24	City Union Bank	466	1634125
25	Commonwealth Bank of Australia	0	0
26	Corporation Bank	17489	10054364
27	Credit Agricole Bank	0	0
28	Credit Sussie AG	0	0
29	DBS Bank	0	0
30	Dena Bank	1033	684520
31	Deutsche Bank	0	0
32	Development Credit Bank	0	0
33	Dhanlaxmi Bank	39143	6187972
34	Federal Bank	19312	48533290
35	FirstRand Bank	0	0
36	HDFC Bank	10256	12027575
37	HSBC	6856	1632354
38	ICICI Bank	11773	9350491
39	IDBI Bank Ltd.	2102	7449745
40	Indian Bank	14444	6842912
41	Indian Overseas Bank	32704	15027315
42	Indusind Bank	103708	8197194

अनुबंध-II

राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं.117 जिसका उत्तर 18.07.2018 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केरल राज्य में एमएसएमई पर बैंक वार बकाया ऋण

क्र. सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	शेष बकाया (रुपये हजार में)
1	एबी बैंक	0	0
2	अबु धाबी कमर्शियल बैंक	0	0
3	इलाहाबाद बैंक	1757	1226823
4	आंध्रा बैंक	900	2442743
5	आस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप	0	0
6	एक्सिस बैंक	753	12865125
7	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	0	0
8	बैंक ऑफ अमेरिका	0	0
9	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	0	0
10	बैंक ऑफ बड़ौदा	6612	5842268
11	बैंक ऑफ सीलोन	0	0
12	बैंक ऑफ इंडिया	13692	4892289
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	344	150382
14	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	0	0
15	बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी, यूएफजे	0	0
16	बार्कलेज बैंक	0	0
17	भारतीय महिला बैंक लिमिटेड	343	48906
18	बीएनपी परिबास	0	0
19	केनरा बैंक	118856	39364467
20	कैथोलिक सिरीयन बैंक	26717	17936899
21	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9116	4138790
22	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0	0
23	सिटी बैंक	11	406326
24	सिटी यूनियन बैंक	466	1634125
25	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया	0	0
26	कॉरपोरेशन बैंक	17489	10054364
27	क्रेडिट एग्रीकोल बैंक	0	0
28	क्रेडिट सुशे एजी	0	0
29	डीबीएस बैंक	0	0
30	देना बैंक	1033	684520
31	डच बैंक	0	0
32	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	0	0
33	धनलक्ष्मी बैंक	39143	6187972
34	फेडरल बैंक	19312	48533290
35	फर्स्टरेड बैंक	0	0
36	एचडीएफसी बैंक	10256	12027575
37	एचएसबीसी	6856	1632354
38	आईसीआईसीआई बैंक	11773	9350491
39	आईडीबीआई बैंक लि.	2102	7449745
40	इंडियन बैंक	14444	6842912
41	इंडियन ओवरसीज बैंक	32704	15027315
42	इंडसइंड बैंक	103708	8197194

Sl. No.	Bank Name	No. of Accounts	Balance Outstanding (in Rs. Thousand)
43	Industrial & Commercial Bank of China	0	0
44	ING Vysya Bank	333	995128
45	J.P.Morgan Chase Bank	0	0
46	Jammu & Kashmir Bank	165	209676
47	JSC VTB Bank	0	0
48	Karnataka Bank	730	1216236
49	Karur Vysya Bank	894	539430
50	Kotak Mahindra Bank	1186	1403594
51	Krung Thai Bank	0	0
52	Lakshmi Vilas Bank	214	239691
53	Mashreqbank	0	0
54	Mizuho Corporate Bank	0	0
55	Nainital Bank	0	0
56	National Australia Bank	0	0
57	Oman International Bank	0	0
58	Oriental Bank of Commerce	1848	1343338
59	Punjab and Sind Bank	252	192113
60	Punjab National Bank	12088	12979728
61	Rabo Bank International	0	0
62	Ratnakar Bank	0	0
63	Royal Bank of Scotland	0	0
64	SBERBANK <i>Sber Bank</i>	0	0
65	Shinhan Bank	0	0
66	Societe Generale	0	0
67	Sonali Bank	0	0
68	South Indian Bank	22613	40301444
69	Standard Chartered Bank	169	1597551
70	State Bank of Bikaner & Jaipur	75	1391194
71	State Bank of Hyderabad	338	334470
72	State Bank of India	17084	14490753
73	State Bank of Mauritius	0	0
74	State Bank of Mysore	1025	467886
75	State Bank of Patiala	31	151827
76	State Bank of Travancore	50609	55385551
77	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	0	0
78	Syndicate Bank	40654	9707900
79	Tamilnad Mercantile Bank	858	1248926
80	UCO Bank	8709	4083252
81	Union Bank of India	21537	11668578
82	United Bank of India	536	511088
83	United Overseas Bank	0	0
84	Vijaya Bank	7704	4064827
85	Westpack Banking Corporation	0	0
86	Woori Bank	0	0
87	Yes Bank	4373	1582823
	Grand Total	632412	383043879

क्र. सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	शेष बकाया (रुपये हजार में)
43	इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना	0	0
44	आईएनजी वैश्य बैंक	333	995128
45	जेपी मॉरगन चेस बैंक	0	0
46	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	165	209676
47	जेएससी वीटीबी बैंक	0	0
48	कर्नाटक बैंक	730	1216236
49	करूर वैश्य बैंक	894	539430
50	कोटक महिंद्रा बैंक	1186	1403594
51	कुंग थाई बैंक	0	0
52	लक्ष्मी विलास बैंक	214	239691
53	मशरकबैंक	0	0
54	मिजुहो कॉरपोरेट बैंक	0	0
55	नैनीताल बैंक	0	0
56	नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक	0	0
57	ओमान इंटरनेशनल बैंक	0	0
58	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1848	1343338
59	पंजाब एंड सिंध बैंक	252	192113
60	पंजाब नेशनल बैंक	12088	12979728
61	राबो बैंक इंटरनेशनल	0	0
62	रत्नाकर बैंक	0	0
63	रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड	0	0
64	स्वेडिश बैंक	0	0
65	शिनहां बैंक	0	0
66	सोसाइटी जेनेरल	0	0
67	सोनाली बैंक	0	0
68	साउथ इंडियन बैंक	22613	40301444
69	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	169	1597551
70	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	75	1391194
71	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	338	334470
72	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	17084	14490753
73	स्टेट बैंक ऑफ मारीशस	0	0
74	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1025	467886
75	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	31	151827
76	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	50609	55385551
77	सुमीतोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन	0	0
78	सिडीकेट बैंक	40654	9707900
79	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक	858	1248926
80	यूको बैंक	8709	4083252
81	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	21537	11668578
82	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	536	511088
83	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक	0	0
84	विजया बैंक	7704	4064827
85	वेस्टपैक बैंकिंग कॉरपोरेशन	0	0
86	व्री बैंक	0	0
87	यस बैंक	4373	1582823
	कुल योग	632412	383043879

Bank wise Outstanding credit to MSME in the State of Kerala for the year ended March 2016

Sl. No.	Bank Name	No. of Accounts	Balance Outstanding (in Rs. Thousand)
1	AB Bank	0	0
2	Abu Dhabi Commercial Bank	0	0
3	Allahabad Bank	2041	1435919
4	Andhra Bank	1586	6475110
5	Australia And New Zealand Banking Group	0	0
6	Axis Bank	2867	22021574
7	Bandhan Bank Limited	0	0
8	Bank Internasional Indonesia	0	0
9	Bank of America	0	0
10	Bank of Bahrain & Kuwait	0	0
11	Bank of Baroda	9435	5891296
12	Bank of Ceylon	0	0
13	Bank of India	15904	4427675
14	Bank of Maharashtra	720	444455
15	Bank of Nova Scotia	11	141189
16	Bank of Tokyo Mitsubishi, UFJ	0	0
17	Barclays Bank	0	0
18	BHARATIYA MAHILA BANK LTD.	1472	154244
19	BNP Paribas	0	0
20	Canara Bank	125864	46325728
21	Catholic Syrian Bank	19516	16932131
22	Central Bank of India	11237	5219201
23	Chinatrust Commercial Bank	0	0
24	Citibank	11	776966
25	City Union Bank	469	2221789
26	Commonwealth Bank of Australia	0	0
27	Corporation Bank	27470	10151083
28	Credit Agricole Bank	0	0
29	Credit Sussie AG	0	0
30	DBS Bank	0	0
31	Dena Bank	1153	636765
32	Deutsche Bank	0	0
33	Development Credit Bank	4	4298
34	Dhanlaxmi Bank	60790	9244337
35	Federal Bank	16361	55147352
36	FirstRand Bank	0	0
37	HDFC Bank	23368	16835319
38	HSBC	7377	1813426
39	ICICI Bank	14904	11979225
40	IDBI Bank Ltd.	3936	7964293
41	IDFC BANK LIMITED	0	0
42	Indian Bank	21768	6295248
43	Indian Overseas Bank	52212	14064162
44	Indusind Bank	80854	8235158
45	Industrial & Commercial Bank of China	0	0
46	J.P.Morgan Chase Bank	0	0

मार्च, 2016 को समाप्ति होने वाले वर्ष के लिए केरल राज्य में एमएसएमई बैंक-वार बकाया ऋण

क्र. सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	शेष बकाया (रुपए हजार में)
1	एबी बैंक	0	0
2	अबु धाबी कमर्शियल बैंक	0	0
3	इलाहाबाद बैंक	2041	1435919
4	आंध्रा बैंक	1586	6475110
5	आस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप	0	0
6	एक्सिस बैंक	2867	22021574
7	बंधन बैंक	0	0
8	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	0	0
9	बैंक ऑफ अमेरिका	0	0
10	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	0	0
11	बैंक ऑफ बडौदा	9435	5891296
12	बैंक ऑफ सीलोन	0	0
13	बैंक ऑफ इंडिया	15904	4427675
14	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	720	444455
15	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	11	141189
16	बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी, यूएफजे	0	0
17	बार्कलेज बैंक	0	0
18	भारतीय महिला बैंक लिमिटेड	1472	154244
19	बीएनपी परिबास	0	0
20	केनरा बैंक	125864	46325728
21	कैथोलिक सिरीयन बैंक	19516	16932131
22	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	11237	5219201
23	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0	0
24	सिटी बैंक	11	776966
25	सिटी यूनियन बैंक	469	2221789
26	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया	0	0
27	कॉरपोरेशन बैंक	27470	10151083
28	क्रेडिट एग्रीकोल बैंक	0	0
29	क्रेडिट सुशे एजी	0	0
30	डीबीएस बैंक	0	0
31	देना बैंक	1153	636765
32	डच बैंक	0	0
33	डेल्टापॉस्ट क्रेडिट बैंक	4	4298
34	धनलक्ष्मी बैंक	60790	9244337
35	फेडरल बैंक	16361	55147352
36	फर्स्टरेड बैंक	0	0
37	एचडीएफसी बैंक	23368	16835319
38	एचएसबीसी	7377	1813426
39	आईसीआईसीआई बैंक	14904	11979225
40	आईडीबीआई बैंक लि.	3936	7964293
41	आईडीएफसी बैंक लिमिटेड	0	0
42	इंडियन बैंक	21768	6295248
43	इंडियन ओवरसीज बैंक	52212	14064162
44	इंडसइंड बैंक	80854	8235158
45	इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना	0	0
46	जेपी मॉर्गन चेस बैंक	0	0

Sl. No.	Bank Name	No. of Accounts	Balance Outstanding (in Rs. Thousand)
47	Jammu & Kashmir Bank	120	126259
48	JSC VTB Bank	0	0
49	Karnataka Bank	828	2115930
50	Karur Vysya Bank	652	1412088
51	Keb Hana Bank	0	0
52	Kotak Mahindra Bank	1907	3424997
53	Krung Thai Bank	0	0
54	Lakshmi Vilas Bank	245	1060240
55	Mashreqbank	0	0
56	Mizuho Corporate Bank	0	0
57	Nainital Bank	0	0
58	National Australia Bank	0	0
59	Oman International Bank	0	0
60	Oriental Bank of Commerce	2105	1564032
61	Punjab and Sind Bank	517	350809
62	Punjab National Bank	17355	14002729
63	Rabo Bank International	0	0
64	Ratnakar Bank	0	0
65	Royal Bank of Scotland	0	0
66	SBERBANK	0	0
67	Shinhan Bank	0	0
68	Societe Generale	0	0
69	Sonali Bank	0	0
70	South Indian Bank	14708	47308742
71	Standard Chartered Bank	160	1419526
72	State Bank of Bikaner & Jaipur	100	92328
73	State Bank of Hyderabad	349	305095
74	State Bank of India	12332	16054814
75	State Bank of Mauritius	0	0
76	State Bank of Mysore	1234	431705
77	State Bank of Patiala	44	160881
78	State Bank of Travancore	52250	77602758
79	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	0	0
80	Syndicate Bank	51139	10894423
81	Tamilnad Mercantile Bank	921	1189118
82	UCO Bank	11922	4432337
83	Union Bank of India	30657	13205437
84	United Bank of India	662	554612
85	United Overseas Bank	0	0
86	Vijaya Bank	14367	6992970
87	Westpack Banking Corporation	0	0
88	Woori Bank	0	0
89	Yes Bank	21025	2814573
	Grand Total	736929	462354346

क्र. सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	शेष बकाया (रुपए हजार में)
47	जम्मू एंड कश्मीर बैंक	120	126259
48	जेएससी वीटीबी बैंक	0	0
49	कर्नाटक बैंक	828	2115930
50	करूर वैश्य बैंक	652	1412088
51	केब हाना बैंक	0	0
52	कोटक महिंद्रा बैंक	1907	3424997
53	क्रुंग थाई बैंक	0	0
54	लक्ष्मी विलास बैंक	245	1060240
55	मशरक बैंक	0	0
56	मिजुहो कॉरपोरेट बैंक	0	0
57	नैनीताल बैंक	0	0
58	नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक	0	0
59	ओमान इंटरनेशनल बैंक	0	0
60	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2105	1564032
61	पंजाब एंड सिंध बैंक	517	350809
62	पंजाब नेशनल बैंक	17355	14002729
63	राबो बैंक इंटरनेशनल	0	0
64	रत्नाकर बैंक	0	0
65	रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड	0	0
66	स्वेडिश बैंक	0	0
67	शिनहा बैंक	0	0
68	सोसाइटी जेनेरले	0	0
69	सोनाली बैंक	0	0
70	साउथ इंडियन बैंक	14708	47308742
71	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	160	1419526
72	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	100	92328
73	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	349	305095
74	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	12332	16054814
75	स्टेट बैंक ऑफ मारीशस	0	0
76	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1234	431705
77	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	44	160881
78	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	52250	77602758
79	सुमीतोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन	0	0
80	सिंडीकेट बैंक	51139	10894423
81	तमिलनाडु मर्कटाइल बैंक	921	1189118
82	यूको बैंक	11922	4432337
83	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	30657	13205437
84	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	662	554612
85	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक	0	0
86	विजया बैंक	14367	6992970
87	वेस्टपैक बैंकिंग कॉरपोरेशन	0	0
88	वूरी बैंक	0	0
89	यस बैंक	21025	2814573
	कुल योग	736929	462354346

Bank wise Outstanding credit to MSME in the State of Kerala for the year ended March 2017

Sl. No.	Bank Name	No. of Accounts	Balance Outstanding (in Rs. Thousand)
1	State Bank of Bikaner and Jaipur	106	66310.29
2	State Bank of Hyderabad	346	364013.56
3	State Bank of India	12098	18191322.37
4	State Bank of Mysore	1119	452761.70
5	State Bank of Patiala	46	144239.00
6	State Bank of Travancore	64348	61950894.00
	SBI and its Associates	78063	81169540.92
1	Axis Bank Limited	3232	18920887.00
2	Bandhan Bank Limited	1	100000.00
3	Catholic Syrian Bank Ltd	17513	13433969.68
4	City Union Bank Limited	469	2218011.91
5	DCB Bank Limited	12	32486.45
6	Federal Bank Ltd	30994	57638410.04
7	HDFC bank ltd.	81062	19264656.95
8	ICICI Bank Limited	17839	14204244.88
9	IDFC Bank Limited	15556	136729.97
10	Indusind Bank Ltd	109249	11682072.49
11	Jammu & Kashmir Bank Ltd	109	110159.00
12	Karnataka Bank Ltd	909	2568720.00
13	Karur Vysya Bank Ltd	644	1121361.64
14	Kotak mahindra bank ltd.	2200	3852316.00
15	Lakshmi Vilas Bank Ltd	230	342023.00
16	Nainital Bank Ltd	0	0.00
17	Rbl Bank Limited	0	0.00
18	South Indian Bank Ltd	13274	51926032.58
19	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	915	1186588.78
20	The Dhanalakshmi Bank Ltd	70222	13740414.75
21	Yes bank ltd.	16813	2986895.26
	Private Sector Banks	381243	215465980.38
1	Allahabad Bank	2039	1431381.00
2	Andhra Bank	1805	6235064.35
3	Bank of Baroda	10810	7319022.45
4	Bank of India	16428	5562943.92
5	Bank of Maharashtra	834	353996.95
6	Bharatiya mahila bank ltd.	1665	137927.08
7	Canara Bank	134003	48036520.11
8	Central Bank of India	10804	3922655.00
9	Corporation Bank	28222	9405972.00
10	Dena Bank	1143	492365.62
11	IDBI Bank Limited	4954	8999421.07
12	Indian Bank	23238	7940337.00
13	Indian Overseas Bank	33970	13635757.00
14	Oriental Bank of Commerce	2185	1469427.35
15	Punjab AND Sind Bank	701	546913.22
16	Punjab National Bank	18449	13744657.24
17	Syndicate Bank	51701	11434962.00
18	UCO Bank	14756	5095652.00

मार्च, 2017 को समाप्ति होने वाले वर्ष के लिए केरल राज्य में एमएसएमई बैंक-वार बकाया ऋण

क्र.सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	बकाया शेष (हजार रु. में)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	106	66310.29
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	346	364013.56
3	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	12098	18191322.37
4	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1119	452761.70
5	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	46	144239.00
6	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	64348	61950894.00
	एसबीआई और इसके सहयोगी	78063	81169540.92
1	एक्सिस बैंक लिमिटेड	3232	18920887.00
2	बंधन बैंक लिमिटेड	1	100000.00
3	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	17513	13433969.68
4	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	469	2218011.91
5	डीसीबी बैंक लिमिटेड	12	32486.45
6	फेडरल बैंक लिमिटेड	30994	57638410.04
7	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	81062	19264656.95
8	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	17839	14204244.88
9	आईडीएफसी बैंक लिमिटेड	15556	136729.97
10	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	109249	11682072.49
11	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	109	110159.00
12	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	909	2568720.00
13	कन्नड़ वैश्य बैंक लिमिटेड	644	1121361.64
14	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	2200	3852316.00
15	लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	230	342023.00
16	नैनीताल बैंक लिमिटेड	0	0.00
17	आरबीएल बैंक लिमिटेड	0	0.00
18	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	13274	51926032.58
19	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमिटेड	915	1186588.78
20	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	70222	13740414.75
21	यस बैंक लिमिटेड	16813	2986895.26
	निजी क्षेत्र के बैंक	381243	215465980.38
1	इलाहाबाद बैंक	2039	1431381.00
2	आंध्रा बैंक	1805	6235064.35
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	10810	7319022.45
4	बैंक ऑफ इंडिया	16428	5562943.92
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	834	353996.95
6	भारतीय महिला बैंक लिमिटेड	1665	137927.08
7	कैनरा बैंक	134003	48036520.11
8	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10804	3922655.00
9	कॉरपोरेशन बैंक	28222	9405972.00
10	देना बैंक	1143	492365.62
11	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	4954	8999421.07
12	इंडियन बैंक	23238	7940337.00
13	इंडियन ओवरसीज बैंक	33970	13635757.00
14	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2185	1469427.35
15	पंजाब एंड सिंध बैंक	701	546913.22
16	पंजाब नेशनल बैंक	18449	13744657.24
17	सिंडिकेट बैंक	51701	11434962.00
18	यूको बैंक	14756	5095652.00

Sl. No.	Bank Name	No. of Accounts	Balance Outstanding (in Rs. Thousand)
19	Union Bank of India	36797	16144921.08
20	United Bank of India	605	522995.23
21	Vijaya Bank	12090	6772612.87
	Nationalised Banks	407199	169205504.54
1	AB Bank Limited	0	0.00
2	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	0	0.00
3	Australia and New Zealand Banking Group Limited	0	0.00
4	Bank of America , National Association	0	0.00
5	Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C.	0	0.00
6	Bank of Ceylon	0	0.00
7	Bank of Nova Scotia	0	0.00
8	Barclays Bank PLC	0	0.00
9	BNP Paribas	0	0.00
10	Citibank N.A	11	1132473.41
11	Commonwealth Bank of Australia	0	0.00
12	Cooperatieve Rabobank U.A.	0	0.00
13	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	0	0.00
14	Credit Suisse AG	0	0.00
15	CTBC Bank Co., Ltd.	0	0.00
16	DBS Bank Ltd.	0	0.00
17	Deutsche Bank AG	0	0.00
18	Doha Bank QSC	0	0.00
19	First Abu Dhabi Bank PJSC	0	0.00
20	Firststrand Bank Ltd	0	0.00
21	Hongkong and Shanghai Banking Corpn.Ltd.	7570	2326404.15
22	Industrial and Commercial Bank of China	0	0.00
23	Industrial Bank of Korea	0	0.00
24	Jpmorgan Chase Bank National Association	0	0.00
25	JSC VTB Bank	0	0.00
26	KEB Hana Bank	0	0.00
27	Krung Thai Bank Public Company Limited	0	0.00
28	Mashreq Bank PSC	0	0.00
29	Mizuho Bank Ltd	0	0.00
30	National Australia Bank	0	0.00
31	PT Bank Maybank Indonesia TBK	0	0.00
32	Sberbank	0	0.00
33	SBM Bank (Mauritius)Ltd.	0	0.00
34	Shinhan Bank	0	0.00
35	Societe Generale	0	0.00
36	Sonali Bank	0	0.00
37	Standard Chartered Bank	146	1693670.00
38	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	0	0.00
39	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd	0	0.00
40	The Royal Bank of Scotland PLC	0	0.00
41	United Overseas Bank Ltd	0	0.00
42	Westpac Banking Corporation	0	0.00
43	Woori Bank	0	0.00
	Foreign Banks	7727	5152547.56
	Grand Total	874232	470993573.40

क्र.सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	बकाया शेष (हजार रु. में)
19	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	36797	16144921.08
20	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	605	522995.23
21	विजया बैंक	12090	6772612.87
	राष्ट्रीयकृत बैंक	407199	169205504.54
1	एबी बैंक लिमिटेड	0	0.00
2	अबू धाबी कमर्शियल बैंक पीजेएससी	0	0.00
3	ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड	0	0.00
4	बैंक ऑफ अमेरिका, नेशनल एसोसिएशन	0	0.00
5	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	0	0.00
6	बैंक ऑफ सिलोन	0	0.00
7	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	0	0.00
8	बार्कलेज बैंक पीएलसी	0	0.00
9	बी एन पी परिबास	0	0.00
10	सिटीबैंक एनए	11	1132473.41
11	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	0	0.00
12	कॉर्पोरेटिव राबोबैंक ग्रुप	0	0.00
13	क्रेडिट एग्रीकोल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक	0	0.00
14	क्रेडिट सुशे एजी	0	0.00
15	सीटीबीसी बैंक कं. लिमिटेड	0	0.00
16	डीबीएस बैंक लिमिटेड	0	0.00
17	डच बैंक एजी	0	0.00
18	दोहा बैंक क्यूएससी	0	0.00
19	फर्स्ट बैंड अबू धाबी बैंक पीजेएससी	0	0.00
20	फर्स्ट बैंक लिमिटेड	0	0.00
21	हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7570	2326404.15
22	इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चीन	0	0.00
23	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया	0	0.00
24	जेपीमॉर्गन चेस बैंक नेशनल एसोसिएशन	0	0.00
25	जेएससी वीटीबी बैंक	0	0.00
26	केईबी हाना बैंक	0	0.00
27	क्लुंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड	0	0.00
28	मैशरेक बैंक पीएससी	0	0.00
29	मिजुहो बैंक लिमिटेड	0	0.00
30	नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक	0	0.00
31	पीटी बैंक मेबैंक इंडोनेशिया टीबीके	0	0.00
32	स्वेडिश बैंक	0	0.00
33	एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड	0	0.00
34	शिनहा बैंक	0	0.00
35	सोसाइटी जेनेरले	0	0.00
36	सोनानी बैंक	0	0.00
37	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	146	1693670.00
38	सुमितोमो मित्सुबुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन	0	0.00
39	द बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबुशी यूएफजे लिमिटेड	0	0.00
40	द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी	0	0.00
41	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड	0	0.00
42	वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन	0	0.00
43	वूरी बैंक	0	0.00
	विदेशी बैंक	7727	5152547.56
	कुल योग	874232	470993573.40

Bank wise Outstanding credit to MSME in the State of Kerala for the year ended March 2018

Sl. No.	Bank Name	No. of Accounts	Balance Outstanding (in Rs. Thousand)
1	AU Small Finance Bank Limited	0	0.00
2	Capital Small Finance Bank Limited	0	0.00
3	Equitas Small Finance Bank Limited	0	0.00
4	ESAF Small Finance Bank Limited	94581	1722346.98
5	Fincare Small Finance Bank Limited	0	0.00
6	Suryodaya Small Finance Bank Ltd.	0	0.00
7	Ujjivan Small Finance Bank Limited	14031	224812.05
8	Utkarsh Small Finance Bank Limited	0	0.00
	Small Finance Bank	108612	1947159.03
1	State Bank of India	60408	74486576.44
	Sbi and its Associates	60408	74486576.44
1	Axis Bank Limited	2565	15377673.89
2	Bandhan Bank Limited	2	134709.26
3	Catholic Syrian Bank Ltd	18427	9768949.33
4	City Union Bank Limited	449	2126783.32
5	Dcb Bank Limited	46	97626.10
6	Federal Bank Ltd	109594	61255777.46
7	HDFC Bank Ltd.	117666	19146376.57
8	ICICI Bank Limited	1871	6782742.87
9	IDFC Bank Limited	22949	747553.67
10	Indusind Bank Ltd	108735	13555973.40
11	Jammu & Kashmir Bank Ltd	119	128027.00
12	Karnataka Bank Ltd	902	2545559.00
13	Karur Vysya Bank Ltd	656	1525924.00
14	Kotak Mahindra Bank Ltd.	2674	5103127.88
15	Lakshmi Vilas Bank Ltd	216	353852.00
16	Nainital Bank Ltd	0	0.00
17	RBL Bank Limited	70	2100.00
18	South Indian Bank Ltd	15556	70567648.45
19	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	924	1251850.37
20	The Dhanalakshmi Bank Ltd	79381	11365437.56
21	Yes bank ltd.	2537	5908683.50
	Private Sector Banks	485339	227746375.63
1	Allahabad Bank	2102	1472178.00
2	Andhra Bank	1851	8408589.44
3	Bank of Baroda	10011	7735990.99
4	Bank of India	17190	5265245.13
5	Bank OF Maharashtra	975	267065.00
6	Canara Bank	127077	53806104.85
7	Central Bank of India	10124	3872470.00
8	Corporation Bank	24963	7951897.07
9	Dena Bank	1174	509565.75
10	IDBI Bank Limited	5526	9136376.29
11	Indian Bank	29273	10528364.00
12	Indian Overseas Bank	27405	16829828.00
13	Oriental Bank of Commerce	2075	1609217.10
14	Punjab and Sind Bank	723	648643.28
15	Punjab National Bank	20085	12603174.83
16	Syndicate Bank	49575	11649062.00
17	UCO bank	14101	4801501.25

मार्च, 2018 को समाप्ति होने वाले वर्ष के लिए केरल राज्य में एमएसएमई बैंक-वार बकाया ऋण

क्र.सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	बकाया राशि (हजार रुपए में)
1	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0	0.00
2	केपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0	0.00
3	इन्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0	0.00
4	ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	94581	1722346.98
5	फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0	0.00
6	सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0	0.00
7	उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	14031	224812.05
8	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0	0.00
	लघु वित्तीय बैंक	108612	1947159.03
1	भारतीय स्टेट बैंक	60408	74486576.44
	एसबीआई और इसके सहयोगी	60408	74486576.44
1	एक्सिस बैंक लिमिटेड	2565	15377673.89
2	बंधन बैंक लिमिटेड	2	134709.26
3	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	18427	9768949.33
4	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	449	2126783.32
5	डीसीबी बैंक लिमिटेड	46	97626.10
6	फेडरल बैंक लिमिटेड	109594	61255777.46
7	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	117666	19146376.57
8	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	1871	6782742.87
9	आईडीएफसी बैंक लिमिटेड	22949	747553.67
10	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	108735	13555973.40
11	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	119	128027.00
12	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	902	2545559.00
13	कस्तूर वैश्य बैंक लिमिटेड	656	1525924.00
14	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	2674	5103127.88
15	लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	216	353852.00
16	मैनीताल बैंक लिमिटेड	0	0.00
17	आरबीएल बैंक लिमिटेड	70	2100.00
18	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	15556	70567648.45
19	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमिटेड	924	1251850.37
20	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	79381	11365437.56
21	यस बैंक लिमिटेड	2537	5908683.50
	निजी क्षेत्र के बैंक	485339	227746375.63
1	इलाहाबाद बैंक	2102	1472178.00
2	आंध्रा बैंक	1851	8408589.44
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	10011	7735990.99
4	बैंक ऑफ इंडिया	17190	5265245.13
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	975	267065.00
6	कैनरा बैंक	127077	53806104.85
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10124	3872470.00
8	कापेरिशन बैंक	24963	7951897.07
9	देना बैंक	1174	509565.75
10	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	5526	9136376.29
11	इंडियन बैंक	29273	10528364.00
12	इंडियन ओवरसीज बैंक	27405	16829828.00
13	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2075	1609217.10
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	723	648643.28
15	पंजाब नेशनल बैंक	20085	12603174.83
16	सिडिकेब बैंक	49575	11649062.00
17	यूको बैंक	14101	4801501.25

Sl. No.	Bank Name	No. of Accounts	Balance Outstanding (in Rs. Thousand)
18	Union Bank of India	36137	20278353.00
19	United Bank of India	609	506391.78
20	Vijaya Bank	17400	6207875.78
	Nationalised Banks	398376	184087893.54
1	AB Bank Limited	0	0.00
2	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	0	0.00
3	Australia and New Zealand Banking Group Limited	0	0.00
4	Bank of America , National Association	0	0.00
5	Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C.	0	0.00
6	Bank of Ceylon	0	0.00
7	Bank of Nova Scotia	0	0.00
8	Barclays Bank PLC	0	0.00
9	BNP Paribas	0	0.00
10	Citibank N.A	12	1452856.12
11	Cooperatieve Rabobank U.A.	0	0.00
12	Credit Agricole Corporate And Investment Bank	0	0.00
13	Credit Suisse AG	0	0.00
14	CTBC Bank Co., Ltd.	0	0.00
15	DBS Bank Ltd.	1	59967.98
16	Deutsche Bank AG	0	0.00
17	Doha Bank QSC	0	0.00
18	First Abu Dhabi Bank PJSC	0	0.00
19	Firststrand Bank Ltd	0	0.00
20	Hongkong And Shanghai Banking Corpn.Ltd.	7439	2534477.00
21	Industrial And Commercial Bank of China	0	0.00
22	Industrial Bank of Korea	0	0.00
23	Jpmorgan Chase Bank National Association	0	0.00
24	JSC VTB Bank	0	0.00
25	Keb Hana Bank	0	0.00
26	Krung Thai Bank Public Company Limited	0	0.00
27	Mashreq Bank PSC	0	0.00
28	Mizuho Bank Ltd	0	0.00
29	National Australia Bank	0	0.00
30	PT Bank Maybank Indonesia TBK	0	0.00
31	Qatar National Bank SAQ	0	0.00
32	Sberbank	0	0.00
33	SBM Bank (Mauritius)Ltd.	0	0.00
34	Shinhan Bank	0	0.00
35	Societe Generale	0	0.00
36	Sonali Bank	0	0.00
37	Standard Chartered Bank	104	1432435.55
38	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	0	0.00
39	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd	0	0.00
40	The Royal Bank of Scotland PLC	0	0.00
41	United Overseas Bank Ltd	0	0.00
42	Westpac Banking Corporation	0	0.00
43	Woori Bank	0	0.00
	Foreign Banks	7556	5479736.65
	Grand Total	1060291	493747741.29

क्र.सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	बकाया राशि (हजार रुपए में)
18	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	36137	20278353.00
19	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	609	506391.78
20	विजया बैंक	17400	6207875.78
	राष्ट्रीय बैंक	398376	184087893.54
1	एबी बैंक लिमिटेड	0	0.00
2	अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक पीजेएससी	0	0.00
3	ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड	0	0.00
4	बैंक ऑफ अमेरिका, नेशनल एसोसिएशन	0	0.00
5	बहरीन एंड कुवैत बैंक बीएससी	0	0.00
6	बैंक ऑफ सिलोन	0	0.00
7	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	0	0.00
8	बार्कलेज बैंक पीएलसी	0	0.00
9	बीएनपी परिबास	0	0.00
10	सिटीबैंक एनए	12	1452856.12
11	कॉओपरेटिव राबोबैंक ग्रुप	0	0.00
12	क्रेडिट एग्रीकोल कॉर्पोरेट एवं इन्वेस्टमेंट बैंक	0	0.00
13	क्रेडिट सुशे एजी	0	0.00
14	सीटीबीसी बैंक क., लिमिटेड	0	0.00
15	डीबीएस बैंक लिमिटेड	1	59967.98
16	डच बैंक एजी	0	0.00
17	दोहा बैंक क्यूएससी	0	0.00
18	फर्स्ट अबू धाबी बैंक पीजेएससी	0	0.00
19	फर्स्टरेड बैंक लिमिटेड	0	0.00
20	हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्प. लि.	7439	2534477.00
21	इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना	0	0.00
22	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया	0	0.00
23	जेपीमॉर्गन चेस बैंक नेशनल एसोसिएशन	0	0.00
24	जेएससी वीटीबी बैंक	0	0.00
25	केब हाना बैंक	0	0.00
26	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड	0	0.00
27	मैशरेक बैंक पीएससी	0	0.00
28	मिजुहो बैंक लिमिटेड	0	0.00
29	नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक	0	0.00
30	पीटी बैंक मेबैंक इंडोनेशिया टीबीके	0	0.00
31	कतर नेशनल बैंक एसएचक्यू	0	0.00
32	स्वेडिश बैंक	0	0.00
33	एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड	0	0.00
34	शिनहांग बैंक	0	0.00
35	सोसाइटी जनरल	0	0.00
36	सोनली बैंक	0	0.00
37	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	104	1432435.55
38	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन	0	0.00
39	बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड	0	0.00
40	रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी	0	0.00
41	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड	0	0.00
42	वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन	0	0.00
43	वूरी बैंक	0	0.00
	विदेशी बैंक	7556	5479736.65
	कुल योग	1060291	493747741.29

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 118
TO BE ANSWERED ON 18.07.2018

MSME units shut down after GST

118. DR. V. MAITREYAN:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that several thousands of MSME units were shut down after the announcement of GST last year, if so, the details thereof;
- (b) the total MSME units registered in the Country, State-wise, as on date;
- (c) whether Government has taken effective steps to support and develop MSME units in Tamil Nadu, particularly under GST regime;
- (d) if so, the details thereof and the total funds allocated in this regard; and
- (e) the various steps taken by Government to provide incentives and other encouragements to best performing MSME units in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): The Ministry of Micro, Small and Medium enterprises (MSME) has not received any such report on shut down of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) from the States/UTs.

(b): 48.40 lakh MSMEs have been registered at Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) Portal from September, 2015 to 12th July, 2018 in the entire country. The registration details of MSMEs on UAM Portal (State/UT-wise) are given in Annexure.

(c) & (d): Government implements various schemes for support and development of MSMEs in the country including Tamil Nadu. Government has taken several pro-active measures for smooth implementation of GST for MSMEs like (i) exemption to Khadi fabric sold through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and KVIC certified institutions / outlets, (ii) majority of items produced by MSMEs in the band of 28% tax slab brought to lower slabs, (iii) composition levy extended upto turnover worth Rs. 150 lakh per annum, (iv) quarterly levy extended upto turnover worth Rs. 150 lakh per annum or less, and (v) reverse charge mechanism has been kept in abeyance till September 2018. There are various schemes which are being implemented by Government of India in the country for development of MSMEs (which includes Tamil Nadu). Rs. 6552 Crore has been provided in the Union Budget during 2018-19 for the Ministry of MSME for support to and development of MSMEs in the country.

(e): The Ministry of MSME, with a view to recognizing the efforts and contribution of MSMEs, gives National Awards annually to selected entrepreneurs of MSME, under the scheme of National Awards.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 118
उत्तर देने की तारीख : 18.07.2018

जी एस टी के बाद बंद कर दी गई एम एस एम ई इकाइयां

118. डा. वी. मैत्रेयन:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि गत वर्ष जी एस टी की घोषणा के बाद कई हजार एम एस एम ई इकाइयां बंद कर दी गई थीं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) आज की तारीख में देश में पंजीकृत कुल एम एस एम ई इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में, विशेषकर जी एस टी पद्धति के तहत एम एस एम ई इकाइयों को सहायता प्रदान करने और उनके विकास के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं; और
- (ङ) देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली एम एस एम ई इकाइयों को लाभ तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम कौन-कौन से हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बंद होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) : पूरे देश में सितंबर 2015 से 12 जुलाई 2018 तक उद्योग आधार जापन (यूएएम) पोर्टल पर 48.40 लाख एमएसएमई पंजीकृत हुए हैं। यूएएम पोर्टल पर एमएसएमई के पंजीकरण से संबंधित विवरण (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार) अनुबंध में दिया गया है।

(ग) एवं (घ) : सरकार तमिलनाडु सहित पूरे देश में एमएसएमई की सहायता एवं विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। सरकार ने एमएसएमई के लिए जीएसटी के सुचारु कार्यान्वयन के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं जैसे कि (i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा केवीआईसी प्रमाणित संस्थानों / दुकानों के माध्यम से बेचे गए खादी कपड़े पर छूट, (ii) एमएसएमई द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुओं को 28% के टैक्स स्लैब से निचले स्लैब में लाना (iii) प्रति वर्ष 150 लाख रुपये के कारोबार तक कंपोजिशन लेवी को बढ़ाना (iv) प्रति वर्ष 150 लाख रु. या उससे कम तक के कारोबार तक त्रैमासिक लेवी बढ़ाया जाना, और (v) सितंबर 2018 तक रिवर्स चार्ज व्यवस्था को स्थगित रखना है। एमएसएमई के विकास के लिए सरकार द्वारा देश में (तमिलनाडु सहित) विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एमएसएमई की सहायता एवं विकास के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान देश में एमएसएमई मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट में 6552.61 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं।

(ङ) : एमएसएमई के प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना के तहत प्रतिवर्ष एमएसएमई के चुनिंदा उद्यमियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देता है।

Annexure

Annexure referred to in reply to part (b) of Rajya Sabha Unstarred Question No. 118 for answer on 18.07.2018

The state-wise distribution of MSMEs registered on Udyog Aadhaar Memorandum portal

Sl. No.	State/UT	Micro	Small	Medium	Udyog Aadhaar Regd.
1	Andhra Pradesh	210337	21491	682	232510
2	Arunachal Pradesh	367	265	13	645
3	Assam	2555	1012	73	3640
4	Bihar	756633	13494	744	770871
5	Chhattisgarh	17768	4877	157	22802
6	Goa	2470	1042	65	3577
7	Gujarat	408582	74471	3027	486080
8	Haryana	53652	14919	853	69424
9	Himachal Pradesh	4195	1594	140	5929
10	Jammu and Kashmir	3271	714	36	4021
11	Jharkhand	92541	5282	175	97998
12	Karnataka	108067	25452	1230	134749
13	Kerala	52542	8978	359	61879
14	Madhya Pradesh	340679	19270	677	360626
15	Maharashtra	485167	81058	3876	570101
16	Manipur	14787	2418	34	17239
17	Meghalaya	1035	90	3	1128
18	Mizoram	1062	308	17	1387
19	Nagaland	336	103	5	444
20	Odisha	65870	6382	222	72474
21	Punjab	56436	12470	451	69357
22	Rajasthan	262960	30540	1092	294592
23	Sikkim	241	105	23	369
24	Tamil Nadu	518165	68633	1685	588483
25	Telangana	96794	40576	1012	138382
26	Tripura	2500	357	13	2870
27	Uttar Pradesh	559687	34688	1661	596036
28	Uttarakhand	11254	2704	211	14169
29	West Bengal	130971	11382	498	142851
30	Andaman and Nicobar Islands	2746	642	31	3419
31	Chandigarh	3225	748	49	4022
32	Dadar and Nagar Haveli	1321	639	44	2004
33	Daman and Diu	558	534	42	1134
34	Delhi	46120	12852	528	59500
35	Lakshadweep	39	5	0	44
36	Puducherry	3908	847	38	4793
Total		43,18,841	5,00,942	19,766	48,39,549

राज्यसभा अतारंकित प्रश्न सं. 118, जिसका उत्तर 18.07.2018 को दिया जाना है के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्योग आधार जापन पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	उद्योग आधार पंजी.
1	आंध्र प्रदेश	210337	21491	682	232510
2	अरुणाचल प्रदेश	367	265	13	645
3	असम	2555	1012	73	3640
4	बिहार	756633	13494	744	770871
5	छत्तीसगढ़	17768	4877	157	22802
6	गोवा	2470	1042	65	3577
7	गुजरात	408582	74471	3027	486080
8	हरियाणा	53652	14919	853	69424
9	हिमाचल प्रदेश	4195	1594	140	5929
10	जम्मू और कश्मीर	3271	714	36	4021
11	झारखंड	92541	5282	175	97998
12	कर्नाटक	108067	25452	1230	134749
13	केरल	52542	8978	359	61879
14	मध्य प्रदेश	340679	19270	677	360626
15	महाराष्ट्र	485167	81058	3876	570101
16	मणिपुर	14787	2418	34	17239
17	मेघालय	1035	90	3	1128
18	मिजोरम	1062	308	17	1387
19	नागालैंड	336	103	5	444
20	ओडिशा	65870	6382	222	72474
21	पंजाब	56436	12470	451	69357
22	राजस्थान	262960	30540	1092	294592
23	सिक्किम	241	105	23	369
24	तमिलनाडु	518165	68633	1685	588483
25	तेलंगाना	96794	40576	1012	138382
26	त्रिपुरा	2500	357	13	2870
27	उत्तर प्रदेश	559687	34688	1661	596036
28	उत्तराखंड	11254	2704	211	14169
29	पश्चिम बंगाल	130971	11382	498	142851
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2746	642	31	3419
31	चंडीगढ़	3225	748	49	4022
32	दादरा और नगर हवेली	1321	639	44	2004
33	दमन और दीव	558	534	42	1134
34	दिल्ली	46120	12852	528	59500
35	लक्षद्वीप	39	5	0	44
36	पुडुचेरी	3908	847	38	4793
	कुल	43,18,841	5,00,942	19,766	48,39,549

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 119
TO BE ANSWERED ON 18.07.2018

Job loss in MSME sector

119. SHRI KAPIL SIBAL:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether Government has any data regarding the Micro, Small and Medium Enterprise sector that have shut down since November 8, 2016 till date, State/UT-wise details thereof;
- (b) whether Government has any data regarding MSME units that have shut down since the implementation of GST, till date, State/UT-wise details thereof; and
- (c) the data regarding job loss in the MSME sector since November 8, 2016, till date along with the loss to the nation?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (c): The Ministry of Micro, Small and Medium enterprises does not maintain data on shut down of MSMEs / job losses. It has also not received any such report from States/UTs on shut down of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and consequential job losses. However, 30.60 lakh MSMEs have been registered on Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) portal since 8th November, 2016 till 12th July, 2018. Out of this 16.34 lakh MSMEs were registered on UAM since the implementation of GST (01.07.2017) till 12th July, 2018.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 119
उत्तर देने की तारीख : 18.07.2018

एम एस एम ई क्षेत्र में नौकरियां समाप्त होना

119. श्री कपिल सिब्बल:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास 8 नवम्बर, 2016 से अब तक बंद हो चुकी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयों के संबंध में कोई आंकड़े हैं, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के पास जी एस टी के कार्यान्वयन से अब तक बंद हो चुकी एम एस एम ई इकाइयों के संबंध में कोई आंकड़े हैं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) 8 नवम्बर, 2016 से अब तक एम एस एम ई क्षेत्र में नौकरियां समाप्त होने से संबंधित आंकड़े क्या हैं और इससे राष्ट्र को कितनी हानि हुई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय बंद हो चुके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों/रोजगार समाप्त होने से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बंद होने और उसके परिणामस्वरूप रोजगार समाप्त होने से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, 8 नवम्बर, 2016 से 12 जुलाई 2018 तक उद्योग आधार जापन (यूएएम) पोर्टल पर 30.60 लाख एमएसएमई ने पंजीकरण कराया है। इनमें से जीएसटी के कार्यान्वयन (01.07.2017) के बाद से 12 जुलाई 2018 तक 16.34 लाख एमएसएमई ने उद्योग आधार जापन पंजीकरण कराया है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 120
TO BE ANSWERED ON 18.07.2018

Reopening of closed Khadi Gramodyog centres

120. DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether Government is planning to reopen the closed Khadi Gramodyog centres situated amongst different panchayats of the country;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) the details of the schemes implemented and progressive works done for the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) during each of the last three years; and
- (d) the details of increase in sales through KVIC, if any?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): There is no plan to reopen the closed Khadi Gramodyog centres situated amongst different panchayats of the country. However, to revive the sick Khadi Institutions, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) implements 'Strengthening of Infrastructure of Existing Weak Khadi Institutions and assistance for Marketing Infrastructure' scheme. The scheme is meant to meet the need based support of the Khadi Sector to nurse the sick Khadi Institutions which have potential to attain normalcy and support creation of marketing infrastructure in other identified outlets.

The details of financial support extended by KVIC under the scheme during the last three years are furnished as under:

Year	No. of KIs covered	Funds released (Rs. in crore)
2015-16	15	2.99
2016-17	33	3.27
2017-18	35	3.72

(c): The details of the schemes implemented and progressive works done for the Khadi and Village Industries during each of the last three years are as follows:

i) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a credit linked subsidy scheme, for setting up of new micro-enterprises and to generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through KVIC, State Khadi & Village Industries Board (KVIB) and District Industries Centre (DIC). General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SC/ST/Women/PH/Minorities/Ex-Servicemen/NER, the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of projects is Rs.25 lakh in the manufacturing sector and Rs.10 lakh in the service sector.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 120

उत्तर देने की तारीख 18.07.2018

बंद खादी ग्रामोद्योग केन्द्रों को पुनः खोला जाना

120. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न पंचायतों में स्थित बंद खादी ग्रामोद्योग केन्द्रों को पुनः खोलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी और ग्राम उद्योग आयोग (के वी आई सी)

हेतु कार्यान्वित की गई स्कीमों और किए गए क्रमिक कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) के वी आई सी के माध्यम से बिक्री में वृद्धि, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) देश की विभिन्न पंचायतों में स्थित बंद पड़े खादी ग्रामोद्योग केन्द्रों को पुनः खोलने की कोई योजना नहीं है। तथापि, रूग्ण खादी संस्थाओं को पुनरुद्धार (रिवाइव) के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की आधारभूत सुविधा का सुदृढीकरण एवं विपणन आधारभूत सुविधा के लिए सहायता स्कीम कार्यान्वित करता है। यह स्कीम रूग्ण खादी संस्थाओं के पोषण (नर्स) के लिए खादी क्षेत्र की आवश्यकता आधारित सहायता की पूर्ति के लिए है जिनके पास सामान्यता प्राप्त करने एवं अन्य चिन्हित बिक्री केन्द्रों में विपणन की आधारभूत सुविधा के सृजन की सहायता करने की संभावना है।

विगत तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत केवीआईसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्योरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	कवर की गई खादी संस्थाओं की सं.	जारी निधियां (रु. करोड़ में)
2015-16	15	2.99
2016-17	33	3.27
2017-18	35	3.72

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी और ग्रामोद्योगों के लिए कार्यान्वित स्कीमों एवं किए गए प्रगामी कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

ii) Market Promotion Development Assistance (MPDA) – A unified scheme by merging Market Development Assistance, Publicity, Marketing and Market Promotion. A new component of Infrastructure namely setting up of Marketing Complexes /Khadi Plazas has been added to expand the marketing network of Khadi & VI products. Under the Modified MDA (MMDA) financial assistance at 30% of the Prime Cost is distributed amongst Producing Institutions (40%), Selling Institutions (20%) and Artisans (40%).

iii) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme provides credit at concessional rate of interest through Banks as per the requirement of the Khadi institutions. The institutions are required to pay interest of only 4%, any interest charged by banks over 4% will be paid by the Government of India through KVIC to the banks.

iv) Workshed Scheme for Khadi Artisans was introduced in 2008-09 to provide financial assistance for construction of workshed to khadi artisans belonging to BPL category through the khadi institutions with which the khadi artisans are associated. This empowers khadi spinners and weavers to chart out a sustainable path for growth, income generation and better work environment.

v) Strengthening infrastructure of weak Khadi institutions and assistance for marketing infrastructure: This scheme provides need-based support towards the Khadi sector for nursing the sick/problematic institutions elevated from “D” to “C” category as well as those whose production, sales and employment have been declining while they have potential to attain normalcy and to support creation of marketing infrastructure in other identified outlets. Under this scheme, financial assistance is provided to existing weak Khadi institutions for strengthening of their infrastructure and for renovation of selected khadi sales outlets.

vi) Khadi Reform and Development Programme (KRDP) aims to revitalize the khadi sector with enhanced sustainability of khadi, increased incomes and employment for spinners and weavers, increased artisans’ welfare and to achieve synergy with village industries. Under KRDP, restructured amount of US\$ 105 million has been negotiated with Asian Development Bank (ADB) and funds are being provided to the Government of India to be released to KVIC as ‘grants-in-aid’ under budgetary allocation through the Ministry of MSME. Khadi Reform Package envisages reform support in the following areas: (i) Artisan Earnings and Empowerment, (ii) Direct Reform Assistance to 400 Khadi Institutions & (iii) Implementation of a well-knit MIS. The details of the performance of Khadi and Village Industries (KVI) during each of the last three years is given at **Annexure-I**.

(d): The details of increase in sales performance of entire sector under Khadi and Polyvastra for the last three years is furnished here under:

Year	Sales performance (Rs. in crore)	% increase over 2015-16
2015-16	1663.98	-
2016-17	2146.60	129%
2017-18 (Provisional)	2508.10	151%

ii) बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए)- बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम बनाई गई है। आधारभूत सुविधा के नये घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन नेटवर्क बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (40%), विक्रेता संस्थाओं (20%) तथा कारीगरों (40%) के बीच मूल लागत की 30% वितरित की जाती है।

iii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइसेक) स्कीम में खादी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। संस्थाओं को मात्र 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत से अधिक प्रभारित ब्याज भारत सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से बैंकों को भुगतान किया जाएगा।

iv) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम खादी संस्थाएं जिनसे खादी कारीगर जुड़े हुए हैं, के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित खादी कारीगरों को वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 2008-09 में शुरू की गई थी। यह वृद्धि, आय सृजन तथा बेहतर कार्य वातावरण के लिए निरंतर पथ तैयार करने के लिए खादी कतिनों एवं बुनकरों को सशक्त बनाती है।

v) कमजोर खादी संस्थाओं की आधारभूत सुविधा का सुदृढीकरण एवं विपणन आधारभूत सुविधा के लिए सहायता: इस स्कीम में 'घ' से 'ग' श्रेणी में उन्नत रुग्ण/समस्याग्रस्त संस्थाओं तथा वे जिनका उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार कम होते आ रहे हैं जबकि उनके पास सामान्यता(नॉर्मलसी) प्राप्त करने की संभावना है, का पोषण करने एवं अन्य चिन्हित बिक्री केन्द्रों में विपणन आधारभूत सुविधा के सृजन की सहायता हेतु खादी क्षेत्र के लिए आवश्यकता आधारित सहायता का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं को उनकी आधारभूत सुविधा के सुदृढीकरण एवं चयनित खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

vi) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) का उद्देश्य खादी की वृद्धि को निरन्तर बनाए रखने, कतिनों (स्पिनरों) एवं बुनकरों की आय में बढ़ोतरी करने और रोजगार में बढ़ोतरी करने, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ खादी क्षेत्र का पुनरुद्धार करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करना है। केआरडीपी के अंतर्गत 105 मिलियन अमरीकी डॉलर की पुनर्संचित राशि का एशियन विकास बैंक (एडीबी) से प्रबंध किया गया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से बजटीय आवंटन के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में केवीआईसी को जारी किए जाने के लिए भारत सरकार को निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेल निट (Well knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सुधार सहायता पर विचार किया जाता है।

विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) के कार्यनिष्पादन का ब्योरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(घ) विगत तीन वर्षों के खादी और पॉलीवस्त्र के अंतर्गत समस्त क्षेत्र के बिक्री निष्पादन में हुई वृद्धि का ब्योरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	बिक्री निष्पादन (रु. करोड़ में)	2015-16 के दौरान % वृद्धि
2015-16	1663.98	-
2016-17	2146.60	129%
2017-18 (अनंतिम)	2508.10	151%

Annexure-I

Annexure-I referred to in reply to part (c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 120 for answer on 18.07.2018

State-wise position of PMEGP during 2015-16

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu & Kashmir	4006.80	3781.19	2207	12115
2	Himachal Pradesh	1721.57	1767.26	1077	5134
3	Punjab	3026.80	2902.97	966	7762
4	UT Chandigarh	90.00	87.72	43	323
5	Uttarakhand	1909.93	1740.86	1136	6161
6	Haryana	3747.40	3112.09	1248	7232
7	Delhi	257.35	254.05	256	2048
8	Rajasthan	4188.14	4384.07	1988	14537
9	Uttar Pradesh	17535.32	14456.87	4365	43059
10	Bihar	7118.59	6588.55	2430	19624
11	Sikkim	227.38	186.11	110	397
12	Arunachal Pradesh	200.08	38.85	35	104
13	Nagaland	1255.83	1392.81	623	4998
14	Manipur	2855.92	1213.98	685	2715
15	Mizoram	924.99	1026.35	1134	9072
16	Tripura	2748.26	945.84	642	5355
17	Meghalaya	1250.62	1056.12	603	4824
18	Assam	4969.87	2869.74	3483	9026
19	West Bengal	4765.49	3400.65	1873	12746
20	Jharkhand	3462.64	3559.74	1839	12873
21	Odisha	6282.00	5736.32	2876	17629
22	Chhattisgarh	4303.80	2829.38	1277	9496
23	Madhya Pradesh	7729.40	8117.17	1979	16497
24	Gujarat*	6536.16	6339.73	1419	14960
25	Maharashtra **	9718.42	5285.03	2497	20161
26	Andhra Pradesh	4496.85	2262.37	642	7740
27	Telangana	2094.00	2217.57	660	7761
28	Karnataka	10846.89	5898.01	2140	17284
29	Goa	159.40	165.43	91	500
30	Lakshadweep	90.00	0.00	0	0
31	Kerala	2731.60	2720.48	1369	9653
32	Tamilnadu	7110.80	5497.54	2463	20836
33	Puducherry	100.00	106.37	65	447
34	Andaman & Nicobar Islands	158.00	65.11	119	293
		128620.30	102006.33	44340	323362

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

दिनांक 18.07.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी# (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	जम्मू और कश्मीर	4006.80	3781.19	2207	12115
2	हिमाचल प्रदेश	1721.57	1767.26	1077	5134
3	पंजाब	3026.80	2902.97	966	7762
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	90.00	87.72	43	323
5	उत्तराखंड	1909.93	1740.86	1136	6161
6	हरियाणा	3747.40	3112.09	1248	7232
7	दिल्ली	257.35	254.05	256	2048
8	राजस्थान	4188.14	4384.07	1988	14537
9	उत्तर प्रदेश	17535.32	14456.87	4365	43059
10	बिहार	7118.59	6588.55	2430	19624
11	सिक्किम	227.38	186.11	110	397
12	अरुणाचल प्रदेश	200.08	38.85	35	104
13	नागालैंड	1255.83	1392.81	623	4998
14	मणिपुर	2855.92	1213.98	685	2715
15	मिजोरम	924.99	1026.35	1134	9072
16	त्रिपुरा	2748.26	945.84	642	5355
17	मेघालय	1250.62	1056.12	603	4824
18	असम	4969.87	2869.74	3483	9026
19	पश्चिम बंगाल	4765.49	3400.65	1873	12746
20	झारखंड	3462.64	3559.74	1839	12873
21	ओडिशा	6282.00	5736.32	2876	17629
22	छत्तीसगढ़	4303.80	2829.38	1277	9496
23	मध्य प्रदेश	7729.40	8117.17	1979	16497
24	गुजरात*	6536.16	6339.73	1419	14960
25	महाराष्ट्र**	9718.42	5285.03	2497	20161
26	आन्ध्र प्रदेश	4496.85	2262.37	642	7740
27	तेलंगाना	2094.00	2217.57	660	7761
28	कर्नाटक	10846.89	5898.01	2140	17284
29	गोवा	159.40	165.43	91	500
30	लक्षद्वीप	90.00	0.00	0	0
31	केरल	2731.60	2720.48	1369	9653
32	तमिलनाडु	7110.80	5497.54	2463	20836
33	पुडुचेरी	100.00	106.37	65	447
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	158.00	65.11	119	293
		128620.30	102006.33	44340	323362

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* दमण और दीव सहित

** दादरा एवं नगर हवेली सहित

State-wise position of PMEGP during 2016-17

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu & Kashmir	3541.26	2621.40	1492	11691
2	Himachal Pradesh	1970.11	2185.27	941	6916
3	Punjab	3504.09	3181.60	1266	9858
4	UT Chandigarh	100	82.84	47	376
5	Uttarakhand	2140.93	2122.33	1345	9890
6	Haryana	3371.31	3383.53	1377	11016
7	Delhi	300	182.41	119	952
8	Rajasthan	5500.99	4641.6	1749	13408
9	Uttar Pradesh	12981.52	14271.05	4074	36315
10	Bihar	6909.77	8336.51	3234	25872
11	Sikkim	200	35.93	27	201
12	Arunachal Pradesh	500	440.34	301	1984
13	Nagaland	1751.68	2007.48	1018	7783
14	Manipur	1741.7	2162.78	1265	8419
15	Mizoram	1253.49	491.96	425	3400
16	Tripura	1578.62	3734.66	2297	17961
17	Meghalaya	1748.1	407.89	329	2632
18	Assam	5636.41	4910.38	6028	31498
19	West Bengal	3680.3	6270.32	3528	26604
20	Jharkhand	4165.73	2654.35	1300	10400
21	Odisha	5201.65	6848.96	3029	20392
22	Chhattisgarh	4493.3	4070.73	1598	12856
23	Madhya Pradesh	8527.32	8346.06	1940	15520
24	Gujarat*	5398.45	7561.61	1386	11629
25	Maharashtra **	6111.29	6001.36	2325	17799
26	Andhra Pradesh	2336.59	4916.08	1357	14148
27	Telangana	2004.86	2561.72	664	6445
28	Karnataka	4941.62	11609.56	3575	30286
29	Goa	371.62	191.44	90	660
30	Lakshadweep	50	00	00	00
31	Kerala	2446.06	3350.68	1584	13068
32	Tamilnadu	5291.23	8213.92	2941	25764
33	Puducherry	150	103.65	66	699
34	Andaman & Nicobar Islands	100	193.46	195	1398
		110000	128093.86	52912	407840

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित मार्जिन मनी सविसडी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सविसडी# (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	जम्मू और कश्मीर	3541.26	2621.40	1492	11691
2	हिमाचल प्रदेश	1970.11	2185.27	941	6916
3	पंजाब	3504.09	3181.60	1266	9858
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	100	82.84	47	376
5	उत्तराखंड	2140.93	2122.33	1345	9890
6	हरियाणा	3371.31	3383.53	1377	11016
7	दिल्ली	300	182.41	119	952
8	राजस्थान	5500.99	4641.6	1749	13408
9	उत्तर प्रदेश	12981.52	14271.05	4074	36315
10	बिहार	6909.77	8336.51	3234	25872
11	सिक्किम	200	35.93	27	201
12	अरुणाचल प्रदेश	500	440.34	301	1984
13	नागालैंड	1751.68	2007.48	1018	7783
14	मणिपुर	1741.7	2162.78	1265	8419
15	मिजोरम	1253.49	491.96	425	3400
16	त्रिपुरा	1578.62	3734.66	2297	17961
17	मेघालय	1748.1	407.89	329	2632
18	असम	5636.41	4910.38	6028	31498
19	पश्चिम बंगाल	3680.3	6270.32	3528	26604
20	झारखंड	4165.73	2654.35	1300	10400
21	ओडिशा	5201.65	6848.96	3029	20392
22	छत्तीसगढ़	4493.3	4070.73	1598	12856
23	मध्य प्रदेश	8527.32	8346.06	1940	15520
24	गुजरात*	5398.45	7561.61	1386	11629
25	महाराष्ट्र**	6111.29	6001.36	2325	17799
26	आन्ध्र प्रदेश	2336.59	4916.08	1357	14148
27	तेलंगाना	2004.86	2561.72	664	6445
28	कर्नाटक	4941.62	11609.56	3575	30286
29	गोवा	371.62	191.44	90	660
30	लक्षद्वीप	50	00	00	00
31	केरल	2446.06	3350.68	1584	13068
32	तमिलनाडु	5291.23	8213.92	2941	25764
33	पुडुचेरी	150	103.65	66	699
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	193.46	195	1398
		110000	128093.86	52912	407840

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* दमण और दीव सहित

** दादरा एवं नगर हवेली सहित

State-wise position of PMEGP during 2017-18

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu & Kashmir	3272.84	6913.15	3753	30024
2	Himachal Pradesh	1785.19	2042.5	886	7088
3	Punjab	3272.84	3930.46	1520	12160
4	UT Chandigarh	100.00	90.07	45	360
5	Uttarakhand	1933.95	2880.98	1613	12904
6	Haryana	3272.84	4167.04	1718	13744
7	Delhi	300.00	150.65	115	920
8	Rajasthan	4909.26	4929.04	1577	12614
9	Uttar Pradesh	11157.41	16866.47	5432	43456
10	Bihar	5653.09	6558.85	2307	18456
11	Sikkim	200.00	46.36	37	296
12	Arunachal Pradesh	500.00	309.42	209	1672
13	Nagaland	1728.96	2672.15	930	7440
14	Manipur	1434.32	1383.87	600	4800
15	Mizoram	1245.66	274.05	249	1992
16	Tripura	1283.75	1892.3	1116	8928
17	Meghalaya	1720.32	118.27	75	600
18	Assam	5351.99	2362.48	2282	18256
19	West Bengal	2975.31	3891.37	1366	10928
20	Jharkhand	3570.37	2439.53	1111	8888
21	Odisha	4462.97	5680.65	2399	19192
22	Chhattisgarh	4016.67	3398.4	1463	11704
23	Madhya Pradesh	7587.04	7631.41	1804	14432
24	Gujarat*	4909.26	12883.63	1876	15008
25	Maharashtra **	5355.56	8749.73	3329	26632
26	Andhra Pradesh	1933.95	5336.1	1527	12216
27	Telangana	4611.73	4030.21	1190	9520
28	Karnataka	4462.97	6477.94	2115	16920
29	Goa	297.53	149.07	50	400
30	Lakshadweep	100.00	00	00	00
31	Kerala	2082.72	2910.44	1347	10776
32	Tamilnadu	4760.50	9717.58	4095	32760
33	Puducherry	100.00	78.95	44	352
34	Andaman & Nicobar Islands	100.00	276.95	218	1744
		100449	131240.07	48398	387184

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

वर्ष 2017-18 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी# (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	जम्मू और कश्मीर	3272.84	6913.15	3753	30024
2	हिमाचल प्रदेश	1785.19	2042.5	886	7088
3	पंजाब	3272.84	3930.46	1520	12160
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	100.00	90.07	45	360
5	उत्तराखंड	1933.95	2880.98	1613	12904
6	हरियाणा	3272.84	4167.04	1718	13744
7	दिल्ली	300.00	150.65	115	920
8	राजस्थान	4909.26	4929.04	1577	12614
9	उत्तर प्रदेश	11157.41	16866.47	5432	43456
10	बिहार	5653.09	6558.85	2307	18456
11	सिक्किम	200.00	46.36	37	296
12	अरुणाचल प्रदेश	500.00	309.42	209	1672
13	नागालैंड	1728.96	2672.15	930	7440
14	मणिपुर	1434.32	1383.87	600	4800
15	मिजोरम	1245.66	274.05	249	1992
16	त्रिपुरा	1283.75	1892.3	1116	8928
17	मेघालय	1720.32	118.27	75	600
18	असम	5351.99	2362.48	2282	18256
19	पश्चिम बंगाल	2975.31	3891.37	1366	10928
20	झारखंड	3570.37	2439.53	1111	8888
21	ओडिशा	4462.97	5680.65	2399	19192
22	छत्तीसगढ़	4016.67	3398.4	1463	11704
23	मध्य प्रदेश	7587.04	7631.41	1804	14432
24	गुजरात*	4909.26	12883.63	1876	15008
25	महाराष्ट्र**	5355.56	8749.73	3329	26632
26	आन्ध्र प्रदेश	1933.95	5336.1	1527	12216
27	तेलंगाना	4611.73	4030.21	1190	9520
28	कर्नाटक	4462.97	6477.94	2115	16920
29	गोवा	297.53	149.07	50	400
30	लक्षद्वीप	100.00	00	00	00
31	केरल	2082.72	2910.44	1347	10776
32	तमिलनाडु	4760.50	9717.58	4095	32760
33	पुडुचेरी	100.00	78.95	44	352
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.00	276.95	218	1744
		100449	131240.07	48398	387184

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* दमण और दीव सहित

** दादरा एवं नगर हवेली सहित

KVI Performance

i) Performance Overview of Khadi and Village Industries

(Rs. in crore)

Sr. No	Particulars	2015-16	2016-17	2017-18 (Provisional)
A.	Production			
1.	Textile (Khadi + Poly + Solarvastra)	1158.44	1520.83	1624.86
2.	Village Industries	33331.78	41110.26	47471.20
	Total-A	34490.22	42631.09	49096.06
B.	Sales			
1.	Textile (Khadi + Poly + Solarvastra)	1663.98	2146.60	2508.50
2.	Village Industries	40230.58	49991.61	57942.78
	Total-B	41894.56	52138.21	60451.28

ii) Market Promotion and Development Assistance Scheme (MPDA)

Year	MDA paid (Rs. in crore)	No. of Inst. benefited	No. of Artisans benefited
2015-16	189.87	1877	Released through KIs
2016-17	325.25	1778	192383
2017-18(Provisional)	187.10	1466	364826

iii) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) scheme

(Rs. in crore)

Year	ISEC Issued	ISEC Aailed	Int. subsidy released
2015-16	949.68	422.79	40.07
2016-17	1435.71	517.92	36.39
2017-18(Provisional)	1702.83	575.27	35.85

iv) Workshed Scheme

Year	No. of workshed for artisans
2015-16	1279
2016-17	3272
2017-18(Provisional)	1825

v) Scheme for Strengthening of Infrastructure of Existing Weak Khadi Institutions and Assistance for Marketing Infrastructure

Year	No. of KIs assisted	No. of sales outlets assisted
2015-16	15	15
2016-17	35	117
2017-18(Provisional)	35	-

केवीआई का कार्यनिष्पादन

i) खादी और ग्रामोद्योग के कार्यनिष्पादन का अवलोकन

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18 (अनंतिम)
क.	उत्पादन			
1.	वस्त्र (खादी + पॉलि + सोलरवस्त्र)	1158.44	1520.83	1624.86
2.	ग्रामोद्योग	33331.78	41110.26	47471.20
	कुल-क	34490.22	42631.09	49096.06
ख.	बिक्री			
1.	वस्त्र (खादी + पॉलि + सोलरवस्त्र)	1663.98	2146.60	2508.50
2.	ग्रामोद्योग	40230.58	49991.61	57942.78
	कुल-ख	41894.56	52138.21	60451.28

ii) बाजार संवर्धन और विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए)

वर्ष	एमडीए भुगतान (रु. करोड़ में)	लाभान्वित संस्थाओं की संख्या	लाभान्वित कारीगरों की संख्या
2015-16	189.87	1877	खादी संस्थानों के माध्यम से जारी
2016-17	325.25	1778	192383
2017-18 (अनंतिम)	187.10	1466	364826

iii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक) स्कीम

(रु. करोड़ में)

वर्ष	जारी आईसेक	प्राप्त आईसेक	जारी ब्याज सब्सिडी
2015-16	949.68	422.79	40.07
2016-17	1435.71	517.92	36.39
2017-18 (अनंतिम)	1702.83	575.27	35.85

iv) वर्कशेड स्कीम

वर्ष	कारिगरों के लिए वर्कशेड की संख्या
2015-16	1279
2016-17	3272
2017-18 (अनंतिम)	1825

v) मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत सुविधा का सुदृढीकरण और विपणन सुविधा के लिए स्कीम

वर्ष	सहायता प्राप्त खादी संस्थानों की संख्या	सहायता प्राप्त बिक्री केन्द्रों की संख्या
2015-16	15	15
2016-17	35	117
2017-18 (अनंतिम)	35	-

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 121
TO BE ANSWERED ON 18.07.2018

Loss of jobs due to model charkhas

121. SHRI K.R. ARJUNAN:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the model charkhas have made khadi artisans lose their jobs;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether it is also a fact that nearly 1.2 lakh jobs were lost in the east zone alone; and
- (d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): New Model Charkhas have been introduced long back. It is not true that jobs are lost due to introduction of New Model Charkhas. Rather they give good quality yarn and enhanced wages to the Khadi artisans due to increase of production capacity.

(b): Does not arise.

(c)&(d): No. The total employment under Khadi and Polyvastra for the year 2016-17 and 2017-18 (Provisional) in the East Zone is given below, which shows an increasing trend.

Employment in East Zone

(in lakh persons)		
Particulars	2016-17	2017-18 (Provisional)
Employment under Khadi and Polyvastra	1.05	1.06

* * *

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 121
उत्तर देने की तारीख 18.07.2018

मॉडल चरखाओं की वजह से नौकरियों का नुकसान

121. श्री के. आर. अर्जुनन:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि मॉडल चरखों से खादी कारीगरों को नौकरियों का नुकसान हुआ है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्वी क्षेत्र में लगभग 1.2 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) नए मॉडल चरखे बहुत पहले आरंभ किए गए हैं। यह सत्य नहीं है कि नए मॉडल चरखों की शुरुआत के कारण रोजगार समाप्त हुए हैं बल्कि वे उत्तम गुणवत्ता का यार्न (धागा) प्रदान करते हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ने के कारण खादी कारीगरों की मजदूरी में वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठना ।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2016-17 और 2017-18 (अनंतिम) के लिए खादी और पॉलिवस्त्र के अन्तर्गत कुल रोजगार निम्नलिखित हैं, जो कि बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

पूर्वी क्षेत्र में रोजगार

(लाख व्यक्तियों में)

विवरण	2016-17	2017-18 (अनंतिम)
खादी और पालिवस्त्र के अन्तर्गत रोजगार	1.05	1.06

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

**RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 122
TO BE ANSWERED ON 18.07.2018**

Efforts to increase MSME registrations

122. **SHRI PARIMAL NATHWANI:**

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) how many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have been registered with the department in last five years, State/UT-wise details especially in Gujarat and Jharkhand;
- (b) how many MSME registrations have been cancelled in the same period in the country, especially in Gujarat and Jharkhand;
- (c) what are the benefits of MSME registration; and
- (d) what efforts have been made by Government to increase MSME registrations?

ANSWER

**MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)**

(a): The number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) registered on Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) Portal till 12th July, 2018 (after enactment of UAM in September, 2015) is 48.40 lakh. Prior to that 7.88 lakh MSMEs filed Entrepreneur Memorandum (Part-II) (EM-II) during 2013-14 and 2014-15. The details of MSMEs registered on UAM portal and filed EM-II (State/UT-wise) are given in Annexure-I.

(b): 24,248 MSME registrations have been cancelled in the country on UAM portal till 12th July, 2018 (after enactment of UAM in September, 2015). 25 and 927 MSME registrations have been cancelled in Gujarat and Jharkhand respectively on UAM portal during the same period.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 122
उत्तर देने की तारीख : 18.07.2018

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पंजीकरण को बढ़ाने का प्रयास

122. श्री परिमल नथवानी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों में विभाग के पास कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम एस एम ई) को पंजीकृत किया गया है; विशेष रूप से गुजरात और झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उसी अवधि के दौरान देश में विशेष रूप से गुजरात और झारखंड में कितने एम एस एम ई पंजीकरण रद्द किए गए हैं;
- (ग) एम एस एम ई पंजीकरण के क्या लाभ हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा एम एस एम ई पंजीकरण को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पोर्टल पर 12 जुलाई, 2018 तक (सितम्बर, 2015 में यूएएम के अधिनियमन के बाद से) पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या 48.40 लाख है। इससे पूर्व वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान 7.88 लाख एमएसएमई ने उद्यमी ज्ञापन (भाग-II) (ईएम-II) दर्ज किए। यूएएम पोर्टल पर पंजीकृत और ईएम-II दर्ज करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ब्यौरा (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार) अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) : 12 जुलाई, 2018 तक (सितम्बर, 2015 में यूएएम के अधिनियमन के बाद से) देश में यूएएम पोर्टल पर 24,248 एमएसएमई का पंजीकरण रद्द हुए हैं। इसी अवधि के दौरान गुजरात और झारखंड में यूएएम पोर्टल पर क्रमशः 25 और 927 एमएसएमई का पंजीकरण रद्द हुआ है।

Annexure-I

Annexure referred to in reply to part (a) of Rajya Sabha Unstarred Question No. 122 for answer on 18.07.2018

Sl. No.	State/UT	EM-II (During 2013-14 to 2014-15)	UAM registration (Since Sep. 2015 to as on date)
1	ANDHRA PRADESH	5213	232510
2	ARUNACHAL PRADESH	50	645
3	ASSAM	4489	3640
4	BIHAR	5142	770871
5	CHHATTISGARH	3258	22802
6	GOA	329	3577
7	GUJARAT	122787	486080
8	HARYANA	3963	69424
9	HIMACHAL PRADESH	1015	5929
10	JAMMU AND KASHMIR	2077	4021
11	JHARKHAND	7042	97998
12	KARNATAKA	54720	134749
13	KERALA	29903	61879
14	MADHYA PRADESH	39277	360626
15	MAHARASHTRA	56818	570101
16	MANIPUR	376	17239
17	MEGHALAYA	759	1128
18	MIZORAM	491	1387
19	NAGALAND	333	44
20	ODISHA	5810	7247
21	PUNJAB	4419	6935
22	RAJASTHAN	36256	29459
23	SIKKIM	15	36
24	TAMIL NADU	259497	58848
25	TELANGANA	12631	13838
26	TRIPURA	345	287
27	UTTAR PRADESH	97545	59603
28	UTTARAKHAND	5138	14169
29	WEST BENGAL	26624	142851
30	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	212	3419
31	CHANDIGARH	345	4022
32	DADAR AND NAGAR HAVELI	183	2004
33	DAMAN AND DIU	120	1134
34	DELHI	981	59500
35	LAKSHADWEEP	14	44
36	PUDUCHERRY	172	4793
Total :		7,88,349	48,39,549

अनुबंध-I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 122 जिसका उत्तर दिनांक 18.07.2018 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	ईएम-II (2013-14 से 2014-15 के दौरान)	यूएम पंजीकरण (सितम्बर, 2015 से आज की तिथि तक)
1	आंध्र प्रदेश	5213	232510
2	अरुणाचल प्रदेश	50	645
3	असम	4489	3640
4	बिहार	5142	770871
5	छत्तीसगढ़	3258	22802
6	गोवा	329	3577
7	गुजरात	122787	486080
8	हरियाणा	3963	69424
9	हिमाचल प्रदेश	1015	5929
10	जम्मू और कश्मीर	2077	4021
11	झारखंड	7042	97998
12	कर्नाटक	54720	134749
13	केरल	29903	61879
14	मध्य प्रदेश	39277	360626
15	महाराष्ट्र	56818	570101
16	मणिपुर	376	17239
17	मेघालय	759	1128
18	मिजोरम	491	1387
19	नागालैंड	333	444
20	ओडिशा	5810	72474
21	पंजाब	4419	69357
22	राजस्थान	36256	294592
23	सिक्किम	15	369
24	तमिलनाडू	259497	588483
25	तेलंगाना	12631	138382
26	त्रिपुरा	345	2870
27	उत्तर प्रदेश	97545	596036
28	उत्तराखंड	5138	14169
29	पश्चिम बंगाल	26624	142851
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	212	3419
31	चंडीगढ़	345	4022
32	दादर और नगर हवेली	183	2004
33	दमन और दीव	120	1134
34	दिल्ली	981	59500
35	लक्षद्वीप	14	44
36	पुडुचेरी	172	4793
कुल :		7,88,349	48,39,549

(c): The benefits of MSME registration are given below:

- (i) Can avail the benefits of various schemes of Ministry of MSMEs like Credit Guarantee Scheme for MSEs, Credit Linked Capital Subsidies Scheme, Lean Manufacturing Competitiveness Scheme for MSMEs, Micro and Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE-CDP), A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE), Revamped Scheme Of Fund for Regeneration Of Traditional Industries (SFURTI), Design Clinic Scheme for MSMEs, financial support to MSMEs in ZED certification scheme, etc. and the schemes of other Ministries.
- (ii) Getting access to the following benefits / facilities under the Public Procurement Policy:
 - Tender set free of cost,
 - Exemption from the payment of earnest Money,
 - Purchase preference to MSEs.
 - 358 product items reserved for exclusive procurement from MSEs.
 - Exemption in respect of prior experience – prior turnover criteria.
- (iii) Recognizing the importance of MSME sector, a recent ordinance has empowered the Government to provide the MSME special dispensation under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).

(d): To increase the registration at UAM portal, State Government and Industry associations have been urged through communication, interactive session over video conferencing etc. Also, helpdesks for enrolment of UAM have been provided in various state level conclaves.

(ग) : एमएसएमई पंजीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं:-

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना, एमएसएमई के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यमिता संवर्धन की योजना (एस्पायर), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की संशोधित योजना (स्फूर्ति), एमएसएमई के लिए डिजाइन क्लिनिक योजना, जेड प्रमाणन में एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता योजना इत्यादि और अन्य मंत्रालयों की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(ii) सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत निम्नलिखित लाभों/सुविधाओं की उपलब्धता है :

- निःशुल्क निविदा सैट,
- अग्रिम राशि के भुगतान से छूट,
- एमएसई को खरीद में प्राथमिकता।
- 358 उत्पाद केवल एमएसई से खरीदे जाने के लिए निर्धारित।
- पूर्व अनुभव - पूर्व टर्नओवर मापदंड के संदर्भ में छूट।

(iii) एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए, हाल ही के एक अध्यादेश द्वारा सरकार को दिवालियापन एवं ऋणशोधन अक्षमता कोड (इन्साल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड) के अंतर्गत एमएसएमई के लिए विशेष छूट प्रदान करने की शक्ति दी गई है।

(घ) राज्य सरकारों और उद्योग संघों से यूएम पोर्टल पर पंजीकरण बढ़ाने के लिए वार्ता, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पारस्परिक सत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, यूएम में नामांकन के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय कॉन्क्लेवों में हेल्पडेस्क की व्यवस्था भी की गई है।

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

QUESTION DATE 23.07.2018

SESSION 15th Session of 16th Lok Sabha

LOK SABHA
STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
1	Promotion of MSME Sector	AS&DC/ADC(PS)	*77	17	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1	Self Employment Programmes	JS (ARI)	716	
2	Khadi Villages	JS (ARI)	779	
3	Revival Package for MSMEs	AS&DC/ADC(PS)	784	
4	Impact of Demonetisation /GST on MSME sector	AS&DC/ADC(PS)	795	
5	Sale by KVIC	JS (ARI)	854	
6	Schemes for Promotion of MSMEs	JS (ARI)	876	
7	Job Portal for MSME Sector	AS&DC/ADC(PS)	880	
8	Scheme for Forest Based Industry	JS (ARI)	901	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. *77
TO BE ANSWERED ON: 23.07.2018

PROMOTION OF MSME SECTOR

*77. SHRI MALYADRI SRIRAM:
ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have spurred the industrial development and are instrumental in removing the regional imbalances in the country;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether the Government has any policy/scheme for promoting the MSME Sector in the industrially backward regions including tribal majority naxalite affected area in the country including Maharashtra;
- (d) if so, the details thereof along with the funds allocated for the purpose and number of employment generated/likely to be generated therefrom during each of the last three years and the current year, State/UT-wise including Maharashtra and if not, the reasons therefor; and
- (e) the other steps taken/being taken by the Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (e): A Statement is laid on the Table of the House.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *77
उत्तर देने की तारीख : 23.07.2018

एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा

* 77. श्री मलयाद्रि श्रीराम:

एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान की है और देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में अहम रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र सहित देश के जनजातीय बहुल नक्सल प्रभावी क्षेत्रों सहित औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति/योजना है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इससे सृजित/संभावित रोजगार की संख्या कितनी है और इस प्रयोजन हेतु आवंटित निधियां कितनी हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (e) IN RESPECT OF THE
LOK SABHA STARRED QUESTION NO *77 FOR ANSWER ON 23.07.2018**

Micro, Small & Medium Enterprises are significantly present in all States/UTs and they are the second largest employer after agriculture in the country. These enterprises have supported inclusive growth and development across the country thereby reducing the regional imbalances.

The Ministry of MSME has launched many Schemes such as Credit Guarantee Fund Scheme, PMEGP (Prime Minister Employment Generation Programme), SFURTI (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries), CLCSS (Credit Linked Capital Subsidy Scheme), ASPIRE (Scheme for promotion of Innovation, Entrepreneurship and Agro- Industry), and Khadi and Village Industries Scheme for promotion of MSMEs in the entire country including Maharashtra. These Schemes have special components for SC, ST and North Eastern regions. The Pradhan Mantri Mudra Scheme implemented by Department of Financial Services, Ministry of Finance has also paved the way for a large number of micro enterprises to access credit. All these schemes have made significant contribution in creating widespread employment opportunities in the country, including the industrially backward areas of the country.

Recently, NITI Aayog has identified 117 most backward/naxalite affected districts as the Aspirational Districts. Four districts of Maharashtra i.e. Gadchiroli, Nandurbar, Osmanabad and Washim figure in the list. Ministry of MSME has decided to send teams of officials to these 117 districts not only to spread awareness about the existing Schemes of this Ministry but also to obtain proposals to set up and strengthen micro and small enterprises in these districts

The Schemes of the Ministry of MSME are central sector Schemes in which specific percentage of the budgetary allocation are earmarked for SC, ST and North Eastern Region's population. Most of these Schemes are demand driven and expenditure is made in the specific States as per the proposals received. There is no such allocation per se State/UT wise. The Funds allocated under the Schemes of PMEGP, CLCSS, Khadi and Village Grant, SFURTI, MSE-CDP, Tool Room/TCSP are furnished at Annex-I. The number of employment generated State-wise including in Maharashtra, under PMEGP is furnished at Annex-II. Under the Credit Guarantee Fund Scheme, loan guarantees are provided to MSEs which in turn result in employment generation. The employment generated under this Scheme Statewise, including in Maharashtra are furnished at Annex-III. The Ministry of MSME has 18 Tool Rooms which impart training which in turn help in generating employment.

The Ministry of MSME has taken the following steps for the development of MSMEs across the country:

- Decided to set up 15 new technology centres at various parts of the country,
- revamped SFURTI (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries)
- revamped PMEGP(Prime Minister Employment Generation Programme)
- increased the approved corpus of CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) from Rs.2500 crore to Rs 7500 crore,
- increased the loan limit under Credit Guarantee Fund Scheme to Rs 2 crore,
- extended the Credit Guarantee Fund Scheme for loan by NBFCs,
- set up digital platforms to monitor the implementation of public procurement policy and to address the delayed payments problems faced by MSEs (Micro & Small Enterprises) etc.

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 77 जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2018 को दिया जाना है. के भाग (क) से (इ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर्याप्त रूप से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हैं और कृषि के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इन उद्यमों ने देश भर में समावेशी प्रगति और विकास में सहयोग किया है जिसके द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन कम हुआ है।

एमएसएमई मंत्रालय ने महाराष्ट्र सहित देशभर में एमएसएमई के संवर्धन के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना, पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम), स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना), सीएलसीएसएस (क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना), एस्पायर (नवोन्मेष उद्यमिता और कृषि उद्योग संवर्धन योजना) और खादी और ग्रामोद्योग योजना जैसी कई योजनाएं आरंभ की हैं। इन योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट की उपलब्धता का मार्ग खोला है। इन सभी योजनाओं में देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे देश में रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हाल ही में, नीति आयोग ने 117 अति पिछड़े/नक्सल प्रभावित जिलों को आकांछी (एस्पिरेशनल) जिलों के रूप में चिन्हित किया है। इस सूची में महाराष्ट्र के चार जिलों यथा गढ़चिरोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद और वाशिम के नाम हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने इन 117 जिलों में अधिकारियों के दल भेजे जाने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य न केवल मंत्रालय की वर्तमान योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है बल्कि इन जिलों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थापना और उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त करना भी है।

एमएसएमई मंत्रालय की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं जिनमें बजटीय आवंटन का एक निर्धारित प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जनसंख्या के लिए निश्चित होता है। इनमें से अधिकांश योजनाएं मॉग आधारित हैं और राज्य विशेष से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार व्यय किया जाता है। इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कोई आवंटन नहीं किया जाता है। पीएमईजीपी, सीएलसीएसएस, खादी और ग्राम अनुदान, स्फूर्ति, एमएसई-सीडीपी, टूल रूम/टीसीएसपी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशि का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। महाराष्ट्र सहित राज्य-वार पीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित रोजगार की संख्या अनुबंध-II में दी गई है। क्रेडिट गारंटी निधि योजना के अंतर्गत एमएसई को ऋण गारंटी प्रदान की जाती है जिसके फलस्वरूप रोजगार का सृजन होता है। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित राज्य-वार सृजित रोजगारों का विवरण अनुबंध-III में दिया गया है। एमएसएमई मंत्रालय के 18 टूल रूम हैं जो प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिसके परिणामस्वरूप भी रोजगारों का सृजन होता है।

एमएसएमई मंत्रालय ने देश भर में एमएसएमई के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- देश के विभिन्न भागों में 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया,
- स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना) का नवीकरण किया गया,
- पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) का नवीकरण किया गया,
- सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास) के लिए अनुमोदित कार्पस को 2500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 7500 करोड़ रु. किया गया;
- क्रेडिट गारंटी निधि योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा को 2 करोड़ रु. तक बढ़ाया गया;
- एनबीएफसी द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को क्रेडिट गारंटी निधि योजना तक विस्तार किया गया,
- सार्वजनिक खरीद नीति के क्रियान्वयन और एमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों) द्वारा सामना की जा रही विलंबित भुगतान की समस्या के अनुवीक्षण के लिए डिजिटल मंच स्थापित किए गए आदि।

Annex-I referred to in reply to part (a)to(e) of the Lok Sabha starred Question No. *77 for answer on 23.07.2018

Budgetary Allocation under Schemes (in Rs. Crore)

Scheme	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
PMEGP	1418.28	1050.00	1139.00	1024.49
CLCSS	387.75	290.00	298.00	441.40
KVIC	1973.96	1601.85	2072.00	2001.38
SFURTI	60.00	50.00	75.00	75.00
MS CDP	93.00	100.00	135.00	184.00
Tool Room	96.50	100.00	120.00	105.00

Note: Till 2017-18 percentage of budget earmarked for SC, ST and North Eastern Region population were 12%, 8.20% and 10% respectively.

अनुबंध-I

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 77 जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2018 को दिया जाना है के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

योजनाओं के तहत बजटीय आवंटन (करोड़ रु. में)

योजना	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पीएमईजीपी	1418.28	1050.00	1139.00	1024.49
सीएलसीएसएस	387.75	290.00	298.00	441.40
केवीआईसी	1973.96	1601.85	2072.00	2001.38
स्फूर्ति	60.00	50.00	75.00	75.00
एमएसई-सीडीपी	93.00	100.00	135.00	184.00
टूल रूम	96.50	100.00	120.00	105.00

नोट: वर्ष 2017-18 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित बजट क्रमशः 12%, 8.20% एवं 10% है।

Annex-II referred to in reply to part (a) to (c) of the Lok Sabha starred Question No. *77 for answer on 23.07.2018

State-wise Employment Generation under PMEGP during 2015-16 to 2018-19

Sr. No.	State/UT	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (upto 30.6.18)
1	Andaman & Nicobar Islands	293	1398	1744	296
2	Andhra Pradesh	7740	14148	12216	3136
3	Arunachal Pradesh	104	1984	1672	832
4	Assam	9026	31498	18256	8896
5	Bihar	19624	25872	18456	5864
6	Chhattisgarh	9496	12856	11704	6016
7	Delhi	2048	952	920	40
8	Goa	500	660	400	32
9	Gujarat*	14960	11629	15008	3632
10	Haryana	7232	11016	13744	2728
11	Himachal Pradesh	5134	6916	7088	1016
12	Jammu & Kashmir	12115	11691	30024	8888
13	Jharkhand	12873	10400	8888	2464
14	Karnataka	17284	30286	16920	5560
15	Kerala	9653	13068	10776	3712
16	Lakshadweep	0	0	0	0
17	Madhya Pradesh	16497	15520	14432	2432
18	Maharashtra **	20161	17799	26632	8744
19	Manipur	2715	8419	4800	1568
20	Meghalaya	4824	2632	600	528
21	Mizoram	9072	3400	1992	1424
22	Nagaland	4998	7783	7440	1232
23	Odisha	17629	20392	19192	6184
24	Puducherry	447	699	352	48
25	Punjab	7762	9858	12160	2472
26	Rajasthan	14537	13408	12614	4336
27	Sikkim	397	201	296	40
28	Tamilnadu	20836	25764	32760	4592
29	Telangana	7761	6445	9520	1488
30	Tripura	5355	17961	8928	1864
31	UT Chandigarh	323	376	360	56
32	Uttar Pradesh	43059	36315	43456	12472
33	Uttarakhand	6161	9890	12904	4648
34	West Bengal	12746	26604	10928	3824
	Total	323362	407840	387184	111064

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

अनुबंध-II

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 77 जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2018 को दिया जाना है के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

2015-16 से 2018-19 के दौरान पीएमईजीपी के तहत राज्यवार सृजित रोजगार

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19(30.6.18 तक)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	293	1398	1744	296
2	आंध्र प्रदेश	7740	14148	12216	3136
3	अरुणाचल प्रदेश	104	1984	1672	832
4	असम	9026	31498	18256	8896
5	बिहार	19624	25872	18456	5864
6	छत्तीसगढ़	9496	12856	11704	6016
7	दिल्ली	2048	952	920	40
8	गोवा	500	660	400	32
9	गुजरात*	14960	11629	15008	3632
10	हरियाणा	7232	11016	13744	2728
11	हिमाचल प्रदेश	5134	6916	7088	1016
12	जम्मू एवं कश्मीर	12115	11691	30024	8888
13	झारखंड	12873	10400	8888	2464
14	कर्नाटक	17284	30286	16920	5560
15	केरल	9653	13068	10776	3712
16	लक्षद्वीप	0	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	16497	15520	14432	2432
18	महाराष्ट्र **	20161	17799	26632	8744
19	मणिपुर	2715	8419	4800	1568
20	मेघालय	4824	2632	600	528
21	मिजोरम	9072	3400	1992	1424
22	नागालैंड	4998	7783	7440	1232
23	ओडिशा	17629	20392	19192	6184
24	पुडुचेरी	447	699	352	48
25	पंजाब	7762	9858	12160	2472
26	राजस्थान	14537	13408	12614	4336
27	सिक्किम	397	201	296	40
28	तमिलनाडु	20836	25764	32760	4592
29	तेलंगाना	7761	6445	9520	1488
30	त्रिपुरा	5355	17961	8928	1864
31	चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश	323	376	360	56
32	उत्तर प्रदेश	43059	36315	43456	12472
33	उत्तराखंड	6161	9890	12904	4648
34	पश्चिम बंगाल	12746	26604	10928	3824
		323362	407840	387184	111064

पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष राशि सहित

* दमन एवं दीव सहित.

** दादर एवं नागर हवेली सहित

Annex-III referred to in reply to part (a) to (e) of the Lok Sabha starred Question No. *77 for answer on 23.07.2018

Employment Generation under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises					
S No.	State Name	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (upto 30.6.2018)
1	ANDAMAN & NICOBAR	1046	1162	719	156
2	ANDHRA PRADESH	40810	33278	25331	6066
3	ARUNACHAL PRADESH	3431	2016	1187	535
4	ASSAM	31190	22883	18412	5704
5	BIHAR	49813	40300	33496	10079
6	CHANDIGARH	3762	3568	2847	587
7	CHHATTISGARH	20482	17216	12706	3623
8	DADRA & NAGAR HAVELI	747	439	750	192
9	DAMAN & DIU	774	358	431	122
10	DELHI	58797	57947	34171	7308
11	GOA	7250	5702	3954	962
12	GUJARAT	65953	60784	54760	12474
13	HARYANA	35397	40475	26100	5992
14	HIMACHAL PRADESH	17072	15879	10481	1931
15	JAMMU & KASHMIR	20427	11189	28927	9174
16	JHARKHAND	46681	40623	35526	8159
17	KARNATAKA	130211	134636	97892	22579
18	KERALA	93654	92732	50887	8614
19	LAKSHA DEEP	364	135	51	2
20	MADHYA PRADESH	61842	55215	58155	11044
21	MAHARASHTRA	163498	165904	99261	21904
22	MANIPUR	3782	3433	3986	2888
23	MEGHALAYA	2071	2050	1367	309
24	MIZORAM	1431	1091	978	288
25	NAGALAND	6630	4491	4104	857
26	ORISSA	49981	50778	36766	8436
27	PONDICHERRY	3437	2419	2041	390
28	PUNJAB	38482	31407	27946	4943
29	RAJASTHAN	43269	38249	23326	5344
30	SIKKIM	669	641	362	111
31	TAMILNADU	169197	172932	120441	28089
32	TELANGANA	36119	38703	27651	6918
33	TRIPURA	3001	1746	2018	354
34	UTTAR PRADESH	160445	136013	96637	21784
35	UTTARAKHAND	16086	13455	10557	3138
36	W B	51435	51341	41894	9408
Total		1439236	1351190	996118	230464

लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 77 जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2018 को दिया जाना है के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-III

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत रोजगार सृजन					
क्र.सं.	राज्यों का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (30.6.2018 तक)
1	अंडमान एवं निकोबार	1046	1162	719	156
2	आंध्र प्रदेश	40810	33278	25331	6066
3	अरुणाचल प्रदेश	3431	2016	1187	535
4	असम	31190	22883	18412	5704
5	बिहार	49813	40300	33496	10079
6	चंडीगढ़	3762	3568	2847	587
7	छत्तीसगढ़	20482	17216	12706	3623
8	दादरा एवं नागर हवेली	747	439	750	192
9	दमन एवं दीव	774	358	431	122
10	दिल्ली	58797	57947	34171	7308
11	गोवा	7250	5702	3954	962
12	गुजरात	65953	60784	54760	12474
13	हरियाणा	35397	40475	26100	5992
14	हिमाचल प्रदेश	17072	15879	10481	1931
15	जम्मू एवं कश्मीर	20427	11189	28927	9174
16	झारखंड	46681	40623	35526	8159
17	कर्नाटक	130211	134636	97892	22579
18	केरल	93654	92732	50887	8614
19	लक्षद्वीप	364	135	51	2
20	मध्य प्रदेश	61842	55215	58155	11044
21	महाराष्ट्र	163498	165904	99261	21904
22	मणिपुर	3782	3433	3986	2888
23	मेघालय	2071	2050	1367	309
24	मिजोरम	1431	1091	978	288
25	नागालैंड	6630	4491	4104	857
26	ओडिशा	49981	50778	36766	8436
27	पुडुचेरी	3437	2419	2041	390
28	पंजाब	38482	31407	27946	4943
29	राजस्थान	43269	38249	23326	5344
30	सिक्किम	669	641	362	111
31	तमिलनाडु	169197	172932	120441	28089
32	तेलंगाना	36119	38703	27651	6918
33	त्रिपुरा	3001	1746	2018	354
34	उत्तर प्रदेश	160445	136013	96637	21784
35	उत्तराखंड	16086	13455	10557	3138
36	पश्चिम बंगाल	51435	51341	41894	9408
कुल		1439236	1351190	996118	230464

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 716
TO BE ANSWERED ON 23.07.2018

SELF EMPLOYMENT PROGRAMMES

716. SHRI GODSE HEMANT TUKARAM:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the details of the on-going self-employment programmes being implemented by the Government in the country at present;
- (b) whether the Government proposes to relax the criteria and collateral security for availing loans under the said programmes and if so, the details thereof;
- (c) whether the Government proposes to introduce new women entrepreneur schemes and if so, the details thereof; and
- (d) whether the Government proposes to include more rural cottage industries under the said programmes and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Self-employment in MSME sector cuts across different Ministries of the Government of India. Various Ministries are implementing Schemes leading to self-employment in their respective verticals. Ministry of MSME is implementing the following Schemes for Self-employment:

(i) **Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP):** This is a major credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth. Any individual above 18 years of age is eligible. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25 % of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as scheduled caste/scheduled tribe/OBC /minorities/women, ex-serviceman, physically handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of projects is Rs. 25 lakh in the manufacturing sector and Rs. 10 lakh in the service sector. Benefit can be availed under PMEGP for setting up of new units only. The Scheme was launched during 2008-09.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 716
उत्तर देने की तारीख 23.07.2018
स्व-रोजगार कार्यक्रम

716. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्तमान में देश में कार्यान्वित किए जा रहे स्व-रोजगार के चालू कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण लेने के लिए मानदंडों और संपार्श्विक सुरक्षा को शिथिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नई महिला उद्यमी योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत और अधिक ग्रामीण कुटीर उद्योगों के शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): एमएसएमई क्षेत्र में स्व-रोजगार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में है। विभिन्न मंत्रालय अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में स्व-रोजगार की स्कीमों को साधे ही कार्यान्वित कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्व-रोजगार संबंधी निम्नलिखित स्कीमों कार्यान्वित कर रहा है:

(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): यह एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है और इस योजना में कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की अधिक आयु का है, वह पात्र है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। विशेष श्रेणी से संबंधित लाभार्थी जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों इत्यादि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत निर्माण संबंधी क्षेत्र में 25 लाख रु. और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. है। केवल नई इकाइयों की स्थापना हेतु पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभ लिया जा सकता है। स्कीम, वर्ष 2008-09 के दौरान आरंभ की गई है।

Since its inception, a total of 4.72 lakh micro enterprises have been assisted with a margin money subsidy of Rs 10007.67 crore providing employment to an estimated 39.36 lakh persons, till 2017-18 (up to 31.03.2018).

(ii) **Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE):** The scheme facilitates credit to the MSE units by covering collateral free credit facility (term loan and /or working capital) extended by eligible lending institutions to new and existing micro and small enterprises. The corpus of CGTMSE has been enhanced from **Rs. 2500 crore to 7500 crore**. Since its inception, more than 30 lakh enterprises have been assisted with a total amount of Rs. 5699.90 crore (up to 31.03.2018).

(iii) **Credit linked Capital subsidy Scheme (CLCSS):** CLCSS facilitates technology upgradation of small scale industries, including agro & rural industrial units by providing 15% upfront capital subsidy (limited to maximum of Rs.15.00 lakhs). Since inception and upto 30.06.2018, a total of 51,019 units have been assisted utilizing subsidy of Rs. 3066.18 crore.

Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) and Stand-Up India scheme are being implemented by Department of Financial Services, M/o Finance. PMMY was launched during 2015-16 for providing loans upto 10 lakh to the non-corporate, non-farm small/micro enterprises. Since its inception in 2015, a total of 6,01,713.87 Crore amount has been disbursed providing loan to 13,22,98,434 units. (Up to 13.07.2018). Under Stand-Up India loan between Rs 10 lakh and Rs 1 Crore is provided to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a Greenfield enterprise. This enterprise may be in manufacturing services or the trading sector.

(b): As per the RBI guidelines no collateral security will be insisted upon by Banks for projects under MSME involving loan up to Rs.10 lakh.

(c) & (d): No Madam. However, under PMEGP scheme women are treated as special category and are entitled to a higher rate of subsidy. Entrepreneurs from rural areas are also entitled to a higher subsidy compared to their counterpart in urban areas.

इसके आरंभ से, वर्ष 2017-18 (31.03.2018 तक) 4.72 लाख रु. सूक्ष्म उद्यमों को 10007.67 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी की सहायता से अनुमानतः 39.36 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई): यह स्कीम नए एवं विद्यमान सूक्ष्म और लघु उद्यमों को पात्र उधारदाता (लेंडिंग) संस्थाओं द्वारा दी गई संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (मियादी ऋण तथा/या कार्यशील पूँजी) को कवर कर एमएसई इकाइयों को ऋण आसान बनाती है। सीजीटीएमएसई की निधि संग्रह को 2500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 7500 करोड़ रु. कर दिया गया है। इसके आरंभ से अर्थात् दिनांक 31.03.2018 तक 5699.90 करोड़ रु. की कुल राशि सहित 30 लाख से अधिक उद्यमों की सहायता की गई है।

(iii) ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस): सीएलसीएसएस 15 प्रतिशत अग्रिम पूँजीगत सब्सिडी (अधिकतम 15.00 लाख रु. तक सीमित) प्रदान कर कृषि और ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों सहित लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन को आसान बनाता है। शुरू से तथा 30.06.2018 तक कुल 51019 इकाइयों को 3066.18 करोड़ रु. देकर सहायता की गई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंड-अप इंडिया स्कीम का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-कार्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए पीएमएमवाई आरंभ की गई है। वर्ष 2015 में इसके आरंभ से (दिनांक 13.07.2018 तक) 13,22,98,434 इकाइयों को ऋण प्रदान करते हुए 6,01,713.87 करोड़ रु. की कुल राशि वितरित की गई है। स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के ऋणियों और कम से कम एक महिला ऋणी प्रति बैंक शाखा को 10 लाख रु. और 1 करोड़ रु. के बीच ऋण प्रदान किया जाता है। यह उद्यम विनिर्माण सेवाओं अथवा व्यापार क्षेत्र में हो सकता है।

(ख): भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 10 लाख रु. तक के ऋण एमएसएमई के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु बैंकों द्वारा किसी संपार्श्विक जमानत हेतु जोर नहीं दिया जाएगा।

(ग) एवं (घ): जी, नहीं। तथापि, पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को विशेष श्रेणी के रूप में माना जाता है और वे सब्सिडी की उच्चतम दर की हकदार हैं। शहरी क्षेत्रों में उनके प्रतिपक्षों (काउन्टर पार्ट) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी भी उच्चतम सब्सिडी के हकदार हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTIONNO. 779
TO BE ANSWERED ON 23.07.2018

KHADI VILLAGES

779. PROF. K.V. THOMAS:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Government proposes to start Khadi Villages under Centre for Rural Employment and Economic Development in the country; and
- (b) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): As of now, there is no proposal for Khadi Village under Centre for Rural employment and Economic Development. However, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is implementing the following schemes for the development of Khadi and Village Industries in the country:- (i) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), (ii) Market Promotion Development Assistance (MPDA), (iii) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme, (iv) Workshed Scheme for Khadi Artisans, (v) Strengthening infrastructure of weak Khadi institutions and assistance for marketing infrastructure, (vi) Khadi Reform and Development Programme (KRDP).

(b): Does not arise.

* * *

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 779
उत्तर देने की तारीख 23.07.2018

खादी ग्राम

779. प्रो. के. वी. थॉमस:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ग्रामीण रोजगार और आर्थिक विकास हेतु केंद्र के अंतर्गत खादी ग्राम प्रारंभ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) अभी तक, ग्रामीण रोजगार और आर्थिक विकास केन्द्र के अंतर्गत खादी ग्राम के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) देश में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है: (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), (ii) बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए), (iii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) स्कीम, (iv) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम, (v) कमजोर खादी संस्थाओं की आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण और विपणन के लिए सहायता, (iv) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 784
TO BE ANSWERED ON: 23.07.2018

REVIVAL PACKAGE FOR MSMEs

784. SHRI MANSHANKAR NINAMA:
PROF. PREM SINGH CHANDUMAJRA:
SHRI S. P. MUDDAHANUME GOWDA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the number of financially distressed/sick Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) during each of the last three years and the current year in the country, State/UT-wise;
- (b) whether the Government proposes to provide any revival/relief package for the MSME sector;
- (c) if so, the details thereof along with the details of MSMEs which have sought assistance from the committees set up at district level including the nature of assistance provided/proposed to be provided; State/UT-wise; and
- (d) the other steps taken by the Government to protect and promote the MSME Sector including control on high rate of interest charged on the loans provided to MSMEs?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

- (a): The data on the number of sick units for period upto March 31, 2016 are furnished at Annex-I. The data on financially distressed units for the half year ending September 30, 2017 are furnished at Annex-II.
- (b): The Reserve Bank of India in consultation with the Ministry of MSME has notified a 'Framework for Revival and Rehabilitation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).'
- (c): The data on Financially Distressed Units referred to Bankers' Committee - State-wise for the half year ending September 30, 2017 has been given in Annex-2. The Committees set up to look into the cases filed by these units classify the accounts in three categories i.e. rectification, restructuring and recovery for corresponding action.
- (d): The Ministry of MSME has taken steps to protect & promote the MSMEs through various schemes and programmes. These include Credit Guarantee Scheme, Prime Minister's Employment Generation Programme, National Manufacturing Competitive Programme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme, Scheme for Promotion of Innovation, Entrepreneurship and Agro-Industry, Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industry (SFURTI) and Public Procurement Policy etc.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 784
उत्तर देने की तारीख : 23.07.2018

एमएसएमई हेतु पुनरुद्धार पैकेज

784. श्री मानशंकर निनामा:

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वित्तीय रूप से संकटग्रस्त/बीमार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार का विचार एमएसएमई क्षेत्र हेतु कोई पुनरुद्धार/राहत पैकेज प्रदान करने का है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन एमएसएमई का ब्यौरा क्या है जिन्होंने जिला स्तर पर गठित की गई समितियों से सहायता मांगी और प्रदान की गई/प्रस्तावित सहायता की प्रकृति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा एमएसएमई को प्रदान किए जाने वाले ऋणों पर लिए जाने वाली उच्च ब्याज दर को नियंत्रित करने सहित एमएसएमई को संरक्षित करने और बढ़ावा देने हेतु क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए रुग्ण इकाइयों की संख्या संबंधी आंकड़े अनुबंध-I पर संलग्न हैं। 30 सितंबर, 2017 को समाप्त होने वाली छमाही के लिए वित्तीय रूप से संकट ग्रस्त इकाइयों के आंकड़े अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

(ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई मंत्रालय के परामर्श से 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क' अधिसूचित किया है।

(ग) : बैंकर्स समिति को संदर्भित वित्तीय रूप से संकटग्रस्त इकाइयों के राज्य-वार आंकड़े 30 सितंबर, 2017 को समाप्त हुई छमाही के लिए अनुबंध-II में दिए गए हैं। इन इकाइयों द्वारा फाइल किए गए मामलों को देखने के लिए गठित समिति खातों को तदनु रूप कार्रवाई के लिए तीन श्रेणियां नामतः संशोधन, पुनर्गठन और वसूली में वर्गीकृत करता है।

(घ) : एमएसएमई मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से एमएसएमई के संरक्षण और संवर्धन के लिए कदम उठाए हैं। इनमें क्रेडिट गारंटी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, नवोन्मेष, उद्यमिता और कृषि-उद्योग के संवर्धन की योजना, पारंपरिक उद्योग के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति) सार्वजनिक खरीद नीति इत्यादि शामिल हैं।

Annex-I referred to in reply to part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 784 for answer on 23.07.2018

Data on Sick MSME Units - State-wise till March 31, 2016

State Name	Sick Units	
	No. of Units (Micro & Small)	No. of Units (Medium)
Andaman & Nicobar Islands	883	3
Andhra Pradesh	11385	91
Arunachal Pradesh	383	0
Assam	4947	15
Bihar	17671	16
Chandigarh	1226	48
Chattisgarh	6855	13
Dadra & Nagar Haveli	61	12
Daman & Diu	32	0
Delhi	5418	208
Goa	1629	14
Gujarat	42401	178
Haryana	14475	87
Himachal Pradesh	2849	35
Jammu & Kashmir	2864	35
Jharkhand	11051	32
Karnataka	29363	54
Kerala	21702	23
Lakshadweep	0	0
Madhya Pradesh	20564	55
Maharashtra	52202	374
Manipur	1791	0
Mizoram	83	0
Nagaland	512	0
Orissa	15477	3888
Puducherry	1391	7
Punjab	15908	194
Rajasthan	24030	29
Sikkim	85	0
Tamil Nadu	39477	239
Tripura	4877	0
Uttar Pradesh	95859	130
West Bengal	19716	134
Uttarakhand	5347	16
Telangana	7766	81
Total	480280	6011

Source: Reserve Bank of India

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 784 जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2018 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- I

31 मार्च, 2016 तक के राज्यवार रुग्ण एमएसएमई इकाइयों के आंकड़े

राज्य का नाम	रुग्ण इकाइयां	
	इकाइयों की संख्या (सूक्ष्म व लघु)	इकाइयों की संख्या (मध्यम)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	883	3
आंध्र प्रदेश	11385	91
अरुणाचल प्रदेश	383	0
असम	4947	15
बिहार	17671	16
चंडीगढ़	1226	48
छत्तीसगढ़	6855	13
दादरा और नगर हवेली	61	12
दमन और दीव	32	0
दिल्ली	5418	208
गोवा	1629	14
गुजरात	42401	178
हरियाणा	14475	87
हिमाचल प्रदेश	2849	35
जम्मू और कश्मीर	2864	35
झारखंड	11051	32
कर्नाटक	29363	54
केरल	21702	23
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	20564	55
महाराष्ट्र	52202	374
मणिपुर	1791	0
मिजोरम	83	0
नागालैंड	512	0
ओडिशा	15477	3888
पुडुचेरी	1391	7
पंजाब	15908	194
राजस्थान	24030	29
सिक्किम	85	0
तमिलनाडु	39477	239
त्रिपुरा	4877	0
उत्तर प्रदेश	95859	130
पश्चिम बंगाल	19716	134
उत्तराखंड	5347	16
तेलंगाना	7766	81
कुल	480280	6011

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

Annex-II referred to in reply to part (a) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 784 for answer on 23.07.2018

Data on Financially Distressed Units referred to Bankers' Committee - State-wise for the half year ending September 30, 2017

State Name	Accounts referred to the Committee
ANDAMAN & NICOBAR	4
ANDHRA PRADESH	2253
ARUNACHAL PRADESH	78
ASSAM	658
BIHAR	5803
CHANDIGARH	258
CHATTISGARH	5385
DADRA & NAGAR HAVELI	34
DAMAN & DIU	74
DELHI	2604
GOA	455
GUJARAT	5022
HARYANA	2381
HIMACHAL PRADESH	1989
JAMMU & KASHMIR	1111
JHARKHAND	509
KARNATAKA	1342
KERALA	1783
LAKSHADWEEP	0
MADHYA PRADESH	6579
MAHARASHTRA	16409
MANIPUR	39
MEGHALAYA	214
MIZORAM	92
NAGALAND	69
ODISHA	1518
PUDUCHERRY	741
PUNJAB	3859
RAJASTHAN	4601
SIKKIM	9
TAMIL NADU	5191
TELANGANA	910
TRIPURA	184
UTTARAKHAND	1349
UTTAR PRADESH	12324
WEST BENGAL	1231
Total	87062

Source: Reserve Bank of India

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 784 जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2018 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- II

30 सितम्बर, 2017 को समाप्त होने वाली छमाही के लिए बैंकर्स समिति को संदर्भित वित्तीय रूप से संकटग्रस्त इकाइयों पर राज्यवार आंकड़ें

राज्य का नाम	समिति को संदर्भित खाते
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4
आंध्र प्रदेश	2253
अरुणाचल प्रदेश	78
असम	658
बिहार	5803
चंडीगढ़	258
छत्तीसगढ़	5385
दादरा और नगर हवेली	34
दमन और दीव	74
दिल्ली	2604
गोवा	455
गुजरात	5022
हरियाणा	2381
हिमाचल प्रदेश	1989
जम्मू और कश्मीर	1111
झारखंड	509
कर्नाटक	1342
केरल	1783
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	6579
महाराष्ट्र	16409
मणिपुर	39
मेघालय	214
मिजोरम	92
नागालैंड	69
ओडिशा	1518
पुडुचेरी	741
पंजाब	3859
राजस्थान	4601
सिक्किम	9
तमिलनाडु	5191
तेलंगाना	910
त्रिपुरा	184
उत्तराखंड	1349
उत्तर प्रदेश	12324
पश्चिम बंगाल	1231
कुल	87062

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 795
TO BE ANSWERED ON: 23.07.2018

IMPACT OF DEMONETISATION/GST ON MSME SECTOR

795. SMT. V. SATHYA BAMA:
SHRI K. PARASURAMAN:
SHRI M. B. RAJESH:
SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI):
SHRI PR. SENTHIL NATHAN:
SHRI BHARATHI MOHAN R. K.:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether several thousands of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) were shut down due to implementation of demonetisation and GST in the country;
- (b) if so, the details thereof including the total registered MSMEs in the country as on date, State/UT-wise;
- (c) whether the Government has conducted any study/assessment about the impact of GST and demonetisation on the MSMEs in the country, if so, the details and the outcome thereof;
- (d) whether the Government has taken any effective steps to support and develop MSME units in the country including Tamil Nadu particularly under GST regime, if so, the details thereof and total funds allocated in this regard; and
- (e) the various steps taken by the Government to provide incentives and other encouragements to the best performing MSME units in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

- (a): The Ministry of Micro, Small and Medium enterprises (MSME) has not received any such report on shut down of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) from the States/UTs.
- (b): 48.40 lakh MSMEs have been registered at Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) Portal from September, 2015 to 12th July, 2018 in the entire country. The registration details of MSMEs on UAM Portal (State/UT-wise) are given in Annexure.
- (c): No.
- (d): Government implements various schemes for support and development of MSMEs in the country including Tamil Nadu. Government has taken several pro-active measures for smooth implementation of GST for MSMEs like (i) exemption to Khadi fabric sold through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and KVIC certified institutions / outlets, (ii) majority of items produced by MSMEs in the band of 28% tax slab brought to lower slabs, (iii) composition levy extended upto turnover worth Rs. 150 lakh per annum, (iv) quarterly filing of returns extended upto turnover worth Rs. 150 lakh per annum or less, and (v) reverse charge mechanism has been kept in abeyance till September 2018. There are various schemes which are being implemented by Government of India in the country for development of MSMEs (which includes Tamil Nadu). Rs. 6552.61 Crore has been provided in the Union Budget during 2018-19 for the Ministry of MSME for support to and development of MSMEs in the country.
- (e): The Ministry of MSME, with a view to recognizing the efforts and contribution of MSMEs, gives National Awards annually to selected entrepreneurs of MSME, under the scheme of National Awards.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 795
उत्तर देने की तारीख : 23.07.2018

एमएसएमई क्षेत्र पर विमुद्रीकरण/जीएसटी का प्रभाव

795. श्रीमती वी. सत्यबामा:

श्री के. परसुरमन:

श्री एम.बी. राजेश:

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती) राव:

श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:

श्री आर.के. भारती मोहन:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विमुद्रीकरण और जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण कई हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बंद हो गए थे;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार, देश में राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार कुल कितने एमएसएमई पंजीकृत हैं;
- (ग) क्या सरकार ने देश में एमएसएमई पर जीएसटी और विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन/आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;
- (घ) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर तमिलनाडु में, जीएसटी दायरे के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों की सहायता और विकास के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कुल कितनी निधि आबंटित की गई है; और
- (ङ) सरकार द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने और उनके लिए प्रोत्साहन उपाय करने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बंद होने की ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) : पूरे देशभर में उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पोर्टल पर सितम्बर, 2015 से 12 जुलाई, 2018 तक 48.40 लाख एमएसएमई ने पंजीकरण किया है। यूएएम पोर्टल (राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार) पर पंजीकृत एमएसएमई का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : सरकार तमिलनाडु सहित देशभर में एमएसएमई की सहायता और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करती है। सरकार ने एमएसएमई में जीएसटी के सुचारु कार्यान्वयन के लिए सक्रिय उपाय किए हैं, जैसे: (i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और केवीआईसी प्रमाणित संस्थाओं/बिक्री केन्द्रों के द्वारा बेचे गए खादी कपड़ों पर छूट, (ii) एमएसएमई द्वारा उत्पादित अधिकांश: मर्चों को 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब से नीचले स्लैब में लाना, (iii) कम्पोजिशन लेवी को प्रतिवर्ष 150 लाख रुपये तक के कारोबार तक बढ़ाना, (iv) प्रतिवर्ष 150 लाख रुपये या कम के कारोबार तक के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइल करना, और (v) रिवर्स चार्ज व्यवस्था को सितम्बर, 2018 तक स्थगित करना है। एमएसएमई के विकास के लिए देशभर में (जिसमें तमिलनाडु शामिल है) भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। देश में एमएसएमई की सहायता और विकास के लिए एमएसएमई मंत्रालय को केन्द्रीय बजट 2018-19 में 6552.61 करोड़ रुपये दिये गए हैं।

(ङ) : एमएसएमई के प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष चुनींदा एमएसएमई उद्यमियों को राष्ट्रीय पुरस्कार देती है।

Annexure referred to in reply to part (b) of Lok Sabha Unstarred Question No. 795 for answer on 23.07.2018

The state-wise distribution of MSMEs registered on Udyog Aadhaar Memorandum portal

Sl. No.	State/UT	Micro	Small	Medium	Udyog Aadhaar Regd.
1	Andhra Pradesh	210337	21491	682	232510
2	Arunachal Pradesh	367	265	13	645
3	Assam	2555	1012	73	3640
4	Bihar	756633	13494	744	770871
5	Chhattisgarh	17768	4877	157	22802
6	Goa	2470	1042	65	3577
7	Gujarat	408582	74471	3027	486080
8	Haryana	53652	14919	853	69424
9	Himachal Pradesh	4195	1594	140	5929
10	Jammu and Kashmir	3271	714	36	4021
11	Jharkhand	92541	5282	175	97998
12	Karnataka	108067	25452	1230	134749
13	Kerala	52542	8978	359	61879
14	Madhya Pradesh	340679	19270	677	360626
15	Maharashtra	485167	81058	3876	570101
16	Manipur	14787	2418	34	17239
17	Meghalaya	1035	90	3	1128
18	Mizoram	1062	308	17	1387
19	Nagaland	336	103	5	444
20	Odisha	65870	6382	222	72474
21	Punjab	56436	12470	451	69357
22	Rajasthan	262960	30540	1092	294592
23	Sikkim	241	105	23	369
24	Tamil Nadu	518165	68633	1685	588483
25	Telangana	96794	40576	1012	138382
26	Tripura	2500	357	13	2870
27	Uttar Pradesh	559687	34688	1661	596036
28	Uttarakhand	11254	2704	211	14169
29	West Bengal	130971	11382	498	142851
30	Andaman and Nicobar Islands	2746	642	31	3419
31	Chandigarh	3225	748	49	4022
32	Dadar and Nagar Haveli	1321	639	44	2004
33	Daman and Diu	558	534	42	1134
34	Delhi	46120	12852	528	59500
35	Lakshadweep	39	5	0	44
36	Puducherry	3908	847	38	4793
Total		43,18,841	5,00,942	19,766	48,39,549

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 795 जिसका उत्तर दिनांक 23.07.2018 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्योग आधार ज्ञापन पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई का राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	पंजीकृत उद्योग आधार
1	आंध्र प्रदेश	210337	21491	682	232510
2	अरुणाचल प्रदेश	367	265	13	645
3	असम	2555	1012	73	3640
4	बिहार	756633	13494	744	770871
5	छत्तीसगढ़	17768	4877	157	22802
6	गोवा	2470	1042	65	3577
7	गुजरात	408582	74471	3027	486080
8	हरियाणा	53652	14919	853	69424
9	हिमाचल प्रदेश	4195	1594	140	5929
10	जम्मू और कश्मीर	3271	714	36	4021
11	झारखंड	92541	5282	175	97998
12	कर्नाटक	108067	25452	1230	134749
13	केरल	52542	8978	359	61879
14	मध्य प्रदेश	340679	19270	677	360626
15	महाराष्ट्र	485167	81058	3876	570101
16	मणिपुर	14787	2418	34	17239
17	मेघालय	1035	90	3	1128
18	मिजोरम	1062	308	17	1387
19	नागालैंड	336	103	5	444
20	ओडिशा	65870	6382	222	72474
21	पंजाब	56436	12470	451	69357
22	राजस्थान	262960	30540	1092	294592
23	सिक्किम	241	105	23	369
24	तमिलनाडु	518165	68633	1685	588483
25	तेलंगाना	96794	40576	1012	138382
26	त्रिपुरा	2500	357	13	2870
27	उत्तर प्रदेश	559687	34688	1661	596036
28	उत्तराखंड	11254	2704	211	14169
29	पश्चिम बंगाल	130971	11382	498	142851
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	2746	642	31	3419
31	चंडीगढ़	3225	748	49	4022
32	दादर और नगर हवेली	1321	639	44	2004
33	दमन और दीव	558	534	42	1134
34	दिल्ली	46120	12852	528	59500
35	लक्षद्वीप	39	5	0	44
36	पुडुचेरी	3908	847	38	4793
कुल		43,18,841	5,00,942	19,766	48,39,549

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTIONNO. 854
TO BE ANSWERED ON 23.07.2018

SALE BY KVIC

854. SHRIMATI NEELAM SONKER:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether Khadigramodyog purchases products from private Institutions and sell them and if so, the details thereof;
- (b) whether certain private Institutions also supply ayurvedic medicines and if so, the details of such Institutions; and
- (c) whether the Government conducts any quality check of such ayurvedic medicines from time to time and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Khadi and Village Industries Commission (KVIC) does not buy any products from private organizations, neither does it sell such products. KVIC only facilitate marketing of products produced by Khadi and Village Industries Institutions and Rural Employment Generation Programme (REGP)/Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) Units assisted by KVIC, State Khadi and Village Industries Boards (KVIBs) and District Industries Centres (DICs) through KVIC Departmental Sales Outlets (DSOs).

(b): No.

(c): Does not arise.

* * *

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 854

उत्तर देने की तारीख 23.07.2018

केवीआईसी द्वारा विक्रय

854. श्रीमती नीलम सोनकर:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग (केवीआईसी) निजी संस्थाओं से बिक्री के लिए उत्पाद खरीदता और फिर उन्हें बेचता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसे कतिपय निजी संस्थाएं भी आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति करती हैं और यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार समय-समय पर उक्त आयुर्वेदिक दवाइयों की गुणवत्ता जांच करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) निजी संगठनों से कोई उत्पाद नहीं खरीदता है और न ही यह ऐसे उत्पादों की बिक्री करता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) केवल खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं और केवीआईसी द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)/प्रधान मंत्री रोजगार रोजगार कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की इकाइयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और केवीआईसी के विभागीय बिक्री केन्द्रों (डीएसओ) के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन को सुसाध्य बनाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTIONNO. 876
TO BE ANSWERED ON 23.07.2018

SCHEMES FOR PROMOTION OF MSMEs

876. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:
SHRI SANJAY DHOTRE:
SHRI RAHUL SHEWALE:
DR. BHARATIBEN D. SHYAL:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the details of the schemes/ programmes being implemented by the Government for sustainability of khadi and to improve income of spinners/weavers across the country;
- (b) whether the said schemes/ programmes have achieved the desired results in the country during each of the last three years and the current year and if so, the details thereof, scheme/programme-wise and if not, the reasons therefor along with the reaction of the Government thereto;
- (c) the details of the funds provided under the said schemes/programmes along with its utilisation during the said period, Scheme/ Programme-wise;
- (d) the number of micro enterprises and agro industries in the nonfarm sector set up so far under the Prime Minister's Employment Generation Programme across the country, State/UT-wise;
- (e) the amount of subsidy provided under the said programme for setting up of such enterprises/industries since inception of the Programme;
- (f) whether the Government has also received complaints regarding irregularities in the said schemes and if so, the details thereof; and
- (g) the other steps taken by the Government for promotion of Khadi Sector and to ensure adequate remuneration to spinners/weavers in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Ministry of MSME is implementing the following schemes/programmes all over the country through KVIC for sustainability of khadi and to improve income of spinners/weavers:

i) Khadi Grant:

1. Strengthening Infrastructure of existing Weak Khadi Institutions and Assistance for Marketing Infrastructure provides for renovation of khadi sales outlets and providing assistance for strengthening infrastructure of existing weak selected institutions.
2. Workshed Scheme for Khadi Artisans for providing assistance for construction of worksheds.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 876
उत्तर देने की तारीख 23.07.2018

एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं

876. श्री भर्तृहरि महताब:

श्री संजय धोत्रे:

श्री राहुल शेवाले:

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में खादी की संवहनीयता और बुनकरों/कताई करने वालों की आय में सुधार हेतु लागू की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों ने वांछित परिणाम प्राप्त किए हैं, और यदि हां, तो स्कीम/कार्यक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसकी उपयोगिता के साथ उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत योजना/कार्यक्रम-वार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देशभर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक गैर-फॉर्म क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों और कृषि उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ङ) कार्यक्रम के प्रारंभ से ऐसे उद्यमों/उद्योगों की स्थापना हेतु उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई राजसहायता की राशि कितनी है;

(च) क्या सरकार को उक्त योजनाओं में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में खादी क्षेत्र को बढ़ावा देने और बुनकरों/कताई करने वालों को पर्याप्त पारिश्रमिक सुनिश्चित करने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी की संवहनीयता तथा कतिनों/बुनकरों की आय में सुधार के लिए केवीआईसी के माध्यम से देश भर में निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

i) खादी अनुदान:

1. विद्यमान खादी कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढीकरण एवं विपणन अवसंरचना के लिए सहायता में खादी विक्री केंद्रों के नवीकरण एवं विद्यमान कमजोर चयनित संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए सहायता का प्रावधान है।

2. वर्कशेड के निर्माण हेतु सहायता देने के लिए खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम

ii) Market Promotion Development Assistance (MPDA) is a unified scheme by merging Market Development Assistance, Publicity, Marketing and Market Promotion. A new component for setting up of Marketing Complexes/Khadi Plazas has been added to expand the marketing network of Khadi & VI products. Under the Modified MDA (MMDA), financial assistance at 30% of the Prime Cost, is distributed amongst Producing Institutions (40%), Selling Institutions (20%) and Artisans (40%).

iii) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme provides credit at concessional rate of interest through Banks in which the institutions are required to pay interest of only 4%, any interest charged by banks over 4% will be paid by the GoI through KVIC.

iv) Khadi Reform and Development Programme (KRDP) has been implemented with the financial and technical assistance of Asian Development Bank (ADB) to revitalize the khadi sector with enhanced sustainability of khadi, increased incomes and employment for spinners and weavers, increased artisans' welfare and to achieve synergy with village industries. Khadi Reform Package envisages reform support in the following areas: (i) Artisan Earnings and Empowerment, (ii) Direct Reform Assistance to 400 Khadi Institutions & (iii) Implementation of a well-knit MIS.

v) Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) is being implemented from 2005-06 for making Khadi, Village Industries & Coir Traditional Industries more productive and competitive by organizing these Industries and artisans into clusters. The Scheme envisages providing need-based assistance for replacement of production equipment, setting up of common facility centres (CFC), product development, quality improvement, improved marketing, training and capacity building, etc.

(b): The Khadi and Village Industries programmes have achieved the desired results in the country as may be seen from the increased trend of production, employment creation and sales in KVI Sector. The details of KVI programmes during the last three years and current year is placed at **Annexure-I**.

The spinning wages of Khadi artisans was revised from Rs.4.00 to Rs.5.50 per hank w.e.f. 01.04.2017 and further enhanced from Rs.5.50 to Rs.7.50 per hank w.e.f. 26.12.2017.

In addition to this Khadi Institutions are also permitted to pass on the margin earned on sales of khadi to their artisans under the new mechanism namely "benefit chart" in order to earn extra margins earned on the products with the artisans.

(c): Scheme-wise details of funds allocation and utilization made by KVIC during last three years and current year is placed at **Annexure-II**.

(d): State/UT-wise number of micro enterprises and agro industries set up in the non-farm sector under Prime Minister's Employment Generation Programme across the country during the last three years and current year is placed at **Annexure-III**.

(e): The amount of subsidy provided under PMEGP for setting up of such enterprises/ industries since inception upto 30.06.2018 is Rs. 10412.09 crore.

(f): KVIC is national level Nodal Agency to implement PMEGP scheme all over the country. An online grievance handling system for PMEGP has been set up by the KVIC to provide prompt and online redressal. The complaints are received by KVIC regarding non-payment of loan by banks, delay in sanctioning of loan and other related matters under PMEGP from various States. The complaints are redressed by KVIC and its State Offices.

(g): Other steps taken by the Government for promotion of Khadi Sector and to ensure adequate remuneration to spinners/weavers in the country is placed at **Annexure-IV**.

ii) बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए)- बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम बनाई गई है। आधारभूत सुविधा के नये घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन नेटवर्क बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (40%), विक्रेता संस्थाओं (20%) तथा कारीगरों (40%) के बीच मूल लागत की 30% वितरित की जाती है।

iii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइसेक) स्कीम में खादी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। संस्थाओं को मात्र 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत से अधिक प्रभारित ब्याज भारत सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से बैंकों को भुगतान किया जाएगा।

iv) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) खादी की वृद्धि को निरन्तर बनाए रखने, कतिनों (स्पिनरों) एवं बुनकरों की आय में बढ़ोतरी करने और रोजगार में बढ़ोतरी करने, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ खादी क्षेत्र को पुनर्जीवित करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेल knit (Well knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सहायता सुधार पर विचार किया गया है।

v) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम में उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित करने, उत्पादन विकास, गुणवत्ता सुधार, उन्नत विपणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इत्यादि में आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना है।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों ने देश में वांछित परिणाम प्राप्त किए हैं जिनका केवीआई क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार सृजन और बिक्री की वर्धित प्रवृत्ति से अवलोकन किया जा सकता है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का ब्योरा अनुबंध-I में दिया गया है।

खादी कारीगरों की कताई मजदूरी को दिनांक 01.04.2017 से 4.00 रुपये से संशोधित कर 5.00 रु. प्रति हैंक कर दिया गया है तथा आगे दिनांक 26.12.2017 से 5.50 रुपये से बढ़ाकर 7.50 रु. प्रति हैंक किया गया है। इसके अतिरिक्त, कारीगरों के साथ उत्पादों पर अर्जित अतिरिक्त मार्जिनों को अर्जित करने के उद्देश्य से नये तंत्र अर्थात् "बेनेफिट चार्ट" के अंतर्गत अपने कारीगरों की खादी बिक्री पर अर्जित मार्जिन को आगे बढ़ाने की भी अनुमति खादी संस्थानों को दी जाती है।

(ग) विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान केवीआईसी द्वारा किए गए निधि आबंटन एवं उपयोग का स्कीम वार ब्योरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश भर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-कृषि क्षेत्र में स्थापित सूक्ष्म उद्यमों एवं कृषि उद्योगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुबंध-III में दी गई है।

(ङ) आरंभ से 30.06.2018 तक ऐसे उद्यमों/उद्योगों को स्थापित करने के लिए पीएमईजीपी के तहत दी गई सब्सिडी राशि 10412.09 करोड़ रु. है।

(च) केवीआईसी देश भर में पीएमईजीपी स्कीम को कार्यान्वित करने वाली राष्ट्र स्तरीय नोडल एजेंसी हैं। शीघ्र एवं ऑनलाइन निवारण के लिए केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी के लिए एक ऑनलाइन शिकायत हैंडलिंग प्रणाली स्थापित की गई है। विभिन्न राज्यों से पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण का भुगतान न करने, ऋण स्वीकृत करने में विलम्ब एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में केवीआईसी द्वारा शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों का निवारण केवीआईसी तथा इसके राज्य कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

(छ) देश में खादी क्षेत्र के संवर्धन के लिए तथा कतिनों/बुनकरों के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

Annexure-I referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 876 for answer on 23.07.2018

i) Performance Overview of Khadi and Village Industries

Sr. No	Particulars	2015-16	2016-17	2017-18 (P)	2018-19(P) (upto 30.6.2018)
A.	Production(Rs. in crore)				
1.	Textile (Khadi + Poly + Solarvastra)	1158.44	1520.83	1624.86	305.39
2.	Village Industries	33331.78	41110.26	47471.20	8657.23
	Total-A	34490.22	42631.09	49096.06	8962.62
B.	Sales(Rs. in crore)				
1.	Textile (Khadi + Poly + Solarvastra)	1663.98	2146.60	2508.50	231.05
2.	Village Industries	40230.58	49991.61	57942.78	11958.50
	Total-B	41894.56	52138.21	60451.28	12189.55
C.	Employment (in lakh persons)				
1.	Textile (Khadi + Poly + Solarvastra)	11.57	4.56	4.56	4.58
2.	Village Industries	126.76	131.84	135.92	136.00
	Total-C	138.33	136.40	140.48	140.58

ii) Workshed Scheme

Year	No. of workshed for artisans
2015-16	1279
2016-17	3272
2017-18 (P)	1825
2018-19 (P)(upto 30.6.2018)	-

iii) Market Promotion and Development Assistance (MPDA) scheme

Year	MDA paid (Rs. in crore)	No. of Inst. benefited	No. of Artisans benefited
2015-16	189.87	1877	Released through KIs
2016-17	325.25	1778	192383
2017-18 (P)	187.10	1466	364826
2018-19 (P)(upto 30.6.2018)	22.76	168	20875

iv) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) scheme

(Rs. in crore)

Year	ISEC Issued	ISEC Aailed	Int. subsidy released
2015-16	949.68	422.79	40.07
2016-17	1435.71	517.92	36.39
2017-18 (P)	1702.83	575.27	35.85
2018-19 (P)(upto 30.6.2018)	917.53	319.92	3.75

v) Scheme for Strengthening of Infrastructure of Existing Weak Khadi Institutions and Assistance for Marketing Infrastructure

Year	No. of KIs assisted	No. of sales outlets assisted
2015-16	15	15
2016-17	35	117
2017-18 (P)	35	-
2018-19 (P)(upto 30.6.2018)	-	-

P-Provisional

दिनांक 23.07.2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 876 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

i) खादी और ग्रामोद्योग के कार्यनिष्पादन का अवलोकन

क्र. सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18 (अं.)	2018-19 (अं.) (30.6.2018 तक)
क.	उत्पादन				
1.	वस्त्र (खादी + पॉलि + सोलरवस्त्र)	1158.44	1520.83	1624.86	305.39
2.	ग्रामोद्योग	33331.78	41110.26	47471.20	8657.23
	कुल-क	34490.22	42631.09	49096.06	8962.62
ख.	बिक्री				
1.	वस्त्र (खादी + पॉलि + सोलरवस्त्र)	1663.98	2146.60	2508.50	231.05
2.	ग्रामोद्योग	40230.58	49991.61	57942.78	11958.50
	कुल-ख	41894.56	52138.21	60451.28	12189.55
ग.	रोजगार (व्यक्ति लाख में)				
1.	वस्त्र (खादी + पॉलि + सोलरवस्त्र)	11.57	4.56	4.56	4.58
2.	ग्रामोद्योग	126.76	131.84	135.92	136.00
	कुल-ग	138.33	136.40	140.48	140.58

ii) वर्कशेड स्कीम

वर्ष	कारीगरों के लिए वर्कशेड की संख्या
2015-16	1279
2016-17	3272
2017-18 (अं.)	1825
2018-19 (अं.)(30.6.2018 तक)	-

iii) बाजार संवर्धन और विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए)

वर्ष	एमडीए भुगतान (रु. करोड़ में)	लाभान्वित संस्थाओं की संख्या	लाभान्वित कारीगरों की संख्या
2015-16	189.87	1877	खादी संस्थानों के माध्यम से जारी
2016-17	325.25	1778	192383
2017-18 (अं.)	187.10	1466	364826
2018-19 (अं.)(30.6.2018तक)	22.76	168	20875

iv) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक) स्कीम (रु. करोड़ में)

वर्ष	जारी आईसेक	प्राप्त आईसेक	जारी ब्याज सब्सिडी
2015-16	949.68	422.79	40.07
2016-17	1435.71	517.92	36.39
2017-18 (अं.)	1702.83	575.27	35.85
2018-19 (अं.)(30.6.2018 तक)	917.53	319.92	3.75

v) मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत सुविधा का सुदृढीकरण और विपणन सुविधा के लिए स्कीम

वर्ष	सहायता प्राप्त खादी संस्थानों की संख्या	सहायता प्राप्त बिक्री केन्द्रों की संख्या
2015-16	15	15
2016-17	35	117
2017-18 (अं.)	35	-
2018-19 (अं.)(30.6.2018 तक)	-	-

Annexure-II

Annexure-II referred to in reply to part (c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 876 for answer on 23.07.2018

Scheme-wise details of funds allocation and utilization made by KVIC during last three years and current year

(Rs. in crore)

Name of the Scheme	2015-16		2016-17		2017-18 (Provisional)		2018-19 (upto 30.05.2018)	
	Budget Allocation (RE)	Fund disbursement	Budget Allocation (RE)	Fund disbursement	Budget Allocation (RE)	Fund disbursement	Budget Allocation (BE)	Fund disbursement
Khadi Grant	136.40	168.47	30.00	31.13	19.39	23.80	40.55	0.04
MPDA	-	-	341.53	335.40	328.31	187.10	340.00	19.28
ISEC	40.07	53.02	49.50	36.39	38.00	39.12	50.00	3.66
V.I. Grant	40.00	56.45	34.37	31.27	70.00	75.07	110.00	11.76
PMEGP	1275.68	1300.36	1120.00	1325.87	1195.00	1174.44	1800.64	190.01
KRDP (ADB Assistance)	66.50	35.61	5.00	9.74	372.80	226.65	80.03	1.87

दिनांक 23.07.2018 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 876 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केवीआईसी द्वारा किया गया निधि आबंटन और उपयोग का स्कीम वार ब्योरा

(रु. करोड़ में)

स्कीम का नाम	2015-16		2016-17		2017-18 (अनंतिम)		2018-19 (30.05.2018 तक)	
	बजट आबंटन (आरई)	निधि संवितरण	बजट आबंटन (आरई)	निधि संवितरण	बजट आबंटन (आरई)	निधि संवितरण	बजट आबंटन (बीई)	निधि संवितरण
खादी अनुदान	136.40	168.47	30.00	31.13	19.39	23.80	40.55	0.04
एमपीडीए	-	-	341.53	335.40	328.31	187.10	340.00	19.28
आइसेक	40.07	53.02	49.50	36.39	38.00	39.12	50.00	3.66
ग्रामोद्योग अनुदान	40.00	56.45	34.37	31.27	70.00	75.07	110.00	11.76
पीएमईजीपी	1275.68	1300.36	1120.00	1325.87	1195.00	1174.44	1800.64	190.01
केआरडीपी (एडीबी सहायता)	66.50	35.61	5.00	9.74	372.80	226.65	80.03	1.87

Annexure-III referred to in reply to part (d) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 876 for answer on 23.07.2018

State-wise position of PMEGP during 2015-16

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu & Kashmir	4006.80	3781.19	2207	12115
2	Himachal Pradesh	1721.57	1767.26	1077	5134
3	Punjab	3026.80	2902.97	966	7762
4	UT Chandigarh	90.00	87.72	43	323
5	Uttarakhand	1909.93	1740.86	1136	6161
6	Haryana	3747.40	3112.09	1248	7232
7	Delhi	257.35	254.05	256	2048
8	Rajasthan	4188.14	4384.07	1988	14537
9	Uttar Pradesh	17535.32	14456.87	4365	43059
10	Bihar	7118.59	6588.55	2430	19624
11	Sikkim	227.38	186.11	110	397
12	Arunachal Pradesh	200.08	38.85	35	104
13	Nagaland	1255.83	1392.81	623	4998
14	Manipur	2855.92	1213.98	685	2715
15	Mizoram	924.99	1026.35	1134	9072
16	Tripura	2748.26	945.84	642	5355
17	Meghalaya	1250.62	1056.12	603	4824
18	Assam	4969.87	2869.74	3483	9026
19	West Bengal	4765.49	3400.65	1873	12746
20	Jharkhand	3462.64	3559.74	1839	12873
21	Odisha	6282.00	5736.32	2876	17629
22	Chhattisgarh	4303.80	2829.38	1277	9496
23	Madhya Pradesh	7729.40	8117.17	1979	16497
24	Gujarat*	6536.16	6339.73	1419	14960
25	Maharashtra **	9718.42	5285.03	2497	20161
26	Andhra Pradesh	4496.85	2262.37	642	7740
27	Telangana	2094.00	2217.57	660	7761
28	Karnataka	10846.89	5898.01	2140	17284
29	Goa	159.40	165.43	91	500
30	Lakshadweep	90.00	0.00	0	0
31	Kerala	2731.60	2720.48	1369	9653
32	Tamil Nadu	7110.80	5497.54	2463	20836
33	Puducherry	100.00	106.37	65	447
34	Andaman & Nicobar Islands	158.00	65.11	119	293
	TOTAL	128620.30	102006.33	44340	323362

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

दिनांक 18.07.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- III

वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी# (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	जम्मू और कश्मीर	4006.80	3781.19	2207	12115
2	हिमाचल प्रदेश	1721.57	1767.26	1077	5134
3	पंजाब	3026.80	2902.97	966	7762
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	90.00	87.72	43	323
5	उत्तराखंड	1909.93	1740.86	1136	6161
6	हरियाणा	3747.40	3112.09	1248	7232
7	दिल्ली	257.35	254.05	256	2048
8	राजस्थान	4188.14	4384.07	1988	14537
9	उत्तर प्रदेश	17535.32	14456.87	4365	43059
10	बिहार	7118.59	6588.55	2430	19624
11	सिक्किम	227.38	186.11	110	397
12	अरुणाचल प्रदेश	200.08	38.85	35	104
13	नागालैंड	1255.83	1392.81	623	4998
14	मणिपुर	2855.92	1213.98	685	2715
15	मिजोरम	924.99	1026.35	1134	9072
16	त्रिपुरा	2748.26	945.84	642	5355
17	मेघालय	1250.62	1056.12	603	4824
18	असम	4969.87	2869.74	3483	9026
19	पश्चिम बंगाल	4765.49	3400.65	1873	12746
20	झारखंड	3462.64	3559.74	1839	12873
21	ओडिशा	6282.00	5736.32	2876	17629
22	छत्तीसगढ़	4303.80	2829.38	1277	9496
23	मध्य प्रदेश	7729.40	8117.17	1979	16497
24	गुजरात*	6536.16	6339.73	1419	14960
25	महाराष्ट्र**	9718.42	5285.03	2497	20161
26	आन्ध्र प्रदेश	4496.85	2262.37	642	7740
27	तेलंगाना	2094.00	2217.57	660	7761
28	कर्नाटक	10846.89	5898.01	2140	17284
29	गोवा	159.40	165.43	91	500
30	लक्षद्वीप	90.00	0.00	0	0
31	केरल	2731.60	2720.48	1369	9653
32	तमिलनाडु	7110.80	5497.54	2463	20836
33	पुडुचेरी	100.00	106.37	65	447
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	158.00	65.11	119	293
	कुल	128620.30	102006.33	44340	323362

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियाँ सहित।

* दमण और दीव सहित।

** दादरा एवं नगर हवेली सहित।

State-wise position of PMEGP during 2016-17

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu& Kashmir	3541.26	2621.40	1492	11691
2	Himachal Pradesh	1970.11	2185.27	941	6916
3	Punjab	3504.09	3181.60	1266	9858
4	UT Chandigarh	100	82.84	47	376
5	Uttarakhand	2140.93	2122.33	1345	9890
6	Haryana	3371.31	3383.53	1377	11016
7.	Delhi	300	182.41	119	952
8	Rajasthan	5500.99	4641.6	1749	13408
9	Uttar Pradesh	12981.52	14271.05	4074	36315
10	Bihar	6909.77	8336.51	3234	25872
11	Sikkim	200	35.93	27	201
12	Arunachal Pradesh	500	440.34	301	1984
13	Nagaland	1751.68	2007.48	1018	7783
14	Manipur	1741.7	2162.78	1265	8419
15	Mizoram	1253.49	491.96	425	3400
16	Tripura	1578.62	3734.66	2297	17961
17	Meghalaya	1748.1	407.89	329	2632
18	Assam	5636.41	4910.38	6028	31498
19	West Bengal	3680.3	6270.32	3528	26604
20	Jharkhand	4165.73	2654.35	1300	10400
21	Odisha	5201.65	6848.96	3029	20392
22	Chhattisgarh	4493.3	4070.73	1598	12856
23	Madhya Pradesh	8527.32	8346.06	1940	15520
24	Gujarat*	5398.45	7561.61	1386	11629
25	Maharashtra **	6111.29	6001.36	2325	17799
26	Andhra Pradesh	2336.59	4916.08	1357	14148
27	Telangana	2004.86	2561.72	664	6445
28	Karnataka	4941.62	11609.56	3575	30286
29	Goa	371.62	191.44	90	660
30	Lakshadweep	50	00	00	00
31	Kerala	2446.06	3350.68	1584	13068
32	Tamil Nadu	5291.23	8213.92	2941	25764
33	Puducherry	150	103.65	66	699
34	Andaman & Nicobar Islands	100	193.46	195	1398
	TOTAL	110000	128093.86	52912	407840

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित मार्जिन मनी सव्सिडी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सव्सिडी# (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	जम्मू और कश्मीर	3541.26	2621.40	1492	11691
2	हिमाचल प्रदेश	1970.11	2185.27	941	6916
3	पंजाब	3504.09	3181.60	1266	9858
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	100	82.84	47	376
5	उत्तराखंड	2140.93	2122.33	1345	9890
6	हरियाणा	3371.31	3383.53	1377	11016
7	दिल्ली	300	182.41	119	952
8	राजस्थान	5500.99	4641.6	1749	13408
9	उत्तर प्रदेश	12981.52	14271.05	4074	36315
10	बिहार	6909.77	8336.51	3234	25872
11	सिक्किम	200	35.93	27	201
12	अरुणाचल प्रदेश	500	440.34	301	1984
13	नागालैंड	1751.68	2007.48	1018	7783
14	मणिपुर	1741.7	2162.78	1265	8419
15	मिजोरम	1253.49	491.96	425	3400
16	त्रिपुरा	1578.62	3734.66	2297	17961
17	मेघालय	1748.1	407.89	329	2632
18	असम	5636.41	4910.38	6028	31498
19	पश्चिम बंगाल	3680.3	6270.32	3528	26604
20	झारखंड	4165.73	2654.35	1300	10400
21	ओडिशा	5201.65	6848.96	3029	20392
22	छत्तीसगढ़	4493.3	4070.73	1598	12856
23	मध्य प्रदेश	8527.32	8346.06	1940	15520
24	गुजरात*	5398.45	7561.61	1386	11629
25	महाराष्ट्र**	6111.29	6001.36	2325	17799
26	आन्ध्र प्रदेश	2336.59	4916.08	1357	14148
27	तेलंगाना	2004.86	2561.72	664	6445
28	कर्नाटक	4941.62	11609.56	3575	30286
29	गोवा	371.62	191.44	90	660
30	लक्षद्वीप	50	00	00	00
31	केरल	2446.06	3350.68	1584	13068
32	तमिलनाडु	5291.23	8213.92	2941	25764
33	पुडुचेरी	150	103.65	66	699
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	193.46	195	1398
	कुल	110000	128093.86	52912	407840

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित।

* दमण और दीव सहित।

** दादरा एवं नगर हवेली सहित।

State-wise position of PMEGP during 2017-18

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu & Kashmir	3272.84	6913.15	3753	30024
2	Himachal Pradesh	1785.19	2042.5	886	7088
3	Punjab	3272.84	3930.46	1520	12160
4	UT Chandigarh	100.00	90.07	45	360
5	Uttarakhand	1933.95	2880.98	1613	12904
6	Haryana	3272.84	4167.04	1718	13744
7	Delhi	300.00	150.65	115	920
8	Rajasthan	4909.26	4929.04	1577	12614
9	Uttar Pradesh	11157.41	16866.47	5432	43456
10	Bihar	5653.09	6558.85	2307	18456
11	Sikkim	200.00	46.36	37	296
12	Arunachal Pradesh	500.00	309.42	209	1672
13	Nagaland	1728.96	2672.15	930	7440
14	Manipur	1434.32	1383.87	600	4800
15	Mizoram	1245.66	274.05	249	1992
16	Tripura	1283.75	1892.3	1116	8928
17	Meghalaya	1720.32	118.27	75	600
18	Assam	5351.99	2362.48	2282	18256
19	West Bengal	2975.31	3891.37	1366	10928
20	Jharkhand	3570.37	2439.53	1111	8888
21	Odisha	4462.97	5680.65	2399	19192
22	Chhattisgarh	4016.67	3398.4	1463	11704
23	Madhya Pradesh	7587.04	7631.41	1804	14432
24	Gujarat*	4909.26	12883.63	1876	15008
25	Maharashtra **	5355.56	8749.73	3329	26632
26	Andhra Pradesh	1933.95	5336.1	1527	12216
27	Telangana	4611.73	4030.21	1190	9520
28	Karnataka	4462.97	6477.94	2115	16920
29	Goa	297.53	149.07	50	400
30	Lakshadweep	100.00	00	00	00
31	Kerala	2082.72	2910.44	1347	10776
32	Tamil Nadu	4760.50	9717.58	4095	32760
33	Puducherry	100.00	78.95	44	352
34	Andaman & Nicobar Islands	100.00	276.95	218	1744
	TOTAL	100449	131240.07	48398	387184

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

वर्ष 2017-18 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित मार्जिन मनी सव्सिडी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सव्सिडी# (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	जम्मू और कश्मीर	3272.84	6913.15	3753	30024
2	हिमाचल प्रदेश	1785.19	2042.5	886	7088
3	पंजाब	3272.84	3930.46	1520	12160
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	100.00	90.07	45	360
5	उत्तराखंड	1933.95	2880.98	1613	12904
6	हरियाणा	3272.84	4167.04	1718	13744
7.	दिल्ली	300.00	150.65	115	920
8	राजस्थान	4909.26	4929.04	1577	12614
9	उत्तर प्रदेश	11157.41	16866.47	5432	43456
10	बिहार	5653.09	6558.85	2307	18456
11	सिक्किम	200.00	46.36	37	296
12	अरुणाचल प्रदेश	500.00	309.42	209	1672
13	नागालैंड	1728.96	2672.15	930	7440
14	मणिपुर	1434.32	1383.87	600	4800
15	मिजोरम	1245.66	274.05	249	1992
16	त्रिपुरा	1283.75	1892.3	1116	8928
17	मेघालय	1720.32	118.27	75	600
18	असम	5351.99	2362.48	2282	18256
19	पश्चिम बंगाल	2975.31	3891.37	1366	10928
20	झारखंड	3570.37	2439.53	1111	8888
21	ओडिशा	4462.97	5680.65	2399	19192
22	छत्तीसगढ़	4016.67	3398.4	1463	11704
23	मध्य प्रदेश	7587.04	7631.41	1804	14432
24	गुजरात*	4909.26	12883.63	1876	15008
25	महाराष्ट्र**	5355.56	8749.73	3329	26632
26	आन्ध्र प्रदेश	1933.95	5336.1	1527	12216
27	तेलंगाना	4611.73	4030.21	1190	9520
28	कर्नाटक	4462.97	6477.94	2115	16920
29	गोवा	297.53	149.07	50	400
30	लक्षद्वीप	100.00	00	00	00
31	केरल	2082.72	2910.44	1347	10776
32	तमिलनाडु	4760.50	9717.58	4095	32760
33	पुडुचेरी	100.00	78.95	44	352
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.00	276.95	218	1744
	कुल	100449	131240.07	48398	387184

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित।

* दमण और दीव सहित।

**दादरा एवं नगर हवेली सहित।

State-wise position of PMEGP during 2018-19 (as on 30.06.2018)

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	A & N Islands	188.64	50.85	37	296
2	Andhra Pradesh	3742.74	1489.96	392	3136
3	Arunachal Pradesh	471.6	153.84	104	832
4	Assam	10507.7	1153.43	1112	8896
5	Bihar	10869.49	1981.22	733	5864
6	Chhattisgarh	6339.11	1398.19	752	6016
7	Delhi	282.96	8.19	5	40
8	Goa	605.15	19.32	4	32
9	Gujarat*	7501.95	3271.57	454	3632
10	Haryana	4664.1	799.23	341	2728
11	Himachal Pradesh	2711.4	312.42	127	1016
12	Jammu & Kashmir	4745.12	2000.27	1111	8888
13	Jharkhand	6193.49	731.05	308	2464
14	Karnataka	6939.66	1925.29	695	5560
15	Kerala	3667.38	952.24	464	3712
16	Lakshadweep	47.16	0	0	0
17	Madhya Pradesh	11952.9	1200.25	304	2432
18	Maharashtra **	8833.6	2522.06	1093	8744
19	Manipur	2544.19	317.99	196	1568
20	Meghalaya	2653.7	90.19	66	528
21	Mizoram	2045.45	242.31	178	1424
22	Nagaland	2825.5	310.2	154	1232
23	Odisha	7719.19	1691.83	773	6184
24	Puducherry	141.48	9.66	6	48
25	Punjab	4617.17	678.86	309	2472
26	Rajasthan	7743.65	1563.39	542	4336
27	Sikkim	188.64	11.29	5	40
28	Tamil Nadu	7438.88	1204.57	574	4592
29	Telangana	7250.96	555.88	186	1488
30	Tripura	1965.99	453.34	233	1864
31	UT Chandigarh	94.32	15.66	7	56
32	Uttar Pradesh	19171.59	5147.15	1559	12472
33	Uttarakhand	2975.4	950.81	581	4648
34	West Bengal	6423.74	1468.1	478	3824
	TOTAL	166064	34680.61	13883	111064

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

वर्ष 2018-19 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति (30.06.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी# (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	188.64	50.85	37	296
2	आंध्र प्रदेश	3742.74	1489.96	392	3136
3	अरुणाचल प्रदेश	471.6	153.84	104	832
4	असम	10507.7	1153.43	1112	8896
5	बिहार	10869.49	1981.22	733	5864
6	छत्तीसगढ़	6339.11	1398.19	752	6016
7	दिल्ली	282.96	8.19	5	40
8	गोवा	605.15	19.32	4	32
9	गुजरात*	7501.95	3271.57	454	3632
10	हरियाणा	4664.1	799.23	341	2728
11	हिमाचल प्रदेश	2711.4	312.42	127	1016
12	जम्मू-कश्मीर	4745.12	2000.27	1111	8888
13	झारखंड	6193.49	731.05	308	2464
14	कर्नाटक	6939.66	1925.29	695	5560
15	केरल	3667.38	952.24	464	3712
16	लक्षद्वीप	47.16	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	11952.9	1200.25	304	2432
18	महाराष्ट्र **	8833.6	2522.06	1093	8744
19	मणिपुर	2544.19	317.99	196	1568
20	मेघालय	2653.7	90.19	66	528
21	मिजोरम	2045.45	242.31	178	1424
22	नगालैंड	2825.5	310.2	154	1232
23	ओडिशा	7719.19	1691.83	773	6184
24	पुडुचेरी	141.48	9.66	6	48
25	पंजाब	4617.17	678.86	309	2472
26	राजस्थान	7743.65	1563.39	542	4336
27	सिक्किम	188.64	11.29	5	40
28	तमिलनाडु	7438.88	1204.57	574	4592
29	तेलंगाना	7250.96	555.88	186	1488
30	त्रिपुरा	1965.99	453.34	233	1864
31	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	94.32	15.66	7	56
32	उत्तर प्रदेश	19171.59	5147.15	1559	12472
33	उत्तराखंड	2975.4	950.81	581	4648
34	पश्चिम बंगाल	6423.74	1468.1	478	3824
	कुल	166064	34680.61	13883	111064

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित।

* दमण और दीव सहित।

**दादरा एवं नगर हवेली सहित।

Annexure-IV referred to in reply to part (g) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 876 for answer on 23.07.2018

The steps taken by the Government for promotion of Khadi Sector and to ensure adequate remuneration to spinners/weavers in the country are as follows:

1. Liberal policy has been adopted to fix the target of production and sales of Khadi Institutions.
2. KVIC has been catering to the need of Government Departments and bulk buyers such as, Defence, Health & Family Welfare Departments, Paramilitary Forces and other Ministries of Central & State Government under Rate Contract (RC) agreement with Directorate General of Supplies & Disposals (DGS&D) as well as supply of Non Rate Contract (Non-RC) items like Polyvastra bed sheets and pillow covers to Railways, etc.
3. One of the key interventions under reform programme is the development and implementation of the Khadi Mark. The Khadi Mark was launched by the President of India in September 2013 subsequent to notification of the Khadi Certification Regulations 2013. The Khadi Mark not only guarantees the genuineness of Khadi products but also promote Khadi as a brand that connotes social, cultural, and environmental values.
4. KVIC engaged fashion designer of national and international repute for Fashion Designing to make Khadi products more competitive and appealing in the domestic as well as overseas market segment.
5. Tie up arrangement with premier institutions like Federation of Indian Export Organization (FIEO), World Trade Centre (WTC), Indian Trade Promotion Organization (ITPO), Trade Promotion Council of India etc., for invigorating business opportunities in the overseas market by conducting exhibitions and workshops for Khadi Institutions.
6. A MoU was signed between KVIC and Aditya Birla Fashion & Retail Ltd. (ABFRL), Raymond and Arvind Mills for sale of Khadi fabric in country and abroad.
7. KVIC has entered into an agreement with M/s. GLOBUS a retail clothing stores chain having its HO in Mumbai for setting up of Khadi Komer a shop in shop concept initially in Globus Showroom at Noida, followed by Globus showroom in Chennai and Ahmedabad.
8. Setting up of modern Khadi Lounge with exquisite Khadi designer garments and V.I. products for making shopping Khadi a pleasure.
9. Launching of franchise scheme to expand the sales distribution network with zero investment.
10. Tie up with e-Commerce platform for on-line marketing through e-Commerce companies like Paytm, Aarmart.
11. Special efforts to attract youth by introducing attractive T-shirts, Khadi jeans, jackets, kurtis, etc. as well as launching a range of casual wear called vicharvastra specially designed by Ms. Ritu Beri.
12. Opening of sales outlets at domestic as well as international airports like Visakhapatnam, Lucknow, Ahmedabad, etc.
13. Introducing store app through mobile application to facilitate the customers to locate the Khadi India sales outlet at various geographical location to increase foot falls at various stores under Khadi sector.
14. Introduction of pre-paid Gift Voucher Scheme for corporate gifting including PSU and Government Departments.

दिनांक 23.07.2018 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.876 भाग (छ) के उत्तर में उल्लिखित
अनुबंध-IV

देश में कतिनों/बुनकरों को पर्याप्त पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए और खादी क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. खादी संस्थाओं के उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उदार नीति अपनाई गई है।
2. केवीआईसी आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के साथ दर संविदा (आरसी) समझौते के अन्तर्गत रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों, अर्धसैनिक बलों और केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं रेलवे इत्यादि को पॉलीवस्त्र बेडशीट और तकियों के कवरों जैसी गैर- दर संविदा (नॉन-आरसी) मदों की आपूर्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता आ रहा है।
3. सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक खादी मार्क का विकास और कार्यान्वयन है। खादी मार्क का खादी प्रमाणन विनियम की अधिसूचना के 2013 बाद सितम्बर 2013 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा शुभारंभ किया गया। खादी मार्क खादी उत्पादों की प्रामाणिकता की न केवल गारंटी देता है बल्कि ब्रांड के रूप में खादी को बढ़ावा देता है जो सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरण मूल्यों का संकेत करता है।
4. केवीआईसी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षेत्रों में खादी को अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनाने के लिए फैशन डिजाइनिंग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैशन डिजाइनर को लगाया गया।
5. खादी संस्थाओं हेतु प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं का आयोजन विदेशी बाजार में व्यवसाय अवसरों को पुष्ट करने के लिए भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ), विश्व व्यापार केंद्र (डब्ल्यूटीसी), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद् आदि जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ टाईअप किया।
6. देश और विदेश में खादी की बिक्री के लिए केवीआईसी और आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (एबीएफआरएल), रेमंड और अरविंद मिल्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
7. केवीआईसी ने चेन्नई और अहमदाबाद में ग्लोबल शोरूम की स्थापना के बाद नोएडा में ग्लोबस शोरूम खादी कॉर्नर दुकान के भीतर दुकान की स्थापना की अवधारणा के लिए बम्बई स्थित अपने मुख्यालय वाले खुदरा क्लॉथिंग स्टोर मैसर्स ग्लोबस के साथ समझौता किया है।
8. उत्कृष्ट खादी डिजाइनर वस्त्रों तथा खादी की बिक्री आनंदायी करने के लिए ग्रामोद्योग उत्पादों के साथ आधुनिक खादी लाउन्ज की स्थापना।
9. जीरो निवेश से खादी वितरण नेटवर्क बढ़ाने के लिए फ्रैंचाइज स्कीम का शुभारंभ।
10. पेटीएम, आरमार्ट कंपनियों के माध्यम से ऑनलाइन विपणन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ टाईअप।
11. आकर्षक टीशर्ट-, खादी जींस, जैकेट कुर्ती आदि शुरू कर युवाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न तथा मिस ऋतुबेरी द्वारा विशेष रूप से डिजाइन की गई विचार वस्त्र नामक कैजुअल वेयर की रेंज की प्रारंभ करना।
12. विशाखापत्तनम, लखनऊ, अहमदाबाद आदि जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बिक्री केंद्रों को खोलना।
13. खादी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्टोर में फुट फाल्स को बढ़ाने के लिए विभिन्न भौगोलिक स्थानों में खादी इंडिया बिक्री केंद्रों का पता लगाने हेतु ग्राहकों को सुसाध्य बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्टोर एप शुरू करना।
14. पीएसयू तथा सरकारी विभागों सहित कॉरपोरेट गिफ्टिंग के लिए प्रीपेड गिफ्ट वाउचर स्कीम शुरू करना।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 880
TO BE ANSWERED ON 23.07.2018

JOB PORTAL FOR MSME SECTOR

880. DR. PRITAM GOPINATH MUNDE:
SHRI SHRIRANG APPA BARNE:
SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO:
SHRI ANANDRAO ADSUL:
SHRI DHARMENDRA YADAV:
SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state :

- (a) whether the Government has decided to create awareness about the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector at the national level;
- (b) if so, the details thereof including the steps taken by the Government for creating knowledge, marketing, technical and financial handholding at the grass-root level and the success achieved in this regard so far;
- (c) whether the Government had organised conclave to encourage dialogue and partnerships among various stakeholders of the MSME sector and if so, the details and the outcome thereof;
- (d) whether the Government has launched any job portal to bridge the skill gap and resolve unemployment problem in the country; and
- (e) if so, the details thereof and the extent to which it has been helpful in resolving unemployment problem in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) & (b): The schemes of the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) have a component of awareness generation. These schemes are implemented through Khadi and Village Industries Commission (KVIC), Coir Board, National Small Industries Corporation (NSIC) and the Office of Development Commissioner (MSME) to cater to various requirements of MSMEs, such as access to knowledge, markets, technologies and finance, handholding support etc. The major schemes of the Ministry are Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), Marketing Assistance, Skill & Entrepreneurship Development Programmes and services offered through Tool Rooms & Technical Institutions.

(c): Yes madam. National MSME Conclave (Udyam Sangam 2018) was organized on 27.06.2018 and stakeholders from various fields and parts of the country participated in it and had dialogue on various aspects of MSME Ecosystem. In addition, under National SC/ST Hub (NSSH) scheme, conclaves are being organized at different locations of the country for coalescing efforts to build better ecosystem for SC/ST owned MSMEs. These conclaves have resulted in awareness about NSSH, Public Procurement Policy and various other schemes of the Ministry of MSME.

(d) & (e): Yes madam. A job portal called "MSME Sampark" has been launched. This portal is a digital platform wherein jobseekers (i.e. passed out trainees / students of MSME Technology Centres) and recruiters can register themselves for mutually beneficial interaction.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 880
उत्तर देने की तारीख : 23.07.2018

एमएसएमई क्षेत्र हेतु जॉब पोर्टल

880. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:
श्री श्रीरंगा आप्पा बारणे:
श्री आधलराय शिवाजीराव पाटील:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मन्द्र यादव:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बारे में जागरूकता निर्मित करने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर ज्ञान निर्माण, विपणन, तकनीकी और वित्तीय ज्ञान निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है;
- (ग) क्या सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न पणधारकों के मध्य वार्ता और भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु कोई कॉन्क्लेव आयोजित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;
- (घ) क्या सरकार ने कौशल अंतर को कम करने और देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु कोई जॉब पोर्टल प्रारंभ किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में यह कहां तक उपयोगी रहा है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की योजनाओं में जागरूकता सृजन एक घटक है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कथर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा एमएसएमई की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे सूचना, बाजार, प्रौद्योगिकी और वित्त तक पहुँच, हैंडहोल्डिंग सहयोग आदि के लिए किया जाता है। मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), विपणन सहायता, कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम और टूल रूम एवं तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाएं शामिल हैं।

(ग): जी, हां। राष्ट्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव (उद्यम संगम 2018) का आयोजन 27.06.2018 को किया गया था और इसमें देश के विभिन्न भागों और विभिन्न क्षेत्रों से हितधारकों ने भाग लिया तथा एमएसएमई इको सिस्टम के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना के तहत, देश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसएमई के लिए बेहतर इको सिस्टम निर्मित करने के संगठित प्रयासों के लिए सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन सम्मेलनों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब, सार्वजनिक खरीद नीति और एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा हुई है।

(घ) और (ङ): जी, हां। "एमएसएमई संपर्क" नामक एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें रोजगार के इच्छुक (अर्थात् एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के उत्तीर्ण प्रशिक्षु/छात्र) और नियोजित पारस्परिक रूप से लाभप्रद बातचीत के लिए स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 901
TO BE ANSWERED ON 23.07.2018

SCHEME FOR FOREST BASED INDUSTRY

901. SHRI SUNIL KUMAR SINGH:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Government is running any scheme aimed at promoting forest produce based industry and if so, the details thereof;
- (b) whether the Government is making any efforts to promote cottage industry to boost the economy in rural areas and if so, the details thereof including any scheme being implemented in this regard;
- (c) whether the Government has any scheme to provide/proposes to provide employment through cottage industries in the backward & tribal dominated areas of Jharkhand; and
- (d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is implementing Honey (Beekeeping) Mission under forest based industry group of Village Industries with the objective of enhancing income to farmers/beekeepers and tribal people. Under this programme, training is given to the persons and after training, 10 bee boxes are provided to each trained artisan.

During the year 2018-19, a provision of Rs. 63.35 crore has been made to train and provide 1,31,000 bee boxes to 13,100 persons.

The unemployed persons can get benefit of Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) to establish their own units including units under forest based group of industries viz. Fibre products manufacturing, handmade paper products, cane and bamboo etc.

(b) to (d): To provide employment through cottage industry and to boost the economy in rural areas of the country, including the backward and tribal dominated areas of Jharkhand, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and Coir Board are implementing the following schemes:

i) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a credit linked subsidy scheme, for setting up of new micro-enterprises and to generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through KVIC, State Khadi & Village Industries Board (KVIB) and District Industries Centre (DIC). General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SC/ST/Women/PH/Minorities/Ex-Servicemen/NER, the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of projects is Rs.25 lakh in the manufacturing sector and Rs.10 lakh in the service sector.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 901
उत्तर देने की तारीख 23.07.2018

वन आधारित उद्योग हेतु योजना

901. श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वन्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना चला रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ग) क्या सरकार की झारखंड के पिछड़े और जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना है/योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) किसानों, मधुमक्खी पालकों तथा जनजातीय लोगों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामोद्योग के वन आधारित उद्योग समूहों के अंतर्गत शहद (मधुमक्खी पालन) मिशन कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण उपरांत प्रत्येक प्रशिक्षित कारीगर को 10 मधुमक्खी बॉक्स दिए जाते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 13,100 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने तथा 1,31,000 मधुमक्खी बॉक्स देने के लिए 63.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बेरोजगार व्यक्ति वन आधारित उद्योग समूह अर्थात् फाइबर उत्पाद विनिर्माण, हस्तनिर्मित कागज उत्पाद, बेंत एवं बाँस आदि के अंतर्गत इकाइयां सहित अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का लाभ ले सकते हैं।

(ख) से (घ): कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार देने तथा झारखंड के पिछड़े एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कयर बोर्ड निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहे हैं:

i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

ii) Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) from 2005-06 for making Traditional Industries more productive and competitive by organizing the Traditional Industries and artisans into clusters. The Scheme envisages providing need-based assistance for replacement of production equipment, setting up of common facility centres (CFC), product development, quality improvement, improved marketing, training and capacity building etc.

iii) A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE) was launched on 18.3.2015 to promote Innovation and Rural Entrepreneurship through rural Livelihood Business Incubator (LBI), Technology Business Incubator (TBI) and Fund of Funds for start-up creation.

I. Khadi and Village Industries Commission (KVIC):

i) Market Promotion Development Assistance (MPDA) – A unified scheme by merging Market Development Assistance, Publicity, Marketing and Market Promotion. A new component of Infrastructure namely setting up of Marketing Complexes /Khadi Plazas has been added to expand the marketing network of Khadi& VI products. Under the Modified MDA (MMDA) financial assistance at 30% of the Prime Cost, is distributed amongst Producing Institutions (40%), Selling Institutions (20%) and Artisans (40%).

ii) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme provides credit at concessional rate of interest through Banks as per the requirement of the Khadi institutions. The institutions are required to pay interest of only 4%, any interest charged by banks over 4% will be paid by the Government of India through KVIC to the banks.

iii) Workshed Scheme for Khadi Artisans was introduced in 2008-09 to provide financial assistance for construction of workshed to khadi artisans belonging to BPL category through the khadi institutions with which the khadi artisans are associated. This empowers khadi spinners and weavers to chart out a sustainable path for growth, income generation and better work environment.

iv) Strengthening infrastructure of weak Khadi institutions and assistance for marketing infrastructure: This scheme provides need-based support towards the Khadi sector for nursing the sick/problematic institutions elevated from “D” to “C” category as well as those whose production, sales and employment have been declining while they have potential to attain normalcy and to support creation of marketing infrastructure in other identified outlets. Under this scheme, financial assistance is provided to existing weak Khadi institutions for strengthening of their infrastructure and for renovation of selected khadi sales outlets.

v) Khadi Reform and Development Programme (KRDP) aims to revitalize the khadi sector with enhanced sustainability of khadi, increased incomes and employment for spinners and weavers, increased artisans’ welfare and to achieve synergy with village industries. Under KRDP, restructured amount of US\$ 105 million has been negotiated with Asian Development Bank (ADB) and funds are being provided to the Government of India to be released to KVIC as ‘grants-in-aid’ under budgetary allocation through the Ministry of MSME. Khadi Reform Package envisages reform support in the following areas: (i) Artisan Earnings and Empowerment, (ii) Direct Reform Assistance to 400 Khadi Institutions & (iii) Implementation of a well-knit MIS.

ii) परंपरागत उद्योगों के पुनसृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) परंपरागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित कर परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2005-06 में शुरू की गई थी। स्कीम में उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित करने, उत्पादन विकास, गुणवत्ता सुधार, उन्नत विपणन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इत्यादि में आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना है।

iii) नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) ग्रामीण आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (एलबीआई), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (टीबीआई) तथा स्टार्ट अप सृजन के लिए निधियों के कोष के माध्यम से नवप्रवर्तन एवं ग्रामीण उद्यमिता को संवर्धित करने के लिए दिनांक 18.03.2015 को शुरू की गई थी।

I. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

i) बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए)- बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम बनाई गई है। आधारभूत सुविधा के नये घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन नेटवर्क बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (40%), विक्रेता संस्थाओं (20%) तथा कारीगरों (40%) के बीच मूल लागत की 30% वितरित की जाती है।

ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइसेक) स्कीम में खादी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। संस्थाओं को मात्र 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत से अधिक प्रभारित ब्याज भारत सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से बैंकों को भुगतान किया जाएगा।

iii) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम खादी संस्थाएं जिनसे खादी कारीगर जुड़े हुए हैं, के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित खादी कारीगरों को वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 2008-09 में शुरू की गई थी। यह वृद्धि, आय सृजन तथा बेहतर कार्य वातावरण के लिए निरंतर पथ तैयार करने के लिए खादी कतिनों एवं बुनकरों को सशक्त बनाती है।

iv) कमजोर खादी संस्थाओं की आधारभूत सुविधा का सुदृढीकरण एवं विपणन आधारभूत सुविधा के लिए सहायता: इस स्कीम में 'घ' से 'ग' श्रेणी में उन्नत रूग्ण/समस्याग्रस्त संस्थाओं तथा वे जिनका उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार कम होते आ रहे हैं जबकि उनके पास सामान्यता(नॉर्मलसी) प्राप्त करने की संभावना है, का पालन-पोषण करने एवं अन्य चिन्हित बिक्री केन्द्रों में विपणन आधारभूत सुविधा के सृजन की सहायता हेतु खादी क्षेत्र के लिए आवश्यकता आधारित सहायता का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं को उनकी आधारभूत सुविधा के सुदृढीकरण एवं चयनित खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

v) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) का उद्देश्य खादी की वृद्धि को निरन्तर बनाए रखने, कतिनों (स्पिनरों) एवं बुनकरों की आय में बढोत्तरी करने और रोजगार में बढोत्तरी करने, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ खादी क्षेत्र को पुनर्जीवित करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करना है। केआरडीपी के अंतर्गत 105 मिलियन अमरीकी डॉलर की पुनर्संचित राशि का एशियन विकास बैंक (एडीबी) से प्रबंध किया गया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से बजटीय आवंटन के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में केवीआईसी को जारी किए जाने के लिए भारत सरकार को निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेल निट (Well knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सहायता सुधार पर विचार किया गया है।

II. Coir Board:

Coir Board is implementing the Coir Vikas Yojana to cater to the multiple developmental needs of coir industry. Interventions under the following components of the Scheme are taken up during the period from 2017-18 to 2019-20.

1. Skill Upgradation and Mahila Coir Yojana (MCY): Development of skilled manpower in coir industry in different facets of coir production and processing through appropriate training programmes, seminars, workshops, awareness programmes, exposure visits etc. is the major objective under Skill Upgradation and Mahila Coir Yojana (MCY). Only trainings to the unemployed women will be provided under Mahila Coir Yojana. EDP, National Seminar, Awareness programme, Workshop, Exposure Tour may also be provided under Mahila Coir Yojana. The financial assistance for procurement of equipments/machineries may be obtained under the PMEGP scheme by the trained women for setting up coir units. Priority will be given to the trained women under PMEGP. Under skill upgradation and Mahila Coir Yojana honorarium shall be kept as Rs.15, 000/-p.m. for trainer and Rs.3000/- p.m. for trainee subject to the norms of NSQF compliance.

2. Export Market Promotion (EMP): This programme is aimed towards developing and improving the export performance of Indian Coir Sector through various export market promotion activities such as participation in Buyer Seller Meet, sponsoring delegations, participation in seminars and conferences abroad, organising participation in international fairs, extending financial assistance to micro, small and medium enterprises and exporters, presenting Coir Industry Awards on an annual basis to recognize the outstanding performance in the areas of export, domestic trade, R&D, best performing units and co-operatives etc.

3. Domestic Market Promotion (DMP): This plan programme envisages the development of domestic market for coir and coir products through appropriate measures for popularization including publicity and propaganda. Participation in fairs/exhibitions organized by other agencies and organizing exclusive fairs for coir and coir goods within the country are also taken up as steps to popularize the technologies, schemes and services and to increase the awareness of coir products and to enhance its consumption inside the country. The grant provided under Market Development Assistance to State supported organizations and co-operatives to the tune of 10% of their average annual sales turnover of coir products for enlarging marketing network, improving the quality standards, product development / diversification, innovative marketing etc. The grant of MDA which is shared on 1:1 basis by the Central Government through Coir Board and the States / UTs concerned is a major activity under this component of the Scheme.

Apart from the above, national level exhibitions are organized and the Khadi and V.I. Institutions and entrepreneurs can sell their products through approximately 8058 sales outlets run by Khadi Institutions spread all over the country. The products can also be sold through 7 Departmental Sales Outlets (DSOs) of KVIC located at Mumbai, Kolkata, Ernakulum, Bhopal, Goa, Patna and Delhi.

During the year 2017-18, under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), 1111 beneficiaries benefitted in Jharkhand State. PMEGP Scheme targets for the year 2018-19 is placed at **Annexure-I**.

II. कयर बोर्ड

कयर बोर्ड कयर उद्योग की बहु विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कयर विकास योजना कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत इंटरवेंशनों को 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान शुरू किये जा रहे हैं।

1. कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (एमसीवाई): उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, जागरूकता कार्यक्रमों, एक्सपोजर दौरे, आदि के माध्यम से कयर उत्पादन एवं प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं में कयर उद्योग में कुशल जनशक्ति का विकास कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (एमसीवाई) के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य है। महिला कयर योजना के अंतर्गत बेरोजगार महिलाओं को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला कयर योजना के अंतर्गत ईडीपी, राष्ट्रीय संगोष्ठियों, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, एक्सपोजर दौरे भी महिला कयर योजना के अंतर्गत दिए जा सकते हैं। उपकरणों/मशीनरियों के प्रापण के लिए वित्तीय सहायता कयर इकाइयों की स्थापना के लिए प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत प्राप्त की जाती है। पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना के अंतर्गत एनएसक्यूएफ अनुपालन के मानकों के अधीन प्रशिक्षकों के लिए 15,000/- रूपए प्रतिमाह तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए 3,000/- रूपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में रखा जाएगा।

2. निर्यात बाजार संवर्धन (ईएमपी): इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्रेता विक्रेता बैठकों में भाग लेने, प्रतिनिधिमंडलों को प्रायोजित करने, विदेशी संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में भाग लेने, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एवं निर्यातकों को वित्तीय सहायता देने, निर्यात, घरेलू व्यापार, अनुसंधान एवं विकास, सर्वोत्तम कार्यनिष्पादक इकाइयों एवं सहकारी समितियों, आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन को मान्यता देने के लिए वार्षिक आधार पर कयर उद्योग पुरस्कार प्रदान करने जैसे विभिन्न निर्यात बाजार संवर्धन कार्यों के माध्यम से भारतीय कयर क्षेत्र के निर्यात कार्यनिष्पादन को विकसित कर सुधार करना है।

3. घरेलू बाजार संवर्धन (डीएमपी): इस योजना में प्रचार-प्रसार सहित लोकप्रिय बनाने के लिए उपयुक्त उपायों के माध्यम से कयर एवं कयर उत्पादों के लिए घरेलू बाजार के विकास पर विचार किया जाता है। अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी तथा देश के भीतर कयर एवं कयर वस्तुओं के लिए विशेष मेले का आयोजन, प्रौद्योगिकियों, स्कीमों और सेवाओं को लोकप्रिय बनाने एवं कयर उत्पादों की जागरूकता बढ़ाने तथा देश में इसकी खपत को बढ़ाने के लिए कदम भी उठाए जाते हैं। बाजार विकास सहायता के अंतर्गत प्रदत्त अनुदान राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संगठनों एवं सहकारी समितियों को विपणन नेटवर्क बढ़ाने, गुणता मानकों, उत्पाद विकास/विविधीकरण, नवप्रवर्तनकारी विपणन, आदि को सुधारने के लिए कयर उत्पादों की औसत वार्षिक बिक्री कारोबार के 10 प्रतिशत के बराबर राशि है। एमडीए का अनुदान जिसमें कयर बोर्ड एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से केन्द्र सरकार का 1:1 का हिस्सा होता है, स्कीम के इस घटक के अंतर्गत प्रमुख कार्यकलाप हैं।

उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं तथा खादी और ग्रामोद्योग संस्थाएं एवं उद्यमी देश भर में फैली खादी संस्थाओं द्वारा चालित लगभग 8058 बिक्री केंद्रों के माध्यम से अपने उत्पादन बेच सकती हैं। उत्पादों को मुम्बई, कोलकाता, एर्नाकुलम, भोपाल, गोवा, पटना तथा दिल्ली स्थित केवीआईसी के 7 विभागीय बिक्री केंद्रों (डीएसओ) के माध्यम से भी बेचा जा सकता है।

वर्ष 2017-18 वर्ष के दौरान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत, 1111 लाभार्थियों ने झारखंड राज्य में लाभ उठाया। वर्ष 2018-19 के लिए पीएमईजीपी स्कीम के लक्ष्य अनुबंध-I में दिए गए हैं।

Annexure-I referred to in reply to part (b) to (d) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 901 for answer on 23.07.2018

Target under PMEGP for the year 2018-19

(Rs. in lakhs)

Sr. No.	State/UT	TARGET		
		Projects	Margin Money	Employment
1	Jammu & Kashmir	1898	4745.12	15184
2	Himachal Pradesh	1085	2711.40	8676
3	Punjab	1847	4617.17	14775
4	U.T. Chandigarh	94	94.32	755
5	Haryana	1866	4664.10	14925
6	Delhi	113	282.96	905
7	Rajasthan	3097	7743.65	24776
8	Uttarakhand	1190	2975.40	9521
9	Uttar Pradesh	7669	19171.59	61352
10	Chhattisgarh	2536	6339.11	20285
11	Madhya Pradesh	4781	11952.90	38249
12	Sikkim	75	188.64	604
13	Arunachal Pradesh	189	471.60	1509
14	Nagaland	1130	2825.50	9042
15	Manipur	1018	2544.19	8141
16	Mizoram	818	2045.45	6545
17	Tripura	786	1965.99	6291
18	Meghalaya	1061	2653.70	8492
19	Assam	4203	10507.70	33624
20	Bihar	4348	10869.49	34782
21	West Bengal	2569	6423.74	20556
22	Jharkhand	2477	6193.49	19819
23	Odisha	3088	7719.19	24701
24	A & N Islands	189	188.64	1509
25	Gujarat*	2993	7501.95	24006
26	Maharashtra**	3543	8833.60	28274
27	Goa	242	605.15	1936
28	Andhra Pradesh	1497	3742.74	11974
29	Telangana	2900	7250.96	23203
30	Karnataka	2776	6939.66	22207
31	Lakshadweep	47	47.16	377
32	Kerala	1467	3667.38	11736
33	Tamil Nadu	2976	7438.88	23808
34	Puducherry	141	141.48	1132
	TOTAL	66709	166064.00	533671

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

दिनांक 23.07.2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.901 के भाग (ख) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

वर्ष 2018-19 के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य		
		परियोजनाएं	मार्जिन मनी	रोजगार
1	जम्मू और कश्मीर	1898	4745.12	15184
2	हिमाचल प्रदेश	1085	2711.40	8676
3	पंजाब	1847	4617.17	14775
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	94	94.32	755
5	हरयाणा	1866	4664.10	14925
6	दिल्ली	113	282.96	905
7	राजस्थान	3097	7743.65	24776
8	उत्तराखंड	1190	2975.40	9521
9	उत्तर प्रदेश	7669	19171.59	61352
10	छत्तीसगढ़	2536	6339.11	20285
11	मध्य प्रदेश	4781	11952.90	38249
12	सिक्किम	75	188.64	604
13	अरुणाचल प्रदेश	189	471.60	1509
14	नगालैंड	1130	2825.50	9042
15	मणिपुर	1018	2544.19	8141
16	मिजोरम	818	2045.45	6545
17	त्रिपुरा	786	1965.99	6291
18	मेघालय	1061	2653.70	8492
19	असम	4203	10507.70	33624
20	बिहार	4348	10869.49	34782
21	पश्चिम बंगाल	2569	6423.74	20556
22	झारखंड	2477	6193.49	19819
23	ओडिशा	3088	7719.19	24701
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	189	188.64	1509
25	गुजरात*	2993	7501.95	24006
26	महाराष्ट्र**	3543	8833.60	28274
27	गोवा	242	605.15	1936
28	आंध्र प्रदेश	1497	3742.74	11974
29	तेलंगाना	2900	7250.96	23203
30	कर्नाटक	2776	6939.66	22207
31	लक्षद्वीप	47	47.16	377
32	केरल	1467	3667.38	11736
33	तमिलनाडु	2976	7438.88	23808
34	पुडुचेरी	141	141.48	1132
	कुल	66709	166064.00	533671

* दमण और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION : 246th Session

RAJYA SABHA
QUESTION DATE 25.07.2018

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
	NIL		NIL		

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1	Measures to protect and promote MSMEs	AS&DC/ADC(PS)	922	
2	Growth of Khadi Gramodyog	JS (ARI)	923	
3	Regional studies for promotion of MSMEs	AS&DC/ADC(SM)	924	
4	Demand by MSME sector after roll out of GST	AS&DC/ADC(PS)	925	
5	Details of MSME units	AS&DC/ADC(PS)	926	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 922
TO BE ANSWERED ON: 25.07.2018

Measures to protect and promote MSMEs

922. SHRI PARIMAL NATHWANI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the micro, small and medium enterprises (MSMEs) of the country are reportedly lagging behind due to availability of the products of multinational companies;
- (b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto;
- (c) the reason for the higher prices of domestic products in comparison to the products manufactured in China; and
- (d) the remedial measures taken by Government to protect and promote MSMEs in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): The growth and survival of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) depends on various factors like availability of timely and adequate credit, up-gradation of technology, access to market, supportive infrastructure, high quality of products etc. Competition from both domestic and external enterprises including multinational companies is also one of the important factors.

(c): Prices of products depend on various factors such as cost of labour, raw materials and technology etc.

(d): The Government of India has taken measures to protect and promote the MSMEs with the help of Schemes such as Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Credit Guarantee Fund Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), Marketing Assistance & Technology Up-gradation (MATU) Scheme, Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE-CDP), National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), Digital MSME Scheme, ZED Certification Scheme.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 922
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2018

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बचाने और
बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

922. श्री परिमल नथवानी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों की उपलब्धता के कारण देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पिछड़ने की सूचना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) चीन में विनिर्मित उत्पादों की तुलना में घरेलू उत्पादों के उच्चतर मूल्यों के क्या कारण हैं; और
- (घ) देश में एमएसएमई को बचाने और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का विकास और अस्तित्व समय पर और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, बाजार तक पहुंच, सहायक अवसंरचना, उत्पादों की उच्च गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। घरेलू और बाहरी उद्यमों जिनमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हैं, से प्रतिस्पर्धा भी प्रमुख कारकों में से एक है।

(ग): उत्पादों का मूल्य विभिन्न कारकों जैसे श्रम, कच्चे सामान और प्रौद्योगिकी आदि की लागत पर निर्भर करता है।

(घ): भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ऋण गारंटी निधि योजना, क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन (माट्र) योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), डिजिटल एमएसएमई योजना, जेडईडी प्रमाणन योजना जैसी योजनाओं की सहायता से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपाय किए हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 923
TO BE ANSWERED ON 25.07.2018

Growth of Khadi Gramodyog

923. SHRI HARNATH SINGH YADAV:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the growth of Khadi Gramodyog has increased during the last two years;
- (b) if so, the details thereof and the reasons therefor;
- (c) the details of khadi products exported and foreign exchange earned therefrom during the said period, product-wise and country-wise; and
- (d) the steps taken by Government to promote export of khadi products?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Yes, Sir.

(b): The growth of Khadi and Village Industries (KVI) has increased considerably during the last two years. Khadi and Village Industries Commission (KVIC) engaged in promoting and developing Khadi and Village Industries through Khadi and Village Industries Institutions, State Khadi and Village Industries Boards (KVIBs) and District Industries Centre (DIC) in the country.

The Khadi and V.I. Institutions and entrepreneurs assisted through various KVI schemes are involved in production and sales activity of Khadi and V.I. products. The performance under KVI sector during the last two years is as follows:

Performance of Khadi and Village Industries Sector

(Rs. in crore)		
Year	Production	Sales
2016-17	42631.09	52138.21
2017-18 (P)	48013.46	59098.04

(c): The exports of Khadi and Village Industries products is done by the Khadi and Village Industries units directly or through merchant exporters. KVIC does not export directly. Product-wise and Country-wise exports of KVI products during each of the last two years is placed at *Annexure-I*.

(d): The initiatives/steps taken by the Government, through KVIC to promote the exports of Khadi and Village Industries products is placed at *Annexure-II*.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 923
उत्तर देने की तारीख 25.07.2018

खादी ग्रामोद्योग की वृद्धि

923. श्री हरनाथ सिंह यादव:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत दो वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग की वृद्धि में बढोत्तरी हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्यात किए गए खादी के उत्पादों तथा अर्जित विदेशी मुद्रा का उत्पाद-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) खादी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) जी, हाँ।

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) के विकास में काफी वृद्धि हुई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) देश में खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन एवं विकास में लगा हुआ है।

विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग स्कीमों के माध्यम से सहायता प्राप्त खादी और ग्रामोद्योग संस्थाएं तथा उद्यमी खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन एवं बिक्री कार्य में लगे हुए हैं। विगत दो वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2016-17	42631.09	52138.21
2017-18(अनंतिम)	48013.46	59098.04

(ग) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का निर्यात खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों द्वारा सीधे अथवा मर्चेट निर्यातकों के माध्यम से किया जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग सीधे निर्यात नहीं करता है। विगत दो वर्षों में से प्रत्येक के दौरान खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादवार तथा देशवार निर्यात अनुबंध-I में दिया गया है।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात के संवर्धन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से सरकार द्वारा शुरू की गई पहल/उठाए गए कदम अनुबंध-II में दिए गए हैं।

Annexure-I referred to in reply to part (c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 923 for answer on 25.07.2018

Performance of Export

(Rs. in lakh)

Sr. No	Name of the product	2016-17	2017-18	Countries
1	Handmade paper & products	3151.93	3217.60	Through agency
2	Papad	6940.61	7085.22	USA, UK, London, France, Germany, Italy, UAE, Australia, Japan, Honkong, Canada, South Africa, and Vietnam
3	Khadi (woollen Silk & Muslin)	196.97	201.07	Korea, Muscat, Oman, Germany, Austria, USA, Japan, France, Sweden and through agency
4	Brass & Metal	175.00	178.65	Europe
5	Honey	13349.03	13627.15	UAE, Saudi Arabia, USA, Libya, Oman and through agencies in all over the country.
6	Wheat Grass	44.19	45.11	Jordan, Cambodia, Sweden, Kazakhstan, Sudan, Seychelles, Chile, South Africa, USA, The Netherland, Malaysia, UK, Curacao, Canada, Japan, Thailand, Spain, Sri Lanka, Hong Kong, Vietnam, Mauritius, Philippines, Kenya, Bahrain, Turkey, Czech Republic, Egypt, Qatar, Bhutan, Nigeria, Burkina Faso, Italy, Ireland, Mexico, Nepal, Saudi Arabia, Tanzania, Rwanda, Brazil, Ecuador, Norway, Cyprus, Botswana, Bangladesh.
7	Soap, Shampoo & Lotion	610.00	622.71	Japan, Singapore, Switzerland, New Zealand, France, UAE, Malaysia, USA & through agency
8	Food items	149.05	152.16	South Africa, Gulf countries, Kenya, Australia, USA
9	Ready Made Garments	104.50	106.68	Dubai, Kuwait, UK, Canada, Australia, USA.
10	Wood carving products / Wood Furniture	12.50	12.76	USA, Malaysia, & Singapore.
11	Hair Oil & other cosmetics	169.76	173.30	USA, Canada, Dubai, Sri Lanka, Panama, Russian, UAE, South Africa.
12	Aromatic & Essential Oil	181.80	185.59	USA, France, Europe, Middle East countries through agency
13	Leather items	20.50	20.93	USA, Switzerland & Through agency.
14	Handicrafts	1557.09	1589.53	USA, UK, Malaysia
15	Silver Nitrate	8.00	8.16	Malaysia, Italy
16	Pottery item	12.00	12.25	Through agency
17	Katha	255.81	261.13	Through agency
	Total	26938.74	27500.00	

दिनांक 25/07/2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.923 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

निर्यात का कार्यनिष्पादन

(रु. लाख में)

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	2016-17	2017-18	देश
1	हस्तनिर्मित कागज और उत्पाद	3151.93	3217.60	एजेंसी के माध्यम से
2	पापड़	6940.61	7085.22	यूएसए, यूके, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यू.ए.ई., ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम
3	खादी (ऊनी सिल्क और मस्लिन)	196.97	201.07	कोरिया, मस्कट, ओमान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूएसए, जापान, फ्रांस, स्वीडन और एजेंसी के माध्यम से
4	पीतल और धातु	175.00	178.65	यूरोप
5	शहद	13349.03	13627.15	यू.ए.ई., सऊदी अरब, यूएसए, लीबिया, ओमान और पूरे देश में एजेंसियों के माध्यम से
6	गेहूं घास	44.19	45.11	जॉर्डन, कंबोडिया, स्वीडन, कजाखस्तान, सूडान, सेशेल्स, चिली, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, नीदरलैंड, मलेशिया, यूके, कुराकाओ, कनाडा, जापान, थाईलैंड, स्पेन, श्रीलंका, हांगकांग, वियतनाम, मॉरीशस, फिलीपींस, केन्या, बहरीन, तुर्की, चेक गणराज्य, मिस्र, कतर, भूटान, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, इटली, आयरलैंड, मेक्सिको, नेपाल, सऊदी अरब, तंजानिया, रवांडा, ब्राजील, इक्वाडोर, नॉर्वे, साइप्रस, बोत्सवाना, बांग्लादेश।
7	साबुन, शैम्पू और लोशन	610.00	622.71	जापान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, फ्रांस, यू.ए.ई., मलेशिया, यूएसए और एजेंसी के माध्यम से
8	खाद्य वस्तु	149.05	152.16	दक्षिण अफ्रीका, खाड़ी देशों, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए
9	रेडीमेड कपड़े	104.50	106.68	दुबई, कुवैत, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए
10	लकड़ी नक्काशी के उत्पादों/लकड़ी के फर्नीचर	12.50	12.76	यूएसए, मलेशिया, और सिंगापुर।
11	हेयर ऑयल और अन्य सौंदर्य प्रसाधन	169.76	173.30	यूएसए, कनाडा, दुबई, श्रीलंका, पनामा, रूसी, यू.ए.ई., दक्षिण अफ्रीका।
12	सुगंधित और आवश्यक तेल	181.80	185.59	संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, मध्य पूर्व देशों एजेंसी के माध्यम से
13	चमड़े के सामान	20.50	20.93	यूएसए, स्विट्जरलैंड और एजेंसी के माध्यम से।
14	हस्तशिल्प	1557.09	1589.53	यूएसए, यूके, मलेशिया
15	सिल्वर नाइट्रेट	8.00	8.16	मलेशिया, इटली
16	पॉटरी वस्तु	12.00	12.25	एजेंसी के माध्यम से
17	कत्था	255.81	261.13	एजेंसी के माध्यम से
	कुल	26938.74	27500.00	

Annexure-II referred to in reply to part (d) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 923 for answer on 25.07.2018**Initiatives/steps taken to promote the exports of KVI products**

1. Assistance would be provided under the Market Promotion and Development Assistance (MPDA) Scheme to the eligible Khadi and Village Industries (KVI) Institutions for participation in International Exhibitions/Trade Fairs held in foreign countries in order to showcase KVI products to foreign countries, access international buyers and sellers and forge business alliances, etc.

The eligible items for such participation and the scale of assistance would be as under:

S.No.	Eligible items	Scale of assistance
i)	Space Rent	For KVIs – 100% of the space rent subject to a maximum of Rs.1.25 lakh or actual rent paid, whichever is lower (for one representative from each participating enterprise)
ii)	Air Fare	For KVIs – 100% of the Economy Class air fare subject to a maximum of Rs.1.00 lakh or actual fare paid, whichever is lower (for one representative from each participating enterprise)

2. Participation in domestic international exhibitions at State and National levels wherein KVIs are allowed to participate and market their products.
3. Assistance is also provided to Exporters participating in International Trade Fairs held in India like India International Trade Fair (IITF) New Delhi where stall rentals are subsidized for the exporting institutions.
4. Participation in International Trade Fairs through ITPO, New Delhi where KVI products find wide exposure to International Trade Delegation, Importers, Overseas Buyers, Franchisees, Branded Merchandise Outlets, Retailers, Malls, and Shopping Centres etc.
5. Tie up arrangements for bringing out innovative export quality product designs with NIFT.
6. Tie up arrangement with premier export institutions like Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Federation of Indian Export Organization (FIEO), CII and Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI).
7. Tie up arrangement with premier institutions like Federation of Indian Export Organization (FIEO), World Trade Centre (WTC), Indian Trade Promotion Organization (ITPO), Trade Promotion Council of India etc., for invigorating business opportunities in the overseas market by conducting exhibitions and workshops for Khadi Institutions. Arranging training in Export Procedure and Documentation for Export Oriented Units (EOUs), Institutions and Entrepreneurs in the KVI Sector through these institutions.
8. A MoU was signed between KVIC and Aditya Birla Fashion & Retail Ltd. (ABFRL), Raymond and Arvind Mills for sale of Khadi fabric in country and abroad.
9. Tie up with e-Commerce platform for on-line marketing through e-Commerce companies like PayTM, Aaarmart.
10. KVIC has applied to register “Khadi” as a word mark and “Khadi India” as a Trade mark in 27 classes for various products among 45 classes listed out in the IPR Act at National Level as well as has filed an online application for registering “Khadi” as a trade mark under International bureau in European Union and other countries under 16 different class.

दिनांक 25.07.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 923 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए की गई पहल/उठाए गए कदम

विदेशों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रदर्शित करने, अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं एवं विक्रेताओं तक पहुँचने तथा व्यवसाय संबंध आदि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए पात्र खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) संस्थाओं को बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता (एमपीडीए) स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ऐसी भागीदारी के लिए पात्र मदों तथा सहायता पैमाना निम्नवत् होगा:-

क्र.सं.	पात्र मद	सहायता पैमाना
(i)	स्थान किराया	खादी और ग्रामोद्योगों के लिए- अधिकतम 1.25 लाख रुपये के अधीन स्थान किराए का 100% या भुगतान किया गया वास्तविक किराया जो भी कम हो (भाग लेने वाले प्रत्येक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)
(ii)	हवाई किराया	खादी और ग्रामोद्योगों के लिए- अधिकतम 1.00 लाख रुपये के अधीन इकोनोमी क्लास के हवाई किराये का 100% या भुगतान किया गया वास्तविक किराया जो भी कम हो (भाग लेने वाले प्रत्येक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)

- राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना जिसमें खादी और ग्रामोद्योग को भाग लेने तथा अपने उत्पाद बेचने की अनुमति है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), नई दिल्ली जहाँ निर्यातक संस्थाओं के लिए स्टॉल किराये के लिए सब्सिडी दी जाती है, जैसे भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने वाले निर्यातकों को भी सहायता दी जाती है।
- आईटीपीओ, नई दिल्ली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करना जहां खादी ग्रामोद्योग उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल, आयातकों, विदेशी क्रेताओं, फ्रेंचाइजियों, ब्रांडेड मर्चेंडाइज आउटलेटों, खुदरा विक्रेताओं, मॉलों और शॉपिंग केन्द्रों इत्यादि में व्यापक एक्सपोजर होता है।
- एनईएफटी के साथ नवप्रवर्तनकारी निर्यात गुणवत्ता उत्पाद डिजाइन प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्था करना।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), भारतीय फेडरेशन ऑफ इण्डिया एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (एफआईईओ), सीआईआई और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन्डस्ट्री (फिक्की) जैसे प्रमुख निर्यात संस्थानों के साथ व्यवस्था करना।
- खादी संस्थानों के लिए प्रदर्शनियों और कार्यशालाएं संचालित करके विदेशी बाजारों में व्यवसाय अवसरों को मजबूत बनाने के लिए फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (एफआईईओ), विश्व व्यापार केन्द्र (डब्ल्यूटीसी), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ व्यवस्था करना। इन संस्थानों के माध्यम से केवीआई क्षेत्र में निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ईओयू), संस्थाओं और उद्यमियों के लिए निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेखन में प्रशिक्षण व्यवस्था करना।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग और अदित्य बिरला फेशन एंड रिटेल लि. (एबीएफआरएल), रेमण्ड और अरविन्द मिल्ल्स के बीच देश और विदेश में खादी कपड़ों के विक्रय हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- पेटीएम, आरमार्ट जैसी ई-कॉमर्स कम्पनियों के माध्यम से ऑनलाइन विपणन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ व्यवस्था करना।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर आईपीआर अधिनियम में सूचीबद्ध 45 श्रेणियों में विभिन्न उत्पादों के लिए 27 श्रेणियों में ट्रेडमार्क के रूप में 'खादी इण्डिया' और शब्द मार्क के रूप में 'खादी' पंजीकरण के लिए आवेदन किया है तथा 16 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अन्य देशों में तथा यूरोपियन यूनियन में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के अंतर्गत ट्रेडमार्क के रूप में 'खादी' पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी फाइल किए हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No: 924
TO BE ANSWERED ON: 25.07.2018

Regional studies for promotion of MSMEs

924. SHRI VINAY DINU TENDULKAR:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether The Government has conducted any regional studies for identifying enterprising capacity/potential areas in the States for promotion of Micro, Small and Medium Enterprises in those areas in the country;
- (b) if so, the details and the outcome thereof, State/UT –wise;
- (c) the steps taken by the Government to increase the contribution of manufacturing and service sector in the said areas; and
- (d) whether any package has been announced for the said sector and if so, the details thereof, State/UT –wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): The Micro, Small and Medium Enterprise Development Institutes under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) have prepared District and State Industrial Potential Profiles. List of Districts/ States for which such studies are available may be seen in Annexure-I.

(c): Measures for promotion and development of Micro Small and Medium Enterprises are taken under various schemes of the Ministry of MSME such as Prime Minister's Employment Generation Programme, Market Development Assistance, Credit Linked Capital Subsidy Scheme, MSE-Cluster Development Programme, Credit Guarantee Scheme, National Manufacturing Competitiveness Programme and the Scheme For Promoting Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE) etc.

(d): No such package has been announced by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 924
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2018

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन

924. श्री विनय दीनू तेंदुलकर:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में राज्यों की उद्यम क्षमता/संभाव्यता क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई क्षेत्रीय अध्ययन आयोजित कराया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार परिणाम क्या है;
- (ग) उक्त क्षेत्रों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंशदान को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) क्या उक्त क्षेत्र के लिए किसी पैकेज की घोषणा की गई है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थानों ने जिला और राज्य संभावित औद्योगिक प्रोफाइल तैयार की है। जिलों/राज्यों की सूची जिसके लिए यह अध्ययन उपलब्ध है, अनुलग्न-1 में देखा जा सकता है।

(ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बाज़ार विकास सहायता, क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी योजना, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन की योजना (एस्पायर) आदि के तहत कदम उठाए गए हैं।

(घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।

Annexure –I referred to in reply to parts (a)&(b) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 924 for Answer on 25.07.2018

List of Districts Profile of States/UTs as prepared by Ministry of MSME	
1. Andhra Pradesh	
	<u>Adilabad</u>
	<u>Ananthapur</u>
	<u>Chittoor</u>
	<u>East Godawary</u>
	<u>Godavari</u>
	<u>Guntur</u>
	<u>Hyderabad</u>
	<u>Kadapa</u>
	<u>Karimnagar</u>
	<u>Khammam</u>
	<u>Krishna</u>
	<u>Kurnool</u>
	<u>Mahabubnagar</u>
	<u>Medak</u>
	<u>Nalgonda</u>
	<u>Nellore</u>
	<u>Nizamabad</u>
	<u>Prakasam</u>
	<u>Ranga Reddy</u>
	<u>Srikakulam</u>
	<u>Vizianagaram</u>
	<u>Visakhapatnam</u>
	<u>Warangal</u>
2. Andaman & Nicobar Islands	
	Andaman & Nicobar Islands
3. Arunachal Pradesh	
	<u>East Kameng</u>
	<u>Lohit</u>
	<u>Lower dibang valley</u>
	<u>Upper Dibang Valley</u>
	<u>Upper Subansiri District</u>
	<u>Anjav</u>
4. Assam	
	<u>Baksa</u>
	<u>Barpeta</u>
	<u>Bongaigaon</u>
	<u>Cachar</u>
	<u>Chirang</u>
	<u>Darrang</u>
	<u>Dhubri</u>
	<u>Dibrugarh</u>
	<u>Dima Hasao</u>
	<u>Goalpara</u>
	<u>Golaghat</u>
	<u>Hailakandi</u>

राज्य सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 924 जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2018 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-1

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में जिला प्रोफाइलों की सूची	
1. आंध्र प्रदेश	
	अदिलाबाद
	अनंतपुर
	चित्तूर
	पूर्व गोदावरी
	गोदावरी
	गुंटूर
	हैदराबाद
	कडपा
	करीमनगर
	खम्माम
	कृष्णा
	करनूल
	महबूबनगर
	मेडक
	नलगोंडा
	नेल्लोर
	निजामाबाद
	प्रकासम
	रंगा रेड्डी
	श्रीकाकुलम
	विजयानगरम
	विशाखापत्तनम
	वारंगल
2. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
3. अरुणाचल प्रदेश	
	पूर्वी कामेंग
	लोहित
	लोअर दिबांग घाटी
	अपर दिबांग घाटी
	अपर सुबानसिरी जिला
	आन्जव
4. असम	
	बक्सा
	बारपेटा
	बोंगईगांव
	काचर
	चिरांग
	दारंग
	धुबरी
	डिब्रुगढ़
	दिमा हासाओ
	गोलपाड़ा
	गोलाघाट
	हैलाकांडी

	Jorhat
	Kamrup
	Karbi Anglong
	Karimganj
	Kokrajhar
	Morigaon
	Nagaon
	Nalbari
	Sivasagar
	Sonitpur
	Udalguri
5. Bihar	
	Araria
	Arwal
	Aurangabad
	Banka
	Begusarai
	Bhagalpur
	Bhojpur
	Buxar
	Darbhanga
	East Champaran
	Gaya
	Gopalganj
	Jamui
	Jehanabad
	Kaimur
	Katihar
	Khagaria
	Kishanganj
	Lakhisarai
	Madhepura
	Madhubani
	Munger
	Muzaffarpur
	Nalanda
	Nawada
	Patna
	Purnia
	Rohtas
	Saharsa
	Samastipur
	Saran
	Sheikhpura
	Sheohar
	Sitamarhi
	Siwan
	Supaul
	Vaishali
	West Champaran
6. Chandigarh	
	Chandigarh
7. Chattisgarh	
	Balod
	Baloda Bazar

	जोरहाट
	कामरूप
	कर्बी अंगलोग
	करीमगंज
	कोकराझार
	मोरीगांव
	नागांव
	नलबाड़ी
	शिवसागर
	सोनितपुर
	उदलगुड़ी
5. बिहार	
	अररिया
	अरवल
	औरंगाबाद
	बांका
	बेगूसराय
	भागलपुर
	भोजपुर
	बक्सर
	दरभंगा
	पूर्वी चंपारण
	गया
	गोपालगंज
	जमुई
	जहानाबाद
	कैमूर
	कटिहार
	खगड़िया
	किशनगंज
	लखीसराय
	मधेपुरा
	मधुबनी
	मुंगेर
	मुजफ्फरपुर
	नालंदा
	नवादा
	पटना
	पूर्णिया
	रोहतास
	सहरसा
	समस्तीपुर
	सारण
	शेखपुरा
	शिवहर
	सीतामढ़ी
	सिवान
	सुपौल
	वैशाली
	पश्चिमी चंपारण
6. चंडीगढ़	
	चंडीगढ़
7. छत्तीसगढ़	
	बालोद
	बलोद बाज़ार

	Balrampur
	Bastar
	Bemetara
	Bijapur
	Bilaspur
	Dantewada
	Dhamtari
	Durg
	Gariaband
	Janjgir Champa
	Jashpur
	Kabirdham
	Kanker
	Kondagaon
	Korba
	Koriya
	Mahasamund
	Mungeli
	Narayanpur
	Raigarh
	Raipur
	Rajnandgaon
	Sukma
	Surajpur
	Surguja
8.	<u>Dadra & Nagar Haveli District</u>
	<u>Dadra & Nagar Haveli District</u>
9.	<u>Daman & Diu</u>
	1. Daman
	2. Diu
10.	<u>Delhi</u>
	<u>Delhi</u>
11.	<u>Goa</u>
	1. <u>North Goa</u>
	2. <u>South Goa</u>
12.	<u>Gujraat</u>
	Ahmedabad
	Amreli
	Anand
	Aravalli
	Banaskantha
	Bharuch
	Bhavnagar
	Botad
	Chhota Udaipur
	Dahod
	Dang
	Devbhoomi Dwarka
	Gandhinagar
	Gir Somnath
	Jamnagar
	Junagadh
	Kheda
	Kutch
	Mahisagar

	बलरामपुर
	बस्तर
	बेमेतरा
	बीजापुर
	बिलासपुर
	दंतेवाड़ा
	धमतरी
	दुर्ग
	गरियाबंद
	जांजगीर चंपा
	जसपुर
	कबीरधाम
	कांकेर
	कोंडागांव
	कोरबा
	कोरिया
	महासमुंद
	मुंगेली
	नारायणपुर
	रायगढ़
	रायपुर
	राजनंदगांव
	सुकमा
	सूरजपुर
	सरगुजा
8. दादर एवं नागर हवेली जिला	
	दादर एवं नागर हवेली जिला
9. दमन एवं दीव	
	दमन
	दीव
10. दिल्ली	
	दिल्ली
11. गोवा	
	उत्तरी गोवा
	दक्षिणी गोवा
12. गुजरात	
	अहमदाबाद
	अमरेली
	आनंद
	अरावली
	बनासकांठा
	भरुच
	भावनगर
	बोटाड
	छोटा उदयपुर
	दाहोद
	डांग
	देवभूमि द्वारका
	गांधीनगर
	गिर सोमनाथ
	जामनगर
	जूनागढ़
	खेड़ा
	कच्छ
	महीसागर

	Mehsana
	Morbi
	Narmada
	Navsari
	Panchmahal
	Patan
	Porbandar
	Rajkot
	Sabarkantha
	Surat
	Surendranagar
	Tapi
	Vadodara
	Valsad
13. Haryana	
	<u>Ambala</u>
	<u>Bhiwani</u>
	<u>Fatehabad</u>
	<u>Gurgaon</u>
	<u>Hissar</u>
	<u>Jhajjar</u>
	<u>Jind</u>
	<u>Kaithal</u>
	<u>Karnal</u>
	<u>Kurukshetra</u>
	<u>Mahendragarh</u>
	<u>Mewat</u>
	<u>Palwal</u>
	<u>Panipat</u>
	<u>Panchkula</u>
	<u>Rewari</u>
	<u>Rohtak</u>
	<u>Sonepat</u>
	<u>Sirsa</u>
	<u>Yamunanagar</u>
	<u>Faridabad</u>
14. Himachal Pradesh	
	Bilaspur
	Chamba
	Hamirpur
	Kangra
	Kinnaur
	Kullu
	Lahaul Spiti
	Mandi
	Shimla
	Sirmaur
	Solan
	Una
15. Jammu & Kashmir	
	Anantnag
	Bandipora
	Baramulla
	Budgam

	मेहसाणा
	मोरबी
	नर्मदा
	नवसारी
	पंचमहल
	पाटन
	पोरबंदर
	राजकोट
	साबरकांठा
	सूरत
	सुरेंद्रनगर
	तापी
	वडोदरा
13. हरियाणा	
	अंबाला
	भिवानी
	फतेहाबाद
	गुडगाँव
	हिसार
	झज्जर
	जींद
	कैथल
	करनाल
	कुरुक्षेत्र
	महेंद्रगढ़
	मेवात
	पलवल
	पानीपत
	पंचकुला
	रेवाड़ी
	रोहतक
	सोनीपत
	सिरसा
14. हिमाचल प्रदेश	
	बिलासपुर
	चंबा
	हमीरपुर
	कांगड़ा
	किन्नौर
	कुल्लू
	लाहौल स्पीति
	मंडी
	शिमला
	सिरमौर
	सोलन
	ऊना
15. जम्मू एवं कश्मीर	
	अनंतनाग
	बंदीपोरा
	बारामूला
	बडगाम

	Doda
	Ganderbal
	Jammu
	Kargil
	Kathua
	Kishtwar
	Kulgam
	Kupwara
	Leh
	Poonch
	Pulwama
	Rajouri
	Ramban
	Reasi
	Samba
	Shopian
	Srinagar
	Udhampur
16.	Jharkhand
	Bokaro
	Chatra
	Deoghar
	Dhanbad
	Dumka
	East Singhbhum
	Garhwa
	Giridih
	Godda
	Gumla
	Hazaribagh
	Jamtara
	Khunti
	Koderma
	Latehar
	Lohardaga
	Pakur
	Palamu
	Ramgarh
	Ranchi
	Sahebganj
	Seraikela Kharsawan
	Simdega
	West Singhbhum
17.	Karnataka
	Bagalkot
	Bangalore Rural
	Bangalore Urban
	Belgaum
	Bellary
	Bidar
	Bijapur
	Chamarajanagar
	Chikkaballapur
	Chikkamagaluru
	Chitradurga

	डोडा
	गंदरबल
	जम्मू
	कारगिल
	कठुआ
	किश्तवाड़
	कुलगाम
	कुपवाड़ा
	लेह
	पुंछ
	पुलवामा
	राजौरी
	रामबन
	रियासी
	सांबा
	शोपियां
	श्रीनगर
	उधमपुर
16. झारखंड	
	बोकारो
	चतरा
	देवघर
	धनबाद
	दुमका
	पूर्वी सिंहभूम
	गढ़वा
	गिरिडीह
	गोड्डा
	गुमला
	हजारीबाग
	जामताड़ा
	खूंटी
	कोडरमा
	लातेहार
	लोहरदगा
	पाकुड़
	पलामू
	रामगढ़
	रांची
	साहेबगंज
	सराइकेला खड़सावा
	सिमडेगा
	पश्चिमी सिंहभूम
17. कर्नाटक	
	बागलकोट
	बेंगलूर ग्रामीण
	बेंगलूर शहरी
	बेलगाव
	बेल्लारी
	बीडर
	बीजापुर
	चामराजनगर
	चिक्काबलपुर
	चिकमंगलूर
	चित्रदुर्ग

	Dakshina Kannada
	Davanagere
	Dharwad
	Gadag
	Gulbarga
	Hassan
	Haveri
	Kodagu
	Kolar
	Koppal
	Mandya
	Mysore
	Raichur
	Ramanagara
	Shimoga
	Tumkur
	Udupi
	Uttara Kannada
	Yadgir
18.	Kerala
	Alappuzha
	Ernakulam
	Idukki
	Kannur
	Kasaragod
	Kollam
	Kottayam
	Kozhikode
	Malappuram
	Palakkad
	Pathanamthitta
	Thiruvananthapuram
	Thrissur
	Wayanad
19.	Lakshadweep
	Lakshadweep
20.	Madhya Pradesh
	Agar Malwa
	Alirajpur
	Anuppur
	Ashoknagar
	Balaghat
	Barwani
	Betul
	Bhind
	Bhopal
	Burhanpur
	Chhatarpur
	Chhindwara
	Damoh
	Datia
	Dewas
	Dhar
	Dindori
	Guna

	दक्षिण कन्नड़
	दावनगेरे
	धारवाड़
	गाडग
	गुलबर्गा
	हासन
	हावेरी
	कोडागू
	कोलार
	कोप्पल
	मांड्या
	मैसूर
	रायचूर
	रामनगर
	शिमोगा
	तुमकुर
	उडुपी
	उत्तर कन्नड़
	यादगिर
18. केरल	
	अलप्पुझा
	एर्नाकुलम
	इडुक्की
	कन्नूर
	कासरगोड
	कोल्लम
	कोट्टायम
	कोझिकोड
	मलप्पुरम
	पलक्कड़
	पथानमथिट्टा
	तिरुवनंतपुरम
	त्रिशूर
	वायनाड
19. लक्षद्वीप	
	लक्षद्वीप
20. मध्य प्रदेश	
	अगार मालवा
	अलीराजपुर
	अनूपपुर
	अशोकनगर
	बालाघाट
	बड़वानी
	बेतुल
	भिंड
	भोपाल
	बुरहानपुर
	छतरपुर
	छिंदवाड़ा
	दमोह
	दतिया
	देवास
	धार
	डिंडोरी
	गुना

	Gwalior
	Harda
	Hoshangabad
	Indore
	Jabalpur
	Jhabua
	Katni
	Khandwa
	Khargone
	Mandla
	Mandsaur
	Morena
	Narsinghpur
	Neemuch
	Panna
	Raisen
	Rajgarh
	Ratlam
	Rewa
	Sagar
	Satna
	Sehore
	Seoni
	Shahdol
	Shajapur
	Sheopur
	Shivpuri
	Sidhi
	Singrauli
	Tikamgarh
	Ujjain
	Umaria
	Vidisha
21.	Maharashtra
	Ahmednagar
	Akola
	Amravati
	Aurangabad
	Beed
	Bhandara
	Buldhana
	Chandrapur
	Dhule
	Gadchiroli
	Gondia
	Hingoli
	Jalgaon
	Jalna
	Kolhapur
	Latur
	Mumbai
	Nagpur
	Nanded
	Nandurbar
	Nashik

	ग्वालियर
	हरदा
	होशंगाबाद
	इंदौर
	जबलपुर
	झाबुआ
	कटनी
	खंडवा
	खरगोन
	मंडला
	मंदसौर
	मौरना
	नरसिंहपुर
	नीमच
	पन्ना
	रायसेन
	राजगढ़
	रतलाम
	रीवा
	सागर
	सतना
	सीहोर
	सिओनी
	शहडोल
	शाजापुर
	श्यामपुर
	शिवपुरी
	सीधी
	सिंगरीली
	टीकमगढ़
	उज्जैन
	उमरिया
	विदिशा
21. महाराष्ट्र	
	अहमदनगर
	अकोला
	अमरावती
	औरंगाबाद
	बीड
	भंडारा
	बुलढाना
	चंद्रपुर
	धुले
	गढचिरोली
	गोंदिया
	हिंगोली
	जलगांव
	जलना
	कोल्हापुर
	लातूर
	मुंबई
	नागपुर
	नांदेड
	नंदुरबार
	नासिक

	Osmanabad
	Palghar
	Parbhani
	Pune
	Raigad
	Ratnagiri
	Sangli
	Satara
	Sindhudurg
	Solapur
	Thane
	Wardha
	Washim
	Yavatmal
22.	Manipur
	<u>Bishnupur</u>
	<u>Chandel</u>
	<u>Churachandpur</u>
	<u>Imphal East District</u>
	<u>Imphal West District</u>
	<u>Senapati</u>
	<u>Tamenglong</u>
	<u>Thoubal</u>
	<u>Ukhrul</u>
23.	Meghalaya
	East Khasi Hills
	South Garo Hills
	West Garo Hills
	East Garo Hills
24.	Mizoram
	Aizawl
	Champhai
	Kolasib
	Lawngtlai
	Lunglei
	Mamit
	Saiha
	Serchhip
25.	Nagaland
	Dimapur
	Kiphire
	Kohima
	Longleng
	Mokokchung
	Mon
	Peren
	Phek
	Tuensang
	Wokha
	Zunheboto
26.	Odisha
	Angul
	Balangir
	Balasore
	Bargarh

	उस्मानाबाद
	पालघर
	परभनी
	पुणे
	रायगढ़
	रत्नागिरी
	सांगली
	सतारा
	सिंधुदुर्ग
	सोलापूर
	थाणे
	वर्धा
	वाशिम
	यवतमाल
22. मणिपुर	
	बिष्णुपुर
	चंदेल
	छुरछंदपुर
	इंफाल पूर्वी जिला
	इंफाल पश्चिम जिला
	सेनापति
	तामंगलांग
	थौबल
	उखरुल
23. मेघालय	
	पूर्वी खासी हिल्स
	दक्षिणी गारो हिल्स
	पश्चिमी गारो हिल्स
	पूर्वी गारो हिल्स
24. मिजोरम	
	आइजोल
	चम्फाई
	कोलासिब
	लावंगतलाई
	लुंगलेई
	मामित
	सायहा
	सेरछिप
25. नागालैण्ड	
	दीमापुर
	किफिरे
	कोहिमा
	लॉंगलेंग
	मोकोकचुंग
	मीन
	पेरेन
	फेक
	तुएनसांग
	दोखा
	जुन्हेबोटो
26. ओडिशा	
	अंगुल
	बालागीर
	बालासोर
	बरगढ़

	Bhadrak
	Boudh
	Cuttack
	Debagarh
	Dhenkanal
	Gajapati
	Ganjam
	Jagatsinghpur
	Jajpur
	Jharsuguda
	Kalahandi
	Kandhamal
	Kendrapara
	Kendujhar
	Khordha
	Koraput
	Malkangiri
	Mayurbhanj
	Nabarangpur
	Nayagarh
	Nuapada
	Puri
	Rayagada
	Sambalpur
	Subarnapur
	Sundergarh
27.	Puducherry
	Puducherry
28.	Punjab
	<u>Amritsar</u>
	<u>Barnala</u>
	<u>Bathinda</u>
	<u>Faridkot</u>
	<u>Fatehgarh Sahib</u>
	<u>Ferozepur</u>
	<u>Gurdaspur</u>
	<u>Hoshiarpur</u>
	<u>Jalandhar</u>
	<u>Kapurthala</u>
	<u>Ludhiana</u>
	<u>Mansa</u>
	<u>Moga</u>
	<u>Muktsar</u>
	<u>Patiala</u>
	<u>Rupnagar</u>
	<u>Sangrur</u>
	<u>SAS Nagar</u>
	<u>SBS Nagar</u>
	<u>Tarntarn</u>
29.	Rajasthan
	Ajmer
	Alwar
	Banswara
	Baran
	Barmer

	भद्रक
	बोध
	कटक
	देबगढ़
	धनकनाल
	गजपति
	गंजम
	जगतसिंहपुर
	जाजपुर
	झारसुगुडा
	कालाहांडी
	कंधमाल
	कैटपाड़ा
	कैटुझार
	खोर्धा
	कोरापुट
	मल्कानगिरी
	मयूरभंज
	नबरंगपुर
	नयागढ़
	नुआपाड़ा
	पुरी
	रायगढ़
	संबलपुर
	सुबर्नापुर
	सुंदरगढ़
27. पुडुचेरी	
	पुडुचेरी
28. पंजाब	
	अमृतसर
	बरनाला
	बठिंडा
	फरीदकोट
	फतेहगढ़ साहिब
	फिरोजपुर
	गुरदासपुर
	होशियारपुर
	जालंधर
	कपूरथला
	लुधियाना
	मनसा
	मोगा
	मुक्तसर
	पटियाला
	रूपनगर
	संगरूर
	एसएस नगर
	एसबीएस नगर
	तरनतारन
29. राजस्थान	
	अजमेर
	अलवर
	बांसवाड़ा
	बारन
	बाड़मेर

	Bharatpur
	Bhilwara
	Bikaner
	Bundi
	Chittorgarh
	Churu
	Dausa
	Dholpur
	Dungarpur
	Ganganagar
	Hanumangarh
	Jaipur
	Jaisalmer
	Jalore
	Jhalawar
	Jhunjhunu
	Jodhpur
	Karauli
	Kota
	Nagaur
	Pali
	Pratapgarh
	Rajsamand
	Sawai Madhopur
	Sikar
	Sirohi
	Tonk
	Udaipur
30.	Sikkim
	East Sikkim
	North Sikkim
	South Sikkim
	West Sikkim
31.	Tamilnadu
	<u>Ariyalur</u>
	<u>Chennai</u>
	<u>Coimbatore</u>
	<u>Cuddalore</u>
	<u>Dharmapuri</u>
	<u>Dindigul</u>
	<u>Erode</u>
	<u>Kancheepuram</u>
	<u>Kanyakumari</u>
	<u>Karaikal</u>
	<u>Krishnagiri</u>
	<u>Karur</u>
	<u>Madurai</u>
	<u>Nagapattinam</u>
	<u>Nilgiri</u>
	<u>Namakkal</u>
	<u>Perambalur</u>
	<u>Pudukottai</u>
	<u>Ramanathapuram</u>
	<u>Salem</u>
	<u>Sivaganga</u>

	भरतपुर
	भीलवाड़ा
	बीकानेर
	बूंदी
	चित्तौड़गढ़
	चुरू
	दौसा
	धौलपुर
	इंदौर
	गंगानगर
	हनुमानगढ़
	जयपुर
	जैसलमेर
	जालौर
	झालावाड़
	झुझुनू
	जोधपुर
	करौली
	कोटा
	नागौर
	पाली
	प्रतापगढ़
	राजसमंद
	सवाईमाधोपुर
	सीकर
	सिरोही
	टोंक
	उदयपुर
30. सिक्किम	
	पूर्वी सिक्किम
	उत्तरी सिक्किम
	दक्षिणी सिक्किम
	पश्चिमी सिक्किम
31. तमिलनाडू	
	अरियालुर
	चेन्नई
	कोयंबटूर
	कुड्डालोर
	धर्मपुरी
	डिंडीगुल
	इरोड
	कांचीपुरम
	कन्याकुमारी
	कराईकल
	कृष्णागिरी
	कन्नूर
	मदुरै
	नागपट्टिनम
	नीलगिरि
	नामक्कल
	पेरम्बलूर
	पुडुकोट्टई
	रामनाथपुरम
	सालेम
	शिवगंगा

	<u>Theni</u>
	<u>Thanjavur</u>
	<u>Thiruvannamalai</u>
	<u>Tirupur</u>
	<u>Tirunelveli</u>
	<u>Thiruvarur</u>
	<u>Thiruvallur</u>
	<u>Trichy</u>
	<u>Tuticorin</u>
	<u>Vellore</u>
	<u>Villupuram</u>
	<u>Virudhunagar</u>
32.	Tripura
	<u>Dhalai</u>
	<u>Tripura (North)</u>
	<u>Tripura (South)</u>
	<u>West District</u>
33.	Uttar Pradesh
	<u>Agra</u>
	<u>Aligarh</u>
	<u>Amroha</u>
	<u>Badaun</u>
	<u>Bagpat</u>
	<u>Bareilly</u>
	<u>Bijnore</u>
	<u>Bulandshahar</u>
	<u>Etah</u>
	<u>Firozabad</u>
	<u>Kanshiram Nagar (Kasganj)</u>
	<u>Mahamaya Nagar (Hathras)</u>
	<u>Mainpuri</u>
	<u>Mathura</u>
	<u>Meerut</u>
	<u>Moradabad</u>
	<u>Muzaffarnagar</u>
	<u>Pilibhit</u>
	<u>Rampur</u>
	<u>Saharanpur</u>
	<u>Sambhal</u>
	<u>Shamli</u>
	<u>Auraiya</u>
	<u>Barabanki</u>
	<u>Basti</u>
	<u>Deoria</u>
	<u>Etawah</u>
	<u>Faizabad</u>
	<u>Farrukhabad</u>
	<u>Fatehpur</u>
	<u>Gorakhpur</u>
	<u>Hamirpur</u>
	<u>Hardoi</u>
	<u>Jalaun</u>
	<u>Jhansi</u>
	<u>Kanpur Dehat</u>
	<u>Kanpur Nagar</u>

	थेनी
	तंजावुर
	तिरुवन्नमलाई
	तिरुपुर
	तिरुनेलवेली
	तिरुवरुर
	तिरुवल्लुर
	त्रिची
	तूतीकोरिन
	वेल्लोर
	विल्लुपुरम
	विरुधुनगर
32. त्रिपुरा	
	धलाई
	त्रिपुरा (उत्तरी)
	त्रिपुरा (दक्षिणी)
	पश्चिमी जिला
33. उत्तर प्रदेश	
	आगरा
	अलीगढ़
	अमरोहा
	बदायूं
	बागपत
	बरेली
	बिजनौर
	बुलंदशहर
	एटा
	फिरोजाबाद
	काशीराम नगर (कासगंज)
	महामाया नगर (हाथरस)
	मैनपुरी
	मथुरा
	मेरठ
	मुरादाबाद
	मुजफ्फरनगर
	पीलीभीत
	रामपुर
	सहारनपुर
	संभल
	शामली
	औरैया
	बाराबंकी
	बस्ती
	देवरिया
	इटावा
	फैजाबाद
	फर्रुखाबाद
	फतेहपुर
	गोरखपुर
	हमीरपुर
	हरदोई
	जालौन
	झांसी
	कानपुर देहात
	कानपुर नगर

	<u>Kannauj</u>
	<u>Kushinagar</u>
	<u>Lakhimpur Kheri</u>
	<u>Lalitpur</u>
	<u>Lucknow</u>
	<u>Mahoba</u>
	<u>Raebareli</u>
	<u>Ramabai Nagar</u>
	<u>Shahjahanpur</u>
	<u>Sitapur</u>
	<u>Unnao</u>
	<u>Allahabad</u>
	<u>Ambadkar</u>
	<u>Amethi</u>
	<u>Azamgarh</u>
	<u>Bhadohi</u>
	<u>Bahraich</u>
	<u>Ballia</u>
	<u>Balrampur</u>
	<u>Banda</u>
	<u>Chitrakoot</u>
	<u>Chandauli</u>
	<u>Ghazipur</u>
	<u>Gonda</u>
	<u>Jaunpur</u>
	<u>Kaushambi</u>
	<u>Maharajganj</u>
	<u>Pratapgarh</u>
	<u>Mau</u>
	<u>Mirzapur</u>
	<u>Sant Kabir Nagar</u>
	<u>Shravasti</u>
	<u>Siddharthnagar</u>
	<u>Sonbhadra</u>
	<u>Sultanpur</u>
	<u>Varanasi</u>
	<u>Gautam Budh Nagar</u>
	<u>Ghaziabad</u>
	<u>Hapur</u>
34. Uttarakhand	
	<u>Almora</u>
	<u>Bageshwar</u>
	<u>Chamoli</u>
	<u>Champawat</u>
	<u>Dehradun</u>
	<u>Haridwar</u>
	<u>Nainital</u>
	<u>Pauri</u>
	<u>Pithoragarh</u>
	<u>Rudraprayag</u>
	<u>Tehri</u>
	<u>Udham Singh Nagar</u>
	<u>Uttarkashi</u>

	कन्नीज
	कृशीनगर
	लखीमपुर खेरी
	ललितपुर
	लखनऊ
	महोबा
	रायबरेली
	रमाबाई नगर
	शाहजहांपुर
	सीतापुर
	उन्नाव
	इलाहाबाद
	अम्बेडकर नगर
	अमेठी
	आजमगढ़
	भदोही
	बहराइच
	बलिया
	बलरामपुर
	बांदा
	चित्रकूट
	चंदौली
	गाजीपुर
	गोंडा
	जौनपुर
	कौशाम्बी
	महाराजगंज
	प्रतापगढ़
	मऊ
	मिर्जापुर
	संत कबीर नगर
	श्रावस्ती
	सिद्धार्थनगर
	सोनभद्र
	सुल्तानपुर
	वाराणसी
	गौतम बुद्ध नगर
	गजियाबाद
	हापुड़
34. उत्तराखंड	
	अल्मोड़ा
	बागेश्वर
	चमोली
	चम्पावत
	देहरादून
	हरिद्वार
	नैनीताल
	पौड़ी
	पिथौरागढ़
	रुद्रप्रयाग
	टिहरी
	उधम सिंह नगर
	उत्तरकाशी

35. West Bengal	
	<u>Bankura</u>
	<u>Birbhum</u>
	<u>Burdwan</u>
	<u>Coochbehar</u>
	<u>Dakshin</u>
	<u>Darjeeling</u>
	<u>Hooghly</u>
	<u>Howrah</u>
	<u>Jalpaiguri</u>
	<u>Kolkata</u>
	<u>Malda</u>
	<u>Murshidabad</u>
	<u>Nadia</u>
	<u>North 24-Parganas</u>
	<u>Paschim Midnapur</u>
	<u>Purba Midnapur</u>
	<u>Purulia</u>
	<u>Uttar Dinajpur</u>
	<u>South 24-Parganas</u>

35. पश्चिम बंगाल

	बांकुड़ा
	बीरभूम
	बर्दवान
	कूचबिहार
	दक्षिण
	दार्जिलिंग
	हुगली
	हावड़ा
	जलपाईगुड़ी
	कोलकाता
	मालदा
	मुर्शिदाबाद
	नादिया
	उत्तरी 24- परगना
	पश्चिम मिदनापुर
	पूर्व मिदनापुर
	पुरुलिया
	उत्तर दिनाजपुर
	दक्षिणी 24- परगना

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 925
TO BE ANSWERED ON: 25.07.2018

Demand by MSME Sector after roll out of GST

925. DR. SASIKALA PUSHPA RAMASWAMY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether Micro, Small and Medium Enterprise sector has submitted any demand to Government after rolling out of GST in the country;
- (b) if so, the details of the demand made by Micro, small and Medium Enterprises sector;
- (c) whether Government has acceded to their all demands;
- (d) if so, the detail thereof; and
- (e) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): Most of the demands from micro, small and medium enterprises sector vis-a- vis Goods & Services Tax were related to general exemption, rate reduction and procedural simplicity.

(c) to (e): The GST Council has provided relief to the Micro and Small sector as it increased the Composition limit to Rs.150 lakh, deferred the applicability of Reverse Charge Mechanism (RCM) to September 2019, approved a simplified GST return regime and also provided relief to micro, small and medium enterprises by reducing rates on large number of items.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 925
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2018

माल और सेवा कर लागू होने के बाद सूक्ष्म,
लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र द्वारा की गई मांग

925. डा. शशिकला पुष्पा रामास्वामी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में माल और सेवा कर लागू होने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र ने सरकार के समक्ष कोई मांग प्रस्तुत की है;
- (ख) यदि हां, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र द्वारा की गई मांग का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की अधिकांश मांगें वस्तु और सेवा कर के संबंध में सामान्य छूट, दर में कमी और प्रक्रिया को सरल बनाने से संबंधित थे।

(ग) से (ङ) : जीएसटी परिषद ने सूक्ष्म और लघु क्षेत्र को राहत प्रदान करते हुए कंपोजीशन लिमिट को 150 लाख रु. तक बढ़ा दिया है, सितंबर, 2019 तक रिवर्स चार्ज मैकानिज़्म (आरसीएम) को लागू करना स्थगित कर दिया है, सरलीकृत जीएसटी रिटर्न पद्धति को मंजूरी दी है और बड़ी संख्या में वस्तुओं की दरों में कमी करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान की है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 926
TO BE ANSWERED ON: 25.07.2018

Details of MSME units

926. SHRI DEREK O'BRIEN:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the total number of MSME units which have been shut down since the implementation of GST; the details thereof, State-wise;
- (b) the total number of new registrations under MSME sector in the financial year 2017-18 and financial year 2018-19 so far, the State-wise details thereof; and
- (c) what is the amount of loan disbursed by banks, both Public and Private, for the MSMEs in the last three financial years?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

- (a): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has not received any report on shut down of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) from the State Governments.
- (b): 15.19 lakh MSMEs have been registered at Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) Portal in financial year 2017-18 (01.04.2017-31.03.2018) and 4.90 lakh MSMEs have been registered at Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) Portal in financial year 2018-19 (01.04.2018 till 20.07.2018). The details may be seen at Annex-I and Annex-II.
- (c): The details of the outstanding credit to Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) during the last three years furnished by Reserve Bank of India (RBI) are at Annex-III.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 926
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2018

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों का ब्यौरा

926. श्री देरेक ओब्राइन:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) माल और सेवा कर के लागू होने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की कितनी इकाइयाँ बंद हो गई हैं; राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत अभी तक कितने नए पंजीकरण किए गए, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) गत तीन वित्त वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हेतु सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों द्वारा ऋण की कितनी राशि संवितरित की गई?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

- (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को राज्य सरकारों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बंद होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
- (ख) वित्तीय वर्ष 2017-18 (01.04.2017-31.03.2018) में उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पोर्टल पर 15.19 लाख एमएसएमई पंजीकृत किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2018-19 (01.04.2018 से 20.07.2018 तक) में उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पोर्टल पर 4.90 लाख एमएसएमई पंजीकृत किए गए हैं। विवरण अनुबंध 1 और अनुबंध 2 पर देखा जा सकता है।
- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यथा प्रस्तुत पिछले तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बकाया ऋण का विवरण अनुबंध 3 पर संलग्न है।

**Annexure referred to in reply to part (b) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 926
for Answer on 25.07.2018**

Total MSME Registered During Financial Year 2017-18

(01.04.2017-31.03.2018)					
Sl. No.	State	Total MSME Registered	Micro	Small	Medium
1	ANDHRA PRADESH	54519	46371	7925	223
2	ARUNACHAL PRADESH	212	106	101	5
3	ASSAM	1709	1184	492	33
4	BIHAR	99171	95709	3340	122
5	CHHATTISGARH	8255	6905	1308	42
6	GOA	1198	840	342	16
7	GUJARAT	193537	169994	22531	1012
8	HARYANA	29379	24300	4859	220
9	HIMACHAL PRADESH	1976	1429	506	41
10	JAMMU AND KASHMIR	990	684	295	11
11	JHARKHAND	21383	19245	2078	60
12	KARNATAKA	56536	46036	10039	461
13	KERALA	20567	17455	2986	126
14	MADHYA PRADESH	206103	197808	8030	265
15	MAHARASHTRA	190803	163729	25713	1361
16	MANIPUR	6415	5602	796	17
17	MEGHALAYA	548	505	43	0
18	MIZORAM	799	636	154	9
19	NAGALAND	142	107	33	2
20	ODISHA	17965	15944	1945	76
21	PUNJAB	29020	24687	4187	146
22	RAJASTHAN	124070	112620	11089	361
23	SIKKIM	171	114	46	11
24	TAMIL NADU	217964	194599	22800	565
25	TELANGANA	46187	32290	13525	372
26	TRIPURA	701	589	108	4
27	UTTAR PRADESH	118609	108813	9346	450
28	UTTARAKHAND	5626	4659	915	52
29	WEST BENGAL	36452	32949	3337	166
30	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	1457	1188	260	9
31	CHANDIGARH	1553	1254	271	28
32	DADAR AND NAGAR HAVELI	785	583	194	8
33	DAMAN AND DIU	379	238	130	11
34	DELHI	21963	17453	4297	213
35	LAKSHADWEEP	14	12	2	0
36	PUDUCHERRY	2100	1782	307	11
Total:-		1517144	1348419	164021	6498

Source: Udyog aadhar Portal, Ministry of MSME

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 926, जिसका उत्तर 25.07.2018 को दिया जाना है, के भाग 'ख' के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान कुल पंजीकृत एमएसएमई

क्र.सं.	(01.04.2017-31.03.2018)	राज्य	कुल पंजीकृत एमएसएमई	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
1	आंध्र प्रदेश		54519	46371	7925	223
2	अरुणाचल प्रदेश		212	106	101	5
3	असम		1709	1184	492	33
4	बिहार		99171	95709	3340	122
5	छत्तीसगढ़		8255	6905	1308	42
6	गोवा		1198	840	342	16
7	गुजरात		193537	169994	22531	1012
8	हरियाणा		29379	24300	4859	220
9	हिमाचल प्रदेश		1976	1429	506	41
10	जम्मू और कश्मीर		990	684	295	11
11	झारखंड		21383	19245	2078	60
12	कर्नाटक		56536	46036	10039	461
13	केरल		20567	17455	2986	126
14	मध्य प्रदेश		206103	197808	8030	265
15	महाराष्ट्र		190803	163729	25713	1361
16	मणिपुर		6415	5602	796	17
17	मेघालय		548	505	43	0
18	मिजोरम		799	636	154	9
19	नागालैंड		142	107	33	2
20	ओडिसा		17965	15944	1945	76
21	पंजाब		29020	24687	4187	146
22	राजस्थान		124070	112620	11089	361
23	सिक्किम		171	114	46	11
24	तमिलनाडु		217964	194599	22800	565
25	तेलंगाना		46187	32290	13525	372
26	त्रिपुरा		701	589	108	4
27	उत्तर प्रदेश		118609	108813	9346	450
28	उत्तराखंड		5626	4659	915	52
29	पश्चिम बंगाल		36452	32949	3337	166
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		1457	1188	260	9
31	चंडीगढ़		1553	1254	271	28
32	दादरा और नगर हवेली		785	583	194	8
33	दमन और दीव		379	238	130	11
34	दिल्ली		21963	17453	4297	213
35	लक्षद्वीप		14	12	2	0
36	पुडुचेरी		2100	1782	307	11
	कुल:-		1517144	1348419	164021	6498

Annexure referred to in reply to part (b) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 926 for Answer on 25.07.2018

Total MSME Registered During Financial Year 2018-19* (01.04.2018-20.07.2018)

Sl. No.	State	Total MSME Registered	Micro	Small	Medium
1	ANDHRA PRADESH	7188	4673	2449	66
2	ARUNACHAL PRADESH	137	86	50	1
3	ASSAM	1054	727	318	9
4	BIHAR	22918	21799	1070	49
5	CHHATTISGARH	3426	2965	441	20
6	GOA	485	369	108	8
7	GUJARAT	49123	42984	5819	320
8	HARYANA	12528	10518	1910	100
9	HIMACHAL PRADESH	1113	882	209	22
10	JAMMU AND KASHMIR	476	357	111	8
11	JHARKHAND	6733	5990	711	32
12	KARNATAKA	18269	14880	3227	162
13	KERALA	7429	6315	1072	42
14	MADHYA PRADESH	31594	29411	2115	68
15	MAHARASHTRA	127216	114682	12038	496
16	MANIPUR	2694	2425	266	3
17	MEGHALAYA	271	255	15	1
18	MIZORAM	227	180	44	3
19	NAGALAND	132	101	29	2
20	ODISHA	4044	3364	652	28
21	PUNJAB	15736	14045	1645	46
22	RAJASTHAN	37254	33855	3283	116
23	SIKKIM	37	27	7	3
24	TAMIL NADU	67073	59610	7266	197
25	TELANGANA	14987	10934	3932	121
26	TRIPURA	432	405	26	1
27	UTTAR PRADESH	33627	30110	3348	169
28	UTTARAKHAND	2327	1939	352	36
29	WEST BENGAL	8989	7955	975	59
30	ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS	414	304	105	5
31	CHANDIGARH	848	734	107	7
32	DADAR AND NAGAR HAVELI	304	228	66	10
33	DAMAN AND DIU	148	78	59	11
34	DELHI	10806	8811	1899	96
35	LAKSHADWEEP	2	2	0	0
36	PUDUCHERRY	728	616	110	2
	Total:-	490769	432616	55834	2319

* Data till date (i.e 20.07.2018 10:30 am)

Source: Udyog aadhar Portal, Ministry of MSME

राज्य सभा अतारंकित प्रश्न सं. 926, जिसका उत्तर 25.07.2018 को दिया जाना है, के भाग 'ख' के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2018-19* के दौरान कुल पंजीकृत एमएसएमई (01.04.2018-20.07.2018)

क्र.सं.	राज्य	कुल पंजीकृत एमएसएमई	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
1	आंध्र प्रदेश	7188	4673	2449	66
2	अरुणाचल प्रदेश	137	86	50	1
3	असम	1054	727	318	9
4	बिहार	22918	21799	1070	49
5	छत्तीसगढ़	3426	2965	441	20
6	गोवा	485	369	108	8
7	गुजरात	49123	42984	5819	320
8	हरियाणा	12528	10518	1910	100
9	हिमाचल प्रदेश	1113	882	209	22
10	जम्मू और कश्मीर	476	357	111	8
11	झारखंड	6733	5990	711	32
12	कर्नाटक	18269	14880	3227	162
13	केरल	7429	6315	1072	42
14	मध्य प्रदेश	31594	29411	2115	68
15	महाराष्ट्र	127216	114682	12038	496
16	मणिपुर	2694	2425	266	3
17	मेघालय	271	255	15	1
18	मिजोरम	227	180	44	3
19	नागालैंड	132	101	29	2
20	ओडिसा	4044	3364	652	28
21	पंजाब	15736	14045	1645	46
22	राजस्थान	37254	33855	3283	116
23	सिक्किम	37	27	7	3
24	तमिलनाडु	67073	59610	7266	197
25	तेलंगाना	14987	10934	3932	121
26	त्रिपुरा	432	405	26	1
27	उत्तर प्रदेश	33627	30110	3348	169
28	उत्तराखंड	2327	1939	352	36
29	पश्चिम बंगाल	8989	7955	975	59
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	414	304	105	5
31	चंडीगढ़	848	734	107	7
32	दादरा और नगर हवेली	304	228	66	10
33	दमन और दीव	148	78	59	11
34	दिल्ली	10806	8811	1899	96
35	लक्षद्वीप	2	2	0	0
36	पुडुचेरी	728	616	110	2
	कुल :-	490769	432616	55834	2319

* आज तक का डाटा (अर्थात 20.07.2018 10:30 बजे)

स्रोत : उद्योग आधार पोर्टल, एमएसएमई मंत्रालय

Annex-III

Annexure referred to in reply to part (c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 926 for Answer on 25.07.2018

Outstanding credit to Micro, Small and Medium Enterprises by Scheduled commercial Banks

As on	MSE	Medium
	Amount Outstanding	Amount Outstanding
March 31, 2015	961174.17	209851.88
March 31, 2016	996424.94	219582.17
March 31, 2017	1070129.48	226269.34

Source: As reported by Reserve Bank of India

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 926, जिसका उत्तर 25.07.2018 को दिया जाना है, के भाग 'ग' के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया ऋण

तारीख तक	एमएसई	मध्यम
	बकाया राशि	बकाया राशि
31 मार्च, 2015	961174.17	209851.88
31 मार्च, 2016	996424.94	219582.17
31 मार्च, 2017	1070129.48	226269.34

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथासूचित

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION 15th Session of 16th Lok Sabha

QUESTION DATE 30.07.2018

LOK SABHA
STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Q.No.	Printed Version Priority No.	Remarks, if any
	Nil	-	Nil	-	-

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1	ZED Scheme	AS&DC/ JS (TC)	1842	
2	Promotion of Women Entrepreneurs	JS(ARI)	1865	
3	Promotion of MSMEs in Foreign Countries	JS(SME)	1914	
4	Technology Development Centres	AS&DC/ JS (TC)	1920	
5	Cluster of Jaggery in Maharashtra	AS&DC/ ADC (PS)	1998	
6	Performance of MSME Sector	JS(ARI)	2019	
7	MSME Exports	AS&DC/ JDC (MK)	2023	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1842
TO BE ANSWERED ON: 30.07.2018

ZED SCHEME

1842. DR. KIRIT P. SOLANKI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the details of the total number of MSMEs that have started to follow the manufacturing patterns as provided in the guidelines of the Zero defect, Zero Effect (ZED) Scheme;
- (b) whether the National Monitoring and Implementation Unit (NMIU), i.e., the Quality Council of India (QCI) has been following the guidelines on a consistent basis and if so, the details thereof; and
- (c) whether there is any mechanism put in place to report the periodic effect of the scheme on the environment and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

- (a): More than 20,000 MSMEs have registered themselves to take up Zero defect, Zero Effect (ZED) manufacturing under ZED scheme.
- (b): Yes, Madam. In accordance with the guidelines of the scheme, the Quality Council of India (QCI) have organised Awareness and Training Programmes, developed e-Learning Modules; have carried out Assessments and have awarded ZED ratings.
- (c): National Monitoring and Implementation Unit (NMIU) of the Scheme has been advised to report the periodic effect of the scheme on the environment.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1842
उत्तर देने की तारीख : 30.07.2018

जेडईडी योजना

1842. डॉ. किरिट पी. सोलंकी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्होंने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेडईडी) योजना के दिशा-निर्देशों में दिए गए विनिर्माण पैटर्न का अनुसरण करना आरंभ कर दिया है;
- (ख) क्या राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) अर्थात् भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) दिशा-निर्देशों का नियमित आधार पर पालन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या इस योजना का पर्यावरण पर सामयिक प्रभाव की रिपोर्ट के संबंध में कोई तंत्र बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

- (क) : 20,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने जेडईडी स्कीम के तहत जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट (जेडईडी) विनिर्माण अपनाने के लिए अपने-आपको पंजीकृत किया है।
- (ख) : जी, हां। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं; ई-लर्निंग मॉड्यूल का विकास किया गया है; आंकलन किया गया है और जेडईडी रेटिंग्स दिये गए हैं।
- (ग) : इस योजना की राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) को पर्यावरण पर योजना के आवधिक प्रभाव से संबंधित रिपोर्ट देने की सलाह दी गई है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1865
TO BE ANSWERED ON 30.07.2018

PROMOTION OF WOMEN ENTREPRENEURS

1865. SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Government proposes to establish a network to create business model for the various products and services to empower women and to increase their entrepreneurship skill in Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector;
- (b) if so, the details thereof along with the details of the assistance the Government proposes to provide through this network; and
- (c) the details of the schemes the Government proposes to implement in this regards?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)to(c): Yes, Madam. The Government, through Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), has launched a portal namely "Udyam Sakhi" for encouraging women entrepreneurs and to aid, counsel, assist and protect their interests. Udyam Sakhi network is a platform for emerging Women Entrepreneurs of India to get support, to understand current scenario of industries and to get guidance in various aspects of entrepreneurship. It helps Indian women to start, build and grow businesses and creating business models revolving around low-cost products and services to resolve social inequities.

In addition to the above, the Ministry of MSME is empowering women entrepreneurship through the following schemes:

Coir Board is implementing the Skill Upgradation & Mahila Coir Yojana (MCY) under which programmes like Entrepreneurship Development Programme (EDP), Awareness Programme, Workshop, Seminar, Exposure Tour, etc. for attracting more women entrepreneurs to set up coir industrial units are covered. The financial assistance for procurement of equipments/machineries may be obtained under the PMEGP scheme by the trained women for setting up coir units or start coir clusters under Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI). Priority will be given to the trained women under PMEGP.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1865
उत्तर देने की तारीख 30.07.2018
महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना

1865. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई क्षेत्र) में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के लिए व्यवसाय उत्पन्न करने हेतु नेटवर्क बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नेटवर्क के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कार्यान्वित की जाने वाली योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग) जी, हाँ। सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके हितों की मदद, परामर्श, सहायता और सुरक्षा के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से "उद्यम सखी" नामक एक पोर्टल आरंभ किया है। उद्यम सखी नेटवर्क उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं पर सहायता प्राप्त करने और उद्योगों के वर्तमान परिदृश्य को समझने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भारत की उभरती महिला उद्यमियों के लिए एक मंच है। यह भारतीय महिलाओं की सामाजिक असमानताओं का समाधान करने के लिए कम लागत वाले उत्पादों और सेवाओं के व्यवसाय आरंभ करने, व्यवसाय मॉडल सृजित करने और निर्माण करने में सहायता करता है।

तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से महिला उद्यमिता को सशक्त कर रहा है:

कयर बोर्ड कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत कयर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए महिलाओं को और अधिक आकर्षित करने हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार, एक्सपोजर टूर, आदि जैसे कार्यक्रमों को कवर किया जाता है। परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत कयर इकाइयां स्थापित करने अथवा कयर क्लस्टर शुरू करने के लिए प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत उपकरण/मशीनरी के प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

Under the 'Mahila Coir Yojana' scheme, which is exclusively for rural women artisans, training in spinning of coir yarn/various coir processing activities is imparted to rural women in regions producing coir fibre in the country. The scheme envisages distribution of motorized ratts/motorized traditional ratts and other coir processing equipments at 75% subsidy subject to a maximum of Rs.7500/- which can be operated by women after completion of a two months' training programme. During the training period, the women artisans are given stipend amounting Rs. 1000/- per month.

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is implementing Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), a major credit-linked subsidy scheme since 2008-09, to promote and set up micro, small and medium enterprises and to generate employment in rural and urban areas of the country. The maximum cost of the project under PMEGP scheme is Rs.25.00 lakhs for manufacturing sector units and Rs.10.00 lakhs for units under service sector. Under the scheme the women entrepreneurs are provided 25% and 35% subsidies for the project set up in urban and rural areas respectively. For women beneficiaries, own contribution is only 5% of the project cost while for general category it is 10%. All the entrepreneurs including women are eligible for 2 weeks EDP after the sanction of their projects from banks for financial assistance to setup their unit. During 2016-17 and 2017-18, State/UT-wise number of projects set up by women entrepreneurs and margin money subsidy provided is placed at *Annexure-I*.

The entrepreneurs including women entrepreneurs can sell their products through 8058 sales outlets run by Khadi Institutions including 7 departmental outlets of KVIC located at Mumbai, Kolkata, Ernakulum, Bhopal, Goa, Patna and Delhi.

KVIC is also imparting training for skill development through 38 Departmental and Non-Departmental Training Centres under various disciplines. During 2017-18, a total of 35955 number of women candidates were trained.

Under the Entrepreneurship Development Programme-EDPs (IMC/EDP/ESDP/MDP) Scheme, there is a provision of conducting 20% of EDP/ESDP programmes for weaker sections (ST/SC/Women/PH.) of the society. There is no fee charged from participants of such programmes. Besides, a stipend of Rs. 125/- per week per candidate is given.

Under Domestic Fairs/Exhibition component of Marketing Assistance and Technology Upgradation (MATU) scheme, 100% of the space rent is paid for SC/ST/Women/NER/PH category MSE units limited to Rs.20,000/- (Rs.50,000/- in case of technology trade fair/exhibition) or actual, whichever is less. Under International Trade Fairs/Exhibition component of MATU scheme, 100% of the space rent is paid for SC/ST/Women/NER MSE units subject to maximum Rs.1.00 lakh or actual rent, whichever is less.

‘महिला कयर योजना’ जो विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए है, के अंतर्गत देश में कयर फाइबर का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को कयर यार्न की कटाई/ विभिन्न कयर प्रसंस्करण कार्यकलापों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम में अधिकतम 7500 रुपये के अधीन 75% सब्सिडी पर मोटर युक्त रटों/मोटर युक्त परंपरागत रटों और अन्य कयर प्रसंस्करण उपकरणों के वितरण की परिकल्पना की जाती है जिसे दो महीनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लेने के बाद महिला द्वारा संचालित किया जा सकता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान, महिला कारीगरों को 1000 रुपये प्रतिमाह वृत्तिका दी जाती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं स्थापना करने और देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए 2008-09 से एक मुख्य ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों के लिए 10 लाख रुपए है। इस स्कीम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना की स्थापना के लिए 25% और 35% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। महिला लाभार्थियों के लिए अपना अंशदान परियोजना लागत का केवल 5% है जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह 10% है। महिलाओं सहित सभी उद्यमी अपनी इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए बैंकों से परियोजनाओं के स्वीकृत होने के बाद दो सप्ताह के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए पात्र हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या और उपलब्ध कराई मार्जिन मनी सब्सिडी अनुबंधन में दी गई है।

महिला उद्यमी सहित उद्यमी मुम्बई, कोलकाता, एर्नाकुलम, भोपाल, गोवा, पटना, और दिल्ली स्थित केवीआईसी के 07 विभागीय आउटलेट सहित खादी संस्थाओं द्वारा संचालित 8058 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अपने उत्पादों का क्रय कर सकते हैं।

केवीआईसी विभिन्न डिसेपिलीन के अंतर्गत 38 विभागीय और गैर विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 35955 महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

उद्यमी विकास कार्यक्रम-ईडीपी (आईएमसी/ईडीपी/ईएसडीपी/एमडीपी) स्कीम के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं/दिव्यांगों) के लिए 20 प्रतिशत ईडीपी/ईएसडीपी का प्रावधान है। ऐसे कार्यक्रमों के भागीदारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अलावा, प्रति उम्मीदवार को 125/- रु. प्रति सप्ताह की वृत्तिका दी जाती है।

विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन (एमएटीयू) स्कीम के घटक घरेलू मेलों/प्रदर्शनियों के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं/पूर्वोत्तर क्षेत्र/दिव्यांग श्रेणी के लिए स्थान किराए का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। एमएसई इकाइयां 20,000/- रु. तक सीमित हैं-(प्रौद्योगिकी व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के मामले में 50,000/-रु.) अथवा वास्तविक जो भी कम हो, भुगतान किया जाता है। एमएटीयू स्कीम के घटक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं/पूर्वोत्तर क्षेत्र एमएसई इकाइयों के लिए स्थान किराए का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। यह अधिकतम 1.00 लाख रु. या वास्तविक किराया जो भी कम हो, के अधीन है।

Annexure-I referred to in reply to part (a) to (c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 1865 for answer on 30.07.2018

Number of projects set up by Women Entrepreneurs and Margin Money (MM) disbursed during 2016-17 and 2017-18

Sl. No.	State/UT	2016-17		2017-18	
		No. of Projects set up	MM subsidy disbursed (Rs. in lakh)	No. of Projects set up	MM subsidy disbursed (Rs. in lakh)
1	Jammu & Kashmir	476	634.15	1188	1718.41
2	Himachal Pradesh	198	422.73	303	765.23
3	Punjab	454	1316.11	580	1861.72
4	Chandigarh	14	25.07	18	32.58
5	Haryana	283	662.57	422	958.11
6	Delhi	40	58.51	43	57.16
7	Rajasthan	314	1250.10	337	1332.04
8	Uttarakhand	296	528.92	327	676.04
9	Uttar Pradesh	1387	5030.05	1492	5417.78
10	Chhattisgarh	319	977.37	327	959.80
11	Madhya Pradesh	512	2100.23	518	2645.46
12	Sikkim	11	11.16	15	19.35
13	Arunachal Pradesh	104	138.50	86	121.22
14	Nagaland	334	626.72	427	1178.34
15	Manipur	223	581.75	237	473.38
16	Mizoram	128	217.30	134	133.83
17	Tripura	452	734.81	261	393.52
18	Meghalaya	142	155.15	31	56.98
19	Assam	1484	1015.53	581	528.41
20	Bihar	915	2115.84	647	1778.56
21	West Bengal	802	1535.21	406	1144.53
22	Jharkhand	292	494.67	215	537.20
23	Odisha	942	2144.02	777	2095.83
24	A & N Islands	22	15.33	38	33.02
25	Gujarat	567	3905.07	1017	7785.33
26	Maharashtra	783	2233.86	1079	3153.11
27	Goa	37	95.36	19	43.08
28	Andhra Pradesh	294	2631.29	719	2761.31
29	Telangana	218	812.76	370	1534.84
30	Karnataka	816	2362.30	580	1853.93
31	Kerala	635	1112.50	525	960.76
32	Tamil Nadu	1248	2955.01	1929	3314.02
33	Puducherry	26	49.20	21	30.98
	TOTAL	14768	38949.15	15669	46355.86

दिनांक 30.07.2018 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1865 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1
वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं की संख्या और संवितरित मार्जिन मनी (एमएम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18	
		स्थापित परियोजनाओं की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी (लाख रु. में)	स्थापित परियोजनाओं की संख्या	संवितरित मार्जिन मनी (लाख रु. में)
1	जम्मू-कश्मीर	476	634.15	1188	1718.41
2	हिमाचल प्रदेश	198	422.73	303	765.23
3	पंजाब	454	1316.11	580	1861.72
4	चंडीगढ़	14	25.07	18	32.58
5	हरियाणा	283	662.57	422	958.11
6	दिल्ली	40	58.51	43	57.16
7	राजस्थान	314	1250.10	337	1332.04
8	उत्तराखंड	296	528.92	327	676.04
9	उत्तर प्रदेश	1387	5030.05	1492	5417.78
10	छत्तीसगढ़	319	977.37	327	959.80
11	मध्य प्रदेश	512	2100.23	518	2645.46
12	सिक्किम	11	11.16	15	19.35
13	अरुणाचल प्रदेश	104	138.50	86	121.22
14	नगालैंड	334	626.72	427	1178.34
15	मणिपुर	223	581.75	237	473.38
16	मिजोरम	128	217.30	134	133.83
17	त्रिपुरा	452	734.81	261	393.52
18	मेघालय	142	155.15	31	56.98
19	असम	1484	1015.53	581	528.41
20	बिहार	915	2115.84	647	1778.56
21	पश्चिम बंगाल	802	1535.21	406	1144.53
22	झारखंड	292	494.67	215	537.20
23	ओडिशा	942	2144.02	777	2095.83
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22	15.33	38	33.02
25	गुजरात	567	3905.07	1017	7785.33
26	महाराष्ट्र	783	2233.86	1079	3153.11
27	गोवा	37	95.36	19	43.08
28	आंध्र प्रदेश	294	2631.29	719	2761.31
29	तेलंगाना	218	812.76	370	1534.84
30	कर्नाटक	816	2362.30	580	1853.93
31	केरल	635	1112.50	525	960.76
32	तमिलनाडु	1248	2955.01	1929	3314.02
33	पुडुचेरी	26	49.20	21	30.98
	कुल	14768	38949.15	15669	46355.86

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1914
TO BE ANSWERED ON: 30.07.2018

PROMOTION OF MSMEs IN FOREIGN COUNTRIES

1914. SHRI GODSE HEMANT TUKARAM:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Government has signed any Memorandum of Understanding (MoU) on cooperation in the field of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with various countries including Sweden and Netherland;
- (b) if so, the details and the salient features thereof along with the extent to which such cooperation is likely to help Indian MSME sector, country-wise;
- (c) whether the Government has established/proposes to establish MSME cell in the Indian Missions in major countries for promotion of the Indian MSMEs and if so, the details, thereof, country-wise; and
- (d) whether the Government organizes/proposes to organize annual MSME fairs/exhibitions for promotion of MSME in major foreign countries and if so, the details thereof, country-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): Yes, Madam. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India has signed 20 MoUs/Agreements with various countries including Sweden for cooperation in Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) sector. MoU with Sweden was signed on 1st June, 2015. There is no MoU /Agreement with Netherland. The objective of the MoUs is to promote cooperation between the Micro, Small and Medium Enterprises of the two sides. These MoUs provide structured framework and enabling environment to the MSME sector of the two sides to understand each other's strength, markets, technologies, policies etc. The Agreements also facilitate the respective MSMEs to participate in each other's trade fairs/exhibitions and to exchange business delegations, to understand policy and explore markets so that joint ventures, tie-ups, technology transfer etc. could take place. The signing of Agreements does not contain or involve any financial, legal or political commitment on the part of either party.

(c)&(d): No, Madam.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1914
उत्तर देने की तारीख 30.07.2018

विदेशों में एमएसएमई को प्रोत्साहन देना

1914. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने स्वीडन और नीदरलैंड सहित विभिन्न देशों के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा इस सहयोग से भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को देश-वार कितनी मदद मिलने की संभावना है;
- (ग) क्या सरकार ने भारतीय एमएसएमई के संवर्धन हेतु प्रमुख देशों में भारतीय मिशन में एमएसएमई सेल स्थापित किया है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार प्रमुख देशों में एमएसएमई के संवर्धन के लिए वार्षिक एमएसएमई मेला/प्रदर्शनियां आयोजित करती है/आयोजित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): जी, हाँ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्वीडन सहित विभिन्न देशों के साथ 20 समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वीडन के साथ समझौता ज्ञापन पर दिनांक 1 जून, 2015 को हस्ताक्षर किए गए। नीदरलैंड के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं है। समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य दो पक्षों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ये समझौता ज्ञापन एक-दूसरे के सामर्थ्य, बाजारों, प्रौद्योगिकियों (टेक्नोलॉजियों), नीतियों आदि को समझने के लिए दो पक्षों के एमएसएमई सेक्टर को ढाँचागत फ्रेमवर्क एवं समर्थनकारी वातावरण प्रदान करते हैं। समझौता एक-दूसरे के व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा व्यवसाय प्रतिनिधिमंडलों को विनिमय (एक्सचेंज) करने, नीति को समझने एवं बाजारों को खोजने के लिए संबंधित एमएसएमई को भी सुसाध्य बनाते हैं ताकि संयुक्त उद्यम, टाई अप्स, प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) अंतरण आदि हो सके। दोनों पक्षों की ओर से समझौतों पर हस्ताक्षर में कोई वित्तीय, वैधानिक या राजनैतिक प्रतिबद्धता शामिल नहीं होती है।

(ग) और (घ): जी, नहीं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No.1920
TO BE ANSWERED ON 30.07.2018

TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTRES

1920. SHRI DEEPENDER SINGH HOODA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the status of work on Tool Room/Technology Development Centres proposed to be set up at Rohtak and Saha, Ambala in Haryana including the stage of construction of building infrastructure;

(b) the number of new Tool Rooms/Technology Development Centres approved/proposed in Haryana during the last three years;

(c) whether the work is going on as per the schedule or is there some delay in completion of work and if so, the details thereof including correspondence with Government of Haryana and , if any; and

(d) the details of the investment made by the Government in setting up each of these centres and the number of people likely to be benefited from each such centre every year and the time by which work on these Tool Rooms is likely to be completed for full fledged operations?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (d): Under Technology Centre Systems Programme (TCSP), one Technology Centre at Rohtak (Haryana) has been approved with estimated cost of Rs.125.56 crore. The work in respect of this Technology Centre is as per schedule and its estimated annual training capacity is 8500 trainees.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1920
उत्तर देने की तारीख : 30.07.2018

प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

1920. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हरियाणा में रोहतक एवं साहा, अंबाला में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकरण कक्षा/प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र के कार्य की स्थिति क्या है तथा भवन अवसंरचना के निर्माण में स्थिति क्या है;
- (ख) गत 3 वर्षों के दौरान हरियाणा में स्वीकृत/प्रस्तावित नए उपकरण कक्षा/प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या उक्त कार्य अपने कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है या उक्त कार्य को पूरा होने में कुछ विलंब हो रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में हरियाणा सरकार के साथ क्या पत्राचार हुआ है; और
- (घ) इनमें से प्रत्येक केन्द्र की स्थापना के लिए सरकार द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक केन्द्र से प्रति वर्ष कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है तथा इन उपकरण कक्षाओं के पूर्ण रूप से कार्य करने लायक बनाने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ) : प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत, रोहतक (हरियाणा) में 125.56 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का अनुमोदन दिया गया है। इस प्रौद्योगिकी केंद्र का कार्य अपने नियत समयानुसार चल रहा है और इसकी वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता लगभग 8500 प्रशिक्षु है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1998
TO BE ANSWERED ON 30.07.2018

CLUSTER OF JAGGERY IN MAHARASHTRA

1998. SHRI RAJU SHETTY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Government proposes to develop the jaggery clusters in various parts of the country including Maharashtra;
- (b) if so, the details thereof including necessary infrastructure provided in this regard, State-wise;
- (c) whether farmers producing jaggery were registered for the same;
- (d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
- (e) the corrective steps taken by the Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDANT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) extend financial support for development of clusters under Micro and Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE-CDP) and Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI).

(b): No proposal of Jaggery Cluster has been approved under MSE-CDP and SFURTI.

(c) to (e): Does not arise in view of (b) above.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2019
TO BE ANSWERED ON 30.07.2018

~ PERFORMANCE OF MSME SECTOR

2019. SHRIMATI POONAMBEN MAADAM:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the details of jobs generated in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector during each of the last three years and the current year, State/UT wise including the State of Gujarat;
- (b) the details of the contribution made by this sector to the nation's GDP and percentage contribution made towards the country's total exports during the said period;
- (c) the details of the major challenges faced by the MSMEs especially with regard to facilitating their growth; and
- (d) the steps taken/proposed to be taken by the Government to encourage the MSME sector and generate more jobs in this sector?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDANT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): As per the National Sample Survey (NSS) 73rd round conducted during the period 2015-16, MSME sector has been creating 11.10 crore jobs (360.41 lakh in manufacturing, 387.18 lakh in trade and 362.82 lakh in other services and 0.07 lakh in Non-captive Electricity Generation and Transmission) in the rural and urban areas across the country.

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is running various schemes to boost employment generation in the country. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a major credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth. Any individual above 18 years of age is eligible. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as scheduled caste/scheduled tribe/OBC /minorities/women, ex-serviceman, physically handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of projects is Rs.25 lakh in the manufacturing sector and Rs.10 lakh in the service sector. Benefit can be availed under PMEGP for setting up of new units only.

The Scheme was launched during 2008-09. Since its inception, a total of 4.72 lakh micro enterprises have been assisted with a margin money subsidy of Rs.10007.67 crore providing employment to an estimated 39.36 lakh persons, till 2017-18 (up to 31.03.2018). The details of job generated during each of the last three years and the current year, State/UT wise including the State of Gujarat is given at Annexure -I.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2019
उत्तर देने की तारीख 30.07.2018
एमएसएमई क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

2019. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में सृजित रोजगारों का गुजरात सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्तावधि के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान का ब्यौरा क्या है तथा देश के कुल निर्यात में इसके योगदान का प्रतिशत कितना है;
- (ग) एमएसएमई के समक्ष प्रमुख चुनौतियों, विशेष रूप से उनके विकास से संबंधित चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार देश भर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र 11.10 करोड़ रोजगार (विनिर्माण में 360.41 लाख, व्यापार में 387.18 लाख तथा अन्य सेवाओं में 362.82 लाख एवं नॉन कैप्टिव विद्युत सृजन एवं संचारण) सृजित करता रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों चला रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक प्रमुख ऋण संबद्ध कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों तथा बेरोजगार युवाओं की सहायता कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पात्र है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभ लिया जा सकता है।

इस स्कीम को 2008-09 के दौरान शुरू किया गया। आरंभ से 10007.67 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी से कुल 4.72 लाख सूक्ष्म उद्यमों की सहायता करके वर्ष 2017-18 तक (31.03.2018 तक) अनुमानित 39.36 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान गुजरात राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

Coir Board, a statutory body under Ministry of MSME is implementing Coir Vikas Yojna (CUY) for sustainable development of Coir Industries in the coconut producing States. The details of employment generated in coir sector during the last three years are given at Annexure – II.

(b): As per available data, the details of the contribution made by MSME sector to the nation's GDP is given below:

	2014-15	2015-16	2016-17
Share of MSME in total GDP (in %)	29.7%	29.2%	28.9%

The percentage contribution made by MSME sector towards the country's total export is given below:

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
% Contribution to Country's total exports	44.75%	49.86%	49.69%	48.58%

(c): MSMEs face challenges like Availability of credit, technology up-gradation, marketing, and infrastructure. Sector face difficulties in mobilizing the capital fund to set up their industries and also market their product in competitive environment.

(d): The Ministry of MSME has taken a number of initiatives for the promotion and development of MSME sector across the country. Ministry of MSME is implementing Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), for credit assistance and employment generation.

For Skill development and Infrastructure Development Ministry of MSME is running A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE), and Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI).

For Quality improvement and to sustain market competitiveness Ministry has started ZED Scheme, Digital MSME Scheme etc. Ministry has also launched many portals to help entrepreneurs in technology up gradation and to promote marketing of their product.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय, कयर बोर्ड नारियल उत्पादक राज्यों में कयर उद्योग के सतत विकास के लिए कयर विकास योजना (सीयूवाई) कार्यान्वित कर रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान कयर क्षेत्र में सृजित रोजगार का ब्योरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र द्वारा किया गया योगदान का ब्योरा नीचे दिया गया है:

	2014-15	2015-16	2016-17
कुल सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का हिस्सा (% में)	29.7%	29.2%	28.9%

देश के कुल निर्यात के लिए एमएसएमई क्षेत्र द्वारा किया प्रतिशत योगदान नीचे दिया गया है:

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
देश के कुल निर्यात में % योगदान	44.75%	49.86%	49.69%	48.58%

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं अवसंरचना जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। यह क्षेत्र अपने उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजीगत निधि जुटाने और प्रतिस्पर्धी वातावरण में अपने उत्पाद को बेचने के लिए भी कठिनाइयों का सामना करता है।

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश भर में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए बहुत-सी पहल की हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), ऋण सहायता एवं रोजगार सृजन के लिए ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है।

कौशल विकास एवं अवसंरचना विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) तथा परंपरागत उद्योगों के पुर्नसृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) चला रहा है।

गुणता सुधार तथा बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने जेड स्कीम, डिजिटल एमएसएमई स्कीम, आदि शुरू की हैं। मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी उन्नयन में उद्यमियों की मदद करने तथा उनके उत्पाद के विपणन को संवर्धित करने के लिए बहुत-से पोर्टल शुरू किए हैं।

Annexure I referred to in reply to part (a) of the Lok Sabha Unstarred Qn. No. 2019 for answer on 30.07.2018

State-wise position of employment under PMEGP during last three years and current year (up to 30.06.2018).

Sr. No.	State/UT	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (up to 30.06.2018)
1	Jammu& Kashmir	12115	11691	30024	8888
2	Himachal Pradesh	5134	6916	7088	1016
3	Punjab	7762	9858	12160	2472
4	UT Chandigarh	323	376	360	56
5	Uttarakhand	6161	9890	12904	4648
6	Haryana	7232	11016	13744	2728
7.	Delhi	2048	952	920	40
8	Rajasthan	14537	13408	12614	4336
9	Uttar Pradesh	43059	36315	43456	12472
10	Bihar	19624	25872	18456	5864
11	Sikkim	397	201	296	40
12	Arunachal Pradesh	104	1984	1672	832
13	Nagaland	4998	7783	7440	1232
14	Manipur	2715	8419	4800	1568
15	Mizoram	9072	3400	1992	1424
16	Tripura	5355	17961	8928	1864
17	Meghalaya	4824	2632	600	528
18	Assam	9026	31498	18256	8896
19	West Bengal	12746	26604	10928	3824
20	Jharkhand	12873	10400	8888	2464
21	Odisha	17629	20392	19192	6184
22	Chhattisgarh	9496	12856	11704	6016
23	Madhya Pradesh	16497	15520	14432	2432
24	Gujarat*	14960	11629	15008	3632
25	Maharashtra **	20161	17799	26632	8744
26	Andhra Pradesh	7740	14148	12216	3136
27	Telangana	7761	6445	9520	1488
28	Karnataka	17284	30286	16920	5560
29	Goa	500	660	400	32
30	Lakshadweep	0	00	00	00
31	Kerala	9653	13068	10776	3712
32	Tamilnadu	20836	25764	32760	4592
33	Puducherry	447	699	352	48
34	Andaman & Nicobar Islands	293	1398	1744	296
		323362	407840	387184	111064

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

दिनांक 30.07.2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2019 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत रोजगार की राज्यवार स्थिति
(30.06.2018 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (30.06.2018 तक)
1	जम्मू और कश्मीर	12115	11691	30024	8888
2	हिमाचल प्रदेश	5134	6916	7088	1016
3	पंजाब	7762	9858	12160	2472
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	323	376	360	56
5	उत्तराखंड	6161	9890	12904	4648
6	हरियाणा	7232	11016	13744	2728
7	दिल्ली	2048	952	920	40
8	राजस्थान	14537	13408	12614	4336
9	उत्तर प्रदेश	43059	36315	43456	12472
10	बिहार	19624	25872	18456	5864
11	सिक्किम	397	201	296	40
12	अरुणाचल प्रदेश	104	1984	1672	832
13	नगालैंड	4998	7783	7440	1232
14	मणिपुर	2715	8419	4800	1568
15	मिजोरम	9072	3400	1992	1424
16	त्रिपुरा	5355	17961	8928	1864
17	मेघालय	4824	2632	600	528
18	असम	9026	31498	18256	8896
19	पश्चिम बंगाल	12746	26604	10928	3824
20	झारखंड	12873	10400	8888	2464
21	ओडिशा	17629	20392	19192	6184
22	छत्तीसगढ़	9496	12856	11704	6016
23	मध्य प्रदेश	16497	15520	14432	2432
24	गुजरात*	14960	11629	15008	3632
25	महाराष्ट्र **	20161	17799	26632	8744
26	आंध्र प्रदेश	7740	14148	12216	3136
27	तेलंगाना	7761	6445	9520	1488
28	कर्नाटक	17284	30286	16920	5560
29	गोवा	500	660	400	32
30	लक्षद्वीप	0	00	00	00
31	केरल	9653	13068	10776	3712
32	तमिलनाडु	20836	25764	32760	4592
33	पुडुचेरी	447	699	352	48
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	293	1398	1744	296
		323362	407840	387184	111064

* दमण और दीव सहित।

** दादरा एवं नगर हवेली सहित।

Annexure-II

Annexure II referred to in reply to part (a) of the Lok Sabha Unstarred Qn. No. 2019 for answer on 30.07.2018

State	2015-16	2016-17	2017-18
Kerala	1312	861	1629
Tamil Nadu	1483	2383	1059
Karnataka	102	432	287
Andhra Pradesh	879	652	193
Odisha	325	225	375
Others	108	226	89
Total	4209	4779	3632

अनुबंध-II

दिनांक 30.07.2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2019 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित
अनुबंध-II

राज्य	2015-16	2016-17	2017-18
केरल	1312	861	1629
तमिलनाडु	1483	2383	1059
कर्नाटक	102	432	287
आंध्र प्रदेश	879	652	193
ओडिशा	325	225	375
अन्य	108	226	89
कुल	4209	4779	3632

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2023
TO BE ANSWERED ON 30.07.2018

MSME EXPORTS

2023. **SHRI SHARAD TRIPATHI:**

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether most of the food and agriculture products are exported by the small and medium enterprises in the country and if so, the details thereof;
- (b) the number of enterprises out of the total small and medium enterprises in the country engaged in exports; and
- (c) whether these units earn more profit in comparison to other enterprises functioning in the country and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): As per the information received from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), the number of exporters engaged in food, vegetables and agro products has been 8035 in the year 2017-18 and the MSME share in these product exports from India has been 4.17% during the same period.

(c): The profit of enterprises depends on various factors such as cost of raw materials, use of efficient technology, quality, packaging, marketing of finished products, freight & insurance charges, taxes & duties, etc.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2023
उत्तर देने की तारीख : 30.07.2018

एमएसएमई निर्यात

2023. श्री शरद त्रिपाठी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में अधिकांश खाद्य और कृषि उत्पाद लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा निर्यात किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में कुल छोटे और मध्यम उद्यमों में से कितने उद्यम हैं जो कि निर्यात में संलग्न हैं; और
- (ग) क्या ये इकाइयां देश में प्रचालित अन्य उद्यमों की तुलना में अधिक लाभ कमाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार खाद्य, वनस्पतियों और कृषि उत्पादों से जुड़े निर्यातकों की संख्या वर्ष 2017-18 में 8035 थी और इस अवधि के दौरान भारत से उक्त उत्पादों के निर्यात में एमएसएमई की भागीदारी 4.17 प्रतिशत थी।

(ग) : उद्यमों का मुनाफा कच्चे माल की लागत, कुशल प्रौद्योगिकी के उपयोग, गुणवत्ता, पैकेजिंग, तैयार माल के विपणन, किराया और बीमा प्रभावों, शुल्कों और करों इत्यादि पर निर्भर करता है।

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION : 246th Session

RAJYA SABHA
QUESTION DATE 01.08.2018

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
	NIL		NIL		

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1.	Favourable conditions for promotion of MSMEs	AS&DC/ADC(SM)	1706	
2.	Solar Charkha Mission	JS(ARI)	1707	
3.	Performance and target achievements of MSMEs	AS&DC/ADC(SM)	1708	
4.	Schemes for promotion of MSME sector	AS&DC/ADC(SM)	1709	

NO DELAY

PARLIAMENT QUESTION

No. 3(1)/2018-Parl.
Government of India
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Office of the Development Commissioner
(MSME))

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated, the 27.07.2018

RAJYA SABHA QUESTIONS

A list showing **Rajya Sabha Questions**, which have been admitted for answer on Wednesday the **1st August, 2018** is enclosed at Annexure. The Rajya Sabha **Unstarred Questions** files may be put up as quickly as possible and **should reach today** to **AS&DC (MSME)/ JS (SME) & JS (ARI)**. Notices of Admitted versions of the question have already been sent to the sections concerned.

D Chaudhary 27/7/18
(Duni Chand Chambail)
Consultant(Parliament)
Tel: 23061044

To

JS (SME)/ JS (ARI)/JS(TC)/DDG(S&D)/ ADC (SM)/ADC(PS)/ ADC (AS) Dir. (Parl.)/Hindi Section.

Copy to :-

1. PS to Hon'ble Minister (MSME).
2. PPS to Secretary (MSME).
3. PS to AS&DC(MSME).

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1706
TO BE ANSWERED ON 01.08.2018

Favourable conditions for promotion of MSMEs

1706. SHRI HARNATH SINGH YADAV:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the steps taken/being taken by Government for creating/providing favourable conditions for the development and promotion of MSMEs under the Ease of Doing Business programme and the extent of success achieved therefrom during the last two years;
- (b) whether Government has enacted a model legislation for regulating the functioning of MSMEs in the country and if so, the details thereof; and
- (c) whether the same legislation is being replicated/followed by all the States in the country including Uttar Pradesh and if so, the details thereof and if not, the steps taken/being taken by Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): In order to promote the Ease of Doing Business, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has introduced online filing of Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) from 18.09.2015. Since then the total number of UAM filed by micro, small and medium enterprises is 4931098. In addition to it, the Ministry has also taken the following steps to promote the Ease of Doing Business:

- (i) MSME SAMADHAAN Portal- for empowering micro and small entrepreneurs across the country to directly register their cases relating to payments delayed by Central Ministries/Departments/CPSEs/State Governments etc.
- (ii) MSME SAMBANDH Portal- to help in Monitoring the Implementation of Public Procurement Policy for micro and small enterprises.
- (iii) MSME SAMPARK Portal- A digital platform, wherein, jobseekers (passed out trainees / students of 18 MSME Technology Centres) and recruiters get connected.
- (iv) Digital Payments- to pass on the benefits of the schemes of Ministry of MSME through digital payment gateway.

(b)&(c): The Micro, Small and Medium Enterprise Development (MSMED) Act, 2006 has been already enacted. This Act is applicable to all the States and Union Territories of India.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1706
उत्तर देने की तारीख : 01.08.2018

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल स्थितियां

1706. श्री हरनाथ सिंह यादव:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा कारोबार करने की सहूलियत के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां सृजित करने/प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और गत दो वर्षों के दौरान इसमें कितनी सफलता मिली है;
- (ख) क्या सरकार ने देश में एमएसएमई के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए कोई मॉडल कानून बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में इस कानून को अपनाया गया है/अनुपालन किया जा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने व्यापार करने को सरल बनाने के लिए दिनांक 18.09.2015 से उद्योग आधार जापन (यूएम) ऑनलाइन दर्ज करना आरंभ किया है। तब से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा दर्ज किए गए यूएम की कुल संख्या 4931098 हो गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा व्यापार करने को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

- I. एमएसएमई समाधान पोर्टल-केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों आदि की ओर से विलंबित भुगतान से संबंधित अपने मामले सीधे दर्ज करने के लिए देशभर में सूक्ष्म, लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए।
- II. एमएसएमई संबंध पोर्टल-सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग में सहायता के लिए।
- III. एमएसएमई संपर्क पोर्टल- एक डिजिटल प्लेटफार्म, जहां नौकरी खोजने वाले (उत्तीर्ण प्रशिक्षु/18 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के विद्यार्थी) और नियोक्ता आपस में संपर्क कर सकते हैं।
- IV. डिजिटल भुगतान-डिजिटल भुगतान गेटवे के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के लाभ को पहुंचाना।

(ख) और (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है। यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1707
TO BE ANSWERED ON 01.08.2018

Solar Charkha Mission

1707. DR. BANDA PRAKASH:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether Government has launched Solar Charkha Mission in 50 clusters across the country;
- (b) whether Government plans to set up 15 new state-of-the-art technology centres across the country;
- (c) whether Government has increased budgetary allocation under Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) for FY 2018-19 by 75 per cent to Rs.1,800 crore, in order to incentivise entrepreneurs, mainly women and SC/ST; and
- (d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Yes, Sir. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has launched the Mission Solar Charkha for implementation of 50 Solar Charkha Clusters across the country with a budget of Rs.550 crore for the year 2018-19 and 2019-20. The scheme is envisaged to generate direct employment to nearly one lakh persons. Solar Charkha Units have been classified as Village Industries.

(b): Yes, Sir. Ministry of MSME is implementing Technology Centre Systems Programme (TCSP), to expand and upgrade the network of Technology Centres (Tool Rooms and Technology Development Centres) in the country, at an estimated project cost of Rs.2200 crore including World Bank Loan of USD 200 Mn. to establish 15 new Technology Centres (TCs) and upgrade existing TCs across the country.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1707
उत्तर देने की तारीख 01.08.2018

सौर चरखा मिशन

1707. डा. प्रकाश बांडा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर के 50 समूहों में सौर चरखा मिशन शुरू किया है;
- (ख) क्या सरकार देश भर में अद्यतन प्रौद्योगिकी से सुसज्जित 15 नए केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है;
- (ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बजटीय आबंटन को 75 प्रतिशत बढ़ाकर 1,800 करोड़ रुपये कर दिया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): जी, हाँ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए 550 करोड़ रु. के बजट से देश भर में 50 सौर चरखा क्लस्टरों के कार्यान्वयन के लिए मिशन सौर चरखा शुरू किया है। इस स्कीम में लगभग एक लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन पर विचार किया जाता है। सौर चरखा इकाइयों को ग्रामोद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख): जी, हाँ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश भर में 15 नए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) केंद्र (टीसी) स्थापित करने तथा विद्यमान प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) केंद्रों (टीसी) का उन्नयन करने के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर के विश्व बैंक ऋण सहित 2200 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत से देश में प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) केंद्रों (टूल रूम तथा प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) विकास केंद्र) के नेटवर्क का विस्तार करने एवं उन्नयन करने के लिए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) केंद्र प्रणाली (टीसीएसपी) कार्यान्वित कर रहा है।

(c) & (d): Yes, Sir. The detail of the fund allocation under PMEGP for the Financial Year 2018-19 is given below:

Plan Scheme PMEGP	BE(2018-19) (Rs. in crore)	
	Margin Money	Backward and forward linkages
General	881.24	36.00
SCC	434.52	
STC	198.88	
NER	246.00	4.00
Total	1760.64	40.00

The State/UTs-wise targets for SC and ST entrepreneurs are fixed against the allocated funds of Rs.434.52 crore and 198.88 crore respectively, proportionate to their population in the respective State/UT. No separate targets have been fixed for women. However, women entrepreneurs are kept under special category and they are entitled for higher rate of subsidy i.e. 35% of the project cost in rural areas and 25% of the project cost in urban areas.

* * *

(ग) और (घ): जी, हाँ। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत निधि आबंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

योजना स्कीम पीएमईजीपी	बजट अनुमान (2018-19) (रुपये करोड़ में)	
	मार्जिन मनी	बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज
सामान्य	881.24	36.00
एससीसी	434.52	
एसटीसी	198.88	
पूर्वोत्तर क्षेत्र	246.00	4.00
कुल	1760.64	40.00

एससी तथा एसटी उद्यमियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य क्रमशः 434.52 करोड़ रुपये तथा 198.88 करोड़ रुपये की आबंटित निधियों के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के समानुपात में निर्धारित किए गए हैं। महिलाओं के लिए पृथक् लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, महिला उद्यमियों को विशेष श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है और वे उच्चतर सब्सिडी दर अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% तथा शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% के लिए पात्र हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1708
TO BE ANSWERED ON 01.08.2018

Performance and target achievement of MSMEs

1708. SHRI MANAS RANJAN BHUNIA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether Government has identified and graded the States according to the performance and target achievement of MSMEs;
- (b) if so, position of the States according to the performance and achievements; and
- (c) which State has given maximum employment in MSME sector?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): No, Sir.

(b)& (c): Do not arise in view of (a) above.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1708
उत्तर देने की तारीख : 01.08.2018

एमएसएमई का कार्य-निष्पादन और अर्जित लक्ष्य

1708. श्री मानस रंजन भूनिया:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राज्यों को एमएसएमई के कार्य-निष्पादन और अर्जित लक्ष्य के अनुसार चिन्हित और श्रेणीबद्ध किया है;
- (ख) यदि हां, तो कार्य-निष्पादन और उपलब्धियों के अनुसार राज्यों की क्या-क्या स्थिति है; और
- (ग) किस राज्य द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में सर्वाधिक रोज़गार प्रदान किए गए हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1709.
TO BE ANSWERED ON 01.08.2018

Schemes for promotion of MSME sector

1709. SHRI D. KUPENDRA REDDY:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether Government promotes MSME sector of the country;
- (b) if so, the details of the schemes presently being implemented by Government;
- (c) whether Government has set up or is planning to set up training centres for MSME sector;
- and
- (d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) & (b): The Government implements various schemes and programmes for promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the country. These include the schemes/programmes such as Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE), Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), Micro & Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSE-CDP), Marketing Development Assistance (MDA), Skill Development Programmes, Schemes for financial support to MSMEs for obtaining Zero Defect Zero Effect (ZED) Certification, National SC/ST Hub to provide professional support to Scheduled Caste and Scheduled Tribe entrepreneurs, Public Procurement Policy for ensuring 20% share of the MSEs in procurements made by the Government of India and its agencies and the Scheme for supporting MSMEs in the North Eastern Region and Sikkim.

(c) & (d): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has various training centres for MSME Sector such as Training Centres of the Khadi & Village Industry Commission, MSME Technology Centres, MSME - Development Institutes, National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (Ni-MSME).

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1709
उत्तर देने की तारीख : 01.08.2018

एमएसएमई क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए योजनाएं

1709. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देती है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित किया है या करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख) : सरकार देशभर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन की योजना (स्पायर), क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (एनएमसीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी), विपणन विकास सहायता (एमडीए), कौशल विकास कार्यक्रम, जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट प्रमाणन प्राप्त करने के लिए एमएसएमई को वित्तीय सहायता की योजना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनु.जा/अनु.ज.जा. हब, भारत सरकार और इसके अभिकरणों द्वारा की जाने वाली खरीद में से एमएसई से 20 प्रतिशत भाग सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति तथा पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई की सहायता की योजना शामिल है।

(ग) और (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास एमएसएमई क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र जैसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रशिक्षण केंद्र, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, एमएसएमई-विकास संस्थान, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई) हैं।

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION 15th Session of 16th Lok Sabha

QUESTION DATE 06.08.2018

LOK SABHA
STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
1	Prime Minister's Employment Generation Programme	JS (ARI)	*272	*12	

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1	Development of MSME Sector	AS&DC/ ADC (SM)	3010	
2	Targets under PMEGP	JS (ARI)	3031	
3	Solar Charka Mission	JS (ARI)	3057	
4	Multi-Product Retails Outlets	AS&DC/ Director (AM)	3061	
5	Export of Khadi Products	JS (ARI)	3094	
6	Public Procurement Policy	AS&DC/ ADC (AS)	3110	
7	MSME Universities	JS (SME)	3143	
8	Setting up of MSMEs	JS (ARI)	3180	
9	Employment in MSME Sector	AS&DC/ ADC (SM)	3202	
10	Coir Production and Exports	JS (ARI)	3206	
11	KVIC Schemes	JS (ARI)	3210	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. *272
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

PRIME MINISTER'S EMPLOYMENT GENERATION PROGRAMME

***272. SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA:**
SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether loans under the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) are being disbursed to the youth in various States including Karnataka and Andhra Pradesh;
- (b) if so, the details thereof during the last four years, State/UT-wise;
- (c) the quantum of loans given to youth in Karnataka and Andhra Pradesh under the said scheme and the targets fixed/achieved during the said period;
- (d) the steps taken by the Government to achieve the said targets;
- (e) whether the Government has made any assessment of the achievements under PMEGP, if so, the details and the outcome thereof along with the further steps being taken in this regard?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)to(e): A statement is laid on the Table of the House.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *272
उत्तर देने की तारीख 06.08.2018

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

*272. श्री एस. पी. मुद्दाहनुमेगौड़ा:
श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत कर्नाटक और आंध्रप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में युवाओं को ऋण संवितरित किये जा रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो विगत चार वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के तहत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के युवाओं को कितना ऋण दिया गया और निर्धारित एवं हासिल किए गए लक्ष्य क्या हैं;
- (घ) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्यों को हासिल करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार ने पीएमईजीपी के अन्तर्गत हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में कोई मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हैं तथा इस संबंध में और क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (e) OF THE LOK SABHA STARRED QUESTION No.272 FOR ANSWER ON 06.08.2018

(a): Yes, Madam.

(b): Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) is a major credit-linked subsidy programme implemented by this Ministry, aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth. The maximum cost of projects is Rs. 25 lakh in the manufacturing sector and Rs. 10 lakh in the service sector.

General category beneficiaries can avail margin money subsidy of 25 % of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as scheduled caste/scheduled tribe /women, the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. Beneficiary contribution for the special category persons is 5%, and for others it is 10%. Thus, it could be seen from the above that both the loan and margin money subsidy components vary from case to case based on the category of the beneficiaries and the geographical location they live in. Further, while the margin money subsidy amount released to the beneficiaries is available with the Ministry, the loan amount disbursed by the financial institutions is available only from 1st July 2016, the day on which PMEGP e-portal was launched.

Details of margin money subsidy disbursed to all beneficiaries including the youth under PMEGP in various States, including Karnataka and Andhra Pradesh, are given at Annexure- I.

Details of loan amount disbursed to all beneficiaries including the youth under PMEGP in various States, including Karnataka and Andhra Pradesh, from 1st July 2016 to 31st March 2018, are given at Annexure- II.

(c): In view of the aforesaid reasons, the targets of Margin Money subsidy and achievement for all the beneficiaries including youth in Karnataka and Andhra Pradesh under PMEGP during the last four years are given below:

(Rs.in lakhs)

Year	Target of Margin Money	Margin Money Disbursed
Karnataka		
2014-15	4512.99	6479.10
2015-16	10846.89	5898.01
2016-17	7941.62	11609.56
2017-18	5462.97	6477.94
Andhra Pradesh		
2014-15	2667.87	3492.11
2015-16	4496.85	2262.37
2016-17	4336.58	4916.08
2017-18	3933.95	5336.10

दिनांक 06.08.2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*272 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हाँ।

(ख): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख क्रेडिट-लिंकड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। विशेष श्रेणी से संबंधित लाभार्थी जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी है। विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए लाभार्थी अंशदान 5% तथा अन्य के लिए यह 10% है। इस प्रकार उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि ऋण और मार्जिन मनी सब्सिडी दोनों घटक के लाभार्थियों की श्रेणी एवं भौगोलिक स्थान जहाँ वे रहते हैं, के आधार पर मामले दर मामले, भिन्न-भिन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त, यद्यपि लाभार्थियों को जारी मार्जिन मनी सब्सिडी राशि मंत्रालयों के पास उपलब्ध हैं, तथापि, वित्तीय संस्थाओं द्वारा संवितरित ऋण राशि 1 जुलाई, 2016 से उपलब्ध है, जिस दिन पीएमईजीपी ई-पोर्टल शुरू किया गया।

कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पीएमईजीपी के अंतर्गत युवाओं सहित सभी लाभार्थियों को संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

1 जुलाई, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पीएमईजीपी के अंतर्गत युवाओं सहित सभी लाभार्थियों को संवितरित ऋण राशि का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

(ग): उक्त कारणों को देखते हुए विगत चार वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के युवाओं सहित सभी लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी और उपलब्धि के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

(रु. लाख में)

वर्ष	मार्जिन मनी का लक्ष्य	संवितरित मार्जिन मनी
कर्नाटक		
2014-15	4512.99	6479.10
2015-16	10846.89	5898.01
2016-17	7941.62	11609.56
2017-18	5462.97	6477.94
आंध्र प्रदेश		
2014-15	2667.87	3492.11
2015-16	4496.85	2262.37
2016-17	4336.58	4916.08
2017-18	3933.95	5336.10

(d): The steps taken by the Government to achieve the said targets are as follows:

- KVIC has introduced PMEGP e-portal wherein the application flow and fund flow are processed online.
- The period of default for classifying as bad loans has been increased from 90 days to 180 days for MSMEs subject to fulfilling certain conditions.
- The corpus of Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) has been enhanced from Rs. 2500 crore to Rs. 7500 crore. The ceiling limit for guarantee cover is enhanced from Rs. 1 crore to Rs. 2 crore. Non-Banking Financial Companies (NBFC) have been brought under the CGTMSE scheme for loans provided to micro sector enterprises.
- Publicity is being made through print and electronic media about PMEGP scheme for the benefit of applicants.
- Awareness camps at District level and State level are being organized in order to propagate the PMEGP scheme for the development of micro enterprises.
- Exhibitions are also conducted at district/state/zone and national level for providing marketing support to the entrepreneurs/units.
- Further, the incubatees under ASPIRE-LBIs/ Tool Room and Technology centers/MSME-DIs under Ministry of MSME, NSIC/NIMSME /RSETI/NISBUD/ IIE or other Institution / agency approved by Ministry would be eligible for assistance under PMEGP on priority basis and without undergoing EDP training, if the EDP component is already included in the curriculum of the LBIs/Tool Room/Training Centers etc.

(e): The implementation of the Scheme during XII Plan has been assessed by the Ministry with the help of Management Development Institute (MDI), Gurugram. Major findings/recommendations of the Evaluation study are given below:

- i) Major impact: PMEGP has been able to provide Sustainable Employment for 4 - 5 lakh persons during each financial year.
- ii) Average Employment per Project- 7.62
- iii) Average Cost of Generating Unit Employment Rs.96, 209.00
- iv) Average Cost per Project Rs.7, 33,423.00.
- v) Lack of proper feasibility or viability analysis on part of banks at the time of sanctioning is responsible for NPAs. Key factors for NPA are disconnect among stakeholders, lack of knowledge of running unit and marketing.
- vi) EDP Training should be done in online mode and training content need to be more relevant and rigorous.
- vii) For Motivating beneficiaries to repay loans, the beneficiaries, whose Margin Money Subsidy has been successfully adjusted, need to be rewarded with an option of 2nd round of subsidized loan (with reduced % of subsidy) mainly to enhance the capacity (acquiring new technology/machinery).

(घ): उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- केवीआईसी ने पीएमईजीपी ई-पोर्टल शुरू किया है जिसमें आवेदन प्रवाह एवं निधि प्रवाह पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है।
- अप्राप्य (बैड) ऋणों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चूक की अवधि को एमएसएमई के लिए 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है जो कुछ शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करता है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) 2500 रुपये से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गारंटी कवर के लिए अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। सूक्ष्म क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ऋणों के लिए सीजीटीएमएसई स्कीम के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को लाया गया है।
- आवेदकों के लाभ के लिए पीएमईजीपी स्कीम के बारे में प्रचार प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है।
- सूक्ष्म, उद्यमों के विकास के लिए पीएमईजीपी स्कीम का प्रचार करने के उद्देश्य से जिला एवं राज्य स्तर पर जागरूकता कैम्प लगाए जा रहे हैं।
- उद्यमियों/इकाइयों की विपणन सहायता के लिए जिला/राज्य/अंचल तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं।
- इसके अतिरिक्त एस्पायर एलबीआई के अंतर्गत इंक्यूबेटी/एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत टूल रूम तथा टेक्नोलॉजी सेंटर/एमएसएमई-डीआई-एनएसआईसी/निम्समे/आरसेटी/निसबड /आईआईई अथवा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य संस्था/एजेंसी प्राथमिकता के आधार पर तथा ईडीपी प्रशिक्षण किए बिना पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगे यदि ईडीपी घटक एलबीआई/टूल रूम/प्रशिक्षण केंद्रों, आदि के पाठ्यक्रम में पहले से ही शामिल हैं।

(ड): 12वीं योजना के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन का प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुरुग्राम, की सहायता से मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

- i. प्रमुख प्रभाव: पीएमईजीपी प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 4-5 लाख व्यक्तियों के लिए सतत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सक्षम रही है।
- ii. प्रति परियोजना औसत रोजगार - 7.62 है।
- iii. रोजगार सृजित इकाई की औसत लागत - 96,209.00 रुपये है।
- iv. प्रति परियोजना औसत लागत 7,33,423.00 है।
- v. स्वीकृत करते समय बैंकों की ओर से उपयुक्त संभावना अथवा व्यवहार्य विश्लेषण का अभाव एनपीए के लिए मुख्य घटक स्टोक होल्डरों में असंबद्धता इकाई चलाने एवं विपणन के ज्ञान की कमी है।
- vi. ईडीपी प्रशिक्षण को ऑनलाइन मोड में किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण सामग्री के और संगत एवं श्रम साध्य होनी चाहिए।
- vii. ऋण चुकाने के लिए लाभार्थियों को प्रेरित करने हेतु लाभार्थी जिनकी मार्जिन मनी सब्सिडी सफलतापूर्वक समायोजित कर दी गई है, उन्हें मुख्य रूप से क्षमता (नई प्रौद्योगिकी/मशीनरी की प्राप्ति) के लिए सब्सिडीयुक्त ऋण (प्रतिशत सब्सिडी कम की गई सहित) के दूसरे दौर के विकल्प से पुरस्कृत किए जाने की आवश्यकता है।

Based on the recommendations of the evaluation study, the CCEA has approved the continuation of the on-going PMEGP Scheme beyond XIIth Plan for three years from 2017-18 to 2019-20 with an outlay of Rs.5500.00 Crores with some modifications, which includes;

- (i) Second loan of upto Rs. 1.00 crore to existing and better performing PMEGP units for upgrading with subsidy of 15%(20% for hill areas and NER);
- (ii) Merger of Coir UdyamiYojana (CUY) in PMEGP;
- (iii) Introduction of concurrent monitoring and evaluation;
- (iv) Mandatory Aadhar and Pan card;
- (v) Geo-tagging of units;
- (vi) Negative list under PMEGP amended allowing off Farm/Farm Linked activities and serving/selling non-vegetarian food at Hotels/Dhabas.
- (vii) Dispensing the ratio of 30:30:40 for KVIC/KVIB/DIC.
- (viii) Cap the working capital component for manufacturing units to 40% of the project cost and for service/trading sector to 60% of the project cost.

For the FY 2018-19, a total of Rs.1800.64 cr budget has been allocated for setting up of about 66,000 micro enterprises providing employment to about 5 lakh persons with margin money subsidy of Rs.1660.64. cr. About 2000 existing units would be upgraded through a 2nd loan with a subsidy of Rs.100 cr.

मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर सीसीईए ने कुछ संसोधनों के साथ 5500.00 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित वर्ष 2017-18 से 2019-20 से तीन वर्षों के लिए 12वीं योजना से आगे चालू पीएमईजीपी स्कीम को जारी रखने के लिए अनुमोदन किया है।

- (i) 15% की सब्सिडी (पहाड़ी क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 20%) सहित उन्नयन करने वाली पीएमईजीपी इकाइयों को 1.00 करोड़ रुपये तक का दूसरा ऋण;
- (ii) पीएमईजीपी में कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) का विलय;
- (iii) समवर्ती मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन की शुरुआत;
- (iv) अनिवार्य आधार एवं पैनकार्ड;
- (v) इकाइयों की जिओ टैगिंग;
- (vi) पीएमईजीपी के अंतर्गत नकारात्मक सूची को गैर-कृषि/कृषि संबद्ध कार्यकलापों एवं होटलों और ढाबों में मांसाहारी भोजन परोसने/बेचने की अनुमति देते हुए संशोधित किया गया;
- (vii) केवीआईसी/केवीआईबी/डीआईसी के लिए 30:30:40 के अनुपात में वितरण;
- (viii) परियोजना लागत के 40% तक विनिर्माण इकाइयों के लिए तथा परियोजना लागत के 60% तक सेवा/व्यापार क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजीगत घटक पर रोक लगाना,

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 1660.64 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी से लगभग 66,000 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर लगभग 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए 1800.64 करोड़ रुपये का कुल बजट आबंटित किया गया है। 100.00 करोड़ रुपये की सब्सिडी से दूसरे ऋण के माध्यम से लगभग 2000 विद्यमान इकाइयों का उन्नयन किया जाएगा।

Annexure I referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Starred Question No. 272 for answer on 06.08.2018

State/UT-wise details of Margin Money Subsidy disbursed (Rs.in lakh) to all beneficiaries including youth during the last four years					
Sr. No.	State/UT	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	Jammu& Kashmir	3274.63	3781.19	2621.40	6913.15
2	Himachal Pradesh	2237.73	1767.26	2185.27	2042.5
3	Punjab	3190.88	2902.97	3181.60	3930.46
4	UT Chandigarh	61.46	87.72	82.84	90.07
5	Uttarakhand	2153.32	1740.86	2122.33	2880.98
6	Haryana	3012.98	3112.09	3383.53	4167.04
7	Delhi	189.24	254.05	182.41	150.65
8	Rajasthan	5249.62	4384.07	4641.6	4929.04
9	Uttar Pradesh	16937.53	14456.87	14271.05	16866.47
10	Bihar	4111.32	6588.55	8336.51	6558.85
11	Sikkim	33.52	186.11	35.93	46.36
12	Arunachal Pradesh	1004.99	38.85	440.34	309.42
13	Nagaland	878.59	1392.81	2007.48	2672.15
14	Manipur	1600.76	1213.98	2162.78	1383.87
15	Mizoram	807.98	1026.35	491.96	274.05
16	Tripura	1333.65	945.84	3734.66	1892.3
17	Meghalaya	971.14	1056.12	407.89	118.27
18	Assam	5397.01	2869.74	4910.38	2362.48
19	West Bengal	6010.11	3400.65	6270.32	3891.37
20	Jharkhand	2871.29	3559.74	2654.35	2439.53
21	Odisha	3945.89	5736.32	6848.96	5680.65
22	Chhattisgarh	2045.68	2829.38	4070.73	3398.4
23	Madhya Pradesh	9241.70	8117.17	8346.06	7631.41
24	Gujarat*	6200.52	6339.73	7561.61	12883.63
25	Maharashtra **	7843.81	5285.03	6001.36	8749.73
26	Andhra Pradesh	3492.11	2262.37	4916.08	5336.1
27	Telangana	1889.35	2217.57	2561.72	4030.21
28	Karnataka	6479.10	5898.01	11609.56	6477.94
29	Goa	141.76	165.43	191.44	149.07
30	Lakshadweep	28.61	0.00	00	00
31	Kerala	2679.28	2720.48	3350.68	2910.44
32	Tamilnadu	6733.89	5497.54	8213.92	9717.58
33	Puducherry	112.10	106.37	103.65	78.95
34	Andaman & Nicobar Islands	92.32	65.11	193.46	276.95
	GRAND TOTAL	112253.87	102006.33	128093.86	131240.07

दिनांक 06.08.2018 के उत्तर हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 272 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

पिछले चार वर्षों के दौरान युवाओं सहित सभी लाभार्थियों को संवितरित मार्जिन मनी सन्निडी (लाख रु. में) का राज्य / संघराज्य क्षेत्र वार ब्योरा।					
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	जम्मू और कश्मीर	3274.63	3781.19	2621.40	6913.15
2	हिमाचल प्रदेश	2237.73	1767.26	2185.27	2042.5
3	पंजाब	3190.88	2902.97	3181.60	3930.46
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	61.46	87.72	82.84	90.07
5	उत्तराखंड	2153.32	1740.86	2122.33	2880.98
6	हरियाणा	3012.98	3112.09	3383.53	4167.04
7	दिल्ली	189.24	254.05	182.41	150.65
8	राजस्थान	5249.62	4384.07	4641.6	4929.04
9	उत्तर प्रदेश	16937.53	14456.87	14271.05	16866.47
10	बिहार	4111.32	6588.55	8336.51	6558.85
11	सिक्किम	33.52	186.11	35.93	46.36
12	अरुणाचल प्रदेश	1004.99	38.85	440.34	309.42
13	नागालैंड	878.59	1392.81	2007.48	2672.15
14	मणिपुर	1600.76	1213.98	2162.78	1383.87
15	मिजोरम	807.98	1026.35	491.96	274.05
16	त्रिपुरा	1333.65	945.84	3734.66	1892.3
17	मेघालय	971.14	1056.12	407.89	118.27
18	असम	5397.01	2869.74	4910.38	2362.48
19	पश्चिम बंगाल	6010.11	3400.65	6270.32	3891.37
20	झारखंड	2871.29	3559.74	2654.35	2439.53
21	ओडिशा	3945.89	5736.32	6848.96	5680.65
22	छत्तीसगढ़	2045.68	2829.38	4070.73	3398.4
23	मध्य प्रदेश	9241.70	8117.17	8346.06	7631.41
24	गुजरात*	6200.52	6339.73	7561.61	12883.63
25	महाराष्ट्र**	7843.81	5285.03	6001.36	8749.73
26	आंध्र प्रदेश	3492.11	2262.37	4916.08	5336.1
27	तेलंगाना	1889.35	2217.57	2561.72	4030.21
28	कर्नाटक	6479.10	5898.01	11609.56	6477.94
29	गोवा	141.76	165.43	191.44	149.07
30	लक्षद्वीप	28.61	0.00	00	00
31	केरल	2679.28	2720.48	3350.68	2910.44
32	तमिलनाडु	6733.89	5497.54	8213.92	9717.58
33	पुडुचेरी	112.10	106.37	103.65	78.95
34	अंडमान और निकोबार दीप समूह	92.32	65.11	193.46	276.95
	कुल योग	112253.87	102006.33	128093.86	131240.07

Annexure II referred to in reply to part (b) of the Lok Sabha Starred Question No. 272 for answer on 06.08.2018

No. of projects and loan sanctioned by the bank under PMEGP during 2016-17(from 01.07.2016 to 31.03.2017) as per e-portal report			
Sr.No	State	2016-17	
		No.of projects	*Loan Sanctioned (Rs.in lakhs)
1	Assam	3769	10072.90
2	A & N Islands	169	529.84
3	Andhra Pradesh	642	6394.18
4	Arunachal Pradesh	121	488.58
5	Bihar	2560	21398.53
6	Chattisgarh	1690	12006.04
7	Delhi	51	269.07
8	Goa	38	281.18
9	Gujarat	559	11151.89
10	Haryana	1163	8013.06
11	Himachal Pradesh	920	6705.23
12	Jammu & Kashmir	1718	9087.32
13	Jharkhand	1248	7759.10
14	Karnataka	1324	12592.67
15	Kerala	1004	5484.98
16	Lakshadweep	0	0.00
17	Madhya Pradesh	1343	17380.09
18	Maharashtra	3273	24368.26
19	Manipur	943	5558.58
20	Meghalaya	284	1087.73
21	Mizoram	607	1878.75
22	Nagaland	651	4180.19
23	Odisha	2089	13857.57
24	Puducherry	31	204.37
25	Punjab	897	7274.99
26	Rajasthan	1565	13936.85
27	Sikkim	40	148.14
28	Tamilnadu	2392	17597.72
29	Telangana	269	2390.83
30	Tripura	1411	6874.44
31	U.T. Chandigarh	14	86.48
32	Uttar Pradesh	3222	30020.96
33	Uttarakhand	1126	5538.03
34	West Bengal	608	5173.56
	Total	37741	269792.12

(*)Loan sanctioned by bank is inclusive of MM.

दिनांक 06.08.2018 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 272 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

ई-पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 (दिनांक 01.07.2016 से 31.03.2017) के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और ऋण			
क्र. सं.	राज्य	2016-17	
		परियोजनाओं की संख्या	*बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण (लाख रु. में)
1	असम	3769	10072.90
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	169	529.84
3	आंध्र प्रदेश	642	6394.18
4	अरुणाचल प्रदेश	121	488.58
5	बिहार	2560	21398.53
6	छत्तीसगढ़	1690	12006.04
7	दिल्ली	51	269.07
8	गोवा	38	281.18
9	गुजरात	559	11151.89
10	हरियाणा	1163	8013.06
11	हिमाचल प्रदेश	920	6705.23
12	जम्मू और कश्मीर	1718	9087.32
13	झारखंड	1248	7759.10
14	कर्नाटक	1324	12592.67
15	केरल	1004	5484.98
16	लक्षद्वीप	0	0.00
17	मध्यप्रदेश	1343	17380.09
18	महाराष्ट्र	3273	24368.26
19	मणिपुर	943	5558.58
20	मेघालय	284	1087.73
21	मिजोरम	607	1878.75
22	नागालैंड	651	4180.19
23	ओडिशा	2089	13857.57
24	पुडुचेरी	31	204.37
25	पंजाब	897	7274.99
26	राजस्थान	1565	13936.85
27	सिक्किम	40	148.14
28	तमिलनाडु	2392	17597.72
29	तेलंगाना	269	2390.83
30	त्रिपुरा	1411	6874.44
31	संघराज्यक्षेत्रचंडीगढ़	14	86.48
32	उत्तर प्रदेश	3222	30020.96
33	उत्तराखंड	1126	5538.03
34	पश्चिमबंगाल	608	5173.56
	कुल	37741	269792.12

(*) बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण में एमएम शामिल है।

No. of projects and loan sanctioned by the bank under PMEGP during 2017-18 as per PMEGP e-portal			
Srno	State	2017-18	
		No.of projects	*Loan sanctioned by bank (Rs.in lakh)
1	ANDAMAN NICOBAR	241	1044.66
2	ANDHRA PRADESH	2229	23791.95
3	ARUNACHAL PRADESH	307	1279.81
4	ASSAM	3265	10332.99
5	BIHAR	3328	26691.07
6	CHANDIGARH-UT	48	387.88
7	CHHATTISGARH	3553	21937.96
8	DADRA NAGAR HAVELI	1	10.00
9	DAMAN AND DIU	3	33.18
10	DELHI	159	878.11
11	GOA	34	308.74
12	GUJARAT	2139	43481.92
13	HARYANA	2491	18666.02
14	HIMACHAL PRADESH	1183	8793.34
15	JAMMU KASHMIR	5540	30780.33
16	JHARKHAND	1698	11922.69
17	KARNATAKA	3343	29530.33
18	KERALA	2006	12431.76
19	MADHYA PRADESH	2771	33860.28
20	MAHARASHTRA	5184	39261.26
21	MANIPUR	978	5090.66
22	MEGHALAYA	229	963.57
23	MIZORAM	540	1975.60
24	NAGALAND	815	5994.50
25	ODISHA	2848	21144.70
26	PUDUCHERRY	56	333.23
27	PUNJAB	1754	13104.33
28	RAJASTHAN	2568	22595.50
29	SIKKIM	54	304.29
30	TAMIL NADU	5260	38271.87
31	TELANGANA	1899	17779.09
32	TRIPURA	1134	5844.27
33	UTTAR PRADESH	8514	83295.19
34	UTTARAKHAND	2512	13619.40
35	WEST BENGAL	2311	20331.38
	Grand Total	70995	566071.81

(*)Loan sanctioned by bank is inclusive of MM.

पीएमईजीपी ई-पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और ऋण

क्र. सं.	राज्य	2017-18	
		परियोजनाओं की संख्या	* बैंकद्वारा स्वीकृत ऋण (लाख रु. में)
1	अंडमान और निकोबार	241	1044.66
2	आंध्र प्रदेश	2229	23791.95
3	अरुणाचल प्रदेश	307	1279.81
4	असम	3265	10332.99
5	बिहार	3328	26691.07
6	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	48	387.88
7	छत्तीसगढ़	3553	21937.96
8	दादर नगर हवेली	1	10.00
9	दमन और दीव	3	33.18
10	दिल्ली	159	878.11
11	गोवा	34	308.74
12	गुजरात	2139	43481.92
13	हरियाणा	2491	18666.02
14	हिमाचल प्रदेश	1183	8793.34
15	जम्मू और कश्मीर	5540	30780.33
16	झारखंड	1698	11922.69
17	कर्नाटक	3343	29530.33
18	केरल	2006	12431.76
19	मध्य प्रदेश	2771	33860.28
20	महाराष्ट्र	5184	39261.26
21	मणिपुर	978	5090.66
22	मेघालय	229	963.57
23	मिजोरम	540	1975.60
24	नागालैंड	815	5994.50
25	ओडिशा	2848	21144.70
26	पुडुचेरी	56	333.23
27	पंजाब	1754	13104.33
28	राजस्थान	2568	22595.50
29	सिक्किम	54	304.29
30	तमिलनाडु	5260	38271.87
31	तेलंगाना	1899	17779.09
32	त्रिपुरा	1134	5844.27
33	उत्तर प्रदेश	8514	83295.19
34	उत्तराखंड	2512	13619.40
35	पश्चिम बंगाल	2311	20331.38
	कुलयोग	70995	566071.81

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO 3010
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

DEVELOPMENT OF MSME SECTOR

3010. SHRI RAJESHBHAI CHUDASAMA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Government has taken note that Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), play a pivotal role in the overall industrial development of the country and if so, the details thereof;
- (b) whether the Government has also taken note that the MSMEs continue to face several problems in production and marketing of their products and if so, the details thereof;
- (c) whether the Government has conducted/proposes to conduct any study to find out concrete solutions for these problems and if so, the details and the outcome thereof; and
- (d) whether the Government has any proposal to empower the MSMEs sector to create more employment opportunities in the country and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Yes Madam. The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play a very important role in overall economic development. As per the data received from Central Statistics Office (CSO), Ministry of Statistics and Program Implementation, the share of MSMEs in Gross Domestic Product at current price during 2016-17 has been 28.9 %.

(b)&(c): The Government had set up a Committee with the mandate to give recommendations on the national policy on MSMEs. The Committee looked into various issues relating to the MSMEs such as infrastructure, finance, technology, innovation, marketing & exports, etc. The committee has already submitted its Report to the Government.

(d): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises implements several schemes and programmes to strengthen the MSMEs & promote employment. Some of the important initiatives in this regard include Prime Minister's Employment Generation programme (PMEGP), Mission Solar Charkha, Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), A Scheme for Promoting innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE), Credit Guarantee Fund Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness programme (NMCP), Marketing Assistance Scheme and MSE-Cluster Development programme etc.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3010
उत्तर देने की तारीख : 06.08.2018

एम.एस.एम.ई. सेक्टर का विकास

3010. श्री राजेशभाई चुड़ासमा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश के समग्र औद्योगिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भूमिका का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने इस बात को भी नोट किया है कि एम.एस.एम.ई. के समक्ष उत्पादन में तथा उत्पादों के विपणन में कई समस्याएं आ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का इन समस्याओं के ठोस समाधान पाने हेतु कोई अध्ययन कराने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हैं; और
- (घ) क्या सरकार का देश में और अधिक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को मजबूत बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) जी हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समग्र आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई की भागीदारी 28.9 प्रतिशत रही है।

(ख) और (ग) सरकार ने एमएसएमई पर राष्ट्रीय नीति के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने एमएसएमई से जुड़े विभिन्न मुद्दों यथा अवसंरचना, वित्त, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष, विपणन एवं निर्यात आदि पर विचार किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई को मजबूती प्रदान करने और रोजगार के संवर्धन के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इस दिशा में की गई महत्वपूर्ण पहलों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), मिशन सौर चरखा, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामोद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन की योजना (एस्पायर), क्रेडिट गारंटी निधि योजना, क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), विपणन सहायता योजना और एमएसई-कलस्टर विकास कार्यक्रम आदि सम्मिलित हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3031
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

TARGETS UNDER PMEGP

3031. SHRI ADV. M. UDHAYAKUMAR:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) has failed to meet the target during the year 2017-18;
- (b) if so, the details thereof along with the reaction of the Government thereto;
- (c) whether Khadi and village Industries Commission has reduced the target by 50 per cent for the year 2018-19, if so, the details thereof;
- (d) whether the banks have not approved new applications under the said programme; and
- (e) if so, the details thereof and the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): No Madam. Margin money target of Rs. 1004.00 cr was fixed for the financial year 2017-18 under the Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) at the B.E. stage and the same was increased to Rs. 1170.00 cr. at R.E stage. Against this target, margin money subsidy of Rs. 1312.40 cr. was disbursed to 48398 beneficiaries for the FY 2017-18. This shows higher achievement in terms of margin money disbursement during the year 2017-18 against the target.

The target to set up micro projects under PMEGP during 2017-18 was 58750 taking Rs 2.00 lakh average margin money per project, but the actual number of projects set up was 48398. In this regard it is mentioned that, the number of projects depends upon the average cost of the projects. During 2017-18 average cost of the project increased to Rs 10-12 lakh with average margin money subsidy of Rs.2.71 lakh. This is due to inflation and viability factors, as units with higher project cost are more viable. With the increase in average project cost, the number of projects disbursed during 2017-18 was decreased.

(c): No Madam, the target set for Margin money has been enhanced from Rs. 1170.00 cr to 1760.64 cr. for 2018-19, which is almost 50% higher than 2017-18.

(d)& (e): The applications for financial assistance under PMEGP, recommended by District Level Task Force Committee (DLTFC), are sent to the banks for sanction. The Margin money is disbursed by the KVIC as per the budget allocation made by the Government of India for the project sanctioned by the banks. At the end of financial year, the applications left for sanction by banks are considered in the next financial year as backlog. During 2017-18 banks have sanctioned 79,643 applications, these includes new applications as well as carry forward applications.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3031

उत्तर देने की तारीख 06.08.2018

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य

3031. श्री एम. उदयकुमार:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्ष 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अपने लक्ष्यको पूरा कर पाने में विफल रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 2018-19 हेतु लक्ष्य को 50 प्रतिशत तक कम कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या बैंकों ने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत नए आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) एवं (ख) जी, नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत बजट अनुमान स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 1004.00 करोड़ रुपये के मार्जिन मनी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 1170.00 करोड़ रुपये किया गया था। इस लक्ष्य के प्रति वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 48398 लाभार्थियों को 1312.40 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी संवितरित की गई। यह लक्ष्य के प्रति वर्ष 2017-18 के दौरान मार्जिन मनी संवितरण के संबंध में उच्चतम उपलब्धियां दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत सूक्ष्म परियोजनाएं स्थापित करने के लक्ष्य प्रति परियोजना औसत मार्जिन मनी 2.00 लाख रुपये रखते हुए 58750 थे परंतु स्थापित वास्तविक परियोजनाओं की संख्या 48398 थी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि परियोजनाओं की संख्या परियोजनाओं की औसत लागत पर निर्भर करती है। वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना की औसत लागत 2.71 लाख रुपये की औसत मार्जिन मनी सब्सिडी सहित 10-12 लाख रुपये बढ़ गई। यह मंहगाई और व्यवहार्यता घटकों के कारण हुआ, क्योंकि उच्चतम परियोजना लागत की इकाइयां अधिक व्यवहार्य होती हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान औसत परियोजना लागत में वृद्धि से संवितरित परियोजनाओं की संख्या में कमी हुई थी।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 2018-19 के लिए मार्जिन मनी के लिए निर्धारित लक्ष्य 1170.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 1760.64 करोड़ रुपये हो गए हैं जो कि 2017-18 की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक हैं।

(घ) एवं (ङ) पीएमईजीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन जिनकी जिला स्तरीय कार्यबल समिति (डीएलटीएफसी) सिफारिश की गई है, उन्हें स्वीकृति हेतु बैंकों को भेजा जाता है। बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए बजट आबंटन के अनुसार केवीआईसी द्वारा मार्जिन मनी संवितरित की जाती है। वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकों द्वारा स्वीकृति के लिए छोड़े गए आवेदनों को पिछले बकाए के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकों में 79,643 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की है, इनमें नए आवेदन तथा पिछले बकाया आवेदन शामिल हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3057
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

SOLAR CHARKHA MISSION

3057. SHRI PRATHAP SIMHA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Government has launched Solar Charkha Mission recently and if so, the details thereof including its aims, objectives and financial outlay for the purpose along with the number of Clusters covered and the number of artisans likely to be benefited therefrom State/ UT-wise;
- (b) whether the Government proposes to set up 15 New state-of-the-art technology centres in the country and if so, the details thereof;
- (c) whether the budgetary allocation for Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) for FY 2018-19 has been increased and if so, the details thereof; and
- (d) whether the Government has set up 4 Portals for promoting Ease-of-Doing Business and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has launched the Mission Solar Charkha for implementation of 50 Solar Charkha Clusters across the country with a budget of Rs. 550 crore for the year 2018-19 and 2019-20. The scheme is envisaged to generate direct employment to nearly one lakh persons. Solar Charkha Units have been classified as Village Industries.

(b): Ministry of MSME is implementing Technology Centre Systems Programme (TCSP), to expand and upgrade the network of Technology Centres (Tool Rooms and Technology Development Centres) in the country, at an estimated project cost of Rs. 2200 crore including World Bank Loan of USD 200 Million to establish 15 new Technology Centres (TCs) and upgrade existing TCs across the country.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा

अतारंकित प्रश्न सं. 3057
उत्तर देने की तारीख 06.08.2018

सौर चरखा मिशन

3057. श्री प्रताप सिन्हा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में सौर चरखा मिशन प्रारंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और इस प्रयोजन हेतु कितना वित्तीय परिव्यय किया गया है और कितनी संख्या में संकुल शामिल किए गए हैं और इससे राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने कारीगरों को लाभ मिलने की संभावना है;
- (ख) क्या सरकार का विचार देश में 15 नए आधुनिक प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) हेतु बजटीय आवंटन में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार ने 'व्यापार करने में सुगमता' को बढ़ावा देने हेतु 4 पोर्टल स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

- (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए 550 करोड़ रु. के बजट से देश भर में 50 सौर चरखा क्लस्टरों के कार्यान्वयन के लिए मिशन सौर चरखा शुरू किया है। इस स्कीम में लगभग एक लाख व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन पर विचार किया जाता है। सौर चरखा इकाइयों को ग्रामोद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश भर में 15 नए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) केंद्र (टीसी) स्थापित करने तथा विद्यमान प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) केंद्रों (टीसी) का उन्नयन करने के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर के विश्व बैंक ऋण सहित 2200 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत से देश में प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) केंद्रों (टूल रूम तथा प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) विकास केंद्र) के नेटवर्क का विस्तार करने एवं उन्नयन करने के लिए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) केंद्र प्रणाली (टीसीएसपी) कार्यान्वित कर रहा है।

(c): Yes, Madam. The details of the fund allocation under PMEGP for the Financial Year 2018-19 are given below:

Plan Scheme PMEGP	BE(2018-19) (Rs. in crore)	
	Margin Money	Backward and forward linkages
General	881.24	36.00
SCC	434.52	
STC	198.88	
NER	246.00	4.00
Total	1760.64	40.00

(d): In order to promote the Ease-of- Doing Business, the Ministry of MSME has introduced online filing of Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) from 18.09.2015. Since then, the total number of UAM filed by micro, small and medium enterprises is 4931098. In addition to it, the Ministry has also taken the following steps to promote the Ease of Doing Business:

- (i) **MSME SAMADHAAN Portal-** for empowering micro and small entrepreneurs across the country to directly register their cases relating to payments delayed by Central Ministries/Departments/CPSEs/State Governments etc.
- (ii) **MSME SAMBANDH Portal-** to help in Monitoring the Implementation of Public Procurement Policy for micro and small enterprises.
- (iii) **MSME SAMPARK Portal-** A digital platform, wherein, jobseekers (passed out trainees / students of 18 MSME Technology Centres) and recruiters get connected.
- (iv) **Digital Payments-** to pass on the benefits of the schemes of Ministry of MSME through digital payment gateway.

* * *

(ग) जी, हाँ। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत निधि आबंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

योजना स्कीम पीएमईजीपी	बजट अनुमान (2018-19) (रुपये करोड़ में)	
	मार्जिन मनी	बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज
सामान्य	881.24	36.00
एससीसी	434.52	
एसटीसी	198.88	
पूर्वोत्तर क्षेत्र	246.00	4.00
कुल	1760.64	40.00

(घ) व्यवसाय आसानी से करने को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 18.09.2015 से उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू की है। तभीसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा फाइल किए गए यूएएम की कुल संख्या 4931098 है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने व्यवसाय आसानी से करने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) एमएसएमई समाधान पोर्टल- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों आदि द्वारा विलम्बित भुगतान से संबंधित उनके मामलों को सीधे पंजीकृत करने के लिए देश भर के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए।
- (ii) एमएसएमई संबंध पोर्टल- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लोक प्रापण नीति (पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी) के कार्यान्वयन को मॉनीटरिंग में सहायता करने के लिए।
- (iii) एमएसएमई संपर्क पोर्टल- एक डिजिटल मंच है जिसमें रोजगार तलाशने वाले 18 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के पास हुए प्रशिक्षु/विद्यार्थी और भर्तीकर्ता जुड़ते हैं।
- (iv) डिजिटल भुगतान- डिजिटल भुगतान गेटवे के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3061
TO BE ANSWERED ON: 06.08.2018

MULTI-PRODUCT RETAIL OUTLETS

3061. SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether Federation of Retailers Association of India (FRAI) a representative body of Micro, Small and Medium traders having 34 retail associations across the country has expressed displeasure against Government decision trade/product restrictions for outlets selling multiple products of everyday use and controls on in-shop advertising;
- (b) if so, the detail thereof and the reaction of the Government thereto; and
- (c) the details of the draft proposals by the Government in this regards?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises has not put any restriction on outlets selling multiple products of everyday use and has also not put any controls on in-shop advertising.

(b)&(c): Does not arise.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3061
उत्तर देने की तारीख : 06.08.2018

बहु-उत्पाद खुदरा बिक्री केन्द्र

3061. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संपूर्ण देश में 34 खुदरा परिसंघ वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापारियों के प्रतिनिधित्व निकाय, भारतीय खुदरा व्यापारी परिसंघ फेडरेशन ने प्रतिदिन उपयोग होने वाले बहु-उत्पादों की बिक्री की दुकानों और इन-शॉप विज्ञापन पर नियंत्रण रखने हेतु व्यापार/उत्पाद प्रतिबंधों पर सरकार के निर्णय के विरुद्ध नाराजगी जताई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (ग) सरकार द्वारा इस संबंध में प्रारूप प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दैनिक उपयोग के बहु-उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और इन दुकानों में विज्ञापनों पर भी कोई नियंत्रण नहीं रखा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3094
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

EXPORT OF KHADI PRODUCTS

3094. SHRI BHOLA SINGH:
 PROF. PREM SINGH CHANDUMAJRA:
 SHRI ANOOP MISHRA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the sale of khadi products have shown a remarkable growth during the current year in the country;
- (b) if so, the details thereof indicating the production, sale and export of khadi products during the last three years and the current year; and
- (c) the steps being taken by the Government to promote khadi industry and to exploit/tap its export potential to the maximum?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Yes, Madam. Sale of Khadi products have shown a remarkable growth during the year 2017-18 in the country. It has increased from Rs.2146.60 crore to Rs. 2508.50 crore during 2017-18, which shows around 16.86% growth.

(b): Performance of production, sale and export of Khadi products during the last three years and the current year is as follows:

(Rs. in crore)

Khadi products	2015-16	2016-17	2017-18 (P)	2018-19 (P) (upto 30.6.2018)
Production	1158.44*	1520.83 [#]	1624.86 [#]	305.39 [#]
Sales	1663.98*	2146.60 [#]	2508.50 [#]	231.05 [#]
Export	0.11	3.01	3.08	0.77

P-Provisional *includes Khadi, Polyvastra [#]includes Khadi, Polyvastra & Solarvastra

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3094
उत्तर देने की तारीख 06.08.2018

खादी उत्पादों का निर्यात

3094. श्री भोला सिंह:

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

श्री अनूप मिश्रा:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान खादी उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खादी उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और निर्यात का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा खादी उद्योग को बढ़ावा देने और इसके निर्यात क्षमता के अधिकतम दोहन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) जी, हाँ। देश में वर्ष 2017-18 के दौरान खादी उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2017-18 के दौरान 2146.60 करोड़ से बढ़कर 2508.50 करोड़ रुपये हुई है जो कि लगभग 16.86% वृद्धि दर्शाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादन का निष्पादन, बिक्री और खादी उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

खादी उत्पाद	2015-16	2016-17	2017-18(अ.)	2018-19(अं.) (30.06.2018 तक))
उत्पादन	1158.44*	1520.83 [#]	1624.86 [#]	305.39 [#]
बिक्री	1663.98*	2146.60 [#]	2508.50 [#]	231.05 [#]
निर्यात	0.11	3.01	3.08	0.77

अ.अनंतिम *खादी पॉलीवस्त्र सहित [#]खादी पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र सहित

(c): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is implementing the following schemes/ programmes through Khadi and Village Industries Commission (KVIC) to promote Khadi & Village Industry:

i) Khadi Grant:

1. Strengthening Infrastructure of existing Weak Khadi Institutions and Assistance for Marketing Infrastructure provides for renovation of khadi sales outlets and providing assistance for strengthening infrastructure of existing weak selected institutions
2. Workshed Scheme for Khadi Artisans for providing assistance for construction of worksheds.

ii) Market Promotion Development Assistance (MPDA) is a unified scheme by merging Market Development Assistance, Publicity, Marketing and Market Promotion. A new component for setting up of Marketing Complexes/Khadi Plazas has been added to expand the marketing network of Khadi & VI products. Under the Modified MDA (MMDA), financial assistance at 30% of the Prime Cost, is distributed amongst Producing Institutions (40%), Selling Institutions (20%) and Artisans (40%).

iii) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme provides credit at concessional rate of interest through Banks in which the institutions are required to pay interest of only 4%, any interest charged by banks over 4% will be paid by the Govt. of India through KVIC.

iv) Khadi Reform and Development Programme (KRDP) has been implemented with the financial and technical assistance of Asian Development Bank (ADB) to revitalize the khadi sector with enhanced sustainability of khadi, increased incomes and employment for spinners and weavers, increased artisans' welfare and to achieve synergy with village industries. Khadi Reform Package envisages reform support in the following areas: (i) Artisan Earnings and Empowerment, (ii) Direct Reform Assistance to 400 Khadi Institutions & (iii) Implementation of a well-knit MIS.

Initiatives/steps taken by the Government to promote the export of Khadi products is placed at **Annexure-I**.

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से निम्नलिखित स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

i) खादी अनुदान:

1. विद्यमान खादी कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढीकरण एवं विपणन अवसंरचना के लिए सहायता में खादी बिक्री केंद्रों के नवीकरण एवं विद्यमान कमजोर चयनित संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए सहायता का प्रावधान है।

2. वर्कशेड के निर्माण हेतु सहायता देने के लिए खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम।

ii) बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए)- बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम बनाई गई है। आधारभूत सुविधा के नये घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन नेटवर्क बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) के अंतर्गत, वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (40%), विक्रेता संस्थाओं (20%) तथा कारीगरों (40%) के बीच मूल लागत की 30% वितरित की जाती है।

iii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइसेक) स्कीम में खादी संस्थाओं की आवश्यकतानुसार बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। संस्थाओं को मात्र 4 प्रतिशत ब्याज देना अपेक्षित होता है। बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत से अधिक प्रभारित ब्याज भारत सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से बैंकों को भुगतान किया जाएगा।

iv) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) खादी की वृद्धि को निरन्तर बनाए रखने, कतिनों (स्पिनरों) एवं बुनकरों की आय में बढ़ोतरी करने और रोजगार में बढ़ोतरी करने, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ खादी क्षेत्र को पुनर्जीवित (रिविटलाइज्ड) करना तथा ग्रामोद्योग के साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेल निट (Well knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सहायता सुधार पर विचार किया गया है।

खादी उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें/उठाए कदम अनुबंध-I में दिए गए हैं।

Annexure-I referred to in reply to part (c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 3094 for answer on 06.08.2018

Initiatives/steps taken to promote the exports of KVI products

1. Assistance would be provided under the MPDA Scheme to the eligible Khadi and Village Industries (KVI) Institutions for participation in International Exhibitions/Trade Fairs held in foreign countries in order to showcase KVI products to foreign countries, access international buyers and sellers and forge business alliances, etc.

The eligible items for such participation and the scale of assistance would be as under:

S. No.	Eligible items	Scale of assistance
i)	Space Rent	For KVIs – 100% of the space rent subject to a maximum of Rs.1.25 lakh or actual rent paid, whichever is lower (for one representative from each participating enterprise)
ii)	Air Fare	For KVIs – 100% of the Economy Class air fare subject to a maximum of Rs.1.00 lakh or actual fare paid, whichever is lower (for one representative from each participating enterprise)

2. Participation in domestic international exhibitions at State and National levels wherein KVIs are allowed to participate and market their products.

3. Assistance is also provided to Exporters participating in International Trade Fairs held in India like India International Trade Fair (IITF) New Delhi where stall rentals are subsidized for the exporting institutions.

4. Participation in International Trade Fairs through ITPO, New Delhi where KVI products find wide exposure to International Trade Delegation, Importers, Overseas Buyers, Franchisees, Branded Merchandise Outlets, Retailers, Malls, and Shopping Centres etc.

5. Tie up arrangements for bringing out innovative export quality product designs with NIFT.

6. Tie up arrangement with premier export institutions like Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Federation of Indian Export Organization (FIEO), CII and Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI).

7. Tie up arrangement with premier institutions like Federation of Indian Export Organization (FIEO), World Trade Centre (WTC), Indian Trade Promotion Organization (ITPO), Trade Promotion Council of India etc., for invigorating business opportunities in the overseas market by conducting exhibitions and workshops for Khadi Institutions. Arranging training in Export Procedure and Documentation for Export Oriented Units (EOUs), Institutions and Entrepreneurs in the KVI Sector through these institutions.

8. A MoU was signed between KVIC and Aditya Birla Fashion & Retail Ltd. (ABFRL), Raymond and Arvind Mills for sale of Khadi fabric in country and abroad.

9. Tie up with e-Commerce platform for on-line marketing through e-Commerce companies like PayTM, Aaarmart.

10. KVIC has applied to register "Khadi" as a word mark and "Khadi India" as a Trade mark in 27 classes for various products among 45 classes listed out in the IPR Act at National Level as well as has filed an online application for registering "Khadi" as a trade mark under International Bureau in European Union and other countries under 16 different class.

दिनांक 06.08.2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3094 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए की गई पहल/उठाए गए कदम

विदेशों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रदर्शित करने, अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं एवं विक्रेताओं तक पहुँचाने तथा व्यवसाय संबंध आदि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए पात्र खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) संस्थाओं को बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता (एमपीडीए) स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ऐसी भागीदारी के लिए पात्र मदों तथा सहायता पैमाना निम्नवत् होगा:-

क्र.सं.	पात्र मद	सहायता पैमाना
(i)	स्थान किराया	खादी और ग्रामोद्योगों के लिए- अधिकतम 1.25 लाख रुपये के अधीन स्थान किराए का 100% या भुगतान किया गया वास्तविक किराया जो भी कम हो (भाग लेने वाले प्रत्येक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)
(ii)	हवाई किराया	खादी और ग्रामोद्योगों के लिए- अधिकतम 1.00 लाख रुपये के अधीन इकोनोमी क्लास के हवाई किराये का 100% या भुगतान किया गया वास्तविक किराया जो भी कम हो (भाग लेने वाले प्रत्येक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)

- राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना जिसमें खादी और ग्रामोद्योग को भाग लेने तथा अपने उत्पाद बेचने की अनुमति है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), नई दिल्ली जहाँ निर्यातक संस्थाओं के लिए स्टॉल किराये के लिए सब्सिडी दी जाती है, जैसे भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने वाले निर्यातकों को भी सहायता दी जाती है।
- आईटीपीओ, नई दिल्ली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करना जहाँ खादी ग्रामोद्योग उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल, आयातकों, विदेशी क्रेताओं, फ्रेंचाइजियों, ब्रांडेड मर्चेंडाइज आउटलेटों, खुदरा विक्रेताओं, मॉलों और शॉपिंग केन्द्रों इत्यादि में व्यापक एक्सपोजर होता है।
- एनईएफटी के साथ नवप्रवर्तनकारी निर्यात गुणवत्ता उत्पाद डिजाइन प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्था करना।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), भारतीय फेडरेशन ऑफ इण्डिया एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन (एफआईआईओ), सीआईआई और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन्डस्ट्री (फिक्की) जैसे प्रमुख निर्यात संस्थानों के साथ व्यवस्था करना।
- खादी संस्थानों के लिए प्रदर्शनियों और कार्यशालाएं संचालित करके विदेशी बाजारों में व्यवसाय अवसरों को मजबूत बनाने के लिए फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन (एफआईआईओ), विश्व व्यापार केन्द्र (डब्ल्यूटीसी), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ व्यवस्था करना। इन संस्थानों के माध्यम से केवीआई क्षेत्र में निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ईओयू), संस्थाओं और उद्यमियों के लिए निर्यात प्रक्रिया एवं प्रलेखन में प्रशिक्षण व्यवस्था करना।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग और अदित्य बिरला फेशन एंड रिटेल लि. (एबीएफआरएल), रेमण्ड और अरविन्द मिल्स के बीच देश और विदेश में खादी कपड़ों के विक्रय हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- पेटीएम, आरमार्ट जैसी ई-कॉमर्स कम्पनियों के माध्यम से ऑनलाइन विपणन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ व्यवस्था करना।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर आईपीआर अधिनियम में सूचीबद्ध 45 श्रेणियों में विभिन्न उत्पादों के लिए 27 श्रेणियों में ट्रेडमार्क के रूप में 'खादी इण्डिया' और शब्द मार्क के रूप में 'खादी' पंजीकरण के लिए आवेदन किया है तथा 16 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अन्य देशों में तथा यूरোपियन यूनियन में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के अंतर्गत ट्रेडमार्क के रूप में 'खादी' पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी फाइल किए हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3110
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

PUBLIC PROCUREMENT POLICY

3110. DR. BHAGIRATH PRASAD:
SHRIMATI POONAMBEN MAADAM:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether there is a provision of ensuring 4 per cent of the total Procurement done by ministries, departments and Central Public Sector Enterprises (CPSEs) from the entities owned by SC/ST under the Public Procurement Policy (PPP) and if so, the details thereof;
- (b) if not, the corrective steps taken by the Government to ensure its strict implementation;
- (c) whether the Government's e-Marketplace (GeM)/ Public procurement portal facilitates compliance of above provision of PPP and if so, the details thereof along with salient features of this Public Procurement Portal 'MSME Sambandh' and the value of total procurement made through GeM so far; and
- (d) the other steps taken/proposed to be taken by the Government for strengthening the MSMEs sector in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Yes. As per the Public Procurement policy order 2012, there is provision for 20% of annual procurement from Micro, Small Enterprises (MSEs) by all the Central Ministries / Departments / Central Public Sector Enterprises (CPSEs) including 4% from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs.

(b): Does not arise in view of (a) above.

(c): Government e-Marketplace (GeM) and Central Public Procurement (CPPP) Portals have necessary provision for procurement of Public goods and services under Public Procurement Policy (PPP).

UAM linked transactions by MSEs on Government e-Marketplace (GeM) portal have been to the tune of Rs 2904.6 cr till 26th July, 2018.

On 'MSME Sambandh' portal, annual procurement targets and the details of monthly procurement made by the Central Government Ministries/ Departments and CPSEs from Micro and Small Enterprises (MSEs) are uploaded.

(d): The Government implements various schemes and programmes for promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the country. These include the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Solar Charkha Mission, A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE), Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), Micro & Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSE-CDP), Marketing Development Assistance (MDA), Skill Development Programmes, Schemes for financial support to MSMEs for obtaining Zero Defect Zero Effect (ZED) Certification, National SC/ST Hub to provide professional support to Scheduled Caste and Scheduled Tribe entrepreneurs, Public Procurement Policy for ensuring 20% share of the MSEs in procurements made by the Government of India and its agencies and the Scheme for supporting MSMEs in the North Eastern Region and Sikkim.

(ख) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) तथा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) के अंतर्गत सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए आवश्यक प्रावधान हैं।

सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा 26 जुलाई, 2018 तक उद्योग आधार जापन से संबद्ध लेनेदेन 2904.6 करोड़ रुपए तक के हो चुके हैं।

"एमएसएमई संबंध" पोर्टल पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक खरीद के लक्ष्य और की गई मासिक खरीद के ब्यौरे अपलोड किए जाते हैं।

(घ) : देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सोलर चरखा मिशन, नवप्रवर्तन, ग्रामोद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन की योजना (एस्पायर), क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), विपणन विकास सहायता (एमडीए), कौशल विकास कार्यक्रम, जीरो डिफेक्ट -जीरो इफेक्ट (जेडईडी) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता की योजना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति हब, भारत सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा की गई खरीद में सूक्ष्म और लघु उद्यमों का 20 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता की योजना शामिल है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3110
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

PUBLIC PROCUREMENT POLICY

3110. DR. BHAGIRATH PRASAD:
SHRIMATI POONAMBEN MAADAM:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether there is a provision of ensuring 4 per cent of the total Procurement done by ministries, departments and Central Public Sector Enterprises (CPSEs) from the entities owned by SC/ST under the Public Procurement Policy (PPP) and if so, the details thereof;
- (b) if not, the corrective steps taken by the Government to ensure its strict implementation;
- (c) whether the Government's e-Marketplace (GeM)/ Public procurement portal facilitates compliance of above provision of PPP and if so, the details thereof along with salient features of this Public Procurement Portal 'MSME Sambandh' and the value of total procurement made through GeM so far; and
- (d) the other steps taken/proposed to be taken by the Government for strengthening the MSMEs sector in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

- (a): Yes. As per the Public Procurement policy order 2012, there is provision for 20% of annual procurement from Micro, Small Enterprises (MSEs) by all the Central Ministries / Departments / Central Public Sector Enterprises (CPSEs) including 4% from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3110
उत्तर देने की तारीख : 06.08.2018

सार्वजनिक खरीद नीति

3110. डॉ. भागीरथ प्रसाद:

श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली कंपनियों से मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा की गई कुल खरीद का 4 प्रतिशत खरीदना सुनिश्चित करने का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) यदि नहीं, तो इसके सख्ती से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार के ई-मार्केट प्लेस (जीईएम)/सार्वजनिक खरीद पोर्टल उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन को सुलभ बनाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक खरीद पोर्टल 'एमएसएमई-संबंध' की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और जीईएम के माध्यम से अब तक कुल कितने मूल्य की खरीद की गई; और
- (घ) सरकार द्वारा देश में एमएसएमई क्षेत्र के सशक्तीकरण हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : जी हां। सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के अनुसार सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा वार्षिक खरीद का 20 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एमएसई) से, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु उद्यमों से चार प्रतिशत की खरीद शामिल है, किए जाने का प्रावधान है।

(b): Does not arise in view of (a) above.

(c): Government e-Marketplace (GeM) and Central Public Procurement (CPPP) Portals have necessary provision for procurement of Public goods and services under Public Procurement Policy (PPP).

UAM linked transactions by MSEs on Government e-Marketplace (GeM) portal have been to the tune of Rs 2904.6 cr till 26th July, 2018.

On 'MSME Sambandh' portal, annual procurement targets and the details of monthly procurement made by the Central Government Ministries/ Departments and CPSEs from Micro and Small Enterprises (MSEs) are uploaded.

(d): The Government implements various schemes and programmes for promotion and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the country. These include the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Solar Charkha Mission, A Scheme for Promoting Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE), Credit Guarantee Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP), Micro & Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSE-CDP), Marketing Development Assistance (MDA), Skill Development Programmes, Schemes for financial support to MSMEs for obtaining Zero Defect Zero Effect (ZED) Certification, National SC/ST Hub to provide professional support to Scheduled Caste and Scheduled Tribe entrepreneurs, Public Procurement Policy for ensuring 20% share of the MSEs in procurements made by the Government of India and its agencies and the Scheme for supporting MSMEs in the North Eastern Region and Sikkim.

(ख) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) तथा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) के अंतर्गत सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए आवश्यक प्रावधान हैं।

सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा 26 जुलाई, 2018 तक उद्योग आधार ज्ञापन से संबद्ध लेनेदेन 2904.6 करोड़ रुपए तक के हो चुके हैं।

“एमएसएमई संबंध” पोर्टल पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक खरीद के लक्ष्य और की गई मासिक खरीद के ब्यौरे अपलोड किए जाते हैं।

(घ) : देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सोलर चरखा मिशन, नवप्रवर्तन, ग्रामोद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन की योजना (एस्पायर), क्रेडिट गारंटी योजना, क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), विपणन विकास सहायता (एमडीए), कौशल विकास कार्यक्रम, जीरो डिफेक्ट -जीरो इफेक्ट (जेडईडी) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता की योजना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति हब, भारत सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा की गई खरीद में सूक्ष्म और लघु उद्यमों का 20 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता की योजना शामिल है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3143
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

MSME UNIVERSITIES

3143. SHRI SUMAN BALKA:

Will the Minister of MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a): whether the Government proposes to set up state-level universities dedicated to entrepreneurship and MSMEs with an outreach through MSME clinics on the pattern of agricultural universities and if so, the details thereof;

(b): whether the Government proposes to set up a dedicated Entrepreneurship and MSME University (EMU) to combine academic teaching faculty with practitioners to nurture entrepreneurship and to produce self-confident entrepreneurs and an army of trainers to create an ecosystem for entrepreneurship and if so, the details thereof; and

(c): if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (c): No, Madam. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) already has specialized institutes which implement various schemes to encourage, nurture and promote entrepreneurship in the country. These include National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (ni-msme), MSME Technology Centers, MSME Development Institutes, Training Centers of National Small Industries Corporation (NSIC), Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and Coir Board.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3143
उत्तर देने की तारीख 06.08.2018
एमएसएमई विश्वविद्यालय

3143. श्री बलका सुमन:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि विश्वविद्यालयों के पैटर्न पर एमएसएमई क्लीनिकों के माध्यम से दूर तक पहुंच के साथ उद्यमिता तथा एमएसएमई को समर्पित राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उद्यमिता का पोषण करने तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण उद्यमी पैदा करने तथा उद्यमिता हेतु तथा परिस्थितिकीय तंत्र के सृजन हेतु प्रशिक्षकों की सेना तैयार करने के लिए अकादमिक शिक्षण फैकल्टी को प्रैक्टिशनर के साथ संयुक्त करने के लिए समर्पित उद्यम तथा एमएसएमई विश्वविद्यालय (ईएमयू) स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): जी, नहीं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के पास विशेषज्ञ संस्थान हैं जो देश में उद्यमिता को प्रोत्साहित, पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करते हैं। इनमें, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समें), एमएसएमई प्रौद्योगिकी (टेक्नॉलाजी) केन्द्र, एमएसएमई विकास संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के प्रशिक्षण केन्द्र और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कयर बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3180
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

SETTING UP OF MSMEs

3180. SHRI RAM KUMAR SHARMA:
SHRI ASHOK MAHADEORAO NETE:
SHRI KIRTI AZAD:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Government proposes to set up at least one unit of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in each village to check migration of people towards urban areas in search of employment;
- (b) if so, the details thereof including the number of MSMEs set up during each of the last three years and the current year, State/UT-wise and if not, the reasons therefor;
- (c) the number of people who have lost their jobs in the MSMEs during the said period, State/UT-wise;
- (d) whether there is any connection between demonetisation and reduction in employment opportunities in the MSMEs; and
- (e) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): No, Madam. However, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is implementing the following schemes/ programmes for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs):

(i) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP): This is a major credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth. Any individual above 18 years of age is eligible. General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as scheduled caste/scheduled tribe/OBC /minorities/women, ex-serviceman, physically handicapped, NER, Hill and Border areas etc. the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of projects is Rs.25 lakh in the manufacturing sector and Rs.10 lakh in the service sector. Benefit can be availed under PMEGP for setting up of new units only. The Scheme was launched during 2008-09.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 3180
उत्तर देने की तारीख 06.08.2018
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना

3180. श्री राम कुमार शर्मा:

श्री अशोक महादेवराव नेते:

श्री कीर्ति आजाद:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले पलायन को रोकने के लिए प्रत्येक गांव में कम से कम एक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार / संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना की गई है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में राज्य-वार / संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लोगों ने अपना रोजगार खोया है;

(घ) क्या नोटबंदी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के अवसरों में कमी के बीच कोई संबंध है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

(i) **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** यह एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पात्र है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। विशेष श्रेणी से संबंधित लाभार्थी जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यकों/महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक दिव्यांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों, इत्यादि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रु. और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. है। केवल नई इकाइयों की स्थापना हेतु पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभ लिया जा सकता है। स्कीम, वर्ष 2008-09 के दौरान आरंभ की गई थी।

Since its inception, a total of 4.72 lakh micro enterprises have been assisted with a margin money (MM) subsidy of Rs 10007.67 crore providing employment to an estimated 39.36 lakh persons, till 2017-18 (up to 31.03.2018). State/UT-wise micro units set up, MM subsidy allocated & utilized and employment generated under PMEGP during each of the last three years and the current year is placed at **Annexure-I**.

(ii) Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE): The scheme facilitates credit to the MSE units by covering collateral free credit facility (term loan and /or working capital) extended by eligible lending institutions to new and existing micro and small enterprises. The corpus of CGTMSE has been enhanced from Rs.2500 crore to 7500 crore. Since its inception, more than 30 lakh enterprises have been assisted with a total amount of Rs. 5699.90 crore (up to 31.03.2018).

(iii) Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS): CLCSS facilitates technology upgradation of small scale industries, including agro & rural industrial units by providing 15% upfront capital subsidy (limited to maximum of Rs.15.00 lakhs). Since inception and upto 30.06.2018, a total of 51,019 units have been assisted utilizing subsidy of Rs. 3066.18 crore.

Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) and Stand-Up India scheme are being implemented by Department of Financial Services, M/o Finance. PMMY was launched during 2015-16 for providing loans upto 10 lakh to the non-corporate, non-farm small/micro enterprises. Since its inception in 2015, a total of 6, 01,713.87 Crore amount has been disbursed providing loan to 13, 22, 98,434 units. (Up to 13.07.2018). Under Stand-Up India loan between Rs 10 lakh and Rs 1 Crore is provided to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one-woman borrower per bank branch for setting up a Greenfield enterprise. This enterprise may be in manufacturing, services or the trading sector.

(c): Ministry of MSME does not maintain data on the number of people who have lost their jobs in the MSMEs during the said period. However, 49.37 lakh MSMEs have been registered on Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) portal as on 31.7.2018.

(d): Ministry of MSME has not conducted any study to know the connection between demonetization and reduction in employment.

(e): Does not arise.

* * *

इसके आरंभ से, वर्ष 2017-18 (31.03.2018 तक) तक 4.72 लाख रु. सूक्ष्म उद्यमों को 10007.67 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी की सहायता से अनुमानित 39.36 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थापित सूक्ष्म इकाई, आबंटित एवं प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी और सृजित रोजगार संबंधी जानकारी अनुबंध-1 पर है।

(ii) **सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई):** यह स्कीम नए एवं विद्यमान सूक्ष्म और लघु उद्यमों को पात्र उधारदाता (लेंडिंग) संस्थाओं द्वारा दी गई संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (मियादी ऋण तथा/या कार्यशील पूँजी) को कवर कर एमएसई इकाइयों के लिए ऋण को सरल बनाती है। सीजीटीएमएसई की निधि संग्रह को 2500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 7500 करोड़ रु. कर दिया गया है। इसके आरंभ से 5699.90 करोड़ रु. की कुल राशि से 30 लाख से अधिक उद्यमों की सहायता की गई है (31.03.2018 तक)।

(iii) **ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस):** सीएलसीएसएस 15 प्रतिशत अग्रिम पूँजीगत सब्सिडी (अधिकतम 15.00 लाख रु. तक सीमित) प्रदान कर कृषि और ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों सहित लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन को आसान बनाता है। शुरू से तथा 30.06.2018 तक कुल 51,019 इकाइयों को 3066.18 करोड़ रु. देकर सहायता की गई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंड-अप इंडिया स्कीम का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा किया जा रहा है। गैर-कार्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमएमवाई आरंभ की गई। वर्ष 2015 में इसके आरंभ से (दिनांक 13.07.2018 तक) 13,22,98,434 इकाइयों को ऋण प्रदान करते हुए 6,01,713.87 करोड़ रु. की कुल राशि संवितरित की गई है। स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के ऋणियों और कम से कम एक महिला ऋणी प्रति बैंक शाखा को 10 लाख रु. और 1 करोड़ रु. के बीच ऋण प्रदान किया जाता है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं अथवा व्यापार क्षेत्र में हो सकता है।

(ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्यम मंत्रालय उक्त अवधि के दौरान एमएसएमई में रोजगार गवाएं लोगों की संख्या संबंधी आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, 31.07.2018 की स्थिति के अनुसार उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) पर 49.37 लाख एमएसएमई को पंजीकृत किया गया है।

(घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने रोजगार में नोटबन्दी एवं कमी के बीच छूट को जानने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Annexure-I referred to in reply to part (a)&(b) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 3180 for answer on 06.08.2018

State-wise position of PMEGP during 2015-16

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu & Kashmir	4006.80	3781.19	2207	12115
2	Himachal Pradesh	1721.57	1767.26	1077	5134
3	Punjab	3026.80	2902.97	966	7762
4	UT Chandigarh	90.00	87.72	43	323
5	Uttarakhand	1909.93	1740.86	1136	6161
6	Haryana	3747.40	3112.09	1248	7232
7	Delhi	257.35	254.05	256	2048
8	Rajasthan	4188.14	4384.07	1988	14537
9	Uttar Pradesh	17535.32	14456.87	4365	43059
10	Bihar	7118.59	6588.55	2430	19624
11	Sikkim	227.38	186.11	110	397
12	Arunachal Pradesh	200.08	38.85	35	104
13	Nagaland	1255.83	1392.81	623	4998
14	Manipur	2855.92	1213.98	685	2715
15	Mizoram	924.99	1026.35	1134	9072
16	Tripura	2748.26	945.84	642	5355
17	Meghalaya	1250.62	1056.12	603	4824
18	Assam	4969.87	2869.74	3483	9026
19	West Bengal	4765.49	3400.65	1873	12746
20	Jharkhand	3462.64	3559.74	1839	12873
21	Odisha	6282.00	5736.32	2876	17629
22	Chhattisgarh	4303.80	2829.38	1277	9496
23	Madhya Pradesh	7729.40	8117.17	1979	16497
24	Gujarat*	6536.16	6339.73	1419	14960
25	Maharashtra **	9718.42	5285.03	2497	20161
26	Andhra Pradesh	4496.85	2262.37	642	7740
27	Telangana	2094.00	2217.57	660	7761
28	Karnataka	10846.89	5898.01	2140	17284
29	Goa	159.40	165.43	91	500
30	Lakshadweep	90.00	0.00	0	0
31	Kerala	2731.60	2720.48	1369	9653
32	Tamil Nadu	7110.80	5497.54	2463	20836
33	Puducherry	100.00	106.37	65	447
34	Andaman & Nicobar Islands	158.00	65.11	119	293
	TOTAL	128620.30	102006.33	44340	323362

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

दिनांक 06.08.2018 के लोक सभा अंतरांकित प्रश्न सं. 3180 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	जम्मू और कश्मीर	4006.80	3781.19	2207	12115
2	हिमाचल प्रदेश	1721.57	1767.26	1077	5134
3	पंजाब	3026.80	2902.97	966	7762
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	90.00	87.72	43	323
5	उत्तराखंड	1909.93	1740.86	1136	6161
6	हरियाणा	3747.40	3112.09	1248	7232
7	दिल्ली	257.35	254.05	256	2048
8	राजस्थान	4188.14	4384.07	1988	14537
9	उत्तर प्रदेश	17535.32	14456.87	4365	43059
10	बिहार	7118.59	6588.55	2430	19624
11	सिक्किम	227.38	186.11	110	397
12	अरुणाचल प्रदेश	200.08	38.85	35	104
13	नगालैंड	1255.83	1392.81	623	4998
14	मणिपुर	2855.92	1213.98	685	2715
15	मिजोरम	924.99	1026.35	1134	9072
16	त्रिपुरा	2748.26	945.84	642	5355
17	मेघालय	1250.62	1056.12	603	4824
18	असम	4969.87	2869.74	3483	9026
19	पश्चिम बंगाल	4765.49	3400.65	1873	12746
20	झारखंड	3462.64	3559.74	1839	12873
21	ओडिशा	6282.00	5736.32	2876	17629
22	छत्तीसगढ़	4303.80	2829.38	1277	9496
23	मध्य प्रदेश	7729.40	8117.17	1979	16497
24	गुजरात*	6536.16	6339.73	1419	14960
25	महाराष्ट्र**	9718.42	5285.03	2497	20161
26	आंध्र प्रदेश	4496.85	2262.37	642	7740
27	तेलंगाना	2094.00	2217.57	660	7761
28	कर्नाटक	10846.89	5898.01	2140	17284
29	गोवा	159.40	165.43	91	500
30	लक्षद्वीप	90.00	0.00	0	0
31	केरल	2731.60	2720.48	1369	9653
32	तमिलनाडु	7110.80	5497.54	2463	20836
33	पुडुचेरी	100.00	106.37	65	447
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	158.00	65.11	119	293
	कुल	128620.30	102006.33	44340	323362

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* दमण और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

State-wise position of PMEGP during 2016-17

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu & Kashmir	3541.26	2621.40	1492	11691
2	Himachal Pradesh	1970.11	2185.27	941	6916
3	Punjab	3504.09	3181.60	1266	9858
4	UT Chandigarh	100	82.84	47	376
5	Uttarakhand	2140.93	2122.33	1345	9890
6	Haryana	3371.31	3383.53	1377	11016
7	Delhi	300	182.41	119	952
8	Rajasthan	5500.99	4641.6	1749	13408
9	Uttar Pradesh	12981.52	14271.05	4074	36315
10	Bihar	6909.77	8336.51	3234	25872
11	Sikkim	200	35.93	27	201
12	Arunachal Pradesh	500	440.34	301	1984
13	Nagaland	1751.68	2007.48	1018	7783
14	Manipur	1741.7	2162.78	1265	8419
15	Mizoram	1253.49	491.96	425	3400
16	Tripura	1578.62	3734.66	2297	17961
17	Meghalaya	1748.1	407.89	329	2632
18	Assam	5636.41	4910.38	6028	31498
19	West Bengal	3680.3	6270.32	3528	26604
20	Jharkhand	4165.73	2654.35	1300	10400
21	Odisha	5201.65	6848.96	3029	20392
22	Chhattisgarh	4493.3	4070.73	1598	12856
23	Madhya Pradesh	8527.32	8346.06	1940	15520
24	Gujarat*	5398.45	7561.61	1386	11629
25	Maharashtra **	6111.29	6001.36	2325	17799
26	Andhra Pradesh	2336.59	4916.08	1357	14148
27	Telangana	2004.86	2561.72	664	6445
28	Karnataka	4941.62	11609.56	3575	30286
29	Goa	371.62	191.44	90	660
30	Lakshadweep	50	00	00	00
31	Kerala	2446.06	3350.68	1584	13068
32	Tamil Nadu	5291.23	8213.92	2941	25764
33	Puducherry	150	103.65	66	699
34	Andaman & Nicobar Islands	100	193.46	195	1398
	TOTAL	110000	128093.86	52912	407840

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	जम्मू और कश्मीर	3541.26	2621.40	1492	11691
2	हिमाचल प्रदेश	1970.11	2185.27	941	6916
3	पंजाब	3504.09	3181.60	1266	9858
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	100	82.84	47	376
5	उत्तराखंड	2140.93	2122.33	1345	9890
6	हरियाणा	3371.31	3383.53	1377	11016
7	दिल्ली	300	182.41	119	952
8	राजस्थान	5500.99	4641.6	1749	13408
9	उत्तर प्रदेश	12981.52	14271.05	4074	36315
10	बिहार	6909.77	8336.51	3234	25872
11	सिक्किम	200	35.93	27	201
12	अरुणाचल प्रदेश	500	440.34	301	1984
13	नगालैंड	1751.68	2007.48	1018	7783
14	मणिपुर	1741.7	2162.78	1265	8419
15	मिजोरम	1253.49	491.96	425	3400
16	त्रिपुरा	1578.62	3734.66	2297	17961
17	मेघालय	1748.1	407.89	329	2632
18	असम	5636.41	4910.38	6028	31498
19	पश्चिम बंगाल	3680.3	6270.32	3528	26604
20	झारखंड	4165.73	2654.35	1300	10400
21	ओडिशा	5201.65	6848.96	3029	20392
22	छत्तीसगढ़	4493.3	4070.73	1598	12856
23	मध्य प्रदेश	8527.32	8346.06	1940	15520
24	गुजरात*	5398.45	7561.61	1386	11629
25	महाराष्ट्र**	6111.29	6001.36	2325	17799
26	आंध्र प्रदेश	2336.59	4916.08	1357	14148
27	तेलंगाना	2004.86	2561.72	664	6445
28	कर्नाटक	4941.62	11609.56	3575	30286
29	गोवा	371.62	191.44	90	660
30	लक्षद्वीप	50	00	00	00
31	केरल	2446.06	3350.68	1584	13068
32	तमिलनाडु	5291.23	8213.92	2941	25764
33	पुडुचेरी	150	103.65	66	699
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	193.46	195	1398
	कुल	110000	128093.86	52912	407840

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* दमण और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

State-wise position of PMEGP during 2017-18

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu& Kashmir	3272.84	6913.15	3753	30024
2	Himachal Pradesh	1785.19	2042.5	886	7088
3	Punjab	3272.84	3930.46	1520	12160
4	UT Chandigarh	100.00	90.07	45	360
5	Uttarakhand	1933.95	2880.98	1613	12904
6	Haryana	3272.84	4167.04	1718	13744
7	Delhi	300.00	150.65	115	920
8	Rajasthan	4909.26	4929.04	1577	12614
9	Uttar Pradesh	11157.41	16866.47	5432	43456
10	Bihar	5653.09	6558.85	2307	18456
11	Sikkim	200.00	46.36	37	296
12	Arunachal Pradesh	500.00	309.42	209	1672
13	Nagaland	1728.96	2672.15	930	7440
14	Manipur	1434.32	1383.87	600	4800
15	Mizoram	1245.66	274.05	249	1992
16	Tripura	1283.75	1892.3	1116	8928
17	Meghalaya	1720.32	118.27	75	600
18	Assam	5351.99	2362.48	2282	18256
19	West Bengal	2975.31	3891.37	1366	10928
20	Jharkhand	3570.37	2439.53	1111	8888
21	Odisha	4462.97	5680.65	2399	19192
22	Chhattisgarh	4016.67	3398.4	1463	11704
23	Madhya Pradesh	7587.04	7631.41	1804	14432
24	Gujarat*	4909.26	12883.63	1876	15008
25	Maharashtra **	5355.56	8749.73	3329	26632
26	Andhra Pradesh	1933.95	5336.1	1527	12216
27	Telangana	4611.73	4030.21	1190	9520
28	Karnataka	4462.97	6477.94	2115	16920
29	Goa	297.53	149.07	50	400
30	Lakshadweep	100.00	00	00	00
31	Kerala	2082.72	2910.44	1347	10776
32	Tamil Nadu	4760.50	9717.58	4095	32760
33	Puducherry	100.00	78.95	44	352
34	Andaman & Nicobar Islands	100.00	276.95	218	1744
	TOTAL	100449	131240.07	48398	387184

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

वर्ष 2017-18 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	जम्मू और कश्मीर	3272.84	6913.15	3753	30024
2	हिमाचल प्रदेश	1785.19	2042.5	886	7088
3	पंजाब	3272.84	3930.46	1520	12160
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	100.00	90.07	45	360
5	उत्तराखंड	1933.95	2880.98	1613	12904
6	हरियाणा	3272.84	4167.04	1718	13744
7.	दिल्ली	300.00	150.65	115	920
8	राजस्थान	4909.26	4929.04	1577	12614
9	उत्तर प्रदेश	11157.41	16866.47	5432	43456
10	बिहार	5653.09	6558.85	2307	18456
11	सिक्किम	200.00	46.36	37	296
12	अरुणाचल प्रदेश	500.00	309.42	209	1672
13	नगालैंड	1728.96	2672.15	930	7440
14	मणिपुर	1434.32	1383.87	600	4800
15	मिजोरम	1245.66	274.05	249	1992
16	त्रिपुरा	1283.75	1892.3	1116	8928
17	मेघालय	1720.32	118.27	75	600
18	असम	5351.99	2362.48	2282	18256
19	पश्चिम बंगाल	2975.31	3891.37	1366	10928
20	झारखंड	3570.37	2439.53	1111	8888
21	ओडिशा	4462.97	5680.65	2399	19192
22	छत्तीसगढ़	4016.67	3398.4	1463	11704
23	मध्य प्रदेश	7587.04	7631.41	1804	14432
24	गुजरात*	4909.26	12883.63	1876	15008
25	महाराष्ट्र**	5355.56	8749.73	3329	26632
26	आंध्र प्रदेश	1933.95	5336.1	1527	12216
27	तेलंगाना	4611.73	4030.21	1190	9520
28	कर्नाटक	4462.97	6477.94	2115	16920
29	गोवा	297.53	149.07	50	400
30	लक्षद्वीप	100.00	00	00	00
31	केरल	2082.72	2910.44	1347	10776
32	तमिलनाडु	4760.50	9717.58	4095	32760
33	पुडुचेरी	100.00	78.95	44	352
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.00	276.95	218	1744
	कुल	100449	131240.07	48398	387184

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* दमण और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

State-wise position of PMEGP during 2018-19 (as on 30.06.2018)

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	A & N Islands	188.64	50.85	37	296
2	Andhra Pradesh	3742.74	1489.96	392	3136
3	Arunachal Pradesh	471.6	153.84	104	832
4	Assam	10507.7	1153.43	1112	8896
5	Bihar	10869.49	1981.22	733	5864
6	Chhattisgarh	6339.11	1398.19	752	6016
7	Delhi	282.96	8.19	5	40
8	Goa	605.15	19.32	4	32
9	Gujarat*	7501.95	3271.57	454	3632
10	Haryana	4664.1	799.23	341	2728
11	Himachal Pradesh	2711.4	312.42	127	1016
12	Jammu & Kashmir	4745.12	2000.27	1111	8888
13	Jharkhand	6193.49	731.05	308	2464
14	Karnataka	6939.66	1925.29	695	5560
15	Kerala	3667.38	952.24	464	3712
16	Lakshadweep	47.16	0	0	0
17	Madhya Pradesh	11952.9	1200.25	304	2432
18	Maharashtra **	8833.6	2522.06	1093	8744
19	Manipur	2544.19	317.99	196	1568
20	Meghalaya	2653.7	90.19	66	528
21	Mizoram	2045.45	242.31	178	1424
22	Nagaland	2825.5	310.2	154	1232
23	Odisha	7719.19	1691.83	773	6184
24	Puducherry	141.48	9.66	6	48
25	Punjab	4617.17	678.86	309	2472
26	Rajasthan	7743.65	1563.39	542	4336
27	Sikkim	188.64	11.29	5	40
28	Tamil Nadu	7438.88	1204.57	574	4592
29	Telangana	7250.96	555.88	186	1488
30	Tripura	1965.99	453.34	233	1864
31	UT Chandigarh	94.32	15.66	7	56
32	Uttar Pradesh	19171.59	5147.15	1559	12472
33	Uttarakhand	+	950.81	581	4648
34	West Bengal	6423.74	1468.1	478	3824
	TOTAL	166064	34680.61	13883	111064

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

वर्ष 2018-19 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति (30.06.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित मार्जिन मनी सन्निधि (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी सन्निधि (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	188.64	50.85	37	296
2	आंध्र प्रदेश	3742.74	1489.96	392	3136
3	अरुणाचल प्रदेश	471.6	153.84	104	832
4	असम	10507.7	1153.43	1112	8896
5	बिहार	10869.49	1981.22	733	5864
6	छत्तीसगढ़	6339.11	1398.19	752	6016
7	दिल्ली	282.96	8.19	5	40
8	गोवा	605.15	19.32	4	32
9	गुजरात*	7501.95	3271.57	454	3632
10	हरियाणा	4664.1	799.23	341	2728
11	हिमाचल प्रदेश	2711.4	312.42	127	1016
12	जम्मू और कश्मीर	4745.12	2000.27	1111	8888
13	झारखंड	6193.49	731.05	308	2464
14	कर्नाटक	6939.66	1925.29	695	5560
15	केरल	3667.38	952.24	464	3712
16	लक्षद्वीप	47.16	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	11952.9	1200.25	304	2432
18	महाराष्ट्र **	8833.6	2522.06	1093	8744
19	मणिपुर	2544.19	317.99	196	1568
20	मेघालय	2653.7	90.19	66	528
21	मिजोरम	2045.45	242.31	178	1424
22	नगालैंड	2825.5	310.2	154	1232
23	ओडिशा	7719.19	1691.83	773	6184
24	पुडुचेरी	141.48	9.66	6	48
25	पंजाब	4617.17	678.86	309	2472
26	राजस्थान	7743.65	1563.39	542	4336
27	सिक्किम	188.64	11.29	5	40
28	तमिलनाडु	7438.88	1204.57	574	4592
29	तेलंगाना	7250.96	555.88	186	1488
30	त्रिपुरा	1965.99	453.34	233	1864
31	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	94.32	15.66	7	56
32	उत्तर प्रदेश	19171.59	5147.15	1559	12472
33	उत्तराखंड	2975.4	950.81	581	4648
34	पश्चिम बंगाल	6423.74	1468.1	478	3824
	कुल	166064	34680.61	13883	111064

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियाँ सहित

* दमण और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3202.
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

EMPLOYMENTS IN MSME SECTOR

3202. SHRI ANANDRAO ADSUL:
SHRI D.K. SURESH:
SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO:
DR. PRITAM GOPINATH MUNDE:
SHRI DHARMENDRA YADAV:
SHRI SHRIRANG APPA BARNE:
SHRI KUNWAR PUSHPENDRA SINGH CHANDEL:
DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE:
SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT:
SHRI NALIN KUMAR KATEEL:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Government has any proposal to integrate vocational training into the school curriculum while revitalizing the education imparted in Government schools to enhance job creation in the country and if so, the details thereof;
- (b) whether the Government proposes to introduce cluster development mechanism to align the micro, small and medium enterprises' growth with the job-creation agenda and if so, the details thereof;
- (c) whether Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector has immense potential in employment generation and if so, the details thereof;
- (d) whether large number of employment opportunities are created with use of relatively less capital in the MSME sector and if so, the details thereof, State-wise;
- (e) whether there is ambiguity on the data of employment generated through MSME sector and if so, the details thereof;
- (f) whether to boost the MSME sector, a separate policy and sector-wise policies are required and if so, the details thereof; and
- (g) The steps taken by the Government to frame separate policy and sector-wise policies to boost the MSME sector?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Ministry of Human Resource Development, Government of India, has a development scheme aimed at vocationalisation of school education. Its main objectives are to enhance the employability of youth through demand driven competency based vocational courses, to bridge the divide between the academic and applied learning and reduce the dropout rate in schools. The scheme includes vocational education in schools, capacity building of vocational education teachers/skill trainers, development of competency based curriculum and teaching learning material, development of management information system for monitoring and evaluation, and taking up innovative programmes under vocational education.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3202
उत्तर देने की तारीख : 06.08.2018

एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार

3202. श्री आनंदराव अडसुलः

श्री डी. के. सुरेशः

श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः

श्री धर्मेन्द्र यादवः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में रोजगार सृजन में वृद्धि करने हेतु सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को पुनर्जीवित करते हुए विद्यालय पाठ्यक्रम से व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का विचार रोजगार सृजन कार्य के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को संरेखित करने हेतु संकुल विकास तंत्र प्रारंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या तुलनात्मक रूप से कम पूंजी के साथ एमएसएमई क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों को सृजित किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से सृजित किए गए रोजगारों संबंधी डाटा में कोई अस्पष्टता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु एक पृथक नीति और क्षेत्र-वार नीतियों की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु पृथक नीति और क्षेत्र-वार नीतियां तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक ऐसी विकास योजना है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा का व्यवसायीकरण करना है। इसके मुख्य उद्देश्यों में मांग प्रेरित क्षमता पर आधारित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना, शैक्षणिक एवं अनुप्रयुक्त शिक्षण के बीच अंतर को पाटना और स्कूलों में शिक्षा बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दर को कम करना शामिल है। इस योजना में स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों/कौशल प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण, क्षमता आधारित पाठ्यचर्या एवं शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री का विकास, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास एवं मूल्यांकन और व्यवसायिक शिक्षा के तहत नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमों को शुरू करना शामिल है।

(b): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has adopted the cluster development approach as a key strategy for enhancing the productivity and competitiveness of Micro and Small Enterprises (MSEs) in the country. The clusters play an important role in creation of employment opportunities also.

(c) to (e): Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises implements several schemes and programmes to strengthen the MSMEs & promote employment. Some of the important initiatives in this regard include Prime Minister's Employment Generation programme (PMEGP), Mission Solar Charkha, Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), A Scheme for Promoting innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE), Credit Guarantee Fund Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness programme (NMCP), Marketing Assistance Scheme and MSE-Cluster Development programme etc. The National Sample Survey Office (NSSO), Ministry of Statistics & Programme Implementation, conducted a survey of unincorporated non-agricultural enterprises (excluding construction) during its 73rd round (July, 2015 – June, 2016). As per this survey, the total employment in the MSME Sector is 1109.89 lakh. The State/UT-wise distribution of the employment is given in Annexure-I.

(f) & (g): Steps have been taken for policy development in the MSME sector. The Government had set up a committee with the mandate to give recommendations on the national policy on MSMEs. The committee looked into various issues relating to the MSMEs such as infrastructure, finance, technology, innovation, marketing & exports etc. The committee has already submitted its Report to the Government.

(ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाया है। ये क्लस्टर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ग) से (इ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सुदृढ़ करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है। इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सौर चरखा मिशन, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता के संवर्धन की योजना (एस्पायर), क्रेडिट गारंटी निधि योजना, क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), विपणन सहायता योजना और एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा अपने 73वें दौर (जुलाई, 2015- जून, 2016) के दौरान अनियमित गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) का एक सर्वेक्षण कराया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में कुल रोजगार 1109.89 लाख है। रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(च) और (छ) : एमएसएमई क्षेत्र में नीति विकसित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार ने एक समिति गठित की है, जिसे एमएसएमई पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए सिफारिशें करने का अधिदेश दिया गया है। इस समिति ने एमएसएमई से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे कि अवसंरचना, वित्त, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष, विपणन एवं निर्यात इत्यादि पर विचार किया है और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

Annexure-I referred to in reply to part (c) to (e) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 3202 for answer on 06.08.2018

As per 73 rd Round of NSS Report on Unincorporated Non-Agricultural Enterprises' (June 2015- June 2016)		
Sl. No.	State/UT	Estimated no. of workers
(1)	(2)	(3)
1	Andhra Pradesh	5598878
2	Arunachal Pradesh	40844
3	Assam	1814541
4	Bihar	5305034
5	Chhattisgarh	1685507
6	Delhi	2300267
7	Goa	160351
8	Gujarat	6115595
9	Haryana	1905369
10	Himachal Pradesh	642748
11	Jammu & Kashmir	1087551
12	Jharkhand	2490794
13	Karnataka	7083735
14	Kerala	4463350
15	Madhya Pradesh	4874459
16	Maharashtra	9074600
17	Manipur	292215
18	Meghalaya	190549
19	Mizoram	62359
20	Nagaland	176610
21	Odisha	3325621
22	Punjab	2478902
23	Rajasthan	4632279
24	Sikkim	44696
25	Tamil Nadu	9671945
26	Telangana	4015787
27	Tripura	294983
28	Uttar Pradesh	16519294
29	Uttarakhand	659880
30	West Bengal	13545924
31	A & N Islands	38890
32	Chandigarh	128910
33	Dadra & Nagar Haveli	36329
34	Daman & Diu	14438
35	Lakshadweep	2765
36	Puducherry	183882
	ALL	110959881

लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 3202 जिसका उत्तर दिनांक 06.08.2018 को दिया जाना है, के भाग (ग) से (इ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-1

अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों पर एनएसएस रिपोर्ट के 73वें दौर (जून, 2015-जून, 2016) के अनुसार		
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुमानित श्रमिकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1	आंध्र प्रदेश	5598878
2	अरुणाचल प्रदेश	40844
3	असम	1814541
4	बिहार	5305034
5	छत्तीसगढ़	1685507
6	दिल्ली	2300267
7	गोवा	160351
8	गुजरात	6115595
9	हरियाणा	1905369
10	हिमाचल प्रदेश	642748
11	जम्मू एवं कश्मीर	1087551
12	झारखंड	2490794
13	कर्नाटक	7083735
14	केरल	4463350
15	मध्य प्रदेश	4874459
16	महाराष्ट्र	9074600
17	मणिपुर	292215
18	मेघालय	190549
19	मिजोरम	62359
20	नागालैंड	176610
21	ओड़ीशा	3325621
22	पंजाब	2478902
23	राजस्थान	4632279
24	सिक्किम	44696
25	तमिलनाडु	9671945
26	तेलंगाना	4015787
27	त्रिपुरा	294983
28	उत्तर प्रदेश	16519294
29	उत्तराखंड	659880
30	पश्चिम बंगाल	1354592
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	38890
32	चंडीगढ़	128910
33	दादरा एवं नागर हवेली	3632
34	दमन एवं दीव	1443
35	लक्षद्वीप	2765
36	पुडुचेरी	183882
	कुल	110959881

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3206
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

COIR PRODUCTION AND EXPORT

3206. SHRI P. KARUNAKARAN:
DR. SANJAY JAISWAL:
SHRI P. KUMAR:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Government has introduced any market development scheme in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector especially for coir products;
- (b) if so, the details thereof along with the Union Government's share paid to the State Governments under the scheme during each of the last three years, State-wise;
- (c) the details of the total quantity of coir fibre produced and total value of coir products exported during the said period;
- (d) whether the Coir Board proposes to double its exports in the next couple of years, if so, the details thereof along with the steps taken/being taken in this regard;
- (e) whether the Government proposes to extend these benefits to the coir producing farmers and its labourers and if so, the details thereof; and
- (f) the steps taken/being taken by the Government for upgradation / modernisation and for solving the marketing problems being faced by the coir industry in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): The Government through Coir Board is implementing a Scheme namely Coir Vikas Yojana (CVY). One of the components under this scheme is Market Development Assistance (MDA) which provides assistance to Coir Units through State Governments for the development of coir industry and improve the marketing of coir products. An assistance of 10% of average sales during the preceding 3 years is provided to the Coir Units. The MDA is equally shared by the State Governments concerned and by Coir Board, on behalf of Government of India. Central Government Share of MDA released to various State Governments during 2015-16, 2016-17 and 2017-18, is as follows:

MDA - Year wise amount sanctioned					(Rs. in lakhs)	
Year	Kerala	Tamil Nadu	Karnataka	Orissa	Hindustan Coir & Showrooms of Coir Board	Total
2015-16	800.00	89.74	95.89	0.89	197.17	1183.69
2016-17	400.00	106.12	100.00	1.24	184.98	792.34
2017-18	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total	1200.00	195.86	195.89	2.13	382.15	1976.03

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3206
उत्तर देने की तारीख 06.08.2018
कैयर उत्पादन तथा निर्यात

3206. श्री पी. करुणाकरन:

डॉ. संजय जायसवाल:

श्री पी. कुमार:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र विशेष कर कैयर (coir) उत्पादों के लिए कोई बाजार विकास नीति की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार का राज्य-वार कितना हिस्सा दिया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उत्पादित कैयर (coir) फाइबर की कुल मात्रा तथा निर्यात किए गए कैयर (coir) उत्पादों के कुल मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कैयर (coir) बोर्ड का आगामी दो वर्षों में अपने निर्यात को दोगुना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का इन लाभों को कैयर (coir) उत्पादित करने वाले किसानों तथा मजदूरों को भी देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में कैयर (coir) उद्योग के समक्ष विपणन समस्याओं के समाधान तथा उसके उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): सरकार कयर बोर्ड के माध्यम से कयर विकास योजना (सीवीवाई) नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत घटकों में से एक बाजार विकास सहायता (एमडीए) है जो कयर उद्योग के विकास तथा कयर उत्पादों के विपणन को सुधारने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से कयर इकाइयों को सहायता देती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत बिक्री का 10% सहायता कयर इकाइयों को दी जाती है। भारत सरकार की ओर से एमडीए का हिस्सा समान रूप से संबंधित राज्य सरकारों एवं कयर बोर्ड द्वारा साझा किया जाता है। वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को जारी एमडीए का केंद्र सरकार का हिस्सा नीचे दिया गया है:

एमडीए - स्वीकृत वर्षवार राशि					(रूपये लाख में)	
वर्ष	केरल	तमिलनाडु	कर्नाटक	ओडिशा	हिन्दुस्तान कयर एवं कयर बोर्ड के शोरूम	कुल
2015-16	800.00	89.74	95.89	0.89	197.17	1183.69
2016-17	400.00	106.12	100.00	1.24	184.98	792.34
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1200.00	195.86	195.89	2.13	382.15	1976.03

(c): The details of the total quantity of coir fibre produced and total value of coir products exported during the last three years are as follows:

Year	2015-16	2016-17	2017-18
Fibre Production (MT)	549300	556900	559400
Total Value of Exports (Rs. Crores)	1901.42	2281.65	2532.28

(d): Coir Board has targeted to double the export of coir and coir products from India within the next two years. There has been an increasing trend in the exports of coir and coir products year to year. It is expected that the trend will continue during the coming year. The Board plans to implement vigorous and target oriented export market promotion programmes for achieving the target. Some of the steps taken in this regard are as follows:

- Providing financial assistance under the International Co-operation Scheme to exporters/entrepreneurs as reimbursement of expenditure subject to item-wise ceilings for taking part in delegation/BSMs, participation in fairs and exhibitions abroad.
- Organization of specialized exhibitions in India in order to showcase the capabilities of Indian coir sector before the global buying community.
- Organizing participation in international fairs held in India.
- Organizing workshops and management development programmes for skill development in the areas of international marketing, regulatory & commercial documentation in export, INCOTERMS, export finance; currency risk management etc.
- Undertake publicity propaganda.

(e): Coir Board and KVIC provided financial assistance, technical support for setting up of Coir micro enterprises with project cost upto Rs.25 lakhs under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP). In addition, Coir Board has been implementing an Insurance Scheme for the coir workers of the country against death and disablement caused by accident. Under the scheme, the entire premium amount of coir workers of the country was borne by Coir Board. The scheme has been merged with Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY).

(f): **Coir Board launched the Coir Industry Technology Upgradation Scheme (CITUS)** with the objective of extending financial assistance to set up modern infrastructure facilities to the production units and to modernize the existing coir units by establishing 'State of the Art' plant and machinery. Under the scheme, Coir Board shall extend financial subsidy of 25% of the cost of admissible items of plant and machinery procured by coir units. The upper ceiling of the financial assistance will be Rs.2.50 Crores per coir unit/project.

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कयर फाइबर की कुल मात्रा और निर्यात किए गए कयर उत्पादों के कुल मूल्य का ब्योरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18
फाइबर उत्पादन (मीट्रीक टन)	549300	556900	559400
निर्यातों का कुल मूल्य (रुपये करोड़ में)	1901.42	2281.65	2532.28

(घ) कयर बोर्ड ने अगले दो वर्षों में भारत से कयर एवं कयर उत्पादों के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष-दर-वर्ष कयर एवं कयर उत्पादों के निर्यात में बढ़ती प्रवृत्ति रही है। आशा है कि यह प्रवृत्ति आगामी वर्ष के दौरान जारी रहेगी। कयर बोर्ड की लक्ष्य प्राप्त करने के लिए श्रमसाध्य एवं लक्ष्य अभिमुखी निर्यात बाजार संवर्धन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की योजना है। इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

- विदेशों में प्रतिनिधि मंडल/बीएसएम, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए मदवार अधिकतम सीमा के अध्ययीन व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में निर्यातकों/उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता देना।
- वैश्विक क्रय समुदाय के समक्ष भारतीय कयर क्षेत्र की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भारत में विशेषज्ञता प्राप्त प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
- भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना।
- अंतर्राष्ट्रीय विपणन, विनियामक तथा निर्यात में वाणिज्यिक प्रलेखन इंकोर्टर्स, निर्यात वित्त पोषण, मुद्रा जोखिम प्रबंधन, आदि क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए कार्यशालाएं तथा प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रचार-प्रसार शुरू करना।

(ङ) कयर बोर्ड और केवीआईसी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाले कयर सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता दी। इसके अतिरिक्त, कयर बोर्ड दुर्घटना से हुई मृत्यु या दिव्यांगता के लिए देश के कयर कार्मिकों के लिए बीमा स्कीम कार्यान्वयन करता आ रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, देश के कयर कार्मिकों की सम्पूर्ण बीमा राशि का वहन कयर बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस स्कीम को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में विलय कर दिया गया है।

(च) कयर बोर्ड ने उत्पादन इकाइयों को आधुनिक अवसंरचना सुविधाएं स्थापित करने हेतु 'अत्याधुनिक' संयंत्र एवं मशीनरी स्थापित कर विद्यमान कयर इकाइयों को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (साइट्स) शुरू की। इस स्कीम के अंतर्गत कयर बोर्ड कयर इकाइयों द्वारा प्राप्त संयंत्र एवं मशीनरी की स्वीकार्य मद की लागत की 25% वित्तीय सब्सिडी देगा। वित्तीय सहायता की ऊपरी अधिकतम सीमा 2.50 करोड़ रुपये प्रति कयर इकाई/परियोजना होगी।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.3210
TO BE ANSWERED ON 06.08.2018

KVIC SCHEMES

3210. SHRI RAMEN DEKA:
SHRI ASADUDDIN OWAISI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the Government is providing rebate through Khadi and Village Industries Commission on the sale of khadi and khadi products in the country and if so, the details thereof during the last three years;
- (b) whether on the recommendations of the various Committees, Finance Ministry has asked to find an alternative of the rebate scheme and if so, the details thereof; and
- (c) the details of new scheme launched by the Government for the promotion of khadi and to provide assistance to khadi artisans to enable KVIC to fight market competition in the country including Assam?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): Khadi and Village Industries Commission (KVIC) implements Market Promotion and Development Assistance (MPDA) scheme for promotion of Khadi programme. Under the Modified MDA (MMDA), financial assistance at 30% of the Prime Cost, is distributed amongst Producing Institutions (40%), Selling Institutions (20%) and Artisans (40%). Out of this, Khadi Institutions pass-on certain discount on sales of khadi and polyvastra to the customers to enhance their sales during the year.

Disbursement of MMDA to Khadi Institutions during the last three years are as follows:

Year	Disbursement of MDA (khadi & poly) to KIs (Rs. in lakhs)
2015-16	17776.68
2016-17	32525.86
2017-18	17258.00

(b): The MPDA scheme was started during 2008-09 in place of the Rebate Scheme. Under rebate scheme, Government was providing rebate on sales of khadi products, while under MPDA Scheme, MMDA is provided on prime cost of production of khadi. The rebate scheme had been discontinued from the year 2009-10.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3210

उत्तर देने की तारीख 06.08.2018

खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजनाएं

3210. श्री रमेन डेका:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में खाद और खादी उत्पादों की बिक्री पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से छूट प्रदान कर रही है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने छूट देने संबंधी योजना का विकल्प ढूंढने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खादी को बढ़ावा देने और खादी शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का ब्यौरा क्या है ताकि असम सहित देश में प्रतिस्पर्धी बाजार का सामना करने के लिए केवीआईसी को सक्षम बनाया जा सके?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री गिरिराज सिंह)

(क): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी कार्यक्रम के संवर्धन के लिए बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता (एमपीडीए) स्कीम कार्यान्वित करता है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) के अंतर्गत, मूल लागत पर 30 प्रतिशत की वित्तीय सहायता उत्पादक संस्थाओं (40 प्रतिशत), विक्रेता संस्थाओं (20 प्रतिशत) तथा कारीगरों (40 प्रतिशत) के बीच वितरित की जाती है। इसमें से वर्ष के दौरान खादी संस्थाएं ग्राहकों को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खादी और पॉलीवस्त्र की बिक्री पर कुछ छूट भी देती हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान खादी संस्थाओं को एमएमडीए का संवितरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	खादी संस्थाओं को संवितरण (खादी एवं पॉली) (रूपए लाख में)
2015-16	17776.68
2016-17	32525.86
2017-18	17258.00

(ख): एमपीडीए स्कीम को छूट स्कीम के स्थान पर वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू किया गया था। छूट स्कीम के अंतर्गत सरकार खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट दे रही थी जबकि एमपीडीए स्कीम के अंतर्गत, एमएमडीए खादी के उत्पादन पर मूल लागत पर दी जाती है। छूट स्कीम को वर्ष 2009-10 से बंद कर दिया गया था।

(c): No new scheme has been recently launched for the promotion of khadi programme. However, Ministry of MSME is implementing the following schemes/programmes all over the country including the State of Assam, through KVIC, for the promotion of khadi and assistance to khadi institutions and khadi artisans:

i) Khadi Grant:

1. Strengthening Infrastructure of existing Weak Khadi Institutions and Assistance for Marketing Infrastructure provides for renovation of khadi sales outlets and providing assistance for strengthening infrastructure of existing weak selected institutions
2. Workshed Scheme for Khadi Artisans for providing assistance for construction of worksheds.

ii) Market Promotion Development Assistance (MPDA) is a unified scheme by merging Market Development Assistance, Publicity, Marketing and Market Promotion. A new component for setting up of Marketing Complexes/Khadi Plazas has been added to expand the marketing network of Khadi & VI products. Under the Modified MDA (MMDA), financial assistance at 30% of the Prime Cost, is distributed amongst Producing Institutions (40%), Selling Institutions (20%) and Artisans (40%).

iii) Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme provides credit at concessional rate of interest through Banks in which the institutions are required to pay interest of only 4%, any interest charged by banks over 4% will be paid by the GoI through KVIC.

iv) Khadi Reform and Development Programme (KRDP) has been implemented with the financial and technical assistance of Asian Development Bank (ADB) to revitalize the khadi sector with enhanced sustainability of khadi, increased incomes and employment for spinners and weavers, increased artisans' welfare and to achieve synergy with village industries. Khadi Reform Package envisages reform support in the following areas: (i) Artisan Earnings and Empowerment, (ii) Direct Reform Assistance to 400 Khadi Institutions & (iii) Implementation of a well-knit MIS.

Performance of MPDA, ISEC, Strengthening of Infrastructure of Weak Khadi Institutions and Workshed Scheme for Khadi Artisans during the three years is placed at *Annexure-I*.

New initiatives have been taken by KVIC to market the Khadi and V.I. products produced by Khadi Institutions and artisans in the country including Assam is placed at *Annexure-II*.

(ग) खादी कार्यक्रम के संवर्धन के लिए हाल में कोई नई स्कीम शुरू नहीं की गई है। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी के संवर्धन एवं खादी संस्थाओं तथा खादी कारीगरों की सहायता के लिए केवीआईसी के माध्यम से असम राज्य सहित देश भर में निम्नलिखित स्कीम/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

(i) खादी अनुदान:

1. विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढीकरण एवं विपणन अवसंरचना के लिए सहायता में खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण का प्रावधान है तथा यह विद्यमान कमजोर चयनित संस्थाओं के आधारभूत ढांचे के सुदृढीकरण के लिए सहायता दे रहा है।

2. वर्कशेडों के निर्माण के लिए सहायता देने हेतु खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम है।

(ii) **बाजार संवर्धन विकास सहायता (एमपीडीए)**-बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम हैं। विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना के लिए एक नए घटक को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) के अंतर्गत मूल लागत पर 30 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता, उत्पादक संस्थाओं (40 प्रतिशत), विक्रेता संस्थाओं (20 प्रतिशत) तथा कारीगरों (40 प्रतिशत) के बीच वितरित की जाती है।

(iii) **ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइसेक)** स्कीम में बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है जिसमें संस्थाओं को मात्र 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत से अधिक प्रभारित ब्याज भारत सरकार द्वारा केवीआईसी के माध्यम से बैंकों को भुगतान किया जाएगा।

(iv) **खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)** खादी की वृद्धि को निरंतर बनाए रखने, कतिनों (स्पिनरों) एवं बुनकरों की आय में बढ़ोतरी करने और रोजगार में बढ़ोतरी करने, कारीगरों के कल्याण में वृद्धि के साथ ही खादी उद्योगों को पुनर्जीवित करने एवं ग्रामोद्योग के साथ-साथ सहयोगात्मकता (सिनर्जी) प्राप्त करने के लिए एशियन विकास बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया गया है। खादी सुधार पैकेज में निम्नलिखित क्षेत्रों: (i) कारीगरों की आय एवं सशक्तिकरण, (ii) 400 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता तथा (iii) वेलनिट (Well knit) एमआईएस के कार्यान्वयन में सुधार सहायता की परिकल्पना की गई है।

तीन वर्षों के दौरान एमपीडीए, आइसेक, कमजोर खादी संस्थाओं के आधारभूत ढांचे के सुदृढीकरण तथा खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम का ब्योरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

असम सहित देश में खादी संस्थाओं और कारीगरों द्वारा उत्पादित खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री के लिए केवीआईसी द्वारा की गई नई पहल अनुबंध-11 में दी गई हैं।

Annexure-I referred to in reply to part (c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 3210 for answer on 06.08.2018

Performance of MPDA, ISEC, Strengthening of Infrastructure of Weak Khadi Institutions & Workshed Scheme for Khadi Artisans during 2014-15 to 2017-18

Market Promotion and Development Assistance Scheme (MPDA)

Year	MDA paid (Rs. in crore)	Number of Inst.	Number of Artisans
2015-16	177.76	1877	Release through institutions
2016-17	325.26	1778	192383
2017-18 (P)	198.46	1439	247985

Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) scheme

Year	ISEC Issued (Rs. in Crore)	Bank Finance Availed (Rs. in Crore)	Int. subsidy released (Rs. in Crore)
2015-16	949.68	422.79	40.07
2016-17	1435.71	517.92	36.39
2017-18 (P)	1702.83	575.21	36.70

Scheme for Strengthening of Infrastructure of Existing Weak Khadi Institutions and Assistance for Marketing Infrastructure

Year	Number of KIs assisted	Number of sales outlets renovated	Funds disbursed (Rs. in Crore)
2015-16	15	15	2.99
2016-17	35	117	8.08
2017-18 (P)	34	49	7.91

Workshed Scheme for Khadi Artisans

Year	Beneficiaries Covered	Fund disbursed (Rs. in Crore)
2015-16	1279	10.72
2016-17	3272	21.27
2017-18 (P)	2874	15.00

P-Provisional

अनुबंध-1

दिनांक 06.08.2018 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 3210 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान एमपीडीए, आइसेक, कमजोर खादी संस्थाओं की आधारभूत सुविधाओं का सुदृढीकरण तथा खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम का कार्यानिष्पादन

बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए)

वर्ष	भुगतान किया गया एमडीए (रु. करोड़ में)	संस्थाओं की संख्या	कारीगरों की संख्या
2015-16	177.76	1877	संस्थाओं द्वारा जारी
2016-17	325.26	1778	192383
2017-18 (अ)	198.46	1439	247985

ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइसेक) स्कीम

वर्ष	जारी आइसेक (रु. करोड़ में)	लिया गया बैंक वित्त (रु. करोड़ में)	जारी ब्याज सब्सिडी (रु. करोड़ में)
2015-16	949.68	422.79	40.07
2016-17	1435.71	517.92	36.39
2017-18 (अ)	1702.83	575.21	36.70

विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की आधारभूत सुविधाओं का सुदृढीकरण तथा विपणन संबंधी आधारभूत सुविधाओं के लिए सहायता स्कीम

वर्ष	सहायता प्राप्त खादी संस्थाओं की संख्या	नवीकृत बिक्री केंद्रों की संख्या	संवितरित निधियां (रुपए करोड़ में)
2015-16	15	15	2.99
2016-17	35	117	8.08
2017-18 (अ)	34	49	7.91

खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम

वर्ष	कवर किए गए लाभार्थी	संवितरित निधियां (रु. करोड़ में)
2015-16	1279	10.72
2016-17	3272	21.27
2017-18 (अ)	2874	15.00

अ-अनंतिम

Annexure-II referred to in reply to part (c) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 3210 for answer on 06.08.2018

The steps taken by the Government for promotion of Khadi Sector and to ensure adequate remuneration to spinners/weavers in the country are as follows:

1. Liberal policy has been adopted to fix the target of production and sales of Khadi Institutions.
2. The spinning wages of Khadi artisans were revised from Rs. 4.00 to Rs.5.50 per hank w.e.f. 01.04.2017 and further enhanced from Rs. 5.50 to Rs. 7.50 per hank vide KVIC circular dated 26.12.2017.
3. KVIC has been catering to the need of Government Departments and bulk buyers such as, Defence, Health & Family Welfare Departments, Paramilitary Forces and other Ministries of Central & State Government under Rate Contract (RC) agreement with Directorate General of Supplies & Disposals (DGS&D) as well as supply of Non Rate Contract (Non-RC) items like Polyvastra bed sheets and pillow covers to Railways, etc.
4. One of the key interventions under reform programme is the development and implementation of the Khadi Mark. The Khadi Mark was launched by the President of India in September 2013 subsequent to notification of the Khadi Certification Regulations 2013. The Khadi Mark not only guarantees the genuineness of Khadi products but also promote Khadi as a brand that connotes social, cultural, and environmental values.
5. KVIC engaged fashion designer of national and international repute for Fashion Designing to make Khadi products more competitive and appealing in the domestic as well as overseas market segment.
6. Tie up arrangement with premier institutions like Federation of Indian Export Organization (FIEO), World Trade Centre (WTC), Indian Trade Promotion Organization (ITPO), Trade Promotion Council of India etc., for invigorating business opportunities in the overseas market by conducting exhibitions and workshops for Khadi Institutions.
7. A MoU was signed between KVIC and Aditya Birla Fashion & Retail Ltd. (ABFRL), Raymond and Arvind Mills for sale of Khadi fabric in country and abroad.
8. KVIC has entered into an agreement with M/s. GLOBUS a retail clothing stores chain having its HO in Mumbai for setting up of Khadi Korner a shop in shop concept initially in Globus Showroom at Noida, followed by Globus showroom in Chennai and Ahmedabad.
9. Setting up of modern Khadi Lounge with exquisite Khadi designer garments and V.I. products for making shopping Khadi a pleasure.
10. Launching of franchise scheme to expand the sales distribution network with zero investment.

दिनांक 06.08.2018 के लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 3210 भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

देश में खादी क्षेत्र के संवर्धन तथा कतिनों/बुनकरों को पर्याप्त पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

1. खादी संस्थाओं के उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उदार नीति अपनाई गई है।
2. खादी कारीगरों की कताई मजदूरी को दिनांक 01.04.2017 से 4.00 रूपए से संशोधित कर 5.50 रूपए प्रति हैंक किया गया तथा इसके अलावा केवीआईसी के दिनांक 26.12.2017 के परिपत्र के द्वारा 5.50 रूपए से बढ़ाकर 7.50 रूपए प्रति हैंक कर दिया गया है।
3. केवीआईसी आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के साथ दर संविदा (आरसी) समझौते के अन्तर्गत रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों, अर्ध सैनिक बलों और केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं रेलवे इत्यादि को पॉलीवस्त्र बेड शीट और तकियों के कवरों जैसी गैर- दर संविदा (नॉन-आरसी) मदों की आपूर्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता आ रहा है।
4. सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक खादी मार्क का विकास और कार्यान्वयन है। खादी मार्क का खादी प्रमाणन विनियम 2013 की अधिसूचना के बाद सितम्बर, 2013 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा शुभारंभ किया गया। खादी मार्क खादी उत्पादों की प्रामाणिकता की न केवल गारंटी देता है बल्कि ब्रांड के रूप में खादी को बढ़ावा देता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण मूल्यों का संकेत करता है।
5. केवीआईसी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षेत्रों में खादी को अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनाने के लिए फैशन डिजाइनिंग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैशन डिजाइनर को लगाया है।
6. खादी संस्थाओं हेतु प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं का आयोजन कर विदेशी बाजार में व्यवसाय अवसरों को पुष्ट करने के लिए भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ), विश्व व्यापार केंद्र (डब्ल्यूटीसी), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद् आदि जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ टाइअप किया है।
7. देश और विदेश में खादी की बिक्री के लिए केवीआईसी और आदित्य बिड़ला फैशन एंडरिटेल् लिमिटेड (एबीएफआरएल), रेमंड और अरविंद मिल्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
8. केवीआईसी ने चेन्नई और अहमदाबाद में ग्लोबल शोरूम की स्थापना के बाद नोएडा में ग्लोबस शोरूम खादी कॉर्नर दुकान के भीतर दुकान की स्थापना की अवधारणा के लिए मुम्बई स्थित अपने मुख्यालय वाले खुदरा क्लॉथिंग स्टोर मैसर्स ग्लोबस के साथ समझौता किया है।
9. उत्कृष्ट खादी डिजाइनर वस्त्रों तथा खादी की बिक्री आनंदायी बनाने के लिए ग्रामोद्योग उत्पादों के साथ आधुनिक खादी लाउन्ज की स्थापना की है।
10. जीरो निवेश से बिक्री वितरण नेटवर्क बढ़ाने के लिए फ्रैंचाइज स्कीम का शुभारंभ किया है।

11. Tie up with e-Commerce platform for on-line marketing through e-Commerce companies like Paytm, Aaarmart.
12. Special efforts to attract youth by introducing attractive T-shirts, Khadi jeans, jackets, kurtis, etc. as well as launching a range of casual wear called vicharvastra specially designed by Ms. RituBeri.
13. Opening of sales outlets at domestic as well as international airports like Visakhapatnam, Lucknow, Ahmedabad, etc.
14. Introducing store app through mobile application to facilitate the customers to locate the Khadi India sales outlet at various geographical location to increase foot falls at various stores under Khadi sector.
15. Introduction of pre-paid Gift Voucher Scheme for corporate gifting including PSU and Government Departments.

11. पेटीएम, आरमार्ट कंपनियों के माध्यम से ऑनलाइन विपणन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टाईअप।
12. आकर्षक टी-शर्ट, खादी जींस, जैकेट कुर्ती, आदि शुरू कर युवाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न तथा मिस ऋतुबेरी द्वारा विशेष रूप से डिजाइन की गई विचार वस्त्र नामक कैजुअल वेयर की रेंज प्रारंभ करना।
13. विशाखापत्तनम, लखनऊ, अहमदाबाद, आदि जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बिक्री केंद्र खोलना।
14. खादी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्टोर में फुट फाल्स को बढ़ाने के लिए विभिन्न भौगोलिक स्थानों में खादी इंडिया बिक्री केंद्रों का पता लगाने हेतु ग्राहकों के लिए आसान बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्टोर एप शुरू करना।
15. पीएसयू तथा सरकारी विभागों सहित कॉरपोरेट गिफ्टिंग के लिए प्रीपेड गिफ्ट वाउचर स्कीम शुरू करना।

MINISTRY OF MSME
MIS – PARLIAMENT QUESTIONS

SESSION : 246th Session

RAJYA SABHA
QUESTION DATE 08.08.2018

STARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version		Remarks, if any
			Q.No.	Priority No.	
	NIL		NIL		

UNSTARRED

Sl. No.	Subject	Concerned Officer	Printed Version Q.No.	Remarks, if any.
1	Financial assistance under RMA Scheme	JS (SME)	2513	
2	Order from Air India to KVIC	JS (ARI)	2514	
3	Implementation of CITUS in coastal Maharashtra	JS (ARI)	2515	
4	Condition of cottage industries	JS (ARI)	2516	
5	Total investment made in MSME sector	AS&DC/ Director (AM)	2517	
6	Financial assistance to MSME units in West Bengal	AS&DC/ ADC (SM)	2518	

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2513
TO BE ANSWERED ON 08.08.2018

Financial assistance under RMA scheme

2513. SHRI K. SOMAPRASAD:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the details of MSME units which received financial assistance under Raw Material Assistance (RMA) Scheme;
- (b) the number of MSME units from Kerala State which applied for assistance under RMA;
- (c) the details of amount and name of such units from Kerala which benefited under the Scheme; and
- (d) the initiatives taken by National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): During 2017-18, 3593 MSME units received financial assistance of Rs.5938.80 crores under the Raw Material Assistance (RMA) Scheme of the National Small Industries Corporation Limited (NSIC), a Public Sector Undertaking under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).

(b)&(c): Forty-Two (42) MSME units from Kerala State received financial assistance of Rs. 92.11 crores under the RMA Scheme of NSIC during 2017-18. The details of these units are given at *Annexure*.

(d): National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub (NSSH) has taken a number of initiatives which include special subsidy for SC/ST enterprises under the sub-schemes of the Hub namely Single Point Registration Scheme, Special Marketing Assistance Scheme (SMAS) and Performance & Credit Rating Scheme (PCRS). In addition, the Hub is also organising training for capacity building/skill development and handholding support for SC/ST entrepreneurs. A series of State Conclaves are being organized under the Hub at different locations across the country to take cognizance of various endeavours by the Central and State Governments to boost the participation of SC-ST entrepreneurs in the supply chain of CPSEs and Central/State Government Departments.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2513
उत्तर देने की तारीख 08.08.2018
आरएमए स्कीम के तहत वित्तीय सहायता

2513. श्री के. सोमप्रसाद:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कच्ची सामग्री सहायता (आरएमए) स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) केरल राज्य से आरएमए के तहत सहायता हेतु कितनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों ने आवेदन किया है;
- (ग) इस स्कीम के तहत केरल की लाभान्वित हुई ऐसी इकाइयां कौन-कौन सी हैं तथा राशि का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 'हब' द्वारा शुरू की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): वर्ष 2017-18 के दौरान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की कच्ची सामग्री सहायता (आरएमए) स्कीम के अंतर्गत 3593 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को 5938.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

(ख) और (ग): वर्ष 2017-18 के दौरान एनएसआईसी की आरएमए स्कीम के अंतर्गत केरल राज्य की बयालीस (42) एमएसएमई इकाइयों को 92.11 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इन इकाइयों का ब्योरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) ने बहुत सी पहल की हैं जिनमें हब की उप स्कीमों नामतः एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम, विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएस) और कार्य निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम (पीसीआरएस) के अंतर्गत एससी/एसटी उद्यमों के लिए विशेष सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा, हब एससी/एसटी उद्यमियों के लिए क्षमता निर्माण/कौशल विकास तथा पथ प्रदर्शन सहायता के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित कर रहा है। सीपीएसई तथा केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों की आपूर्ति श्रृंखला में एससी-एसटी उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का संज्ञान लेने के लिए देश भर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर हब के अंतर्गत राज्य सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है।

Annexure referred to in reply to parts (b)&(c) of Rajya Sabha Unstarred Question No. 2513 for answer on 08.08.2018

Sl No	Unit Name
1	ARTECH GROUP (CONTRACTING)
2	ABDUL RAHIMAN T.A.
3	ARTECH REALTORS PRIVATE LIMITED
4	A F INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED NEW
5	BRMSCO GARMENTS PVT. LTD
6	ERNAD ENGINEERING ENTERPRISES
7	EKK INFRASTRUCTURE PVT. LTD.
8	FAROOQ CONSTRUCTIONS
9	GOOD TIME HOUSEWARES
10	HYCOUNT PLASTICS & CHEMICALS
11	HENRY AND FARAD PVT LTD
12	HARI & GOPAL
13	INSIDE PLUS
14	INTER ELECT ENGINEERS PVT LTD
15	INDTECH INTERIOR & CONTRACTORS PVT LTD
16	JAYALAKSHMI ENTERPRISES
17	KVJ BUILDERS & DEVELOPERS PVT.LTD
18	K.V JOSEPH AND SONS PVT LTD
19	K.T MATHEW AND COMPANY
20	M A M POLYMERS
21	M D ESTHAPPAN INFRASTRUCTURES PVT. LTD.
22	M D ESTHAPPAN
23	MAXPACK TAPES & PRODUCTS PVT LTD
24	MARYMATHA CONSTRUCTION COMPANY
25	NEO POLY PACK
26	NECHUPADAM CONSTRUCTIONS P LTD
27	OUTLOOK COMMUNICATION P LTD
28	PERUMALIL GRANITE CONSTRUCTIONS
29	PAN PACIFIC ENGINEERING SERVICES PVT LTD
30	RETHNA PACKS
31	R P C PAPER MILLS P LTD
32	RDS PROJECT LTD
33	RAJESH MATHEW AND COMPANY
34	S K BOILERS P LTD
35	SOFTLAND INDIA LTD
36	SREERAMA INDUSTRIES UNIT 1
37	SREERAMA INDUSTRIES UNIT 2
38	SREERAMA SCAFFOLD SYSTEMS
39	ST. THOMAS RUBBER INDUSTRY
40	SILPA PROJECTS & INFRASTRUCTURE I PVT LTD
41	SHARADA LUGGAGE INDUSTRIES
42	SANSON CHEMICAL INDUSTRIES

दिनांक 08.08.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2513 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	इकाई का नाम
1	आर्टेक ग्रुप (कॉन्टैक्टिंग)
2	अब्दुल रहिमान टीए
3	आर्टेक रीयलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	ए एफ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड न्यू
5	ब्रम्सको गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
6	ईआरएनएडी इंजीनियरिंग उद्यम
7	ईकेके इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड लि.
8	फारूक कंशट्रक्शन्स
9	गूड टाइम हाउसवेयर्स
10	हाईकाउंट प्लास्टिक्स एंड कैमिकल्स
11	हेनरी एंड फराद प्राइवेट लिमिटेड
12	हरि एंड गोपाल
13	इनसाइड प्लस
14	इंटर इलेक्ट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	इंडेक इंटीरियर एंड कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	जयलक्ष्मी इंटरप्राइजेज
17	केवीजे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
18	के.वी. जोसेफ एंड संस प्राइवेट लिमिटेड
19	केटी मैथ्यू एंड कंपनी
20	एम ए एम पॉलिमर्स
21	एम डी एस्टाप्पन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड लि।
22	एम डी एस्टाप्पन
23	मैक्सपैक टेप्स एंडप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
24	मैरीमाताकंसट्रक्शन कंपनी
25	नीओ पॉली पैक
26	नेचुपदम कंशट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
27	आउटलूक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
28	पेरूमलिलगेनाइट कंशट्रक्शन्स
29	पैन पैसिफिक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30	रेथना पैक्स
31	आर पी सी पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
32	आरडीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड
33	राजेश मैथ्यू एंड कंपनी
34	एस के बॉयलर्स प्राइवेट लिमिटेड
35	सॉफ्टलैंड इंडिया लिमिटेड
36	श्रीरामा इंडस्ट्रीज यूनिट 1
37	श्रीरामा इंडस्ट्रीज यूनिट 2
38	श्रीरामा स्केफोल्ड सिस्टम्सप्रणाली
39	एसटी थॉमस रबर इंडस्ट्री
40	सिल्पा प्रोजेक्ट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
41	शारदा लगेज इंडस्ट्रीज
42	सैन्सन केमिकल इंडस्ट्रीज

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTIONNO. 2514
TO BE ANSWERED ON 08.08.2018

Order from Air India to KVIC

2514. SHRI N. GOKULAKRISHNAN:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Government has asked departments to place maximum orders to Khadi and Village Industries Commission (KVIC) for providing sustainable employment through micro enterprises to rural artisans;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether it is also a fact that the KVIC has received an order worth Rs. 8 crore from Air India;
- (d) whether it is also a fact that this was the third successive order from Air India to KVIC; and
- (e) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) & (b): No, Sir. However, Government of India, issued Gazette Notification dated 26.3.2012, called Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) which was effective from 1.4.2012. Overall procurement goal of minimum 20% by CPSEs from MSMEs has become mandatory from 1.4.2015. As per the notification, all Central Govt. Ministries, Departments and PSUs shall compulsorily procure minimum 20% of their annual value of goods and services from these MSEs registered with DIC or KVIC or KVIB or Coir Board or NSIC or Directorate of Handicraft and Handloom or any other body specified by Ministry of MSME.

In addition to the above, KVIC has written to the Minister of Human Resource Development for issuing an appeal to all employees and establishments under Ministry of HRD for wearing Khadi one day in a week voluntarily. KVIC also requested Primary and Secondary Education Departments of State Governments for introducing Khadi as School Uniforms suggesting to consider issuing guidelines to all the schools for promoting use of Khadi in School Uniforms.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2514
उत्तर देने की तारीख 08.08.2018

एयर इंडिया से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को आर्डर

2514. श्री एन. गोकुलकृष्णन:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभागों से ग्रामीण कारीगरों को सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से सतत रोजगार प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को सर्वाधिक 'आर्डर' देने के लिए कहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को एयर इंडिया से 8 करोड़ रु.का एक आर्डर मिला है;
- (घ) क्या यह भी सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को एयर इंडिया से प्राप्त एकके बाद एक यह तीसरा आर्डर है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए लोक प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) नीति नामक राजपत्र अधिसूचना दिनांक 26.03.2012को जारी की जो दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी हुई। एमएसएमई से सीपीएसई द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत का समग्र प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) का लक्ष्य दिनांक 1.4.2015 से अनिवार्य हो गया है। अधिसूचना के अनुसार, केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) जिला उद्योग केन्द्र या केवीआईसी या केवीआईबी या कयर बोर्ड या एनएसआईसी या हस्तशिल्प तथा हथकरघा निदेशालय या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य निकाय में पंजीकृत इन एमएसई से वस्तुओं एवं सेवाओं के अपने वार्षिक मूल्य के न्यूनतम 20 प्रतिशत अनिवार्य रूप से प्रापण (प्रोक्यूर) करेंगे।

उपर्युक्त के अलावा, केवीआईसी ने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन सभी कर्मचारियों तथा स्थापनाओं को सप्ताह में एक दिन स्वैच्छिक रूप से खादी पहनने हेतु अपील जारी करने के लिए लिखा है। केवीआईसी ने स्कूल यूनिफॉर्म में खादी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों को दिशानिदेश जारी करने पर विचार करने के लिए सुझाव देते हुए स्कूल यूनिफॉर्म के रूप में खादी शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभागों से भी अनुरोध किया है।

KVIC has been catering to the needs of Government Ministries/Departments such as Railways, Defence, Health & Family Welfare, Paramilitary Forces and other Central & State Government Ministries. The total supplies made by KVIC to various Government Departments/Agencies during the last three years is given below:

(Rs. in lakhs)	
Year	Total Govt. supplies made
2015-16	7183.44
2016-17	6696.13
2017-18	7577.04

(c): Yes, Sir, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) have received an order worth Rs.8.00 crore from Air India.

(d)&(e): Yes, Sir, this is the third successive order of supply of amenity kits consisting the items of Hand sanitizer, Moisturizing Lotion, Face Wash, Soap- Sandal, Lip Balm, Essential Oil, Eau De Cologne, Tooth Paste, Tooth Brush, Foldable Mirror, Cotton and Silk Pouch of first class and executive class, received from Air India to KVIC. The details of orders received and supplied during the last three years is as follows:

(Rs. in lakhs)		
Year	Orders received from Air India	Supplied to Air India
2016-17	797.54	525.43
2017-18	797.54	818.02
2018-19 (as on 31.07.2018)	836.54	71.90

* * *

केवीआईसी रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अर्धसैनिक बलों एवं केन्द्र/राज्य सरकार के अन्य मंत्रालयों जैसे सरकारी मंत्रालयों/विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों को केवीआईसी द्वारा की गई कुल आपूर्ति नीचे दी गई है:

(रूपए लाख में)

वर्ष	की गई कुल सरकारी आपूर्ति
2015-16	7183.44
2016-17	6696.13
2017-18	7577.04

(ग): जी, हाँ। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को एयर इंडिया से 8.00 करोड़ रूपए का आदेश प्राप्त हुआ है।

(घ) और (ङ): जी, हाँ। यह एयर इंडिया से केवीआईसी को प्राप्त हैंड सैनिटाइजर, मॉश्चराइजिंग लोशन, फेशवाश, सोप-सैंडल, लिप बाम, इसेंसियल आयल, इडी कोलोगने (Eau De Cologne), टूथपेस्ट, टूथ ब्रश, फोल्डएबल मिरर, प्रथम श्रेणी एवं एक्यूटिव श्रेणी के कॉटन एवं सिल्क पाउच जैसी मदों सहित सुख सुविधा किटों का तीसरा क्रमिक आदेश है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आदेशों एवं आपूर्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

(रूपए लाख में)

वर्ष	एयर इंडिया से प्राप्त आदेश	एयर इंडिया को की गई आपूर्ति
2016-17	797.54	525.43
2017-18	797.54	818.02
2018-19 (31.07.2018 की स्थिति के अनुसार)	826.54	71.90

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2515
TO BE ANSWERED ON 08.08.2018

Implementation of CITUS in coastal Maharashtra

2515. SHRI RAJKUMAR DHOOT:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether Government has recently launched Coir Industry Technology Upgradation Scheme (CITUS) in the country;
- (b) if so, the details thereof; and
- (c) how Government proposes to implement CITUS in coastal Maharashtra?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a)&(b): Government has launched Coir Industry Technology Upgradation Scheme (CITUS) under Coir Vikas Yojana (CVY) for promoting acquisition/adoption of new and innovative technologies in coir production and processing, its successful incubation, demonstration and commercialization by setting up of coir production units with larger investments. The Government provides financial assistance, to the tune of 25% towards the cost of plant and machinery subject to an upper ceiling of Rs.2.50 crore per coir unit.

(c): The Scheme is intended to extend the support to the coir industries in all States in the country including Maharashtra. In the State of Maharashtra, the development and promotion of coir industry are being monitored/ implemented by the Board's Sub Regional Office at Sindhudurg. Implementation of the scheme will be monitored by the Coir Board and the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India.

भारतसरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2515
उत्तर देने की तारीख 08.08.2018

तटीय महाराष्ट्र में सीआईटीयूएस का क्रियान्वयन

2515. श्री राजकुमार धूत:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में हाल ही में कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार तटीय महाराष्ट्र में इस कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना को कैसे क्रियान्वित करने का विचार रखती है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) और (ख): सरकार ने ज्यादा निवेश से कयर उत्पादन इकाइयों की स्थापना करके कयर उत्पादन और प्रसंस्करण में नई और नवीनतम (इनोवेटिव) प्रौद्योगिकियों (टेक्नोलॉजी) को प्राप्त करने/अपनाने को बढ़ावा देने, इसके सफल इन्क्यूबेशन, प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण के लिए कयर विकास योजना (सीवीआई) के अन्तर्गत कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीआईटीयूएस) आरंभ की है। सरकार प्रति कयर इकाई 2.50 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अधीन संयंत्र और मशीनरी की लागत के लिए 25% राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग): स्कीम का उद्देश्य महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में कयर उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। महाराष्ट्र राज्य में सिंधुदुर्ग स्थित बोर्ड के उप-क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कयर उद्योग के विकास और संवर्धन की मॉनीटरिंग/कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्कीम के कार्यान्वयन की कयर बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मॉनीटरिंग की जाएगी।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2516
TO BE ANSWERED ON 08.08.2018

Condition of cottage industries

2516. SHRI RANJIB BISWAL:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) whether the condition of cottage industries in the country particularly in Odisha has worsened during the last three years and the current year;
- (b) if so, the details thereof and the reasons therefor, State/UT-wise including Odisha;
- (c) the corrective measures taken/being taken by Government to revive and promote cottage industries in the country including Odisha;
- (d) whether Government plans to establish more cottage industries in the backward and tribal areas of the State; and
- (e) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a): No, Sir.

(b): Does not arise.

(c)to(e) : 'Cottage Industry' has not been defined under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956. However, the broad contours of 'Cottage Industry' is covered under the 'Village Industry' vertical of the Khadi and Village Industries Commission (KVIC).

The Village Industries under purview of KVIC are broadly classified under seven groups for the purpose of implementation of its programmes which are as follows:

1. **Agro Based & Food Processing Industry (ABFPI)** includes industries viz. Pulses & Cereals Processing Industry, Gur & Khandsari Industry, Palmgur Industry, Fruit & Vegetable Processing Industry, Village Oil Industry, etc.
2. **Forest Based Industry (FBI)** includes industries viz. Medicinal Plants Industry, Beekeeping Industry, Minor Forest Based Industries, etc.
3. **Handmade Paper and Fibre Industry (HMPFI)** includes industries viz. Handmade Paper Industry, Fibre Industry, etc.
4. **Mineral Based Industry (MBI)** includes industries viz. Pottery, Lime, Plaster of Paris products, Stone Crushing & Carving etc.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2516
उत्तर देने की तारीख 08.08.2018

कुटीर उद्योगों की दशा

2516. श्री रंजिब बिस्वाल:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर ओडिशा में, कुटीर उद्योग की दशा खराब हुई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ओडिशा सहित राज्य/संघराज्य-क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ग) ओडिशा सहित देश में कुटीर उद्योग को पुनरुज्जीवित करने तथा उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार की इस राज्य के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक कुटीर उद्योग स्थापित करने की योजना है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ): कुटीर उद्योग को खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, कुटीर उद्योग की व्यापक रूपरेखा सीधे खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के ग्रामोद्योग के अंतर्गत कवर होती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्रामोद्योगों को इसके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए सात समूहों के अंतर्गत विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया जाता है जो निम्नानुसार हैं:

1. कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई) में उद्योगों नामतः दाल एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग, गुड़ और खांडसारी उद्योग, पामगुड उद्योग, फल एवं वनस्पति प्रसंस्करण उद्योग, ग्राम तेल उद्योग इत्यादि शामिल हैं।
2. वन आधारित उद्योग (एफबीआई) में उद्योग नामतः औषधीय पौधे उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग, लघु वन आधारित उद्योग इत्यादि शामिल हैं।
3. हस्तनिर्मित कागज और फाईबर उद्योग (एचएमपीएफआई) में उद्योग नामतः हस्तनिर्मित कागज उद्योग, फाईबर उद्योग इत्यादि शामिल हैं।
4. खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई) में उद्योग नामतः मिट्टी के बर्तन, चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पाद, पत्थर कटाई एवं नक्काशी इत्यादि शामिल हैं।

5. **Polymer and Chemical Based Industry (PCBI)** includes industries viz. Leather Industry, Non-edible Oil & Soap Industry, Detergent Powder, Candle making, Cottage Match Industry, Plastic Industry, etc.
6. **Rural Engineering and Bio-Technology Industry (REBTI)** includes industries viz. Non-Conventional Energy, Bio-gas plants, Carpentry & Black smithy, Electronics, etc.
7. **Service & Textile Industry (STI)** includes industries viz. Electronic and Electrical devise repairing, Machine repairing, Plumbing and other servicing works, Sweater Hosiery, Band aid cloth and other textile products etc.

Most of the activities of these Village Industries sub-sectors can be covered under the activities taken under Cottage Industries.

It may be seen under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), enterprises are created every year for which Margin Money subsidy is provided. Large part of the village industries come under the PMEGP.

PMEGP is a credit linked subsidy scheme, for setting up of new micro-enterprises and to generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through KVIC, State Khadi & Village Industries Board (KVIB) and District Industries Centre (DIC). General category beneficiaries can avail of margin money subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as SC/ST/Women/PH/Minorities/Ex-Servicemen/NER, the margin money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of projects is Rs.25 lakh in the manufacturing sector and Rs.10 lakh in the service sector.

Coir VikasYojana is being implemented by Coir Board to cater to the multiple developmental needs of coir industry. Interventions under the following components of the Scheme are taken up during the period from 2017-18 to 2019-20.

1. One of the components under this scheme is Market Development Assistance (MDA) which provides assistance to Coir Units through State Governments for the development of coir industry and improve the marketing of coir products. An assistance of 10% of average sales during the preceding 3 years is provided to the Coir Units.
2. Skill Upgradation and Mahila Coir Yojana (MCY): Development of skilled manpower in coir industry in different facets of coir production and processing through appropriate training programmes, seminars, workshops, awareness programmes, exposure visits etc. is the major objective under Skill Upgradation and Mahila Coir Yojana (MCY). Only trainings to the unemployed women will be provided under Mahila Coir Yojana. EDP, National Seminar, Awareness programme, Workshop, Exposure Tour may also be provided under Mahila Coir Yojana. The financial assistance for procurement of equipments/machineries may be obtained under the PMEGP scheme by the trained women for setting up coir units. Priority will be given to the trained women under PMEGP. Under skill upgradation and Mahila Coir Yojana honorarium shall be kept as Rs.15,000/-p.m. for trainer and Rs.3000/- p.m. for trainee subject to the norms of NSQF compliance.

5. पॉलीमर और रसायन आधारित उद्योग (पीसीबीआई) में उद्योग नामतः चमड़ा उद्योग, अखाद्य तेल एवं साबुन उद्योग, डिटर्जेंट पाऊडर, मोमबत्ती बनाना, कुटरी माचिस उद्योग, प्लास्टिक उद्योग इत्यादि शामिल हैं।
6. ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईबीटीआई) में उद्योग नामतः गैर-परंपरागत ऊर्जा, बायोगैस संयंत्र, कारपेंट्री एवं ब्लैकस्मिथ, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि शामिल हैं।
7. सेवा और वस्त्र उद्योग (एसटीआई) में उद्योग नामतः इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली उपकरणों की मरम्मत करना, मशीनों की मरम्मत करना, प्लम्बिंग और अन्य सेवा कार्य, स्वेटर होजरी, बैंड एड क्लॉथ और अन्य वस्त्र उत्पाद इत्यादि शामिल हैं।

इन ग्रामीण उद्योग उप-क्षेत्रों की अधिकतर गतिविधियों को कुटीर उद्योगों के अंतर्गत शुरू की गई गतिविधियों को कवर किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत यह देखा जा सकता है कि प्रतिवर्ष उद्यमों को सृजित किया जाता है जिसके लिए मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। ग्रामोद्योगों का बड़ा भाग पीएमईजीपी के अंतर्गत आता है।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अजा/अजजा/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांगों/अल्पसंख्यकों/भूतपूर्व सैनिकों/पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है।

कयर बोर्ड द्वारा कयर उद्योग की बहु विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कयर विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत इंटरवेंशनों को 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान शुरू किया जाता है।

1. इस स्कीम के अंतर्गत बाजार विकास सहायता (एमडीए) एक घटक है जो कयर उद्योग के विकास के लिए और कयर उत्पादों के विपणन को सुधारने हेतु राज्य सरकारों के माध्यम से कयर इकाइयों को सहायता प्रदान करता है। कयर इकाइयों को पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान औसत बिक्री की 10% सी सहायता प्रदान की जाती है।
2. कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (एमसीवाई): उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, जागरूकता कार्यक्रमों, एक्सपोजर दौरे, आदि के माध्यम से कयर उत्पादन एवं प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं में कयर उद्योग में कुशल जनशक्ति का विकास कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (एमसीवाई) के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य है। महिला कयर योजना के अंतर्गत बेरोजगार महिलाओं को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला कयर योजना के अंतर्गत ईडीपी, राष्ट्रीय संगोष्ठियों, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, एक्सपोजर दौरे भी महिला कयर योजना के अंतर्गत दिए जा सकते हैं। उपकरणों/मशीनरियों के प्रापण(प्रोक्यूरमेंट) के लिए वित्तीय सहायता कयर इकाइयों की स्थापना के लिए प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत प्राप्त की जाती है। पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना के अंतर्गत एनएसक्यूएफ अनुपालन के मानकों के अधीन प्रशिक्षकों के लिए 15,000/- रुपये प्रतिमाह तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए 3,000/- रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में रखा जाएगा।

State-wise details of Margin Money allocated and utilized, job opportunities created and number of units set up under PMEGP Scheme in the country, including the State of Odisha, during the last three years and current year is placed at *Annexure-I*.

In addition to the above, Ministry of MSME is implementing the Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) for making Traditional Industries more productive and competitive by organizing the Traditional Industries and artisans into clusters. The Scheme envisages providing need-based assistance for replacement of production equipment, setting up of common facility centres (CFC), product development, quality improvement, improved marketing, training and capacity building etc. Ministry has approved 72 clusters, out of which 36 are functional as on date. The scheme has been appraised and approved for continuation during 2018-19 and 2019-20, for which Rs.350 crore has been sanctioned.

Details of the number of SFURTI clusters sanctioned to the various States across the country, including the State of Odisha, since 12th Plan period is placed at *Annexure-II*.

* * *

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य सहित देश में पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत आबंटित एवं प्रयुक्त मार्जिन मनी, सृजित रोजगार और स्थापित इकाइयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय परंपरागत उद्योगों और कारीगरों का क्लस्टरों में संगठित करके परंपरागत उद्योग को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम में उत्पादन उपकरणों को बदलने, सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना (सीएफसी), उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, उन्नत विपणन के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इत्यादि के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की जाती है। मंत्रालय ने 72 क्लस्टरों को अनुमोदित किया है जिनमें से 36 आज की तारीख में कार्यात्मक हैं। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान स्कीम को जारी रखने के लिए मूल्यांकन और अनुमोदित किया गया है जिसके लिए 350 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

12वीं योजना अवधि से ओडिसा राज्य सहित देश भर में विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत स्फूर्ति क्लस्टरों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

Annexure-I referred to in reply to part (c)to(e) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 2516 for answer on 08.08.2018

State-wise position of PMEGP during 2015-16

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu& Kashmir	4006.80	3781.19	2207	12115
2	Himachal Pradesh	1721.57	1767.26	1077	5134
3	Punjab	3026.80	2902.97	966	7762
4	UT Chandigarh	90.00	87.72	43	323
5	Uttarakhand	1909.93	1740.86	1136	6161
6	Haryana	3747.40	3112.09	1248	7232
7	Delhi	257.35	254.05	256	2048
8	Rajasthan	4188.14	4384.07	1988	14537
9	Uttar Pradesh	17535.32	14456.87	4365	43059
10	Bihar	7118.59	6588.55	2430	19624
11	Sikkim	227.38	186.11	110	397
12	Arunachal Pradesh	200.08	38.85	35	104
13	Nagaland	1255.83	1392.81	623	4998
14	Manipur	2855.92	1213.98	685	2715
15	Mizoram	924.99	1026.35	1134	9072
16	Tripura	2748.26	945.84	642	5355
17	Meghalaya	1250.62	1056.12	603	4824
18	Assam	4969.87	2869.74	3483	9026
19	West Bengal	4765.49	3400.65	1873	12746
20	Jharkhand	3462.64	3559.74	1839	12873
21	Odisha	6282.00	5736.32	2876	17629
22	Chhattisgarh	4303.80	2829.38	1277	9496
23	Madhya Pradesh	7729.40	8117.17	1979	16497
24	Gujarat*	6536.16	6339.73	1419	14960
25	Maharashtra **	9718.42	5285.03	2497	20161
26	Andhra Pradesh	4496.85	2262.37	642	7740
27	Telangana	2094.00	2217.57	660	7761
28	Karnataka	10846.89	5898.01	2140	17284
29	Goa	159.40	165.43	91	500
30	Lakshadweep	90.00	0.00	0	0
31	Kerala	2731.60	2720.48	1369	9653
32	Tamil Nadu	7110.80	5497.54	2463	20836
33	Puducherry	100.00	106.37	65	447
34	A&N Islands	158.00	65.11	119	293
	TOTAL	128620.30	102006.33	44340	323362

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

अनुबंध-1

दिनांक 08.08.2018 के राज्य सभा अतारंकित प्रश्न सं.2516 के भाग (ग) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु. में)	प्रयुक्त की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	जम्मू और कश्मीर	4006.80	3781.19	2207	12115
2	हिमाचल प्रदेश	1721.57	1767.26	1077	5134
3	पंजाब	3026.80	2902.97	966	7762
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	90.00	87.72	43	323
5	उत्तराखंड	1909.93	1740.86	1136	6161
6	हरियाणा	3747.40	3112.09	1248	7232
7	दिल्ली	257.35	254.05	256	2048
8	राजस्थान	4188.14	4384.07	1988	14537
9	उत्तर प्रदेश	17535.32	14456.87	4365	43059
10	बिहार	7118.59	6588.55	2430	19624
11	सिक्किम	227.38	186.11	110	397
12	अरुणाचल प्रदेश	200.08	38.85	35	104
13	नगालैंड	1255.83	1392.81	623	4998
14	मणिपुर	2855.92	1213.98	685	2715
15	मिजोरम	924.99	1026.35	1134	9072
16	त्रिपुरा	2748.26	945.84	642	5355
17	मेघालय	1250.62	1056.12	603	4824
18	असम	4969.87	2869.74	3483	9026
19	पश्चिम बंगाल	4765.49	3400.65	1873	12746
20	झारखंड	3462.64	3559.74	1839	12873
21	ओडिशा	6282.00	5736.32	2876	17629
22	छत्तीसगढ़	4303.80	2829.38	1277	9496
23	मध्य प्रदेश	7729.40	8117.17	1979	16497
24	गुजरात*	6536.16	6339.73	1419	14960
25	महाराष्ट्र **	9718.42	5285.03	2497	20161
26	आंध्र प्रदेश	4496.85	2262.37	642	7740
27	तेलंगाना	2094.00	2217.57	660	7761
28	कर्नाटक	10846.89	5898.01	2140	17284
29	गोवा	159.40	165.43	91	500
30	लक्षद्वीप	90.00	0.00	0	0
31	केरल	2731.60	2720.48	1369	9653
32	तमिलनाडु	7110.80	5497.54	2463	20836
33	पुडुचेरी	100.00	106.37	65	447
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	158.00	65.11	119	293
	कुल	128620.30	102006.33	44340	323362

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* दमण और दीव सहित

** दादरा एवं नगर हवेली सहित

State-wise position of PMEGP during 2016-17

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu& Kashmir	3541.26	2621.40	1492	11691
2	Himachal Pradesh	1970.11	2185.27	941	6916
3	Punjab	3504.09	3181.60	1266	9858
4	UT Chandigarh	100	82.84	47	376
5	Uttarakhand	2140.93	2122.33	1345	9890
6	Haryana	3371.31	3383.53	1377	11016
7	Delhi	300	182.41	119	952
8	Rajasthan	5500.99	4641.6	1749	13408
9	Uttar Pradesh	12981.52	14271.05	4074	36315
10	Bihar	6909.77	8336.51	3234	25872
11	Sikkim	200	35.93	27	201
12	Arunachal Pradesh	500	440.34	301	1984
13	Nagaland	1751.68	2007.48	1018	7783
14	Manipur	1741.7	2162.78	1265	8419
15	Mizoram	1253.49	491.96	425	3400
16	Tripura	1578.62	3734.66	2297	17961
17	Meghalaya	1748.1	407.89	329	2632
18	Assam	5636.41	4910.38	6028	31498
19	West Bengal	3680.3	6270.32	3528	26604
20	Jharkhand	4165.73	2654.35	1300	10400
21	Odisha	5201.65	6848.96	3029	20392
22	Chhattisgarh	4493.3	4070.73	1598	12856
23	Madhya Pradesh	8527.32	8346.06	1940	15520
24	Gujarat*	5398.45	7561.61	1386	11629
25	Maharashtra **	6111.29	6001.36	2325	17799
26	Andhra Pradesh	2336.59	4916.08	1357	14148
27	Telangana	2004.86	2561.72	664	6445
28	Karnataka	4941.62	11609.56	3575	30286
29	Goa	371.62	191.44	90	660
30	Lakshadweep	50	00	00	00
31	Kerala	2446.06	3350.68	1584	13068
32	Tamil Nadu	5291.23	8213.92	2941	25764
33	Puducherry	150	103.65	66	699
34	A&N Islands	100	193.46	195	1398
	TOTAL	110000	128093.86	52912	407840

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु. में)	प्रयुक्त की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	जम्मू-कश्मीर	3541.26	2621.40	1492	11691
2	हिमाचल प्रदेश	1970.11	2185.27	941	6916
3	पंजाब	3504.09	3181.60	1266	9858
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	100	82.84	47	376
5	उत्तराखंड	2140.93	2122.33	1345	9890
6	हरियाणा	3371.31	3383.53	1377	11016
7.	दिल्ली	300	182.41	119	952
8	राजस्थान	5500.99	4641.6	1749	13408
9	उत्तर प्रदेश	12981.52	14271.05	4074	36315
10	बिहार	6909.77	8336.51	3234	25872
11	सिक्किम	200	35.93	27	201
12	अरुणाचल प्रदेश	500	440.34	301	1984
13	नगालैंड	1751.68	2007.48	1018	7783
14	मणिपुर	1741.7	2162.78	1265	8419
15	मिजोरम	1253.49	491.96	425	3400
16	त्रिपुरा	1578.62	3734.66	2297	17961
17	मेघालय	1748.1	407.89	329	2632
18	असम	5636.41	4910.38	6028	31498
19	पश्चिम बंगाल	3680.3	6270.32	3528	26604
20	झारखंड	4165.73	2654.35	1300	10400
21	ओडिशा	5201.65	6848.96	3029	20392
22	छत्तीसगढ़	4493.3	4070.73	1598	12856
23	मध्य प्रदेश	8527.32	8346.06	1940	15520
24	गुजरात*	5398.45	7561.61	1386	11629
25	महाराष्ट्र **	6111.29	6001.36	2325	17799
26	आंध्र प्रदेश	2336.59	4916.08	1357	14148
27	तेलंगाना	2004.86	2561.72	664	6445
28	कर्नाटक	4941.62	11609.56	3575	30286
29	गोवा	371.62	191.44	90	660
30	लक्षद्वीप	50	00	00	00
31	केरल	2446.06	3350.68	1584	13068
32	तमिलनाडु	5291.23	8213.92	2941	25764
33	पुडुचेरी	150	103.65	66	699
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	193.46	195	1398
	कुल	110000	128093.86	52912	407840

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* दमण और दीव सहित

** दादरा एवं नगर हवेली सहित

State-wise position of PMEGP during 2017-18

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	Jammu & Kashmir	3272.84	6913.15	3753	30024
2	Himachal Pradesh	1785.19	2042.5	886	7088
3	Punjab	3272.84	3930.46	1520	12160
4	UT Chandigarh	100.00	90.07	45	360
5	Uttarakhand	1933.95	2880.98	1613	12904
6	Haryana	3272.84	4167.04	1718	13744
7	Delhi	300.00	150.65	115	920
8	Rajasthan	4909.26	4929.04	1577	12614
9	Uttar Pradesh	11157.41	16866.47	5432	43456
10	Bihar	5653.09	6558.85	2307	18456
11	Sikkim	200.00	46.36	37	296
12	Arunachal Pradesh	500.00	309.42	209	1672
13	Nagaland	1728.96	2672.15	930	7440
14	Manipur	1434.32	1383.87	600	4800
15	Mizoram	1245.66	274.05	249	1992
16	Tripura	1283.75	1892.3	1116	8928
17	Meghalaya	1720.32	118.27	75	600
18	Assam	5351.99	2362.48	2282	18256
19	West Bengal	2975.31	3891.37	1366	10928
20	Jharkhand	3570.37	2439.53	1111	8888
21	Odisha	4462.97	5680.65	2399	19192
22	Chhattisgarh	4016.67	3398.4	1463	11704
23	Madhya Pradesh	7587.04	7631.41	1804	14432
24	Gujarat*	4909.26	12883.63	1876	15008
25	Maharashtra **	5355.56	8749.73	3329	26632
26	Andhra Pradesh	1933.95	5336.1	1527	12216
27	Telangana	4611.73	4030.21	1190	9520
28	Karnataka	4462.97	6477.94	2115	16920
29	Goa	297.53	149.07	50	400
30	Lakshadweep	100.00	00	00	00
31	Kerala	2082.72	2910.44	1347	10776
32	Tamil Nadu	4760.50	9717.58	4095	32760
33	Puducherry	100.00	78.95	44	352
34	A&N Islands	100.00	276.95	218	1744
	TOTAL	100449	131240.07	48398	387184

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

वर्ष 2017-18 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु. में)	प्रयुक्त की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	जम्मू-कश्मीर	3272.84	6913.15	3753	30024
2	हिमाचल प्रदेश	1785.19	2042.5	886	7088
3	पंजाब	3272.84	3930.46	1520	12160
4	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	100.00	90.07	45	360
5	उत्तराखंड	1933.95	2880.98	1613	12904
6	हरियाणा	3272.84	4167.04	1718	13744
7.	दिल्ली	300.00	150.65	115	920
8	राजस्थान	4909.26	4929.04	1577	12614
9	उत्तर प्रदेश	11157.41	16866.47	5432	43456
10	बिहार	5653.09	6558.85	2307	18456
11	सिक्किम	200.00	46.36	37	296
12	अरुणाचल प्रदेश	500.00	309.42	209	1672
13	नगालैंड	1728.96	2672.15	930	7440
14	मणिपुर	1434.32	1383.87	600	4800
15	मिजोरम	1245.66	274.05	249	1992
16	त्रिपुरा	1283.75	1892.3	1116	8928
17	मेघालय	1720.32	118.27	75	600
18	असम	5351.99	2362.48	2282	18256
19	पश्चिम बंगाल	2975.31	3891.37	1366	10928
20	झारखंड	3570.37	2439.53	1111	8888
21	ओडिशा	4462.97	5680.65	2399	19192
22	छत्तीसगढ़	4016.67	3398.4	1463	11704
23	मध्य प्रदेश	7587.04	7631.41	1804	14432
24	गुजरात*	4909.26	12883.63	1876	15008
25	महाराष्ट्र **	5355.56	8749.73	3329	26632
26	आंध्र प्रदेश	1933.95	5336.1	1527	12216
27	तेलंगाना	4611.73	4030.21	1190	9520
28	कर्नाटक	4462.97	6477.94	2115	16920
29	गोवा	297.53	149.07	50	400
30	लक्षद्वीप	100.00	00	00	00
31	केरल	2082.72	2910.44	1347	10776
32	तमिलनाडु	4760.50	9717.58	4095	32760
33	पुडुचेरी	100.00	78.95	44	352
34	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100.00	276.95	218	1744
	कुल	100449	131240.07	48398	387184

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* दमण और दीव सहित

** दादरा एवं नगर हवेली सहित

State-wise position of PMEGP during 2018-19 (as on 30.06.2018)

Sr. No.	State/UT	Margin Money subsidy allocated (Rs. lakh)	Margin Money subsidy utilized# (Rs. lakh)	Number of projects assisted	Estimated employment generated (No. of persons)
1	A & N Islands	188.64	50.85	37	296
2	Andhra Pradesh	3742.74	1489.96	392	3136
3	Arunachal Pradesh	471.6	153.84	104	832
4	Assam	10507.7	1153.43	1112	8896
5	Bihar	10869.49	1981.22	733	5864
6	Chhattisgarh	6339.11	1398.19	752	6016
7	Delhi	282.96	8.19	5	40
8	Goa	605.15	19.32	4	32
9	Gujarat*	7501.95	3271.57	454	3632
10	Haryana	4664.1	799.23	341	2728
11	Himachal Pradesh	2711.4	312.42	127	1016
12	Jammu & Kashmir	4745.12	2000.27	1111	8888
13	Jharkhand	6193.49	731.05	308	2464
14	Karnataka	6939.66	1925.29	695	5560
15	Kerala	3667.38	952.24	464	3712
16	Lakshadweep	47.16	0	0	0
17	Madhya Pradesh	11952.9	1200.25	304	2432
18	Maharashtra **	8833.6	2522.06	1093	8744
19	Manipur	2544.19	317.99	196	1568
20	Meghalaya	2653.7	90.19	66	528
21	Mizoram	2045.45	242.31	178	1424
22	Nagaland	2825.5	310.2	154	1232
23	Odisha	7719.19	1691.83	773	6184
24	Puducherry	141.48	9.66	6	48
25	Punjab	4617.17	678.86	309	2472
26	Rajasthan	7743.65	1563.39	542	4336
27	Sikkim	188.64	11.29	5	40
28	Tamil Nadu	7438.88	1204.57	574	4592
29	Telangana	7250.96	555.88	186	1488
30	Tripura	1965.99	453.34	233	1864
31	UT Chandigarh	94.32	15.66	7	56
32	Uttar Pradesh	19171.59	5147.15	1559	12472
33	Uttarakhand	2975.4	950.81	581	4648
34	West Bengal	6423.74	1468.1	478	3824
	TOTAL	166064	34680.61	13883	111064

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

वर्ष 2018-19 के दौरान पीएमईजीपी की राज्यवार स्थिति (30.06.2018 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु. में)	प्रयुक्त की गई मार्जिन मनी सब्सिडी# (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की सं.)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	188.64	50.85	37	296
2	आंध्र प्रदेश	3742.74	1489.96	392	3136
3	अरुणाचल प्रदेश	471.6	153.84	104	832
4	असम	10507.7	1153.43	1112	8896
5	बिहार	10869.49	1981.22	733	5864
6	छत्तीसगढ़	6339.11	1398.19	752	6016
7	दिल्ली	282.96	8.19	5	40
8	गोवा	605.15	19.32	4	32
9	गुजरात*	7501.95	3271.57	454	3632
10	हरयाणा	4664.1	799.23	341	2728
11	हिमाचल प्रदेश	2711.4	312.42	127	1016
12	जम्मू-कश्मीर	4745.12	2000.27	1111	8888
13	झारखंड	6193.49	731.05	308	2464
14	कर्नाटक	6939.66	1925.29	695	5560
15	केरल	3667.38	952.24	464	3712
16	लक्षद्वीप	47.16	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	11952.9	1200.25	304	2432
18	महाराष्ट्र **	8833.6	2522.06	1093	8744
19	मणिपुर	2544.19	317.99	196	1568
20	मेघालय	2653.7	90.19	66	528
21	मिजोरम	2045.45	242.31	178	1424
22	नगालैंड	2825.5	310.2	154	1232
23	ओडिशा	7719.19	1691.83	773	6184
24	पुडुचेरी	141.48	9.66	6	48
25	पंजाब	4617.17	678.86	309	2472
26	राजस्थान	7743.65	1563.39	542	4336
27	सिक्किम	188.64	11.29	5	40
28	तमिलनाडु	7438.88	1204.57	574	4592
29	तेलंगाना	7250.96	555.88	186	1488
30	त्रिपुरा	1965.99	453.34	233	1864
31	यूटी चंडीगढ़	94.32	15.66	7	56
32	उत्तर प्रदेश	19171.59	5147.15	1559	12472
33	उत्तराखंड	2975.4	950.81	581	4648
34	पश्चिम बंगाल	6423.74	1468.1	478	3824
	कुल	166064	34680.61	13883	111064

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

* दमण और दीव सहित

** दादरा एवं नगर हवेली सहित

Annexure-II referred to in reply to part (c) to (e) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 2516 for answer on 08.08.2018

State wise list of SFURTI clusters (till 31.3.2018)

Sl. No.	State	District	Name/ Product	Category	Amount Sanctioned (Rs. in Lakh)
1.	Andhra Pradesh	Chittoor	Kalamkari Products	Handicraft	121.49
2.	Andhra Pradesh	Vizianagaram	Coir Mattress	Coir products	266.58
3.	Andhra Pradesh	Chittoor	Coir Products	Coir products	112.03
4.	Andhra Pradesh	Krishna	Pedanna Kalamkari Painting	Handicraft	261.00
5.	Andhra Pradesh	Krishna	Kondapalli Wooden Toys	Handicraft	132.85
6.	Assam	Majuli	Majuli	Handicraft	137.30
7.	Assam	Barpeta	Metal ware	Handicraft	143.99
8.	Assam	Manas	Handloom Dress	Handloom	140.5
9.	Assam	Mirza	Handloom Dress	Handloom	143.99
10.	Assam	Moran	Handloom	Handloom	211.76
11.	Bihar	Madhubani	Painting	Handicraft	147.89
12.	Bihar	Rohtas	Pottery	Handicraft	127.87
13.	Chattis	Raipur	Dry Flowers	Handicraft	93.15
14.	Chattisgarh	Bastar	Docra handicraft	Handicraft	98.03
15.	Gujarat	Bardoli	Blacksmithy	Handicraft	118.57
16.	Gujarat	Banaskantha	Samvedna	Coir Handicraft	149.99
17.	Haryana	Panipat	Multicraft Cluster	Handicraft	122.29
18.	J&K	Anantanag	Crewel Embroidery	Handicraft	380.00
19.	J&K	Budgam	Embroidery	Handicraft	375.00
20.	J&K	Srinagar	Honey	Honey	299.80
21.	Jharkhand	Gumla	Honey & Food Processing	Honey	254.24
22.	Jharkhand	SanthalPragna	Khadi	Khadi	150
23.	Jharkhand	Koderma	Agarbatti	Other	127.44
24.	Karnataka	Davangere	Hariharakhadi	khadi	130.0
25.	Karnataka	Belgaum	HudliKhadi	Khadi	132.82
26.	Karnataka	Chikballarpur	Sidhalgatta Khadi	Khadi	132.03
27.	Karnataka	Bidar	Woodwork	Wood & Furniture	145.37
28.	Karnataka	Hasan	HaralakattaCoir products	Coir Pith Block and Manure & others	148.54
29.	Karnataka	Tumkur	Tumkur	Coir Pith Block, Manure, Rubberized coir, furniture	740.86
30.	Karnataka	North Kannada	Kumta	Coir Products	149.36
31.	Kerala	Neyatinkara	Katakkada	Coir Furniture	144.08
32.	Kerala	Balussery	Balusserry	Coir Products	109.02
33.	Kerala	Allapuzha	Haripad	Coir yarn &Fiber	284.03
34.	Kerala	Tirur	Virgin Coconut Oil	Other	245.89
35.	Madhya	Hosangabad	Bamboo	Bamboo	149.44
36.	Madhya Pradesh	Jobat	Natural Dye	Other	112.65
37.	Maharashtra	Sindhudurg	Bamboo	Bamboo	149.89
38.	Maharashtra	Beed	Banjara Handicrafts	Handicraft	98.09

दिनांक 08.08.2018 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2516 के भाग (ग) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

स्फूर्ति क्लस्टरों की राज्यवार सूची (31.03.2018 तक)

क्र.सं.	राज्य	जिला	नाम/उत्पाद	श्रेणी	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	कलामकारी उत्पाद	हस्तशिल्प	121.49
2.	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	कयर गद्दे	कयर उत्पादों	266.58
3.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	कयर उत्पाद	कयर उत्पादों	112.03
4.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	पेडाना कलामकारी चित्रकारी	हस्तशिल्प	261.00
5.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	कोंडापल्ली लकड़ी के खिलौने	हस्तशिल्प	132.85
6.	असम	माजुली	माजुली	हस्तशिल्प	137.30
7.	असम	बारपेटा	धातु के बर्तन	हस्तशिल्प	143.99
8.	असम	मानस	हैंडलूम ड्रेस	हथकरघा	140.5
9.	असम	मिर्जा	हैंडलूम ड्रेस	हथकरघा	143.99
10.	असम	मोरन	हथकरघा	हथकरघा	211.76
11.	बिहार	मधुबनी	चित्रकारी	हस्तशिल्प	147.89
12.	बिहार	रोहतास	मिट्टी के बर्तनों	हस्तशिल्प	127.87
13.	छत्तीस	रायपुर	सूखे फूल	हस्तशिल्प	93.15
14.	छत्तीसगढ़	बस्तर	डोका हस्तशिल्प	हस्तशिल्प	98.03
15.	गुजरात	बारडोली	लोहार	हस्तशिल्प	118.57
16.	गुजरात	बनासकांठा	संवेदना	कयर हस्तशिल्प	149.99
17.	हरयाणा	पानीपत	मल्टीकाफ्ट क्लस्टर	हस्तशिल्प	122.29
18.	जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग	कूरल कढ़ाई	हस्तशिल्प	380.00
19.	जम्मू और कश्मीर	बडगाम	कढ़ाई	हस्तशिल्प	375.00
20.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	शहद	शहद	299.80
21.	झारखंड	गुमला	शहद और खाद्य प्रसंस्करण	शहद	254.24
22.	झारखंड	संथाल परगना	खादी	खादी	150
23.	झारखंड	कोडरमा	अगरबत्ती	अन्य	127.44
24.	कर्नाटक	दावणगेरे	हरिहर खादी	खादी	130.5
25.	कर्नाटक	बेलगाम	हुडली खादी	खादी	132.82
26.	कर्नाटक	चिकबालारपुर	सिधलगट्टा खादी	खादी	132.03
27.	कर्नाटक	बीदर	लकड़ी	लकड़ी का सामान	145.37
28.	कर्नाटक	हसन	हरलाकाट्टा कोयूर उत्पाद	कोइर पिथ ब्लॉक और खपत और अन्य	148.54
29.	कर्नाटक	तुमकुर	तुमकुर	कयर पिथ ब्लॉक, खाद, रबराइज्ड कयर, फर्नीचर	740.86
30.	कर्नाटक	उत्तर कन्नड़	कुमटा	कयर उत्पाद	149.36
31.	केरल	नेयातिकरा	कटक्कडा	कयर फर्नीचर	144.08
32.	केरल	बालूसेरी	बालूसेरी	कयर उत्पाद	109.02
33.	केरल	अलप्पुझा	हरीपाद	कयर यार्न और फाइबर	284.03
34.	केरल	त्रिरूर	शुद्ध नारियल तेल	अन्य	245.89
35.	मध्य	होशंगाबाद	बांस	बांस	149.44
36.	मध्य प्रदेश	जोबट	प्राकृतिक डाई	अन्य	112.65
37.	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग	बांस	बांस	149.89
38.	महाराष्ट्र	बीड	बंजारा हस्तशिल्प	हस्तशिल्प	98.09

39.	Maharashtra	Sawantwadi	Sawantwadi	Coir Products	149.34
40.	Maharashtra	Pendur	Pendur	Coir Products	149.34
41.	Manipur	Ningomthong	Bamboo, Reed	Bamboo	135.75
42.	Odisha	Ganjam	Bell Metal Handicraft	Handicraft	121.20
43.	Odisha	Mayurbhanj	Non Timber Forest product (Bamboo)	NTEFP	159.36
44.	Odisha	Khurda	Fruits& Vegetables Processing	Other	132.05
45.	Odisha	Balasore	Stone Carving Handicraft	Handicraft	235.15
46.	Pradesh	Betul	Pottery/ Teracotta	Handicraft	148.55
47.	Punjab	Bhatinda	Honey	Honey	265.24
48.	Punjab	Hoshiarpur	Wood Inlay and Lacquer	Wood & Furniture	250.75
49.	Rajasthan	Dausa	Stone Carving	Handicraft	110.50
50.	Tamil Nadu	Tirupur	Kangayamkhadi	Khadi	130.5
51.	Tamil Nadu	Selam	Sarkar Steel	Wood & Furniture	142.85
52.	Tamil Nadu	Salem	Salem	Coir Furniture	298.91
53.	Tamil Nadu	Madurai	Madurai	Coir Furniture	299.72
54.	Tamil Nadu	Tirupur	Palladam Grow Bag	Coir Grow Bag	289.9
55.	Tamil Nadu	Dharmapuri	Dharmapuri	Coir Pith Block/ Grow Bag	148.25
56.	Tamil Nadu	Kanyakumari	Nagercoil	Coir Products	149.06
57.	Tamil Nadu	Dindigul	Dindigul	Coir Products	291.62
58.	Tamil Nadu	Tirupur	Kangayam	Coir Products	289.19
59.	Tamil Nadu	Thirunelveli	Tenakashi	Coir Products	273.71
60.	Tamil Nadu	Coimbatore	Pollachi	Rubberized Coir	662.24
61.	Telangana	Warangal	PembarthyMetalware	Handicraft	149.96
62.	Telangana	Mehboobnagar	MothkurIkat	Handloom	143.38
63.	Telangana	Ieeza	Gadwal	Handloom	198.55
64.	Tripura	West Tripura	Bamboo Utility	Bamboo	272.21
65.	Uttar Pradesh	Bhadohi-SantRavidas Nagar	Hand knotted carpet	Handicraft	130.5
66.	Uttar Pradesh	Deoria	Crochia cluster	Handicraft	101.8
67.	Uttar Pradesh	Mirzapur	Carpet Weaving	Handicraft	112.1
68.	Uttar Pradesh	Azamgarh	Mau Pottery	Handicraft	121.4
69.	Uttar Pradesh	Chitrakoot	Herbal Products	Other	245.25
70.	Uttar Pradesh	Sultanpur	Baraulia Medicinal Plant Cluster	Other	225.20
71.	Uttarakhand	Dehradun	Aipen Art Cluster	Handicraft	103.39
72.	West Bengal	Murshidabad	Muslin and other khadi	Khadi	192.50
	Total				13817.92

39.	महाराष्ट्र	सावंतवाडी	सावंतवाडी	कयर उत्पाद	149.34
40.	महाराष्ट्र	पेन्डूर	पेन्डूर	कयर उत्पाद	149.34
41.	मणिपुर	निंगोमथोंग	बांस, रीड	बांस	135.75
42.	ओडिशा	गंजम	बेल धातु हस्तशिल्प	हस्तशिल्प	121.20
43.	ओडिशा	मयूरभंज	गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद (बांस)	एनटीएफपी	159.36
44.	ओडिशा	खुर्दा	फल और सब्जियां प्रसंस्करण	अन्य	132.05
45.	ओडिशा	बालासोर	पत्थर नक्काशी हस्तशिल्प	हस्तशिल्प	235.15
46.	प्रदेश	बेतुल	बर्तन/टेराकोटा	हस्तशिल्प	148.55
47.	पंजाब	भटिंडा	शहद	शहद	265.24
48.	पंजाब	होशियारपुर	लकड़ी की जड़ और लाख	लकड़ी का सामान	250.75
49.	राजस्थान	दौसा	पत्थर की नक्काशी	हस्तशिल्प	110.50
50.	तमिलनाडु	तिरुपुर	कंगयम खादी	खादी	130.5
51.	तमिलनाडु	सालेम	सरकार स्टील	लकड़ी का सामान	142.85
52.	तमिलनाडु	सालेम	सालेम	कयर फर्नीचर	298.91
53.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै	कयर फर्नीचर	299.72
54.	तमिलनाडु	तिरुपुर	पल्लादम वडोतरी बैग	कयर ग्री बैग	289.9
55.	तमिलनाडु	धर्मपुरी	धर्मपुरी	कयर पिथ ब्लॉक/ग्री बैग	148.25
56.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	नागरकोइल	कयर उत्पाद	149.06
57.	तमिलनाडु	डिंडीगुल	डिंडीगुल	कयर उत्पाद	291.62
58.	तमिलनाडु	तिरुपुर	कंगायम	कयर उत्पाद	289.19
59.	तमिलनाडु	थिरुनेलवेल्ली	तीनाक्षी	कयर उत्पाद	273.71
60.	तमिलनाडु	कोयंबटूर	पोलाची	रबराइज्ड कयर	662.24
61.	तेलंगाना	यारंगल	पेम्बार्थी मेटलवेयर	हस्तशिल्प	149.96
62.	तेलंगाना	महबूबनगर	मोथकुर इकत	हथकरघा	143.38
63.	तेलंगाना	लीजा	गडवाल	हथकरघा	198.55
64.	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	बांस उपयोगिता	बांस	272.21
65.	उत्तर प्रदेश	भदोही- संत रविदास नगर	हस्तनिर्मित कालीन	हस्तशिल्प	130.5
66.	उत्तर प्रदेश	देवरिया	क्रोचिया क्लस्टर	हस्तशिल्प	101.87
67.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	कालीन बुनाई	हस्तशिल्प	112.17
68.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	माउ पोटरी	हस्तशिल्प	121.43
69.	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	हर्बल उत्पाद	अन्य	245.25
70.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	बरौलिया औषधीय संयंत्र क्लस्टर	अन्य	225.20
71.	उत्तराखंड	देहरादून	एपेन आर्ट क्लस्टर	हस्तशिल्प	103.39
72.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	मुस्लिम और अन्य खादी	खादी	192.50
	कुल				13817.92

State wise list of DPRs presented approved in 26th SSC of SFURTI on 29.5.2018

Sl. No	State	District	TA	Products	Financial assistance proposed (Rs. in Lakh)
1	J&K	Baramulla (Pattan)	Craft Development Institute	Weaving & Embroidery	248.37
2	J&K	Pulwama (Pampore)	Craft Development Institute	Hosiery Cluster	216.46
3	J&K	Khistwar	Centre for Skill Development Jammu	Essential Oils	196
4	Karnataka	Hassan (Javagal)	MSME Foundation	Coir Products	147.21
5	Karnataka	Hassan (Gudakanha Ili)	MSME Foundation	Coir Products	143.43
6	Odisha	Jajpur (Haripur)	FMC	Traditional Dress	119.17
7	Odisha	Mayurbhanj (Udala)	FMC	Sal Leaf & Honey	139.80
8	Punjab	Ludhiana (Doraha)	Foundation for MSME (FMC)	Honey	150.00
9	Tamil Nadu	Krishnagiri	CPGPPI, Chennai	Palmgur & Palm Products	149.84
10	Tamil Nadu	Krishnagiri	ITCOT Chennai	Coir Products	286.96
11	Uttar Pradesh	Azamgarh	EDI, Ahmedabad	Pottery	111.65
12	Uttar Pradesh	Lucknow (Chinhat)	CBRTI Pune	Food Processing	112.77

दिनांक 29.05.2018 को स्फूर्ति की 26वीं एसएससी में प्रस्तुत अनुमोदित डीपीआर की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला	टीए	उत्पाद	प्रस्तावित वित्तीय सहायता (लाख रु. में)
1	जम्मू और कश्मीर	बारामुल्ला (पतन)	शिल्प विकास संस्थान	बुनाई और कढ़ाई	248.37
2	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा (पंपौर)	शिल्प विकास संस्थान	होजरी क्लस्टर	216.46
3	जम्मू और कश्मीर	किश्तवार	सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट जम्मू	आवश्यक तेल	196
4	कर्नाटक	हसन (जवागल)	एमएसएमई फाउंडेशन	कयर उत्पाद	147.21
5	कर्नाटक	हसन (गुडकानहल्ली)	एमएसएमई फाउंडेशन	कयर उत्पाद	143.43
6	ओडिशा	जजपुर (हरिपुर)	एफएमसी	परंपरागत पोशाक	119.17
7	ओडिशा	मयूरभंज (उडाला)	एफएमसी	साल की पत्ती और शहद	139.80
8	पंजाब	लुधियाना (दोराहा)	एमएसएमई (एफएमसी) के लिए फाउंडेशन	शहद	150.00
9	तमिलनाडु	कृष्णागिरी	सीपीजीपीपीआ ई, चेन्नई	पामगुर और पाम उत्पाद	149.84
10	तमिलनाडु	कृष्णागिरी	आईटीसीओटी चेन्नई	कयर उत्पाद	286.96
11	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	ईडीआई, अहमदाबाद	मिट्टी के बर्तन	111.65
12	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (चिनहाट)	सीबीआरटीआई पुणे	खाद्य प्रसंस्करण	112.77

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2517
TO BE ANSWERED ON: 08.08.2018

Investment made in MSME sector

2517. SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the amount of total investment made in MSME sector in the country including Kerala during the last four years, State-wise;
- (b) the total number of employment opportunities generated in each State during the said period; and
- (c) the details of steps being taken by Government to encourage investment in MSME sector in the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

- (a): The investment made in MSME Sector is predominantly Private investment and the data on the same is not maintained centrally.
- (b): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has a Programme called Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP). The details of employment opportunities generated under this Programme in different states during the last four years have been given in the Annexure-I
- (c): Ministry of MSME also implements several other schemes and programmes to strengthen the MSMEs and promote employment. Some of the important initiatives in this regard include Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI), Mission Solar Charkha, A Scheme for promoting innovation, Rural Industry & Entrepreneurship (ASPIRE), Credit Guarantee Fund Scheme, Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS), National Manufacturing Competitiveness programme (NMCP), Marketing Assistance Scheme, MSE-Cluster Development programme etc. Apart from these, employment opportunities have also been created under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).

The National Sample Survey Organisation (NSSO), Ministry of Statistics & Programme Implementation, conducted a survey of unincorporated non-agricultural enterprises (excluding construction) during its 73rd round (July, 2015 – June, 2016). As per this survey, the total employment in the MSME Sector is 1109.89 lakh. The State/UT-wise distribution of the employment is given in Annexure-II.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2517
उत्तर देने की तारीख : 08.08.2018

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में किया गया निवेश

2517. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत चार वर्षों के दौरान केरल सहित देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में किए गए कुल निवेश की राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में रोजगार के कुल कितने अवसर सृजित हुए हैं; और
- (ग) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) : एमएसएमई क्षेत्र में किए गए निवेश मुख्य रूप से निजी निवेश होते हैं और इनसे संबंधित आंकड़ें केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के पास प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक कार्यक्रम है। पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम के तहत उत्पन्न रोजगार के अवसरों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों को भी लागू करता है। इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों में पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति), मिशन सौर चरखा, नव प्रवर्तन, उद्यमिता और ग्राम उद्योग संवर्धन योजना (एस्पायर), क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, क्रेडिट लिंकेड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस), राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी), विपणन सहायता योजना, एमएसई-क्लस्टर विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत भी रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने 73वें दौर (जुलाई, 2015-जून, 2016) में असंगठित गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया था। सर्वेक्षण के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र में कुल रोजगार 1109.89 लाख है। राज्य/संघ शासित प्रदेश वार रोजगार का वितरण अनुबंध-II में दिया गया है।

Annexure-I referred to in reply to part (b) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 2517 for answer on 08.08.2018

State-wise Employment Generation under PMEGP during 2015-16 to 2018-19

Sr. No.	State/UT	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (upto 30.6.18)
1	Andaman & Nicobar Islands	293	1398	1744	296
2	Andhra Pradesh	7740	14148	12216	3136
3	Arunachal Pradesh	104	1984	1672	832
4	Assam	9026	31498	18256	8896
5	Bihar	19624	25872	18456	5864
6	Chhattisgarh	9496	12856	11704	6016
7	Delhi	2048	952	920	40
8	Goa	500	660	400	32
9	Gujarat*	14960	11629	15008	3632
10	Haryana	7232	11016	13744	2728
11	Himachal Pradesh	5134	6916	7088	1016
12	Jammu & Kashmir	12115	11691	30024	8888
13	Jharkhand	12873	10400	8888	2464
14	Karnataka	17284	30286	16920	5560
15	Kerala	9653	13068	10776	3712
16	Lakshadweep	0	0	0	0
17	Madhya Pradesh	16497	15520	14432	2432
18	Maharashtra **	20161	17799	26632	8744
19	Manipur	2715	8419	4800	1568
20	Meghalaya	4824	2632	600	528
21	Mizoram	9072	3400	1992	1424
22	Nagaland	4998	7783	7440	1232
23	Odisha	17629	20392	19192	6184
24	Puducherry	447	699	352	48
25	Punjab	7762	9858	12160	2472
26	Rajasthan	14537	13408	12614	4336
27	Sikkim	397	201	296	40
28	Tamilnadu	20836	25764	32760	4592
29	Telangana	7761	6445	9520	1488
30	Tripura	5355	17961	8928	1864
31	UT Chandigarh	323	376	360	56
32	Uttar Pradesh	43059	36315	43456	12472
33	Uttarakhand	6161	9890	12904	4648
34	West Bengal	12746	26604	10928	3824
		323362	407840	387184	111064

including un-utilized balance funds of previous year.

* including Daman & Diu.

** including Dadra & Nagar Haveli

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2517 जिसका उत्तर दिनांक 08.08.2018 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

2015-16 से 2018-19 के दौरान पीएमईजीपी के तहत राज्यवार रोजगार सृजन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (30.6.18 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	293	1398	1744	296
2	आंध्र प्रदेश	7740	14148	12216	3136
3	अरुणाचल प्रदेश	104	1984	1672	832
4	असम	9026	31498	18256	8896
5	बिहार	19624	25872	18456	5864
6	छत्तीसगढ़	9496	12856	11704	6016
7	दिल्ली	2048	952	920	40
8	गोवा	500	660	400	32
9	गुजरात *	14960	11629	15008	3632
10	हरियाणा	7232	11016	13744	2728
11	हिमाचल प्रदेश	5134	6916	7088	1016
12	जम्मू-कश्मीर	12115	11691	30024	8888
13	झारखंड	12873	10400	8888	2464
14	कर्नाटक	17284	30286	16920	5560
15	केरल	9653	13068	10776	3712
16	लक्षद्वीप	0	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	16497	15520	14432	2432
18	महाराष्ट्र **	20161	17799	26632	8744
19	मणिपुर	2715	8419	4800	1568
20	मेघालय	4824	2632	600	528
21	मिजोरम	9072	3400	1992	1424
22	नागालैंड	4998	7783	7440	1232
23	ओडिशा	17629	20392	19192	6184
24	पुडुचेरी	447	699	352	48
25	पंजाब	7762	9858	12160	2472
26	राजस्थान	14537	13408	12614	4336
27	सिक्किम	397	201	296	40
28	तमिलनाडु	20836	25764	32760	4592
29	तेलंगाना	7761	6445	9520	1488
30	त्रिपुरा	5355	17961	8928	1864
31	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़	323	376	360	56
32	उत्तर प्रदेश	43059	36315	43456	12472
33	उत्तराखंड	6161	9890	12904	4648
34	पश्चिम बंगाल	12746	26604	10928	3824
		323362	407840	387184	111064

पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष राशि सहित।

* दमन और दीव समेत।

** दादरा और नगर हवेली समेत।

Annexure-II

Annexure-II referred to in reply to part (c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 2517 for answer on 08.08.2018

As per 73 rd Round of NSS Report on Unincorporated Non-Agricultural Enterprises' (June 2015- June 2016)		
Sl. No.	State/UT	Estimated no. of workers
(1)	(2)	(3)
1	Andhra Pradesh	5598878
2	Arunachal Pradesh	40844
3	Assam	1814541
4	Bihar	5305034
5	Chhattisgarh	1685507
6	Delhi	2300267
7	Goa	160351
8	Gujarat	6115595
9	Haryana	1905369
10	Himachal Pradesh	642748
11	Jammu & Kashmir	1087551
12	Jharkhand	2490794
13	Karnataka	7083735
14	Kerala	4463350
15	Madhya Pradesh	4874459
16	Maharashtra	9074600
17	Manipur	292215
18	Meghalaya	190549
19	Mizoram	62359
20	Nagaland	176610
21	Odisha	3325621
22	Punjab	2478902
23	Rajasthan	4632279
24	Sikkim	44696
25	Tamil Nadu	9671945
26	Telangana	4015787
27	Tripura	294983
28	Uttar Pradesh	16519294
29	Uttarakhand	659880
30	West Bengal	13545924
31	A & N Islands	38890
32	Chandigarh	128910
33	Dadra & Nagar Haveli	36329
34	Daman & Diu	14438
35	Lakshadweep	2765
36	Puducherry	183882
	ALL	110959881

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2517 जिसका उत्तर दिनांक 08.08.2018 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध- II

अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों पर एनएसएस रिपोर्ट के 73वें दौर (जून, 2015-जून, 2016) के अनुसार		
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुमानित श्रमिकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1	आंध्र प्रदेश	5598878
2	अरुणाचल प्रदेश	40844
3	असम	1814541
4	बिहार	5305034
5	छत्तीसगढ़	1685507
6	दिल्ली	2300267
7	गोवा	160351
8	गुजरात	6115595
9	हरियाणा	1905369
10	हिमाचल प्रदेश	642748
11	जम्मू एवं कश्मीर	1087551
12	झारखंड	2490794
13	कर्नाटक	7083735
14	केरल	4463350
15	मध्य प्रदेश	4874459
16	महाराष्ट्र	9074600
17	मणिपुर	292215
18	मेघालय	190549
19	मिजोरम	62359
20	नागालैंड	176610
21	ओड़ीशा	3325621
22	पंजाब	2478902
23	राजस्थान	4632279
24	सिक्किम	44696
25	तमिलनाडु	9671945
26	तेलंगाना	4015787
27	त्रिपुरा	294983
28	उत्तर प्रदेश	16519294
29	उत्तराखंड	659880
30	पश्चिम बंगाल	13545924
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	38890
32	चंडीगढ़	128910
33	दादरा एवं नागर हवेली	36329
34	दमन एवं दीव	14438
35	लक्षद्वीप	2765
36	पुडुचेरी	183882
	कुल	110959881

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2518.
TO BE ANSWERED ON 08.08. 2018

Financial assistance to MSME units in West Bengal

2518. SHRIMATI SHANTA CHHETRI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

- (a) the details of financial assistance extended to MSME units in West Bengal in the last two years;
- (b) whether MSME units are not getting required financial help; and
- (c) if so, what steps Government is taking to help these units?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (c): The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises provides financial assistance to micro and small enterprises through the following major schemes:

- i. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP): This is a major credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment opportunities through establishment of micro-enterprises in the non-farm sector by helping traditional artisans and unemployed youth.
- ii. Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS): This is a credit linked subsidy scheme for Technology Upgradation of Micro and Small Enterprises.
- iii. Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprise Scheme (CGTMSE): This scheme provides collateral free loans upto Rs. 200 lakh both term loans and working capital facility to the Micro and Small Enterprises (MSEs) through Member Lending Institutions (MLIs).
- iv. Micro & Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSE-CDP): This programme aims to enhance the productivity and competitiveness as well as capacity building of Micro and Small Enterprises (MSEs) by adopting the cluster development approach.

The details of financial assistance extended to MSME units in West Bengal under the above schemes during the last four years and current year are given in the Annexure.

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2518
उत्तर देने की तारीख : 08.08.2018

पश्चिमी बंगाल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को वित्तीय सहायता

2518. श्रीमती शांता क्षत्री:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दो वर्षों में पश्चिमी बंगाल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है; और
- (ग) यदि हां, तो इन इकाइयों की मदद करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निम्नलिखित मुख्य योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

- i. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): यह एक प्रमुख क्रेडिट लिंकड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परम्परागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करते हुए गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- ii. क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस): सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए यह एक क्रेडिट लिंकड सब्सिडी योजना है।
- iii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट योजना (सीजीटीएमएसई): इस योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को 200 लाख रुपए तक के कोलेट्रल मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं जिनमें आवधिक ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों सम्मिलित हैं।
- iv. सूक्ष्म और लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी): इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्लस्टर विकास अप्रोच को अपनाकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना है।

उपर्युक्त स्कीम के तहत पिछले चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में एमएसएमई इकाइयों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

Annexure referred to in reply to part (a) to (c) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 2518 for answer on 08.08.2018.

i. Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP):

Year	Margin Money allocation (Rs. in crore) (Target)	Margin Money utilized# (Rs. in crore)	Number of Units assisted
2014-15	60.1777	60.1011	3397
2015-16	47.6549	34.0065	1873
2016-17	36.803	62.7032	3528
2017-18	29.7531	38.9137	1366
2018-19 (upto 30.06.2018)	64.2374	14.6810	478

including un-utilized balance funds of previous year

ii. Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS):

Year	Number of Units benefitted	Subsidy Amount (Rs. in crore)
2014-15	27	3.1361
2015-16	27	2.3784
2016-17	19	2.0081
2017-18	17	1.5722
2018-19 (upto 30.06.2018)	10	0.9713

iii. Credit Support Programme (CGTMSE):

Year	Proposals approved	Approved Amount (Rs. in crore)
2014-15	15273	997.69
2015-16	17792	781.04
2016-17	14802	825.81
2017-18	10535	864.32
2018-19 (upto 30.06.2018)	2027	193.76

iv. Micro & Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSE-CDP):

Year	Amount released to set up Common Facility Centres (CFCs) and Infrastructure Development (ID) Projects (Rs. in crore)
2014-15	2.2863
2015-16	5.2149
2016-17	0.5398
2017-18	5.6413
2018-19 (upto 30.06.2018)	0.00

अनुबंध

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2518 जिसका उत्तर दिनांक 08.08.2018 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

i. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):

वर्ष	मार्जिन मनी आवंटन (करोड़ रु. में) (लक्ष्य)	उपयोग की गई मार्जिन मनी# (करोड़ रु. में)	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या
2014-15	60.1777	60.1011	3397
2015-16	47.6549	34.0065	1873
2016-17	36.803	62.7032	3528
2017-18	29.7531	38.9137	1366
2018-19 (30.06.2018 तक)	64.2374	14.6810	478

पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष राशि सहित

ii. क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस):

वर्ष	लाभान्वित इकाइयों की संख्या	सब्सिडी राशि (करोड़ रु. में)
2014-15	27	3.1361
2015-16	27	2.3784
2016-17	19	2.0081
2017-18	17	1.5722
2018-19 (30.06.2018 तक)	10	0.9713

iii. क्रेडिट सहायता कार्यक्रम (सीजीटीएमएसई):

वर्ष	अनुमोदित प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)
2014-15	15273	997.69
2015-16	17792	781.04
2016-17	14802	825.81
2017-18	10535	864.32
2018-19 (30.06.2018 तक)	2027	193.76

iv. सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):

वर्ष	सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) और अवसंरचना विकास परियोजना (आईडी) स्थापित करने के लिए प्रदान की गई राशि (करोड़ रु. में)
2014-15	2.2863
2015-16	5.2149
2016-17	0.5398
2017-18	5.6413
2018-19 (30.06.2018 तक)	0.00